राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1] पंचम विधान सभा के प्रथम सत्र का 52वां दिवस [संख्या 22

बुधवार,

दिनांक 10-5-1972

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.2 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[यातायात समाज कल्याण, चिकित्सा राजस्व, विद्युत्, सिंचाई, खनिज, पंचायत, आयुर्वेदिक, सार्वजनिक निर्माण खाद्य, श्रम विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्रीमती नगेन्द्र बाला।

कोटा कैथून सांगोद का बस परमिट

393. **श्रीमती नगेन्द्र बाला (दीगोद):** क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या कोटा से कैथून, बनियानी होते हुए सांगोद के लिये किसी को बस का परमिट दिया गया है ?

(2) यदि हां, तो कब से यह परमिट दिया हुआ है ?

(3) क्या इस रूट पर बस चलती है ?

यातायात मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) जी नहीं।

(2) विचार किया जायगा।

(3) कार्यवाही शीघ्र होगी !

श्रीमती नगेन्द्र बाला : क्या यह आशा की जाय कि बस उस रूट पर चलेगी ?

श्री हरिदेव जोशी : जरूर आशा की जाय।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्रीमती भगवती देवी।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के हितों की रक्षार्थ विधायकों की कमेटी का गठन

394. **श्रीमती भगवती देवी (भिनाय):** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या यह सही है कि गत विधान सभा के अन्तिम समाज कल्याण मंत्री ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों के हितों की रक्षार्थ विधायकों की एक कमेटी का गठन करने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो इस कमेटी का गठन क्यों नहीं हुआ ?

(श्रीमती भगवती देवी)

(2) क्या इसी तरह की एक कमेटी लोक सभा में भी गठित की हुई है? यदि हां, तो सरकार इसी तरह यहां भी कमेटी का गठन कब तक करेगी?

समाज कल्याण मंत्री (श्री ओंकारलाल चौहान) : (1) जी हां। गत विधान सभा का समय समाप्त हो जाने के कारण समिति का गठन नहीं हो सका।

(2) जी हां। समिति के गठन की कार्यवाही चल रही है।

एक माननीय सदस्य : यह कब तक हो जावेगा?

श्री ओंकारलाल चौहान : संसद् के अनुरूप विधान सभा समिति का निर्वाचन होना है। उसके लिये गत सत्र के समय समिति के गठन हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय के सामने एक पत्र प्रस्तुत किया गया था। वह विचाराधीन है इसलिये देरी हो रही है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : इस पर इतने जोरों की बहस हुई। यह विचाराधीन कब तक रहेगा?

श्री ओंकारलाल चौहान : जल्दी ही इस पर निर्णय हो जावेगा।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलोदी) : जल्दी की परिभाषा कर दीजिये?

श्री रघुनाथ विश्नोई : साल भर हो गया। आश्वासन दिया था कि सदन की भावना का राज्य सरकार रेस्पेक्ट करती है। उसकी पूर्ति हुए सालभर हो गया और अब आप कहते हैं कि विचाराधीन है।

श्री ओंकारलाल चौहान : इसके सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया कि यह माननीय अध्यक्ष महोदय के सामने चल रहा है और जब तक यहां से निर्णय नहीं हो जाता मैं अधिकृत सूचना निवेदन नहीं कर सकता।

श्री मीठालाल (नागौर): कई राज्य सरकारों ने अनुपालना करके समिति का गठन कर दिया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मामूली बजट का सवाल था। गवर्नमेन्ट ने वापिस क्वेरी की। यहां से असेम्बली से लिख कर भेजा था।

श्री मीठालाल : सदन की अन्य समितियों के चुनाव होंगे तब क्या इस समिति का गठन हो जावेगा?

श्री ओंकारलाल चौहान : हां जावेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 395

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्रीमती मदन कौर।

कृषि योग्य भूमि

396 **श्रीमती मदन कौर** (रायसिंहनगर) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों में औसत परिवार (5 सदस्य) के पास कृषि योग्य कितनी भूमि है इसका अध्ययन किया है, यदि हां, तो बाडमेर जिले के आंकडे बताने की कृपा करें।

(2) क्या उक्त जिले में औसत परिवार के पास 30 स्टेण्डर्ड एकड से कम भूमि

(श्रीमती मदनकौर)

है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार वहां के भूमिहीन काश्तकारों को राजस्थान नहर अथवा अन्यत्र कहीं भूमि आवंटन करने या अन्य कोई रोजगार उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : राज्य सरकार ने इसका अध्ययन नहीं किया है क्योंकि यह अत्यन्त समय साध्य है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा केवल भूमिहीनों को भूमि आवंटन की जाती है। जिनके पास 30 स्टेण्डर्ड एकड़ से कम भूमि है वे भूमिहीनों की परिभाषा में नहीं आते इसलिये उन्हें अन्यत्र कहीं भूमि उपलब्ध कराने अथवा अन्य रोजगार दिलाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, क्या राज्य सरकार रेगिस्तान क्षेत्र जिसमें बाड़मेर जिला भी आता है, वहां 30 स्टेण्डर्ड एकड़ जमीन इकोनोमिक होल्डिंग मानती है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : 30 स्टेन्डर्ड एकड़ से 336 तक की जमीन दी गयी है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : फैमिली होल्डिंग के लिये काफी डिटेल्स में जानकारी होनी चाहिये, फैमिली होल्डिंग कितनी हैं, क्या तादाद है। खास तौर से रेगिस्तान के इलाकों में इसका निर्णय होना बहुत जरूरी है।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, दो बार पहले यह प्रश्न पूछा गया है। तीन साल में इतनी सी सूचना उपलब्ध नहीं करा सकते हैं यह बड़े अफसोस की बात है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इतनी छोटी यह सूचना नहीं। कितनी जमीन किसके पास है और पांच व्यक्तियों के परिवार के पास कितनी जमीन है, यह सैन्सेज का विषय है जो अभी नहीं कर पाये हैं। 30 स्टेन्डर्ड एकड़ से जमीन कम है तो यह लैंड लेस की तारीफ में नहीं आता है। दूसरों को नहीं दे सकते।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यदि विस्तृत सूचना एकत्रित करा लेते तो सहूलियत होती पहले आप सूचना एकत्रित करवा लीजिये।

श्री रामचन्द्र चौधरी : कोशिश की जा रही है सूचना एकत्रित करने की।

श्रीमती मदनकौर : जब सूचना नहीं है तो 18 स्टेंडर्ड एकड का सीलिंग रख रहे हैं तो कैसे जानकारी होगी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह अलग विषय है। आपके सामने बिल आवेगा तब बात कर ली जावेगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : पहले आप आंकड़े इकट्ठे करवा लीजिये, बहुत महत्व-पूर्ण प्रश्न है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसको तैयार करवाया जा रहा है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): सूचना कब तक एकत्रित करा ली जावेगी ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : सीलिंग का बिल आ रहा है। इस प्रकार की सूचना

(श्री मोहनलाल छगाणी)
उससे पहले जल्दी उपलब्ध होनी चाहिये । राज्य सरकार के पास काफी मशीनरी है । सरकार को इसकी आवश्यक सब सूचना देनी चाहिये । यदि सूचना नहीं मिली तो सीलिंग का इफेक्ट कम हो जावेगा ।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : यह सूचना निश्चित रूप से सदन के सामने सारे जिलों की आनी चाहिये ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसकी व्यवस्था की जा रही है ।

श्री चेतराम (टोडाभीम) : कौन भूमिहीन है, स्टेन्डर्ड एकड का कोई पैमाना रखा है कि कितनी स्टेन्डर्ड एकड जमीन होगी उसको भूमिहीन माना जायेगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जो टिनेन्सी एक्ट में इसकी परिभाषा की हुई है उसके अनुसार होगा ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सीलिंग कानून सदन में लाया जावेगा उसके पहले यह सूचना उपलब्ध करा सकेंगे या नहीं ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : सीलिंग बिल तो जल्दी आ रहा है । इसकी सूचना देना पोसीबिल नहीं होगा ।

श्री मोहनलाल छगाणी : यदि सूचना नहीं मिली तो कोई भी निर्णय नहीं ले पायेंगे । राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जिसके पास कितनी जमीन है, उसमें से कितनी इकोनोमिक होल्डिंग है और कितनी नहीं, इसका पूरा ब्यौरा हमें सीलिंग कानून के आने से पहले मिलना चाहिये ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इतने बड़े राजस्थान की सेम्पेज सीलिंग बिल के आने से पहले करा लेना तो संभव नहीं है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : सेटलमेंट हो चुका है । कराना चाहें तो मुश्किल नहीं है। 18 स्टेण्डर्ड एकड़ में मिस अन्डरस्टेंडिंग हो जावेगी । यह तो आपके फायदे की बात भी है ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने स्टडी टीम नियुक्त कर दी है कि 18 स्टेन्डर्ड एकड़ तक कितनी फेमीलीज अफेक्टेड होंगी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसकी स्टडी टीम मुकर्रर नहीं की है । 30 एकड़ से 18 एकड करने का अभी निश्चय किया गया है । यह आपके सामने आने वाला है उससे पहले कैसे कह सकते हैं ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : प्रधान मंत्री ने साफ कहा है कि स्टेट का मेटर है । जो आंकड़े आपने इकट्ठे किये होंगे, यह तो आपका मामला है ।

प्रश्न संख्या 397

श्री अध्यक्ष : श्रीमती गौरी पूनिया

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 598

श्री शंकरलाल :

अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री निरंजननाथ आचार्य ।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा बेडफोर्ड, डाज और फार्गो ट्रक्स के चेसिस की खरीद ।

399. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दिसम्बर 1968 से फरवरी, 1971 तक राज्य पथ परिवहन निगम ने बेडफोर्ड डाज और फार्गो ट्रक्स की चेसिस खरीदी ? यदि हां, तो कब कितने कितने और इस पर क्या व्यय हुआ ?

(2) जिनसे ये चेसिस खरीदे गये उनके एजेन्ट उनके एजेन्टों की फर्मों के मालिक कौन हैं और उनको क्या क्या कमीशन मिला ?

(3) ये चेसिस कब काम में लिये गये और उनका रजिस्ट्रेशन कब हुआ ?

यातायात मंत्री (श्री हरिदेव जोशी :(1) जी नहीं । निगम ने कोई बेडफोर्ड, डाज और फारगो ट्रक की चेसिस नहीं खरीदी है ।

(2) प्रश्न नहीं उठता ।

(3) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरा भी प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री हरिदेव जोशी : धन्यवाद ।

प्रश्न नं. 400

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम

(अनुपस्थित - कृपया आगे देखिये)

श्री नारायण सिंह ।

दांता रामगढ़ क्षेत्र के गांवों का विद्युतिकरण

401. श्री नारायण सिंह (दांता रामगढ़) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) दांतारामगढ़ क्षेत्र में अब तक कितने ग्रामों का विद्युतिकरण किया जा चुका है ? सूची सदन की मेज पर रखी जाये ।

(2) दांतारामगढ़ (जिला सीकर) क्षेत्र में कितने और ग्रामों को बिजली देने हेतु सर्वे हुआ है तथा उन ग्रामों में कब तक बिजली दी जा सकेगी ?

(3) किसी ग्राम का विद्युतिकरण करने के लिये विभाग द्वारा क्या आधार निर्धारित किया हुआ है ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) अब तक दांतारामगढ़ तहसील के 21 ग्रामों का विद्युतिकरण किया जा चुका है । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) दांतारामगढ़ तहसील के 21 और ग्रामों का सर्वे किया जा चुका है । इनमें बिजली देने का मामला विचाराधीन है ।

(3) गांवों का विद्युतिकरण करने के लिये जिला कृषि उत्पादन समिति द्वारा सिफारिश किये गये गांवों का सर्वे किया जाकर स्कीम रिपोर्ट बनाई जाती है और यदि योजना तकनीकी दृष्टि से साध्य और आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद हो तो उपलब्ध

(श्री हरिदेव जोशी)
साधनों को ध्यान में रखते हुये स्वीकृति दी जाकर विद्युतिकर किया जाता है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे जो सूची मिली है उसमें मेरा गांव 31-3-65 को रखा गया है और अब तक न बिजली लगी है और न कुछ हुआ है।

श्री हरिदेव जोशी : किस नम्बर पर है? (विराम) इस पर दिखाया हुआ है। मैं देखूंगा ऐसे कैसे है।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेश चन्द्र।

हरिजन बस्ती, कोटपुतली की नल योजना

402. श्री **सुरेश चन्द्र** (कोटपुतली) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटपुतली मे हरिजन बस्ती में नल योजना के लिये कितनी राशि स्वीकृत की गई है?

(2) क्या यह सही है कि कोई राशि स्वीकृत न होने की वजह से हरिजन बस्ती नल योजना से वंचित रह गई है? यदि हां, तो सरकार कब तक हरिजन बस्ती में नल योजना आरम्भ कराने पर विचार कर रही है?

समाज कल्याण मंत्री (श्री ओंकारलाल-चौहान) : (1) कोटपूतली की हरिजन बस्ती में नल लगाने के लिये कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई है।

(2) प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण इस विभाग द्वारा स्वीकृति देना संभव नहीं था। जब प्रस्ताव प्राप्त होंगे तब विभाग द्वारा विचार किया जायेगा।

श्री सुरेश चन्द्र : क्या यह सही है नगरपालिका, कोटपूतली ने इसके बारे में एस्टीमेट बनाकर जन स्वास्थ्य विभाग को भेज दिये हैं और समाज कल्याण विभाग को भी भेज दिये हैं?

श्री ओंकारलाल चौहान : जी नहीं।

श्री सुरेशचन्द्र : क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा सिफारिश हो चुकी थी और 45 हजार रुपये देने का आश्वासन भी दिया था?

श्री ओंकारलाल चौहान : ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया।

श्री सुरेशचन्द्र : तो अब कब तक व्यवस्था हो जायेगी, क्योंकि राज्य सरकार की घोषणा है कि कच्ची हरिजन बस्तियों में नल बिजली की व्यवस्था की जायगी। क्या समाज कल्याण मंत्री महोदय बतायेंगे? मैं समझता हूं अब प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है।

श्री ओंकारलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव आने पर विचार किया जायगा।

श्री सुरेशचन्द्र : प्रस्ताव की जरूरत ही नहीं है। वित्त मंत्री महोदय ने घोषणा की है।

श्री ओंकारलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने घोषणा की है

Page No. 7

(श्री ओंकारलाल चौहान)
लेकिन फिर भी प्रस्ताव आ जाय त
जहां राजस्थान में हरिजन कच्ची बि
वहां वहां नल बिजली सीधा जहां प
की व्यवस्था है वहां इस वर्ष पहुंच
कोशिश की जायगी।

कई माननीय सदस्य : प्रस्ताव की
नहीं है।

एक सदस्य : जब
महोदय ने यह घोषणा कर दी
जगह नल बिजली पहुंचा दी
प्रस्ताव की क्या आवश्यकता है?

श्री निरंजन नाथ आचार्य :
नीति का प्रश्न हो गया।

श्री ओंकारलाल चौहान :
योजना चालू है हरिजन बस्ती
अध्यक्ष महोदय, घोषणा तो
उसके पहले तो प्रस्ताव की
अब घोषणा हो गई है तो
जायगी।

श्री सुरेशचन्द्र : श्री
जार करेंगे प्रस्ताव की
करवा देंगे?

श्री ओंकारलाल चौहान निवेदन
किया, हो जायगा?

श्री अध्यक्ष : श्री बद्री प्र ता।

अलवर जिले में साबी बान्ध योजना

403. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (मानपुर की
ओर से) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अलवर जिले में साबी बान्ध बनाने का प्रस्ताव कब से सरकार के विचाराधीन है? और इस सम्बन्ध में अब कार्यवाही की जा रही है?

(2) क्या अब इस बान्ध को शीघ्र बनाये जाने की आशा है?

राज्य मंत्री सिंचाई (श्री मूलचन्द) : (1) साबी बान्ध बनाने की योजना सन् 1957-58 से राज्य सरकार के विचाराधीन है। सन् 1964-65 से इस योजना को सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण की योजना बनाने का विचार किया जा रहा है। योजना का प्रारूप बनाकर केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग को भेजी जा चुकी है और अब उनके विचाराधीन है।

(2) चूंकि यह योजना तीन राज्यों की सम्मिलित योजना होगी इसलिये इसको इन राज्यों की स्वीकृति होने के बाद ही क्रियान्वित किया जा सकेगा।

श्री रामप्रसाद बोहरा : क्या यह सही है कि हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को तीनों मिलकर एक योजना है और बाढ़ रोकने के लिये यह अच्छी योजना बनाई है भारत सरकार के सिंचाई मंत्री यहां पधारे थे और उन्होंने योजना बनाई है और शीघ्र ही चालू करने का आश्वासन दिया था। भारत सरकार को क्या राज्य सरकार लिखेगी कि इसको जल्दी करवा दिया जाय?

Page No. 8

श्री मूलचन्द : इसके बारे में
फैसला हुआ है । उस सम्बन्ध में
कार्यवाही की जा रही है।

श्री **अध्यक्ष** : श्री वृद्धिचन्द्र जैन

विद्युत् विकास की दृष्टि से राज्य पिछड़े हुये जिले ।

404. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (व
क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की
करेंगे:-

(1) राज्य में विद्युत् विकास
से कौन कौन से पिछड़े हुये जिले हैं

(2) उक्त पिछड़े हुये जि
राजस्थान विद्युत् मण्डल की चौ
वर्षीय योजना में मण्डल विद्यु
की क्या योजनायें प्राथमिकता के
पर ले रहा है? सदन को विस्तृत ज
देने की कृपा करें।

विद्युत् मंत्री (श्री हरिदेव ज
(1) बांसवाड़ा, बाड़मेर, भरतपुर,
डूंगरपुर, जैसलमेर, कोटा, सवाई म
टोंक, और उदयपुर जिले विद्युत्
की दृष्टि से अपेक्षा-कृत पिछड़े हुये

(2) प्रति वर्ष गांवों के विद्युतिक
की स्वीकृति देते समय असमानता दूर
करने का प्रयत्न किया जाता है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय,
मंत्री महोदय ने विचार जाहिर किया
बाड़मेर, जैसलमेर आदि जिले विद्युत् की
दृष्टि से पिछड़े हुये हैं तो मेरा निवेदन है
यह चम्बल और भाखरा से बिजली आयेगी
वह वहां कब तक पहुँच जायगी?

व जोशी : जैसलमेर और
न इलेक्ट्रिक से सम्बन्धित नहीं
डवलप किया जाय यह बोर्ड
है। माननीय सदस्य से भी
चुकी है। इस बारे में सरकार

नीय सदस्य : प्रायोरिटि का
गया है? और कितने
करण किया जायगा...

जोशी : यह प्रश्न विचारा-

र जैन : योजना बने उससे

जोशी : प्रोसैस तब शुरू
ले लिया जायगा। अच्छी
ग्रिडल से जोड़ देते हैं।

जैन : इसको डवलप
ब से चल रहा है?

जोशी: जब से राज्य
हुआ है, तब से?

न : दूसरे प्रान्तों में
ली लग गई है लेकिन
हो राज
हुआ **कोई विकास नहीं**

व जोशी : सब गांवों को
इसे समय आने पर कर दिया
जायेगा

श्री अध्यक्ष : श्री मोहन लाल सुखाड़िया।

जयपुर उद्योग लि. सवाई माधोपुर पर लाइम स्टोन की रायल्टी की बकाया की राशि

495. श्री मोहन लाल छंगाणी (फ़लोदी) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर उद्योग लि. सवाई माधोपुर पर लाइम स्टोन की रॉयल्टी का कितना रुपया कब से बकाया है ?

(2) उक्त बकाया रकम को वसूल करने के लिये राज्य सरकार ने उक्त उद्योग को कब कब नोटिस दिये ? तिथि बताने का कष्ट करें।

(3) उक्त बकाया राशि की वसूली हेतु सरकार अब क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री जुझारसिंह) :
(1) कोई बकाया नहीं है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इनकी तरफ ज्यादातर बकाया निकलते रहते हैं। अब ये कैसे खतम हो गये। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं यह कैसे खतम हो गये।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय इनके खिलाफ कोई बकाया नहीं है। जैसा मैंने प्रश्न का जवाब दिया 29-1-71 को गवर्नमेंट आफ इंडिया ने सीनियर ग्रेड सीमेंट और जूनियर ग्रेड सीमेन्ट के भाव एक कर दिये थे। पहले सीनियर ग्रेड सीमेन्ट पर 1-25 प्रतिटन था और इनफीरियर पर 75 पैसे प्रति टन था। अब इन दोनों को मिलाकर 1-25 कर दिया। इससे जयपुर उद्योग और जो दूसरे उद्योग अफेक्टेड होते थे वे रिट में गये और जब तक रिट का फैसला नहीं हुआ एनहान्स रेट पर निकाले गये। 20-1-72 को हाई कोर्ट से फैसला हो गया है। जो बढ़ाई हुई रेट है उसको हाई कोर्ट ने रद्द माना है इसलिये जो बकाया मांगी जाती थी वह नहीं मिली। 10 लाख 72 हजार 31। नये रेट से बनती थी और वह रेट जो हाई कोर्ट ने बताई वह कम बताई। इसलिये अब इनके खिलाफ कोई बकाया नहीं है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, माईनिंग की जो पालिसी राज्य सरकार की रही है वह खतरनाक रही है। जो रेट बढ़ायी और हाई कोर्ट ने रिट में निर्णय लिया वह यह नहीं है कि जो रेट बढ़ाई है वह सही नहीं है। उसका मापदण्ड दूसरा होना चाहिये। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा जो नई माईनिंग पालिसी आ रही है वे उस मुताबिक फिर से जांच करें और जो निर्णय लिया गया है और जो उद्योग इसमें से निकल रहे हैं वे लागू करें।

श्री जुझारसिंह : हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार रेट्स में कोई फरक नहीं रहा है इसलिये अब राज्य सरकार का लेन देन नहीं है। जैसी राज्य की नीति है वसूल किया जा रहा है। और कोई बकाया नहीं है।

प्रश्न सं. 496

श्री अध्यक्ष : श्री इन्दलिया।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

Page No. 10

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न सं. 407

श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मीठालाल।

लालसोट तहसील में नये औषधालय खोलने की मांग

408. **श्री मीठालाल** (लालसोट) : क्या आयुर्वेदिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि जयपुर जिले की लालसोट तहसील में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां 15 से 20 मील तक के क्षेत्र में कोई औषधालय आदि की सुविधा नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या 1972-73 में उक्त तहसील में नये औषधालयों के खोलने की योजना है ?

आयुर्वेद मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) तहसील लालसोट में आयुर्वेद के आठ औषधालय हैं। 15 से 20 मील के क्षेत्र में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न हो।

(2) जी नहीं।

श्री मीठालाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अनुदानों की मांगों पर विचार हुआ उसमें माननीय मंत्री जी ने बड़े हैडक्वाटर्स पर औषधालय खोलने की व्यवस्था की है लेकिन छोटे हैडक्वार्टर्स पर यह लालसोट तहसील का ही विषय नहीं है 72-73 में कोई औषधालय खोलने के लिये नहीं कहा है। लालसोट तहसील की जो आपने सूची दी है उसमें 15-20 मील दूर कठूमर और डोम गांव है जहां से पंचायत समिति लालसोट 15-20 मील से दूर है और कोई औषधालय नहीं है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि क्या ये जो कठूमर और धोए गांव हैं वहां पर औषधालय 1972-73 में खोलने के लिए राज्य सरकार की नीति है ? इस पर सरकार पुनर्विचार करेगी ?

श्री हरिदेव जोशी : आपकी तहसील में 254 गांव हैं और सैन्सस की रिपोर्ट में आप देखिये कि एक भी गांव ऐसा नहीं है जो कि इतनी दूरी पर हो।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय...

श्री हरिदेव जोशी : जहां तक अध्यक्ष महोदय, नये औषधालय खोलने का प्रश्न है मेरा दुराग्रह नहीं है कि नहीं खोले जायेंगे।

श्री मीठालाल : वैद्य जो बेरोजगार घूम रहे हैं क्या सरकार उनको कुछ भी तनख्वाह देकर ऐसे स्थान पर कि जहां औषधालय नहीं हों उन स्थानों पर उनको नौकरी में लगायेगी ? कुछ भी तनख्वाह देकर जिससे कि वे प्राईवेट धंधा करके उस तनख्वाह में भी काम चलाते रहें और बाद में फिर आप कहीं भी पोस्टिंग करें तो कर दें लेकिन ऐसी जगह उनको लगायेंगे कि जहां जनता को रोगों से राहत मिले, इस पर सरकार विचार करेगी ?

श्री हरिदेव जोशी : अलग से प्रश्न है।

Page No. 11

प्रश्न संख्या 409

श्री अध्यक्ष : श्री मालाराम।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 410

श्री सुखलाल सैणचा !

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिए)

श्री नन्दलाल बैरवा !

बूंदी जिले के किसानों को पास बुकों का वितरण

411. **श्री नन्दलाल बैरवा** (पाटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बूंदी जिले की कौन कौन सी तहसीलों में कितने कृषकों को पास बुकें दी जा चुकी हैं ? तथा शेष कृषकों को कब दी जायेंगी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि पास बुक सम्बन्धित पटवारी ही दे देते हैं या स्वयं कृषक को ही जाकर लेनी पड़ती है ?

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) :

(1) बूंदी जिले में निम्न प्रकार तहसील वाइज काश्तकारों को पास बुकें माह फरवरी, 1972 तक वितरण की जा चुकी है :

1)	तहसील, बूंदी	1829
2)	तहसील, नैनवा	1033
3)	तहसील, केशवरायपाटन	4434
4)	तहसील, हिन्डोली	2287
	कुल	9583

अब कृषकों को पास बुकें शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-4), राजस्थान जयपुर के पत्र संख्या एफ. 6 (32) राज।ख।70 दिनांक 23-2-72 से बन्दोबस्त विभाग द्वारा वितरण की जावेगी। क्योंकि इस जिले में बन्दोबस्त का कार्य चल रहा है।

(2) पास बुकें स्वयं इच्छुक कृषक, पटवारी द्वारा ही प्राप्त करते हैं।

श्री नन्दलाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, काश्तकार पासबुक लेने जाता है तो पटवारी उसको पास बुक नहीं देता है और हजारों पासबुकें खाली दी गयी हैं और उनमें कोई चीज नहीं लिखी है, न जमा के पैसे लिखे गये हैं, न रकबा लिखा हुआ है और न खसरा लिखा हुआ है और पास बुक के दो रुपये लेते हैं और खाली पासबुकें दी गयी हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : ऐसी कोई शिकायत आयेगी तो उस पर जांच कराके उचित कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न संख्या 412

श्री अध्यक्ष : श्री जगमोहन सिंह

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

श्री चिम्मन सिंह भाटी।

पंचायत समिति, जवाजा

413. **श्री चिम्मनसिंह भाटी** (भीम) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति, जवाजा (अजमेर) के विकास अधिकारी ने माह अक्टूबर,

Page No. 12

(श्री चिम्मनसिंह भाटी)
नवम्बर, दिसम्बर सन् 1971 ई. में जनवरी सन् 1972 के प्रत्येक माह में कितना यात्रा भत्ता व दैनिक भत्ता माहवार अलग उठाया ? माहवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जवाजा ने माह अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 1971 व जनवरी, 1972 में कुल कितने रात्रि विश्राम अपने मुख्यावास को छोड़कर गांवों में किये ?

(3) पंचायत समिति, जवाजा में कुल कितने सरपंचों ने लगातार वर्ष 1969-70 व 71 में अपनी पंचायतों के आडिट व निरीक्षण नहीं करवाये ?

(4) पंचायत समिति जवाजा (अजमेर) के जिन सरपंचों ने पिछले तीन वर्ष से आडिट व निरीक्षण नहीं करवाये उनके विरुद्ध विकास अधिकारी व जिलाधीश महोदय द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई ?

(5) पंचायत समिति, जवाजा में माह दिसम्बर, 71 व जनवरी, फरवरी, 72 में कितने अध्यापकों के स्थानान्तरण व प्रतिनियुक्तियां की गई ? क्या इन स्थानान्तरणों व प्रतिनियुक्तियों की प्रशासनिक स्वीकृति ले ली गई थी या किन कारणों से स्थानान्तरण व प्रति नियुक्तियां की गई ?

पंचायत मंत्री (श्री ओंकारलाल चौहान):
(1) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) माह अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 71 व जनवरी, 72 में क्रमशः 11, 5, 8 व 10 रात्रि विश्राम किये गये।

(3) कुल 9 पंचायतों द्वारा आडिट व 3 पंचायतों द्वारा निरीक्षण नहीं करवाये गये।

(4) विकास अधिकारी द्वारा जिलाधीश अजमेर को लिखा गया व उनके द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(5) कुल 64 अध्यापकों के स्थानान्तरण व 11 अध्यापकों की प्रतिनियुक्तियां की गई जिनकी प्रशासनिक स्वीकृति ले ली गई। निरीक्षण शिक्षणालय व जिला कर्मचारी वर्ग समिति द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुसरण में स्थानान्तरण किये गये। प्रतिनियुक्तियां छात्रों की संख्या को देखते हुए की गई।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री चिम्मन सिंह भाटी : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि स्थानान्तरण किये गये थे उस समय इलेक्शन के कारण बेन लगा हुआ था ? क्या उस समय में ऐसे स्थानान्तरण कर सकते हैं ?

श्री ओंकारलाल चौहान : मेरे पास इस समय सूचना नहीं है कि बेन लगा हुआ था या नही।

श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा) : आपको यह भी जानकारी नहीं है कि इलेक्शन के वक्त में बेन लगा हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रसाद बोहरा।

श्री चिम्मनसिंह भाटी : वहां इलेक्शन हो रहे थे।

श्री अध्यक्ष : श्री राम प्रसाद बोहरा।

सिंचाई डिवीजन झालावाड द्वारा त्रिपाल, वाटर टैंक व सिरकियों की खरीद

414. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सिंचाई डिवीजन झालावाड ने सन् 1970–71 में त्रिपाल, वाटर टैंक तथा सिरकियों की खरीद की है? यदि हां, तो किन–किन से कितनी–कितनी तादाद में किस–किस रेट पर? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सामान की टेण्डरों द्वारा खरीद की गई थी? यदि हां, तो टेन्डर नोटिस कब जारी हुए और माल कब खरीदा गया?

राज्य मंत्री, सिंचाई (श्री मूलचन्द) : (1) जी नहीं, झालावाड खण्ड द्वारा वर्ष 1970–71 में त्रिपाल, वाटर टैंक तथा सिरकियों की कोई खरीद नहीं की गई।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न संख्या 415

श्री अध्यक्ष : श्री जेठमल वरवड।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिए)

श्री मूलचन्द सामरिया।

किसानों से अनाज की खरीद के लिये व्यवस्था

416. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) राज्य सरकार खाद्य निगम के द्वारा इस वर्ष प्रदेश में अनाज के लिए कितने क्रय केन्द्र खोलना चाहती है?

(ख) राज्य में कुल कितनी अनाज मण्डियां हैं?

(ग) इन मण्डियों में से ऐसी कितनी मण्डियां रहेंगी जहां क्रय केन्द्र कायम नहीं हो सकेंगे?

(घ) जिन क्षेत्रों में क्रय केन्द्र नहीं होंगे वहां के किसानों से अनाज की खरीद के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है?

खाद्य मंत्री (श्री ओंकारलाल चौहान) : (क) राज्य सरकार खाद्य निगम के द्वारा इस वर्ष प्रदेश में अनाज क्रय करने के लिए 75 क्रय केन्द्र खोलना चाहती है।

(ख) राज्य में कुल 89 अनाज की मण्डियां हैं।

(ग) इन मण्डियों में से 32 मण्डियां वह रहेंगी जिनमें क्रय केन्द्र कायम नहीं हो सकेंगे।

(घ) जिन मण्डियों में क्रय केन्द्र कायम नहीं होगे वहां के किसानों से अनाज की खरीद की व्यवस्था निकटतम मण्डियों में की जावेगी।

श्री मूलचन्द सामरिया : नजदीक जो मण्डियां रह गयी हैं वहां व्यवस्था नहीं होगी इसलिए जहां खरीद की व्यवस्था होगी वहां अधिक से अधिक दूरी कितनी होगी ?

श्री ओंकारलाल चौहान : जितनी पास हो सकती है।

श्री मूलचन्द सामरिया : आपका पास से पास से क्या मतलब ? कितनी दूरी को पास से पास माना जाये ? कोई नीति है ?

श्री ओंकारलाल चौहान : ऐसी कोई नीति नहीं है कि पास या दूर की जिसमें कोई संज्ञा हो।

श्री मूलचन्द सामरिया : किसान काफी दूरी से अनाज लायेंगे तो क्या राज्य सरकार भाड़ा देगी ?

श्री ओंकारलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि पूरा ध्यान रखा गया है। पूरी मण्डियों की सूची दी गई है और जहां ऐसी सुविधा नहीं है वहां पास में ही मण्डी होगी जहां यह सुविधा उपलब्ध होगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कोई आधार भी तो होगा पास का ? ध्यान फिर क्या रखा जायेगा ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर) : मंत्री महोदय ने कहा कि पास की मण्डी होगी तो पास की मण्डी कौन सी होगी?

श्री ओंकारलाल चौहान : मैंने निवेदन किया कि जितनी मण्डियां है वे नियत हैं। उन्हीं मण्डियों में जाकर क्रय का काम होगा। अगर माननीय सदस्य सुझाव रखेंगे तो विचार किया जा सकता है, फूड कारपोरेशन को लिखा जा सकता है कि ऐसी मण्डियां खोली जायें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : किसी तहसील में एक ही मण्डी है और 50–60 मील का फासला है तो ऐसी व्यवस्था पहले भी की गयी है और राज्य सरकार को विचार करना चाहिये।

श्री ओंकारलाल चौहान : मैंने कहा कि विचार किया जा सकता हैं, अगर ऐसा सुझाव आयेगा तो।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछूंगा कि किसान जब मन्डी में अनाज लेकर आता है तो जिस गांव में मण्डी है तो वहां के चेयरमैन, तहसीलदार या बी.डी.ओ. से सर्टीफिकेट लेना पड़ता है कि यह अनाज उसका है, क्या राज्य सरकार के ऐसे निर्देश हैं ?

श्री ओंकारलाल चौहान : मैंने निवेदन किया कि इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

श्री मूलचन्द सामरिया : यह जानकारी नहीं है कि उसे सर्टीफिकेट लेना पड़ता है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : जानकारी करने की आवश्यकता है।

श्री मूलचन्द सामरिया : इस सर्टीफिकेट को हासिल करने में किसानों को कितनी परेशानी होती है।

Page No. 15

श्री अध्यक्ष : श्री रामचरण।

श्री मूलचन्द सामरिया : इस तरह की जो व्यवस्था है····

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न ले लिया गया है।

श्री मूलचन्द सामरिया : किसानों को भ्रष्ट होना पड़ता है और पैसे देकर सर्टीफिकेट हासिल करना पड़ता है इसलिए मैं सूचना देना चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था को तुरन्त हटाया जाये और अगर मंत्री महोदय कहते हैं कि यह गलत है तो मैं साबित करने के लिए तैयार हूं।

प्रश्न संख्या 417

श्री अध्यक्ष : श्री रामचरण।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री झाबरमल.

रामगढ़–डूंडलोद बस रूट

418. **श्री झाबरमल** (फतेहपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या रामगढ़ शेखावाटी से डूंडलोद तक कोई बस रूट है? अगर हां, तो कब से तथा किन किन गांवों में से होकर?

(2) क्या सरकार ने रामगढ़–डूंडलोद बस रूट को ताखलसर, लावंडा, तिहाय, तिहावली तथा खालासी होकर परिवर्तित करने के आदेश दिये थे? अगर हां, तो अब तक उस आदेश पर अमल क्यों नहीं हुआ?

(3) क्या सरकार उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का कोई इरादा रखती है, जिन्होंने आर. टी. ए. के पत्र दिनांक 13–9–61 जिलाधीश, सीकर, 5–2–63 टी. आई. झुंझुनू, तथा संचालक, यातायात, जयपुर को 27–6–63 को प्रेषित किये उसकी अवहेलना की तथा उसके कारण रामगढ़–डूंडलोद बस रूट का परिवर्तित मार्ग रुका पड़ा है?

(4) क्या निकट भविष्य में इन गांवों में से होकर बस रूट शुरू करने का सरकार का इरादा है?

यातायात मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) जी हां, रामगढ़ शेखावाटी से डूंडलोद तक बस रूट है यह सन् 1951 से है और चूड़ी मंडावा गांवों में से होकर है।

(2) ऐसे आदेश नहीं दिये गये।

(3) मार्ग परिवर्तन के आदेश आर. टी. ए. द्वारा नहीं हुए हैं अतः खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

(4) इन गांवों में से होकर बस रूट शुरू करने के आवेदन प्राप्त होने पर आर. टी. ए. के समक्ष विचार करने के लिए रखे जायेंगे।

श्री झाबरमल : अध्यक्ष महोदय, यह आर. टी. ए. के बाकायदा लिखे गए पत्रों की कापियां मेरे पास मौजूद हैं। जो आपकी सूचना है वह गलत है।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने आपने जो तारीखें दी हैं उन्हीं को देखने की कोशिश की है। आप अपने लेटर्स मुझे दे दीजिए, मैं उनको देख लूंगा।

Page No. 16

श्री अध्यक्ष : श्री गुरुदयालसिंह ।

भूमिहीन हरिजनों को आबादी भूमि में बसाने की कार्यवाही

9. **श्री गुरुदयाल सिंह संधु** (करणपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सच है कि जिन हरिजनों को पंचायतों द्वारा आबादी भूमि में कीमतन जमीन दी गई थी उनमें से अधिकतर की भूमि जिलाधीश गंगानगर द्वारा खारिज कर दी गई है? यदि हां, तो जिले के भूमिहीन हरिजनों को बसाने के लिए सरकार अब क्या कार्यवाही कर रही है ?

पंचायत मंत्री (श्री ओंकारलाल चौहान) : जी हां । नियम विरुद्ध किए गए आवंटन ही निरस्त किए जाते हैं । भूमिहीन हरिजनों को आवास हेतु नियमानुसार निःशुल्क भूखण्ड दिए जा रहे हैं।

श्री गुरुदयाल सिंह संधु : क्या सरकार की कोई ऐसी पालिसी है कि जिससे हरिजनों को भूखण्ड बराबर मिलते रहें।

श्री ओंकारलाल चौहान : इस प्रकार की पालिसी है।

श्री गुरुदयालसिंह संधु : क्या पालिसी है जब कि उनको भूखण्ड मिलते ही नहीं है। हरिजनों को कोई भूमि नहीं मिल रही है और जिनको मिली है उनको भी खारिज कर रहे हैं।

श्री ओंकारलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जो आवंटन नियमों के विरुद्ध है उन्हीं को खारिज किया जाता है, जो नियमों के अनुसार हैं उनको भूमि अलाट होती है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : माननीय अध्यक्ष महोदय यह सही है कि गांवों में हरिजनों को बहुत तकलीफ है। उनको रहने के लिए भूखण्ड नहीं है और जो गांवों की आबादी बढ़ती है उसमें भी भूखण्ड नहीं मिलते हैं । सरकार को कोई व्यवस्था निश्चित रूप से करनी चाहिए कि जिससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को गांव में एक हिस्सा आबादी का बराबर मिलता रहे और इसमें उनको कोई अड़चन पैदा न हो। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की कोई ठोस नीति बनाने की सरकार की इच्छा है या नहीं यह सरकार बता दे।

(कोई उत्तर नहीं)

श्री गुरुदयाल सिंह संधु : जिस भूमि पर से हरिजनों को आज भी बेदखल किया जा रहा है उसके लिए सरकार की क्या नीति है ?

श्री ओंकारलाल चौहान : ऐसा कोई केस हो तो मुझे बतायें, मैं देख लूंगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह तो पहले से ही सरकार की नीति है कि जिनके पुराने कब्जे हैं उनको नोमीनल रेट पर रेगुलराईज कर दिया जावे। यह तो सरकार की घोषित नीति है, इसमें कोई केस बताने की क्या बात है। अगर हरिजनों के इ प्रकार के कोई मामले हैं तो सरकार अपनी घोषित नीति के अनुसार उनको रेगुलराईज करे

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
और उनको आबादी की जमीन दे। नाइन्टी वन के केसेज वगैरा और बेदखली के मामले जो चलते हैं उनको बन्द करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री बृजेन्द्रपाल।

सब-तहसील मासलपुर कर रुंधपुरा बांध की नहर की मरम्मत

420. **श्री बृजेन्द्रपाल सिंह** (करौली): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सब तहसील मासलपुर में बांध रुंधपुरा की नहर कई वर्षों से टूटी पड़ी है ?

(2) गत पांच वर्षों में इस नहर की मरम्मत पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

राज्य मंत्री, सिंचाई (श्री मूलचन्द) :
(1) रुंधपुरा बांध से निकलने वाली दो नहरों में से केवल एक नहर सकलपुरा वाली कुछ वर्षों से क्षतिग्रस्त है।

(2) इन नहरों की मरम्मत के लिए 1971-72 से पहले रेगुलर मेन्टेनेन्स गेंग के अलावा कोई खर्चा नहीं किया गया। वर्ष 1971-72 में इस काम पर 4000) रु. व्यय किए गए।

श्री बृजेन्द्रपाल सिंह : आगे 1972-73 के लिए क्या प्रावधान है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ) : यह तो 420 सवाल का 420 हो जवाब है।

श्री रामचन्द्र चौधरी (सिंचाई मंत्री): मैं इस सम्बन्ध में निवेदन कर दूं कि इस नहर पर 18,700) खर्च करने का प्रावधान था जिसमें से 4000) रु. खर्च हो चुके हैं, अब आगे दो तीन महीनों में इसे पूरा करा देंगे।

श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु : क्या फरमाया आपने।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसका मेंटीनेन्स कराया जा रहा है और अब तक 18700) रु. खर्च होने थे जिनमें से 4000) रु. हो चुके हैं और बाकी काम बरसात से पहले-पहले पूरा कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : 421।

श्री केदारनाथ : फोर ट्वन्टी वन।

श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा : बाल बाल बच गए आप फोर ट्वन्टो वन से।

जयपुर नगर के चारों ओर रिंग रोड बनाए जाने का प्लान

421. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर के चारों ओर कोई रिंग रोड बनाई जाने का प्लान है ? यदि हां, तो इसे नेशनल हाई वे से जोड़ा जायेगा ? क्या इस सड़क निर्माण की शुरूआत कर दी गई है ?

(2) नेशनल हाई-वे जयपुर बाई-पास सड़क के निर्माण के लिए तहसील जयपुर में भूमि अवाप्त की गई है ? यदि

(श्री केदारनाथ)
हां तो जिन किसानों की भूमि अवाप्त की गई है वे किस ग्राम के निवासी हैं और उनकी भूमि किस तिथि को अवाप्त की गई। भूमि अवाप्ति का नोटिस किस तिथि को दिया गया ?

(3) क्या तहसील जयपुर के जिन किसानों की भूमि अवाप्त की गई है उनसे भूमि का कब्जा सरकार ने ले लिया ? यदि हां, तो किस तिथि को ?

(4) क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जो भूमि अवाप्त की गई है उसका मुआवजा चुका दिया गया ? यदि हां, तो किन व्यक्तियों को कितना कितना धन दिया गया ? यदि मुआवजा नहीं दिया गया तो किस किसान की कितनी धनराशि मुआवजा के रूप में चुकानी अभी शेष है ?

(5) मुआवजा नहीं चुकाने के क्या कारण हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) जी हां। नेशनल हाई वे 8 को नेशनल हाई वे 10 से जोड़ा जावेगा। स्वीकृति के अनुसार जोन 'ए' का कार्य कराया है।

(2) जी हां, किसान बदनपुरा, गलता तथा जामडोली ग्राम के हैं। भूमि अवाप्ति की तिथि व भूमि अवाप्ति के नोटिस की सूची (अ) में दी गई है ?

(2) जी हां, सूचना (अ) में अंकित कर दी गई है।

(4) 46117 रुपयों का अवार्ड भुगतान को छोड़कर बाकी मुआवजा भुगतान करा दिया गया है। अवशेष भुगतान का मामला न्यायालय में चल रहा है। सूची (ब) संलग्न है।

(5) यह मामला अभी न्यायालय में चल रहा है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में भेजी गई)

श्री केदारनाथ : इसके निर्माण में टोटल पैसा कितना खर्च होगा ?

श्री हरिदेव जोशी : यह तो अलग से प्रश्न है।

श्री केदारनाथ : यह काम कब तक पूरा हो जावेगा ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न को मुख्य रूप से मुआवजे के आधार पर ही देखा है और मेने ऐसा समझा था कि माननीय सदस्य का मेन एम्फेसिस मुआवजे पर ही है और उसी के अनुसार मैंने सारे मामले को देखा है। मुआवजे के बारे में आप जानकारी चाहें तो मैं बता सकता हूं। इसके अलावा अगर कोई प्रश्न पूछना चाहें तो अलग से पूछ लें मैं आपको बता दूंगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्त्ता ने जो प्रश्न पूछा है उसमें साफ लिखा है "जयपुर नगर के चारों ओर कोई रिंगरोड बनाई जाने का प्लान है ? यदि हां, तो इसे नेशनल हाईवे से जोड़ा जावेगा ? क्या इस सड़क के निर्माण की शुरूआत कर दी गई है।" तो माननीय मंत्री महोदय बतावें कि इसको कब तक जोड़ दिया जाएगा। यह इसी से सम्बन्धित प्रश्न है।

Page No. 19

श्री हरिदेव जोशी : मेरे पास में यह सूचना अभी उपलब्ध नहीं है। मुआवजे से सम्बन्धित जानकारी मौजूद है। माननीय सदस्य ने अपना प्रश्न मुख्य रूप से मुआवजे के सम्बन्ध में ही पूछा था और उसी की सूचना मेरे पास है। अगर कंस्ट्रक्शन के बारे में इण्टरेस्टेड हों तो अलग से प्रश्न पूछ लें मैं बता दूंगा।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : अगर काम की शुरुआत कर दी गई तो कोई एस्टीमेट तो होगा कि इतने समय में कर देंगे, या यों ही आंख मींच कर शुरुआत कर दी?

श्री हरिदेव जोशी : अभी जनाब, आंख मींच कर शुरुआत नहीं की है, सारे एस्टीमेट्स हैं लेकिन वे चीजें अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, यह माननीय सदस्यों के प्रश्नों की घोर उपेक्षा है। जो प्रश्नों के जवाब चाहते हैं उसकी सूचना तक नहीं दी जाती। जो सूचना चाही जावे उसके लिए कहा जावे कि प्राप्त नहीं है तो क्यों प्राप्त नहीं है? इससे अधिक अपमान और सदस्यों का क्या हो सकता है?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के अन्दर आप देखेंगे कि खास तौर से यही पूछा गया है कि मुआवजा क्यों नहीं दिया गया? मुआवजा दिया गया तो किन लोगों को दिया गया? अगर मुआवजा नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला? इसी तरह की चीजें हैं और इसीलिए मैंने यह समझा कि माननीय सदस्य मुआवजा के बारे में इन्टरेस्टेड हैं और उसकी ही मैंने तैयारी की। अब अगर माननीय सदस्य कंस्ट्रक्शन के बारे में इण्टरेस्टेड हैं तो आप दूसरा प्रश्न पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री केदारनाथ : जयपुर नगर के चारों ·· (श्री केदारनाथ और श्री हाण्डा साथ साथ बोलने लगे)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : प्रश्न के दो भाग हैं अध्यक्ष महोदय ···

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर केदार

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, जयपुर नगर के चारों और रिंग रोड़ बनाने का प्रश्न है तो इसमें मुआवजे का प्रश्न पोजिटिव फेक्टर हो सकता है लेकिन फस्ट आफ आल तो कंस्ट्रक्शन से सम्बन्ध रखता है।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इसको स्थगित रखा जाय।

श्री अध्यक्ष : दुबारा पूछ लें।

श्री रघुनाथ विश्नोई।

सांचोर कस्बे के अनुसूचित जाति एवं जन जाति के मोहल्लों में पानी व बिजली की व्यवस्था।

422 **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर)** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है सांचोर कस्बा (जिला जालौर) में अनुसूचित जाति एवं

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
जन जाति मोहल्लों में पानी एवं बिजली के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा अब तक कोई भी बजट नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि इसकी मांग कई बार की जा चुकी है, किन्तु समाज कल्याण विभाग ने इस बार मे उदासीनता बरती है ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नही तो इस बारे में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा रकम की मांग की जाने पर पानी व बिजली के लिए सांचोर कस्बे की योजना, विभाग में आ चुकी है ? अगर हां, तो कब ? अब रकम कब तक मंजूर की जाकर उक्त स्थान पर पानी व बिजली की व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री ओंकारलाल चौहान): (1) सांचोर जिला जालोर, की अनुसूचित जाति एवं जन जाति के मोहल्लों में नल एवं बिजली लगाने के लिए कोई प्रस्ताव इस विभाग में प्राप्त नहीं हुए हैं।

(2) जी नहीं। इस विभाग में नल बिजली लगाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। विभाग द्वारा बार बार पंचायत समिति को लिखे जाने के बावजूद भी अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए है।

(3) जी हां। इस विभाग में नल बिजली के लिए सांचोर कस्बे की कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है, अतः रकम मंजूर करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह पांच बार प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं और हाथों हाथ लाकर भी प्रस्ताव विभाग में दिए हैं। समाज कल्याण अधिकारी सिरोही और एक्स-ई-एन, वाटर वर्क्स जालोर के वहां के अधिकारी स्पेशल मैसेन्जर से प्रस्ताव लाकर आपके डिपार्टमेंट में दे गए हैं। लेकिन आपके यहां से कैसे कागज गायब हो जाते हैं यह कृपया बता दें। मैं आपको स्पेसिफिक सूचना देता हूं कि बारबार प्रस्ताव आ चुके हैं। किस जगह पैंडिग हैं आप इसकी जानकारी करके इन्क्वायरी करके बता दें।

श्री औंकारलाल चौहान : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि डिपार्टमेंट ने दि. 31-7-71 को लिखा। उसके बाद 1-11-71 को लिखा और दुबारा भी 1-11-71 को लिखा, फिर 15-11-71 को लिखा। जिला समाज कल्याण अधिकारी को फिर 5-8-71 को लिखा। विकास अधिकारी को 17-11-71 को लिखा और 19-10-71 को लिखा। इतनी बार याददहानी कराने पर भी प्रस्ताव नहीं आए।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं जानकारी देता हूं कि प्रस्ताव आ गए हैं, कैसे और कहां पैंडिग हैं इसकी आप जानकारी करें विशेष रूप से।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा...

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, एक्स–ई–एन और समाज कल्याण अधिकारी कई बार एस्टीमेट बना कर बार बार ले गए हैं, कई बार प्रस्ताव तो मैंने भिजवाए हैं और आपके विभाग से अब तो यह भी आश्वासन दिया गया है कि अब को कागज गायब नहीं होंगे। तो अब तक किस तरह से कागज गायब होते रहे, इसकी जांच करावें।

श्री औंकारलाल चौहान : मैं जांच करा लूंगा कि वास्तव में क्या कोई इस प्रकार के कागज हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : वित्त मंत्रीजी घोषणा कर चुके हैं कि अब तो अनुसूचित जाति और जनजाति के मोहल्लों में मुफ्त में बिजली और पानी पहुंचा दिया जाएगा तो अब तो किसी प्रस्ताव की भी जरूरत नहीं है, अब तो सरकार को स्वयं ही इस साल के अन्दर ही वाटर और इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा देनी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप पता लगावें कि जो एस्टीमेट्स बनाए गए थे वे कहां गायब हो गए। अब तो आपको यह आश्वासन देना चाहिए कि इस साल में ही बिजली पानी पहुंचा देंगे।

श्री औंकारलाल चौहान : मेरे खयाल से वित्त मंत्रीजी ने घोषणा की है तो हो जाएगा जरूर।

श्री रघुनाथ विश्नोई : वित्त मंत्रीजी ने घोषणा हाउस में की है तो यह तो कामन सेंस की बात है कि राज्य सरकार उसको पूरा करेगी। इसमें संदेह का क्या सवाल है। आप यहां स्पष्ट आश्वासन दीजिए कि इस साल में वहां जरूर पहुंचा देंगे।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : मैं माननीय मंत्रीजी से जानकारी चाहता हूं कि आपने पांच बार याददहानी की और उसके चढ़े दिमाग पर सल तक नहीं पड़ा और अभी तक आपके आदेशों की पालना नहीं की तो आप इन कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री औंकारलाल चौहान : दुबारा याददहानी कराके कार्यवाही की जाएगी।

(व्यवधान–शोरगुल–अश्रव्य)

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो बड़ा सीरियस मामला है। सरकार कोई एक्शन दोषी कर्मचारियों के खिलाफ नहीं ले रही है।

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री रामसिंह कुडी (जायल) : मंत्री महोदय को हंसी आ रही है। मेरे खयाल से माननीय मंत्रीजी को...

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे–अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : रेडटेपिज्म का इससे बड़ा कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। छः दफा उन कर्मचारियों को लिखा जा चुका और सदन में इतना बड़ा तथ्य आने के बाद अगर कर्मचारी मोअत्तिल नहीं होता है तो आप समाजवाद नहीं ला सकते हैं। यह रेडटेपिज्म आप को खा जाएगा।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद (मालपुरा) : मंत्री महोदय...

श्री अध्यक्ष : जवाब देने दें, माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद : दुबारा याददहानी हम करायेंगे यह क्या जवाब है मंत्री महोदय का।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी संबंधित मंत्री महोदय को डी0 ओ0 लेटर लिख दें ताकि उस पर कार्यवाही की जा सके।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह क्या कार्यवाही हुई है।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : क्या मंत्री महोदय इस बात की ओर ध्यान देंगे...

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, जवाब तो ठीक होना चाहिये। आप जो जवाब दे रहे है वह तो ठीक नहीं है।

एक माननीय सदस्य : अगर वह कर्मचारी किसी नेता या मंत्री महोदय का रिश्तेदार निकलेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री औंकारलाल चौहान : इसको जानकारी कर के, इसकी जांच कर के, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। जांच कीजा कर कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष श्री मोहरसिंह। प्लीज सिटडाउन।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : यह तथ्य तो सदन में आ चुका है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 423। प्लीज सिट डाउन।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : ऐसे केअरलेस अधिकारी जो राज्य सरकार की अवज्ञा करते हैं...

श्री अध्यक्ष : 423.

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : कोई आश्वासन आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : 423

सहायक बन्दोबस्त अधिकारी चूरू का कार्यालय

423. **श्री मोहरसिंह (चूरू) श्री लूणाराम (डूंगरगढ)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सहायक बन्दोबस्त अधिकारी ने चूरू जिले की हजारों उज्रदारियां बिना किसी कार्यवाही के मनमाने ढंग से खारिज कर दी हैं ? यदि हां, तो ऐसी उज्रदारियों की संख्या बताने की कृपा करें ?

(2) क्या यह सही है चूरू जिले में कई बार बन्दोबस्त विभाग ने अपना कार्यालय बीच बीच में बन्द कर दिया।

(3) क्या यह सही है कि चूरू का बन्दोबस्त कार्यालय बन्द रहता है और अधिकारी तथा कर्मचारी छुट्टी मनाते रहते हैं ?

(4) चूरू तहसील का बन्दोबस्त कब शुरू हुआ था तथा कब तक समाप्त किया जावेगा ?

(5) प्रश्न संख्या (1) में वर्णित मामलों में जो अन्याय हुआ है क्या सरकार

(श्री मोहरसिंह)
इसकी जांच कराकर न्याय करेगी? अगर हां तो कब तक और किस अधिकारी के द्वारा?

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) :
(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) यह सही नहीं है।

(4) चूरू का बन्दोबस्त कार्य सन् 1967-68 में आरम्भ हुआ था। इस तहसील की रेन्ट रेट रिपोर्ट विचाराधीन है। उसकी स्वीकृति के पश्चात् पर्चा लगान वितरण एवं रेकार्ड पूर्ण कराने के बाद कार्य बन्द करने की कार्यवाही की जावेगी।

(5) प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हाथ में आया हुआ बटेर छोड़ दिया।

श्री मोहरसिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का यह उत्तर गलत है। हजारों दरख्वास्तें बिना सुनवाई के, बिना कोई मौका दिये खारिज कर दी गई हैं जिसका कि आश्वासन दिया गया था और आज यहां पर यह उत्तर दिया जा रहा है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : बात यह है कि इनमें से 1012 उजरदारियां खारिज हुई हैं—212 उजरदारियां तो अदम सबूत और अदम पैरवी में खारिज हुई हैं। बाकी 800 ऐसी हैं जो कि ज्यूरिस्डिक्शन में नहीं आती हैं। या तो वे असिस्टेन्ट कलेक्टर या एस. डी. एम. के ज्यूरिस्डिक्शन में थी और वे असिस्टेन्ट सैटिलमेन्ट आफिसर को पेश कर दी गई। इसलिये यह गलतफहमी पैदा हो गई है कि हजारों उजरदारियां खारिज कर दी गई हैं।

श्री मोहर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिसने दरख्वास्त दी उसको सुनवाई का मौका नहीं दिया और यह निर्णय कर लिया गया। ये दरख्वास्तें पेश हुई हैं, दफ्तर में आई हैं, दरख्वास्तें वहां पर पड़ी रही और ऊपर से पूछा गया तो एक दिन में ही उनका फैसला हो गया। यह बहुत अन्याय है काश्तकारों के साथ। यह सच्चाई है और यह एक गंभीर मसला है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : ज्यूरिस्डिक्शन होते हुए दरख्वास्तें पेश की जाती है तो उसका कोई इलाज नहीं है।

श्री मोहरसिंह : एप्लीकेन्ट को मौका देना चाहिए कि ज्यूरिडिक्शन है या नहीं, इसका फैसला सुनकर करना चाहिये।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, एप्लीकेन्ट को सूचना तो देनी चाहिये ताकि समय पर वह दूसरी कार्यवाही कर सके।

श्री मोहनराज (बाली) : अध्यक्ष महोदय, ये एप्लीकेशन प्रापर आथोरिटीज के पास लौटाई जानी चाहिये।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जैसे जैसे दरख्वास्तें खारिज हुई, तारीख पेशी पर हाजिर होना चाहिये। अब भी मियाद है तो मियाद के अन्दर उनको दरख्वास्तें पेश कर देनी चाहिये।

श्री मोहरसिंह : यह कैसे पता लगेगा कि मियाद है या नहीं है।

Page No. 24

श्री मोहनराज : मंत्री महोदय ने यह बताया है कि एप्लीकेशन ज्यूरिस्डिक्शन न होने के कारण खारिज कर दी गई है। मेरे खयाल से मंत्री महोदय इस बात से परिचित होंगे क्योंकि वे स्वयं कानून और राजस्व नियमों के अच्छे ज्ञाता हैं और उनका इससे लम्बे समय तक सम्बन्ध भी रहा है और दूसरे जिस कदर सी. पी. सी. की प्रक्रिया है अगर कोई दरख्वास्त या मामला ज्यूरिस्डिक्शन के आधार पर खारिज होता है तो उस दरख्वास्त को जिस अधिकारी के सामने पेश किया गया है, उसको सुनने का अधिकार नहीं है, तो वह एप्लीकेन्ट को रिटर्न की जाती है इस हिदायत के साथ कि जिसका ज्यूरिस्डिक्शन है, उस प्रापर आथोरिटी के सामने पेश करे। यह प्रक्रिया पूरी न होने के फलस्वरूप यह अन्याय हुआ है। इसलिये इस आर्डर की एप्लीकेन्ट को इत्तिला की जाये ताकि वे अदालत में जाकर कार्यवाही कर सकें।

श्री मोहरसिंह : हजारों दरख्वास्तें थी उनमें से 200 को कबूल किया है, बाकी 800 का क्या हुआ ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : माननीय सदस्य, जैसा कि बताया जा चुका है 212 एप्लीकेशन्स अदम सबूत और अदम पैरवी में खारिज की गई हैं और बाकी 800 ऐसी थी जो कि उनके पास ज्यूरिस्डिक्शन न होने के कारण खारिज की गई हैं।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, चूरू जिले की दो तहसीलों में सैटिलमेन्ट हुआ है और इस सैटिलमेन्ट में अनियमितताएं हुई थीं। उनकी उजरदारियां सैटिलमेन्ट आफिसर को की गई। उनका ज्यूरिडिक्शन न होने के कारण इनको खारिज कर दिया गया। बिना सुनाई के सारी की सारी दरख्वास्तें एक साथ खारिज कर दी गई हैं। इसलिये इस घोर अव्यवस्था के सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस निर्णय से किसानों के अधिकारों को ठेस पहुँची है। उनकी दिक्कतों को देखते हुए क्या मंत्री महोदय जांच कराने का आदेश देंगे।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसकी जांच करा ली जायेगी।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : ऐसे सैटिलमेन्ट आफिसर का ट्रान्सफर कर देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री हरलाल मीणा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जांच कराने से भी क्या फायदा होगा। उनको यह बताया जाये कि ज्यूरिस्डिक्शन कहां पर है और वहां पर वापिस उनकी सुनवाई हो ताकि उनको लाभ हो सके।

श्री मोहनराज : कानून के अन्तर्गत यह राज्य सरकार में अधिकार निहित है और वह उसका प्रयोग करते हुए इस मामलों का फैसला नये सिरे से करवा सकती है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : कानून में जितना उचित है वह सब कार्यवाही किसानों के हक में की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री हरलाल मीणा।

प्रतापगढ़ राजपुरिया सड़क का मरम्मत कार्य

424. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने

(श्री हरलाल मीणा)
की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ से राजपुरिया सड़क पर बड़े बड़े खड्डे पड़ गये जिससे आवागमन में काफी असुविधा होती है ? यदि हां तो इस सड़क की मरम्मत कब तक करा दी जावेगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि सब-डिवीजन प्रतापगढ़ में केवल यही एक डामर रोड है ? इस सड़क का वार्षिक बजट कितना है ? इस सड़क पर काफी ट्रैफिक भी रहता है और सड़क कम चौड़ी होने के कारण वर्षा काल में यहां की काली मिट्टी होने से एक दूसरी गाड़ी को क्रास करने में गाड़ियां काली मिट्टी में फंस जाती हैं जिससे वाहन मालिकों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ता है ? यदि हां, तो इसको चौड़ी करने की क्या योजना है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) गत वर्ष वर्षा की अधिकता में कहीं कहीं सड़क पर गड्ढे हो गये हैं जिनकी साधारण मरम्मत करा दी गई है और आवागमन में अधिक असुविधा नहीं है।

(2) जी हां। सड़क वार मरम्मत धनराशि निर्धारित नहीं की जाती है। सड़क की चौड़ाई 10 फीट है। वर्षा में एक वाहन को दूसरे वाहन से पार करने में थोड़ी असुविधा होती है। अर्थाभाव के कारण सड़क को चौड़ी कराने की योजना नहीं है ?

श्री हरलाल मीणा : क्या इसको इस योजना में लिया जा सकता है।

श्री हरिदेव जोशी : आपके इलाके में कई कच्ची सड़कें हैं, उनको पक्का कराने की बात कहें।

श्री हरलाल मीणा : चौमासे में सारी गाड़ियां उधर से ही पार होती हैं और सड़क की कम चौड़ाई होने के कारण उनको क्रास करने में दिक्कत होती है। मेरा यह निवेदन करना है कि इसको थोड़ा और चौड़ा कराया जाये।

प्रश्न संख्या 425

श्री अध्यक्ष : श्री यशवन्त सिंह नाहर।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री देवीलाल।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : 425 का उत्तर दिला दिया जाय। बड़ा आवश्यक प्रश्न है।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, 425 का उत्तर दिला दिया जाय। बड़ा पब्लिक इम्पार्टेंस का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : श्रम मन्त्रीजी।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद : 425 के लिए, अध्यक्ष महोदय, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। सार्वजनिक महत्व का प्रश्न है। प्रश्नकर्ता के नहीं होते हुए भी इसका उत्तर दिला दिया जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हरिजनों का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : टाइम होगा तो फिर ले लूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह 425 को ले लें।

श्री अध्यक्ष : 425 को बाद में ले लेंगे

श्री देवीलाल।

भरतपुर की जल-प्रदाय योजना

426. **श्री नत्थीसिंह** (नदबई) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बंध बारेठा तहसील बयाना के भरतपुर की जल-प्रदाय योजना में जो पानी दिया जा रहा है क्या वह बांध से जायेगा या कुए बनाकर दिया जायेगा?

सिंचाई मंत्री (श्री रामचन्द्र चोधरी) : इस जल-प्रदाय योजना के लिए पानी बंध को ऊंचा करके बंध की जल-क्षमता बढ़ा कर दिया जायगा।

सोप स्टोन्स की खानों के श्रमिकों की दैनिक मजदूरी

427. **श्री देवीलाल मीणा** (सराड़ा) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जिला उदयपुर में सोप स्टोन्स की खानों पर काम करने वाले मजदूरों की दैनिक मजदूरी राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार नहीं दी जाती है, यदि हां, तो राज्य सरकार इस विषय पर कोई कार्यवाही कर रही है?

(2) क्या उदयपुर जिले में सोप स्टोन निकालने वाले ठेकेदारों के नाम श्रम विभाग की जानकारी में हैं? यदि हां, तो कौनसा ठेकेदार किस तहसील में सोप स्टोन की खानों पर कितने मजदूरों से काम करा रहा है और उन्हें कितनी दैनिक मजदूरी चुकाई जाती है?

श्रम मंत्री (श्री ओंकारलाल चौहान) : (1) राज्य सरकार द्वारा सोप स्टोन की खानों पर काम करने वाले श्रमिकों के लिए मजदूरी निश्चित नहीं की गई है। अतः राज्य सरकार द्वारा इस विषय पर कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

(2) जी नहीं।

श्री देवीलाल मीणा : क्या सोप स्टोन की खानों के अन्दर जो मजदूर काम करते हैं उनके लिए कोई मजदूरी तय नहीं की गई है? उसके लिए कोई कानून नहीं है?

श्री ओंकारलाल चौहान : मैं निवेदन करूंगा कि यहां मिनिमम वेजेज एक्ट सेन्ट्रल का लागू होता है और राज्य सरकार का लागू नहीं होता है।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : लेकिन राजस्थान में लागू तो है?

श्री ओंकारलाल चौहान : जी नहीं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मिनिमम वेजेज एक्ट लागू नहीं है? मन्त्री महोदय विधान सभा के अन्दर जवाब दे रहे हैं तो जानकारी पूर्ण जवाब दें।

श्री ओंकारलाल चौहान : इन मजदूरों के सम्बन्ध में मिनिमम वेजेज एक्ट राजस्थान में लागू नहीं है। मैंने वह जवाब दिया है।

श्री देवीलाल मीणा : सब स्थानों पर खानें चलती हैं तो ठेकेदार कौन है?

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : मन्त्री महोदय, इसके साथ में यह प्रश्न भी...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा कि मिनिमम वेजेज एक्ट राजस्थान में 15 सितम्बर से लागू हो गया है और कई स्थानों पर....

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्या मन्त्री महोदय की यह जानकारी है कि इन खानों पर सब स्थानों पर खानों में मजदूरी करने वाले मजदूरों के लिए जो वेतन का नियम है वह वेतन इनको नहीं मिलता है इस बात की कोई आपने लोक–कल्याणकारी राज्य के आधार पर जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया, नं. 1 और अगर नहीं भी किया तो यह प्रश्न आपके सामने आ गया तब आप क्या सुझाव रखते हैं उनको राहत देने का ।

श्री ओंकारलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, यह वास्तव में सही है कि इस प्रकार की खानों में काम करने वाले श्रमिकों को न्यूनतम वेतन के आधार पर मजदूरी नहीं मिलती है, कम पैसा मिलता है क्योंकि न्यूनतम वेतन केन्द्रीय सरकार के अधीन है और यह वास्तव में चिन्ता का विषय है और मैं केन्द्रीय सरकार को इस विषय में लिखूंगा कि शीघ्र इस पर निर्णय लें ताकि इन खानों पर श्रमिकों को न्यूनतम वेतन मिल सके ।

श्री गुमानमल लोढा (जोधपुर) : मिनिमम वेजेज एक्ट सारे राजस्थान में लागू किया गया है, और जहां तक माइनर मिनरल्स का प्रश्न है माइनर मिनरल्स राज्य का सबजेक्ट है, केन्द्र का सबजेक्ट नहीं है। पत्थर की खानों में काम करने वाले मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं मिलती है । जोधपुर के अन्दर फिदूसर की खानों के अन्दर भी मजदूरों को वह वेतन नहीं मिल रहा है । क्या राज्य सरकार इन 23 वर्षों के अन्दर...

श्री अध्यक्ष : सवाल पूछें ।.....

श्री गुमानमल लोढा : माननीय अध्यक्ष, मैं यह जानना चाहता हूं कि इन 23 वर्षों में राजस्थान में और केन्द्र में दोनो स्थानों पर कांग्रेस का शासन होने के पश्चात् भी क्या कभी पत्थर की खानों के मजदूरों को मिनिमम वेजेज दिलाने के लिए प्रयास किया गया है ? यदि नहीं किया गया है, तो क्या राज्य सरकार इस बात को महसूस नहीं करती है कि अविलम्ब इसके लिए कार्यवाही करें ?

श्री ओंकारलाल चौहान : मैंने उत्तर दे दिया है इसका।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर): प्राइवेट माइन्स में जो मजदूर काम करते हैं उनको यदि पूरा वेतन नहीं दिया जाता है तो मिनिमम वेजेज एक्ट लागू करते हैं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा जो माइन्स चलाई जाती हैं वहां पर जो श्रमिक काम करते हैं उनको दो रुपया ही दिया जाता है तो क्या आप उसकी व्यवस्था करेंगे ?

श्री केसरी मल (ब्यावर) : माननीय अध्यक्ष, क्या सोप स्टोन्स की खानों में

(श्री केसरीमल)
काम करने वाले श्रमिकों का न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है? यदि नहीं. और वह आपके नियमों में नहीं आते हैं तो क्या केन्द्रीय सरकार ने आपको यह अधिकार नहीं दे रखा है कि ऐसे कर्मचारियों को जो कि सोप स्टोन्स की खानों मे काम करते हैं उनको न्यूनतम तनख्वाह दी जाय ?

श्री ओंकारलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि इन खानों में काम कर ने वाले मजदूरों को कम वेतन मिलता है तो यह चिन्ता का विषय है। मैंने यह निवेदन किया है कि इस संबंध में केन्द्रीय सरकार को लिखूंगा और निवेदन करूंगा कि न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत न्यूनतम वेतन निर्धारित करें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आपके द्वारा चल रही माइन्स का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : श्री शंकर सिह।

अजमेर जिले में तरमीम का कार्य

428. **श्री शंकरसिंह रावत** (नसीराबाद): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले में सन् 71 में तरमीम का कार्य हुआ ?

(2) क्या यह भी सही है कि तरमीम के कार्य में किस्म जमीन परिवर्तन नहीं होती ?

(3) क्या यह भी सही है कि अजमेर जिले में मालगुजारी बढ़ाई जा रही है ?

(4) क्या यह भी सही है कि बन्दोबस्त होने के पश्चात् ही मालगुजारी बढ़ाई जानी चाहिए यदि हां, तो अभी मालगुजारी क्यों बढ़ाई जा रही है? क्या सरकार इसे रोकेगी ?

राजस्व मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी): (1) अजमेर जिले में 1970-72 में सर्वे और अभिलेखों की पुन: जांच का कार्य हुआ है, जिसमें तरमीम का कार्य भी शामिल है।

(2) उपरोक्त कार्यक्रम के दौरान गत बन्दोबस्त में दर्ज किये गये भूमि वर्गीकरण को परिवर्तित नहीं किया जाता। परन्तु विशेष परिस्थितियों में और खातेदारी के पुख्ता खेतों में राजकीय भूमि अथवा गैर मुमकिन भूमि को शामिल कर लिए जाने के मामलों में जिलाधीश को भूमि वर्गीकरण बदलने के अधिकार हैं।

(3) जिले में मालगुजारी नहीं बढ़ाई जा रही। बल्कि बन्दोबस्त क्षेत्र में 1941-42 में, इस्तमरारदारी क्षेत्र में 1951-52 में और माफी भोम क्षेत्र में 1958-59 में हुए बन्दोबस्तों के समय जो भूमि वर्गीकरण और लगान की दरें केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत हुई थी उन्हीं के आधार पर जमाबन्दी खतौनियों में लगान लगाया जा रहा है।

(4) मालगुजारी की दर अथवा किस्म जमीन कायम करने का कार्य बन्दोबस्त में ही होता है। बन्दोबस्त के बिना

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

मालगुजारी की दर नहीं बढ़ाई जा सकती। परन्तु इस जिले में मालगुजारी की दर नहीं बढ़ाई जा रही, बल्कि सर्वे और अभिलेखों के संशोधन के कारण खातों में जो परिवर्तन हुए हैं, उनमें गत बन्दोबस्त की स्वीकृति लगान दर कायम करने से बढ़ोतरी होती है तो उसे रोकने का कोई कारण नहीं है। ऐसी बढ़ोतरी आम काश्तकार के मामले में नहीं होती। आम काश्तकार तो स्वीकृत दर से ही लगान दे रहा है परन्तु इस्तमरारदार उन्मूलन के पश्चात् भी इस प्रकार स्वीकृत दर से लगान नहीं दे रहे थे उन्हीं पर इसका असर पड़ेगा।

श्री शंकरसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरे प्रश्न का संबंध है आपने प्रश्न नं0 (2) के उत्तर में बताया है कि विशेष परिस्थितियों के कारण जिलाधीश को पावर है कि वह भूमि की किस्म में परिवर्तन कर सकता है लेकिन यह पावर 41–42, 51–52 तक थी लेकिन बिना बन्दोबस्त के किस्म में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अजमेर के सम्बन्ध में राजस्व मंत्रीजी बता रहे थे तो मुझे भली प्रकार मालुम है कि बन्दोवस्त नहीं हो तब तक उसको आप ड्राप करेंगे या नहीं, यह पूछना चाहता हूं क्योंकि इसको आप लागू नहीं कर सकते हैं जब तक कि दूसरा सेटिलमेंट न हो।

श्री रामचन्द्र चौधरी: इसमें न तो कोई किस्म जमीन की बदली जाती है और न कोई दूसरी बात है। दरअसल बात यह है कि जब ब्रिटिश भारत के आधीन अजमेर का राज्य था तो उस वक्त में बन्दोबस्त हुआ था उसमें जो विस्वेदार थे उनसे एकमुश्त रुपया वसूल किया जाता था और वह अपने किसान से दुगुना, चौगुना और 6 गुना कोई भी बांटा ले सकता था। जब यह खातेदारी टेनेन्सी एक्ट पास हो गया है और अजमेर राजस्थान में मिल गया तो उनके आम नागरिक के समान अधिकार हो गये। इसलिए एक गांव में एक किस्म की जमीन के दो दो किस्म के लगान लिए जायं–यह उचित नहीं था। इसलिए जब रिकार्ड्स की जांच की और यह पाया गया कि विश्वेदार हैं उनसे वह रकम जो पहले ली जाती थी ली जाती रही है किसी आफिसर की गलती से इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसको दुरुस्त किया जाकर दूसरे काश्तकारों से जो लगान लिया जाता है वही इन विस्वेदारों से लिया जायगा। यह कन्सीडरेशन है, उन पर कोई लगान नहीं बढ़ाया गया है।

श्री शंकर सिंह रावत : भारत सरकार का सवाल है वह छूट बराबर है, वह रिकार्ड में है। भारत सरकार का निर्णय है, उसमें छूट का विवरण है। भारत सरकार तो वहीं की वहीं है, पहले ब्रिटिश साम्राज्य था, वह तो है नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार द्वारा निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है तो छूट में परिवर्तन करने का क्या अधिकार है?

श्री चिम्मनसिंह भाटी : अधिकारी भूल करें उसका दण्ड काश्तकार क्यों भोगें?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट! श्री निरंजननाथ आचार्य!

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 29–4–72)

ट्रकों के चेसिस की खरीद

109. श्री निरंजन नाथ आचार्य (मावली) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि दिसम्बर, 68 से फरवरी, 1971 तक सिचाई विभाग ने बेडफोर्ड, डॉज और फार्गो ट्रक्स की चेसिस खरीदी ? यदि हां, तो कब कितने कितने और इस पर क्या व्यय हुआ ?

(2) जिनसे ये चेसिस खरीदे गये उनके एजेन्टों और उप-एजेन्टों की फर्मों के मालिक कौन कौन हैं और उनको क्या क्या कमीशन मिला ?

(3) ये चेसिस कब काम में लिये गये और इनका रजिस्ट्रेशन कब हुआ ?

सिचाई मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) जी हां, सूची 'अ' संलग्न है।

(2) इसका इस विभाग को ज्ञान नहीं है।

(3) सूची 'ब' संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री निरंजन नाथ आचार्य : नम्बर, दो पार्ट हैं, क्या इसकी जानकारी अब भी प्राप्त करने की आप में क्षमता है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : किस बात की ?

श्री निरंजन नाथ आचार्य : नम्बर 2 में आपने कहा, जानकारी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, अब भी इसकी जानकारी प्राप्त करने की आप में क्षमता है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने निवेदन किया, जितने ट्रक्स खरीदे गये, वह डी. जी. एस. डी. द्वारा जो रेट्स मुकर्रर होती है उन रेट्स पर ।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : आप प्रश्न को नहीं समझे। पार्टनर और एजेन्ट का मामला, मामूली मामला है। जिनके द्वारा ट्रक्स खरीदे गये मैं पूछ रहा हूँ, आपने कहा, जानकारी नहीं है, कौन एजेन्ट और पार्टनर हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आप में क्षमता है, आप किस तरह से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : किस बात की जानकारी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : दूसरा सवाल देखिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, आपके डिपार्टमेंट ने यह चेसिस वगैरह खरीदे, जिन फर्म से आपने खरीदे हैं, बहरलाल आपने पेमेन्ट किया है, तो आपके डिपार्टमेंट में मौजूद है, उन फर्मों के नाम क्या हैं, और पार्टनर कौन हैं वह बखूबी दे सकते थे। यह प्रश्न सदन में आया है, माननीय रामप्रसाद लड्ढा, जो भूतपूर्व सिचाई मन्त्री हैं के लड़के वगैरह पार्टनर थे, उनसे खरीदे हैं। इस तथ्य को छिपाने के लिए आप यह कहना चाहते हैं कि पता नहीं है। इस सदन के पुराने सदस्य हैं वह जानते

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
हैं कि इस वजह से उनको टिकट नहीं मिला, केबिनेट से निकाल दिया गया। यह बात पता है तो छिपाने की कोशिश क्यों करते हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह सब के सब ट्रक्स खरीदे हैं यह इनकी मेन्युफेक्चरिंग कम्पनी है उससे सीधे खरीदे गये हैं, जो रेट्स मुकर्रर हैं उस पर खरीदे गए हैं। यह दूसरा सवाल है उन्होंने किसके मार्फत ट्रक यहां भेजे।

श्री गुमानमल लोढा : यह प्रश्न भूतपूर्व मंत्री और उच्च अधिकारियों से सम्बन्धित है, फिर भी आपको जानकारी नहीं है।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : नम्बर दो प्रश्न है, जिनसे ये चेसिस खरीदे गये उनके एजेन्टों और उप एजेन्टों की फर्मों के मालिक कौन कौन हैं, और उनको क्या क्या कमीशन मिला? मेरा प्रश्न है, कौन कौन हैं, यह विशाल व्यापक जानकारी नहीं, आप स्वतः ही मंत्री पद पर रहते हुए जानकारी करना चाहें तो कर सकते हैं यह नहीं है क्या इसमें और बाधा आ जाती है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैं आपको बताता हूं, हमने एक तो वेस्टर्न इंडियन मोटर्स के मार्फत यह ट्रक्स खरीदे, एक सी. जी. सांघी कोई हैं...

श्री गुमानमल लोढा : सीधा प्रश्न है, आप क्यों इन्कार करते हैं सदन के सामने?

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह किसके मार्फत आये हैं इसका वह उत्तर दे रहे हैं?

श्री रामचन्द्र चौधरी : आप मुझे कहने दीजिये...

श्री गुमानमल लोढा : आपकी समझ में नहीं आ रहा है।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : सुनिये आप।

श्री रामचन्द्र चौधरी : आप सुनें तो अच्छा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सुना दीजिये।

श्री रामचन्द्र चौधरी : दो मेवाड़ मोटर, उदयपुर की तरफ से आये जिनके मालिक दिलीप सुखाड़िया, अरुण कुमार सुखाड़िया, बी. एन. कासलीवाल, तीसरी कमल एण्ड कम्पनी जयपुर के मार्फत, जिसका मालिक कमल कासलीवाल है, चौथे गणेश ऑटोमोबाइल अजमेर से, वृद्धिचन्द्र बेनी गोपाल जिसके मालिक हैं।

एक माननीय सदस्य : सारे नाम क्यों बताते हैं?

श्री श्रीराम गोटेवाला : सारे बता दीजिये।

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह बता दिये हैं नाम, इसमें न रामप्रसाद लड्ढा हैं, न उनका लड़का। यह आपके दिमाग की चीज है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल): सब के नाम तो बता दिये। यह बता दीजिये, जो चेसिस खरीदे गये इनके लिए क्या बजट में प्रॉवीजन था, क्या आवश्यकता थी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : बजट में प्रावीजन था, आवश्यकता थी तभी खरीदे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : न बजट में प्रावीजन था, न आवश्यकता थी।

श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ़) : यह आप कह रहे हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह गलत है।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह आपका कहना है, नहीं मालूम हो पाया, इसकी आवश्यकता ही नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इन चेसिस पर बाडी कब बनाई गई ?

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : मैं पूछना चाहता हूं, मंत्री जी, पहले आपने यह कहा, मेरे पास इन्फार्मेशन नहीं है, फर्म के नाम नहीं है। अब अचानक फर्म के नाम कहां से निकाल लाये ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : फर्म का सवाल नहीं है, इसका उत्तर से वास्ता नहीं है क्योंकि मैन्युफेक्चरिंग कम्पनी से सीधे खरीदे हैं, जो मुकर्रर रेट है उसके हिसाब से खरीदे हैं। बीच में क्या कमीशन देते हैं, कौन मालिक है—इससे वास्ता नहीं है। आप इसे पालिटिकल इश्यू बना रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह बता दें, आपने अभी कहा, इन्फार्मेशन नहीं है, किससे खरीदे गये। लेकिन दो मिनिट के बाद ही फाइल से इन्फार्मेशन निकल आई।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह प्रिविलेज का इश्यू है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मेरा यह प्रश्न है कि चेसिस पर बाडी कब बनवाई गई ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या जादू से मंगवा लिये नाम ?

श्री राजेन्द्र पारतोया : आप चेसिस पर बाडी बनवाने के लिये प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : चेसिस पर बाडी कब बनी, और उसमें कितना समय लगा। अध्यक्ष महोदय, यह सारा का सारा घोटाला है, यह भूतपूर्व मुख्य मंत्री, मोहनलाल सुखाड़िया के कहने पर हुआ है, वही खरीदने वाले, वही आर्डर देने वाले, उनके लड़के के नाम से पार्टनरशिप, न इसके लिए बजट में प्राविजन था और न आवश्यकता थी। एक वर्ष तक यह पड़े रहे।

श्री रामचन्द्र चौधरी : माननीय सदस्य को मालूम नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : जो व्यक्ति इस सदन में नहीं हैं उनके ऊपर आरोप नहीं लगाया जाय।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : आरोप लगाया जायगा। जो फेक्ट है, वह फेक्ट है।

श्री गुमानमल लोढा : क्या माननीय मंत्री बतायेंगे श्री मोहनलाल सुखाड़िया से अरुण कुमार सुखाड़िया का क्या संबंध है?

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

चित्तौड़गढ़ के पहाड़ी इलाके के गांवों के लिये चिकित्सा सुविधा

395. **श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत** (चित्तौड़गढ़):–क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा के लिये कितने वर्ग मील तथा कितनी जनसंख्या पर एक चिकित्सा केन्द्र खोला जाता है?

(2) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ के पहाड़ी इलाके के गांव जो सादी तथा पाल पंचायत में आते हैं वहां अब तक कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(3) भविष्य में वहां चिकित्सा सुविधा के लिये क्या किया जायेगा?

उत्तर

(1) 5 एवं 10 मील की दूरी पर कम से कम 5000।

(2) जी हां, दोनों गांवों की जन संख्या 5000 से कम हैं। जो चिकित्सालय खोलने के माप दण्ड में नहीं आते।

(3) उक्त माप दण्ड के अनुसार संभव नहीं है।

बांका पट्टी पेय–जल योजना को बिजली की व्यवस्था

397. **श्रीमती गौरी पूनिया** (मकराना): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि बांका पट्टी पेय जल योजना केवल बिजली न पहुंचने के कारण ही रुकी पड़ी हैं? अगर हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि जन स्वास्थ्य विभाग ने इस योजना को बिजली उपलब्ध कराने हेतु विद्युत् विभाग में 3 लाख रुपया भी जमा करा दिया है?

उत्तर

(1) बांका पट्टी जल योजना का कार्य जलदाय विभाग ने पूर्ण कर दिया है इसकी जानकारी इस विभाग को नहीं है। इस योजना के लिये बिजली पहुंचाने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

(2) जी हां।

बाणी यावस बांध, पाली

398. **श्री शंकरलाल** (पाली): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पाली तहसील के बाणीयावास बांध से किन किन काश्तकारों की कितनी

Page No. 34

(श्री शंकरलाल व्यास)
कितनी भूमि की सिंचाई होती है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) वाणीयावास बांध के कमान्ड के अन्तर्गत किस किस व्यक्ति की कितनी भूमि है ?

(3) क्या गांव लाम्बिया के काश्तकारों की वाणीयावास बांध से पानी दिये जाने की मांग है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) सूची जो संलग्न है।

वास्तविक सिंचाई बांध में प्रतिवर्ष के भराव पर निर्भर करती है।

(2) सूची 'अ' में अंकित है।

(3) जी हां, आवश्यक मात्रा में पानी उपलब्ध न होने और निर्धारित क्षेत्रों में आवश्यक मात्रा में सिंचाई के उपयुक्त जमीने होने के कारण इन काश्तकारों को पानी नहीं जा सकता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

चूरू जिले में समाज कल्याण अधिकारी को नियुक्ति

400. श्री रावतराम (छापर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला समाज कल्याण अधिकारी का कार्यालय चूरू जिला हैडक्वार्टर पर न होकर बीकानेर है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) चूरू जिले की जनसंख्या व क्षेत्रफल तथा अनुसूचित जाति की संख्या को देखते हुये इस जिले में समाज कल्याण अधिकारी को क्यों नहीं रखा गया और अब चूरू जिले के लिए समाज कल्याण अधिकारी कि नियुक्ति कब तक करदी जायगी ?

उत्तर

(1) जी हां। आर्थिक कटौती के कारण दिनांक 1-12-69 से जिला कार्यालय चूरू से समाप्त कर जिला कार्यालय बीकानेर में मिला दिया गया है।

(2) प्रशासनिक व्यय में कमी करने के लिए कुछ जिला कार्यालयों की कमी की गई जिससे चूरू तथा बीकानेर दोनों जिलों को एक कर दिया गया और प्रशासनिक सहुलियत की दृष्टि से उसका मुख्यालय बीकानेर में रखा गया। चूरू जिले के लिए अलग से समाज कल्याण अधिकारी की नियुक्ति करने का अभी कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

पंचायत समिति श्री डूंगरगढ़ की प्राथमिक शालाओं के छात्रों को पौष्टिक आहार

406. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति; श्री डूंगरगढ़ (जिला चूरू) क्षेत्र की प्राथमिक शालाओं के छात्रों को दलिया,

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)
तेल और दूध आदि पौष्टिक आहार का सामान गत दो वर्षों में भूतपूर्व प्रधान श्री लूणाराम के ट्रैक्टर द्वारा पहुंचाया गया ? गत दो वर्ष में इन संस्थाओं को यह सामान कब कब और कितना कितना और किस प्रकार पहुंचाया गया ?

(2) उक्त सामान पहुंचाने का किराया किसको कितना कब कब चुकाया गया है और कितना किस प्रकार देना बाकी है ?

(2) किराया देने का आधार किस प्रकार क्या तय किया गया ?

उत्तर

(1) सामान पहुंचाने के लिए ठेका दिया गया था। ठेकेदार ने किस के ट्रैक्टर द्वारा माल पहुंचाया, इसकी जानकारी राज्य सरकार को नहीं है। पिछले दो वर्षों में कब कब कितना सामान किस प्रकार पहुंचाया गया, इसकी सूचना सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) श्री पृथ्वीराज को 746-20 दिनांक 22-12-70 को खींवराज को 1300·00 दिनांक 18-3-71 को श्री दुलाराम को 1350) दिनांक 30-8-71 को व 1350) दिनांक 15-1-72 को चुकाये गये इस संबंध में किसी भी व्यक्ति का कोई किराया बाकी नहीं है।

(3) विधिवत टेण्डर आमंत्रित कर न्यूनतम टेण्डर के अनुसार किराया तय किया गया।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

काश्तकारों के खातेदारी अधिकारों का राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज

407. श्री भीमसेन (लूनकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि माह जनवरी 71 में बीकानेर जिले के 51 गांवों को उपनिवेशन क्षेत्र से अलग कर दिया था ? अगर हां, तो इन गांवों के काश्तकारों को राजस्थान टैनेन्सी एक्ट, 1955 की धारा 15 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकारों का इन्द्राज कराने की क्या व्यवस्था की गई ?

(2) उपरोक्त गांवों में कितने काश्तकारों के खातेदारी अधिकारों के इन्द्राजात राजस्व रेकार्ड में कराये जा चुके हैं ?

(3) क्या सरकार उपरोक्त अधिकारों के राजस्व रेकार्ड में इन्द्राजात करने हेतु कोई निश्चित अवधि मुकर्रर करेगी ?

उत्तर

(1) यह सही है कि माह जनवरी, 71 में 18 ग्राम बीकानेर तहसील के एवं 51 ग्राम तहसील लूणकरणसर के उपनिवेशन क्षेत्र से अलग कर दिये गये थे। इन गांवों के काश्तकारों को राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 15 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकारों का इन्द्राज किये जाने हेतु खसरा गिरदावरियां उपनिवेशन विभाग से प्राप्त की जा रही है। सम्बन्धित रेकार्ड प्राप्त होते ही इनमें इन्द्राजात करने की कार्यवाही की जावेगी।

(राजस्व मंत्री)

(2) उपरोक्त ग्रामों के काश्तकारों का खातेदारी इन्द्राज, राजस्व रेकार्ड में अब तक नहीं हुआ है।

(3) उक्त काश्तकारों के खातेदारी अधिकारों के इन्द्राजात करने की कार्यवाही सम्भवतः 2 या 3 माह में सम्पन्न कर दी जावेगी।

नीम का थाना की खोखरा खान का ठेका

409. **श्री मालाराम** (नीम का थाना): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) तहसील नीम का थाना की खोखरा खान (चूने का पत्थर) का ठेका कितने समय के लिये किसके नाम कितने क्षेत्रफल का है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि ठेकेदारों ने ठेके के क्षेत्र के अलावा काफी जमीन पर वर्षों से मलबा डालकर जमीन को बेकार बना दी है? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

के अध्यापकों की बकाया का भुगतान

410. **श्री सुखलाल सेंणचा** (जैतारण): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जैतारण एवं रामपुर पंचायत समितियों के अध्यापकों के पिछले एरियर बिलों का भुगतान नहीं हुआ है जिस कारण वे भूख हड़ताल करने जा रहे हैं? बिलों का भुगतान नहीं करने के क्या कारण हैं।

(2) इन अध्यापकों का कितना कितना एरियर बकाया है? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

(1) जी, नहीं। बिलों का भुगतान कर दिया गया है।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

तहसील छीपा बड़ोद के गांवों में विद्युतीकरण

412. **श्री जगमोहन सिंह** (छबड़ा): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

तहसील छीपाबड़ौद में अब तक कितने गांवों को बिजली दी जा चुकी है? और शेष गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए क्या योजना है?

उत्तर

(1) छीपाबड़ौद तहसील में अब तक निम्न 9 ग्रामों को बिजली दी जा चुकी है:– (1) छीपाबड़ौद (2) सारथल (3) पाचेड़ा (4) आंका खेरी (5) उदयपुरया (6) दीवोद खालसा (7) डोलम (8) रतनपुरा (9) बमोरी घाटा

(विद्युत् मन्त्री)

इसके अलावा इस तहसील के तीन अन्य ग्राम दीगोद जागीर अमरपुरा जागीर व हरनावदा शाह विद्युतिकरण हेतु स्वीकृत किये जा चुके हैं जिनका विद्युतिकरण चालू वर्ष में किये जाने की सम्भावना है। तहसील के शेष गांवों में बिजली पहुंचाने के बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

परबतसर तहसील की सड़कों के निर्माण में आई भूमि का मुआवजा

415. **श्री जेठमल बरवड़** (परबतसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि परबतसर-तहसील में परबतसर ग्राम से परबतसर-मंगलाना, परवतसर रूपनगढ़ व भकरी परबतसर सड़कों का निर्माण करवाया गया था ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त सड़कों के निर्माण के लिये काश्तकारों के पट्टा शुदा खेतों में कटान डाले गये थे ? यदि हां, तो क्या उन काश्तकारों को भूमि का मुआवजा दिया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक मुआवजा दे दिया जायगा ? ऐसे कितने काश्तकार हैं ? सूची सदन की मेज पर रखी जाय ?

(3) क्या यह सही है कि काश्तकारों से इस क्षेत्र का राजस्व वसूल किया जाता हैं ? यदि हां, ती क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि कटान के पास खड़े पेड़ जो कि काश्तकारों की पट्टा शुदा जमीन में है उनको उपयोग में लेने नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि सड़क के पास खड़े पेड़ों को सार्वजनिक निर्माण विभाग के जमादार व ओवरसियर काट कर अपने निजी काम में लेते हैं ? यदि हां, तो इसकी रोक थाम के क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) इन ग्रेवल रोड्स का निर्माण भूतपूर्व रियासत जोधपुर द्वारा वर्ष 1939 में हुआ था तथा राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 1960-61 से 1962 तक डामर कार्य हुआ है।

(2) परबतसर-मंगलाना तथा परबतसर से रूपनगढ़ रोड के कटान में आई भूमि अवाप्त की गई है परबतसर-मंगलाना रोड का मुआवजा 5617 रुपये मार्च 62 में चुका दिये हैं। परबतसर रूपनगढ़ रोड का मुआवजा भुगतान शेष है। सूची आसामियान (अ) संलग्न है।

(3) इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(4) आसामियों के स्वामित्व को चुनौती दिये जाने की चुनौती इस विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

(5) इस प्रकार की शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

परवन बांध की कैनाल

417. **श्री रामचरण** (अटरू) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा तहसील अटरू में परवन बांध है? यदि हां, तो उस बांध से किस साइड कितनी लम्बी कैनाल निकली है और उससे कितनी सिंचाई होती है?

(2) क्या उक्त कैनालों की योजना चालू होने के बाद मेन्टीनेन्स हुआ है? यदि हां, तो किस माईनर पर कितना और किस समय? तारीख वाइज मय ऐम्बी पेज सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां, बांध से बाईं तरफ से कैनाल डिस्ट्रीब्युटरी व माईनरों को मिलाकर कुल लम्बाई 48 मील है और इनसे औसतन प्रति वर्ष 7500 एकड़ सिंचाई होती है।

(2) जी हां, इसकी सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

गृह निर्माण के लिए स्वीकृत राशि

425. **श्री यशवन्तसिंह नाहर** (वनेड़ा): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में गत दो वर्षों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछड़ी एवं घूमेत जातियों के गृह निर्माण के लिए कितनी रकम स्वीकृत हुई?

(2) यह रकम किस किस जगह दी गई? कृपया ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इस विभाग द्वारा वर्ष 1970-71 व 1971-72 में नगरपालिका क्षेत्र तथा पंचायत समिति क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं जन जाति को गृह निर्माण हेतु अनुदान व ऋण के लिये स्वीकृत धनराशि की सूची (अ) सदन की मेज पर रखदी गई है।

(1) नगरपालिका क्षेत्र तथा पंचायत समिति क्षेत्र में जिस जिस जगह के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया उनकी सूचियां (ब) व (स) सदन की मेज पर रखदी गई है। दोनों क्षेत्रों के लिये स्वीकृत ऋण की सूची (न) भी सदन की मेज पर रखदी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी [illegible])

अतारांकित प्रश्नोत्तर

समाचार पत्रों में विज्ञापन

132. **श्री उम्मेदी लाल** (हिन्डौन) : क्या परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि भूतपूर्व परिवार नियोजन मंत्री ने हिण्डौन से प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक पत्र "निराला राजस्थान" के सम्पादक को परिवार नियोजन की योजना के प्रति जन-मानस तैयार करने के क्रम में प्रशस्ति पत्र सार्वजनिक रूप से दिया था तथा जिला परिवार नियोजन क्रियान्वयन समिति ने राज्य परिवार नियोज

(श्री रुम्मेदीलाल)
संस्थान को इस पत्र के सम्पादक को पारितोषिक देने के लिये लिखा था ? अगर हां, तो इस पत्र के सम्पादक को अब तक मिलने वाली पारितोषिक क्यों नहीं दी गई ?

(2) क्या यह सही है कि परिवार नियोजन को राष्ट्रीय योजना में जिले को राज्य में प्रथम लाने व जन-जागृति के लिये इस समाचार-पत्र का भारी हाथ रहा है ? यदि हां, तो फिर परिवार नियोजन संस्थान से मिलने वाले विज्ञापनों से इस समाचार-पत्र को क्यों वंचित रखा जाता है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस योजना में अरुचि रखने वाले समाचार पत्रों को संस्थान द्वारा भारी विज्ञापन दिए जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार राष्ट्रीय योजना में सक्रिय भाग लेने वाले समाचार पत्रों का विकास करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। किन्तु यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

(2) जी हां। इस पत्र का सहयोग तो रहा है लेकिन भारी हाथ तो नहीं कहा जा सकता। इस पत्र को विज्ञापन से वंचित नहीं रखा गया।

(3) जी नहीं।

चाकसू तहसील के गांवों का विद्युतिकरण

133. **श्री जयकिशन लाल तोसावडा (फागी)**: क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चाकसू तहसील के किन-किन गांवों का विद्युतिकरण किया जा चुका है और किन-किन गांवों में स्वीकृति होने पर अभी तक विद्युतिकरण नहीं किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें;

(2) स्वीकृत गांवों का विद्युतिकरण कब तक कर दिया जावेगा और अब तक नहीं किए जाने के क्या कारण है ?

(3) ऐसे कितने गांव हैं जिनके विद्युतिकरण की योजना बन चुकी है परन्तु अभी तक स्वीकृति नहीं हो पाई है ?

(4) स्वीकृति नहीं होने के क्या कारण है और अब स्वीकृति कब तक हो जावेगी ?

उत्तर

(1) चाकसू तहसील के नौ ग्रामों का विद्युतिकरण किया जा चुका है, जिसकी सूची सदन को मेज पर रख दी गई है। कोई भी स्वीकृत ग्राम विद्युतिकरण से वंचित नहीं है।

(2) चाकसू तहसील में कोई भी ग्राम ऐसा नहीं है जो स्वीकृत हो और जिसका विद्युतिकरण नहीं किया गया हो।

(3) ऐसा कोई ग्राम नहीं है जिसकी विद्युतिकरण की योजना बन चुकी है परन्तु अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है।

(4) जब ग्रामों के विद्युतिकरण की स्कीम रिपोर्ट ही नहीं बनी तो स्वीकृत होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

Page No. 40

विद्युत् क्षमता

134. **श्री भीमसेन** (लूनकरणसर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में इस वक्त कुल कितनी विद्युत् क्षमता है तथा माह दिसम्बर 72 तक कितनी क्षमता और होने की सम्भावना है ?

(2) उपरोक्त विद्युत् क्षमता के लिये सरकार क्या विशेष कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य को अपने हिस्सों के अनुसार आज तक 268 मेगावाट (फर्म पावर) उपलब्ध है। उपलब्ध सूचना के अनुसार दिसम्बर 72 तक 421 मेगावाट (फर्म पावर) उपलब्ध होने की संभावना हैं।

(2) राज्य में गत वर्ष की मांग, जो 322 मेगावाट पहुँच चुकी थी के सन्दर्भ में आशा की जा सकती है कि उक्त फर्म पावर वर्ष 72-73 में राजस्थान में ही उपयोग में आ जायेगी। राजस्थान मे पूरी उपलब्ध पावर का उपयोग करने के लिये आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं जिनमें नई 33 के. वो. लाइनें व सबस्टेशनों का निर्माण शामिल है।

प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, भांडारेज

155. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) भांडारेज ग्राम के प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र पर श्रीमती नाथी देवी हरिजन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त हैं ?

(ख) क्या उक्त कर्मचारी को अक्टूबर, 1965 का वेतन आज तक प्राप्त नहीं हुआ ?

(ग) क्या राज्य सरकार उक्त वेतन दिलाना चाहती है ?

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) बिल शीघ्र ही महालेखाकार जयपुर से प्रीआडिट कराकर भुगतान का प्रबन्ध किया जा रहा है।

नाथद्वारा तहसील की ग्राम विद्युतिकरण योजना

136. **श्री मनोहर कोठारी** (नाथद्वारा): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नाथद्वारा तहसील की ग्राम विद्युतिकरण योजनाएं राज्य सरकार के विचाराधीन हैं ? जिन गांवों के प्रस्तावों पर विचार हो रहा है कृपया उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार कब तक अपना निर्णय कर लेगी ?

(विद्युत् मंत्री)

उत्तर

(1) इस तहसील के 12 ग्रामों की स्कीम रिपोर्ट सर्वे करके बनाई गई है जिसकी जांच की जा रही है। इन ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

नौकरियां व चुनाव में सुरक्षित स्थान

137. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) राज्य में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के लिए जो नौकरियां व चुनाव में सुरक्षित स्थान रखे गये हैं उनकी अवधि कब तक बढ़ाई जाती रहेगी?

(ख) सरकार के ख्याल से कितने वर्षों में पिछड़े वर्ग के लोग अन्य लोगों के बराबरी में आ जावेंगे?

(ग) क्या राज्य में कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति 1952 से आज तक आम-चुनाव अथवा उप-चुनाव में जनरल सीट से जीत कर विधान सभा में या लोक सभा में गया?

(घ) यदि नहीं तो, सरकार इससे क्या समझती है?

उत्तर

(1) यह सूचना इस विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(2) यह सूचना इस विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(3) यह सूचना इस विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

बयाना में छात्रावास खोलना

138. **श्री नत्थीसिंह** (नदबई): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि कस्बा बयाना (भरतपुर) में समाज कल्याण विभाग की ओर से अनुसूचित जाति व जन-जाति के छात्रों के लिये छात्रावास मंजूर किया गया था? यदि हां, तो वहां पर छात्रावास कब से शुरू होगा?

उत्तर

कस्बा बयाना जिला भरतपुर में इस विभाग द्वारा अनुसूचित जाति व जन-जाति के छात्रों के लिये कोई छात्रावास मंजूर नहीं किया गया है। इसलिये छात्रावास शुरू करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि क्षेत्र में तकावी वितरण

139. **श्री सुखलाल सेणचा** (जैतारण): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जैतारण एवम् रायपुर पंचायत समितियों द्वारा कृषि क्षेत्र में कितनी तकावी किन किन मुद्दों में बांटी गई व किन किन किसानों में बांटी गई? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया)

ग्राम पंचायत, मंडावरा में ढाणियों के विकास की योजना

140. **श्री उम्मेदीलाल** (हिन्डौन)—क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सच है कि ग्राम पंचायत मंडावरा में हरिजनों की भारी जनसंख्या वाली 10 ढाणियां हैं तथा इनके विकास के लिये पंचायत द्वारा समाज कल्याण विभाग को लिखा गया था? यदि हां, तो सरकार ने इन ढाणियों के विकास के लिए क्या योजना बनाई है?

उत्तर

ग्राम पंचायत मंडावरा में हरिजनों की भारी जनसंख्या वाली 10 ढाणी के विकास के लिए ग्राम पंचायत अथवा पंचायत समिति से इस विभाग में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये हैं। अतः इन ढाणियों के विकास के लिये सरकार द्वारा योजना बनाने का प्रश्न नहीं उठता।

गंगनहर व भाखरा नहर का पानी

141. **श्री भीमसेन** (लूनकरणसर)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

गंगनहर व भाखरा नहर में राजस्थान का कुल कितना कितना हिस्सा है तथा निर्धारित हिस्से से कम पानी मिलने के कारणों को दूर करने की दिशा में सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं तथा भविष्य में क्या कदम उठाने जा रही है?

उत्तर

(अ) गंग कैनाल का व्यास नदी के बहाव में 11 लाख एकड़ फुट पानी मिलने का हक है तथा भाखरा नहरों को सतलज नदी के पानी में डिस्ट्रीब्यूटरी हैड पर लगभग 11, 11 प्रतिशत का हक है।

(ब) गंग कैनाल को अपने हिस्से से अधिक पानी दिया जाता है इस समय गंग कैनाल को लगभग 15 लाख एकड़ फुट पानी प्रति वर्ष दिया जाता है जो कि इसके निर्धारित हिस्से से लगभग 4 लाख एकड़ फुट अधिक है। भाखरा नहरों को खरीफ के मौसम में अपने हिस्से के बराबर हमेशा पानी मिलता रहता है लेकिन रबी में पानी कुछ कम मिलता है इसके लिए राजस्थान को समय पर हिस्से का पूरा पानी दिलाये जाने हेतु पंजाब, हरियाणा, भाखड़ा बोर्ड से सम्पर्क किया जाता है राजस्थान के हितों का ध्यान रखने के लिए व समय समय पर पंजाब, हरियाणा व भाखड़ा बोर्ड से तुरन्त सम्पर्क स्थापित करके हिस्से का पानी प्राप्त करने के लिए सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर के आधीन एक कक्ष चन्डीगढ़ में खोला गया है।

(स) (1) कान्टेक्ट पाइन्ट्स पर गैजिंग स्वचालित गेजरिकार्डर से कराने का इन्तजाम किया जा रहा है।

(2) वाटर एकाउन्टनरिवर गैजिंग में बर्ती जाने वाली त्रुटियों की ओर पंजाब व हरियाणा का ध्यान आकर्षित कर पानी का सही हिस्सा प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है।

(श्री सिंचाई मंत्री)

(3) हैडवर्कस जिनसे कि नहरों में राज्यों के हिस्से का पानी छोड़ा जाता है उनका कन्ट्रोल भाखड़ा बोर्ड के अधीन करने के लिए भारत सरकार से पत्र व्यवहार किया जा रहा है।

रसहड़ा तालाब की खुदाई का कार्य

142. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल जयपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सीकर जिला अन्तर्गत खण्डेल ग्राम में "कासा" के सहयोग से सिंचाई हेतु "रसहड़ा" तालाब की खुदाई का कार्य प्रारम्भ हुआ था ?

(2) क्या वह कार्य अभी चालू है ? यदि चालू नहीं है तो क्या राज्य सरकार वहां 1968 की बाढ़ से हुई जन-धन हानि तथा वहां की सिंचाई की व्यवस्था के लिये यह कार्य शीघ्र चालू करवायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

कार्य प्रारम्भ करने का प्रश्न विचाराधीन है।

वाटी ग्राम सिंचाई परियोजना

143. **श्री मनोहर कोठारी** (नाथद्वारा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वाटी ग्राम सिंचाई परियोजना (वाटी ग्राम नाथद्वारा तहसील) पर अनुमानित लागत क्या होगी ?

(2) गत वर्ष इस योजना पर कितना व्यय किया गया ?

(3) चालू वर्ष में इस योजना पर कितना काम करने की व्यवस्था है ?

(4) इस प्रकार यह योजना कितने वर्षों में पूरी होगी ?

उत्तर

1. इस परियोजना पर अनुमानित लागत 4 लाख 30 हजार रुपये की होगी।

2. सन 1971–72 वित्त वर्ष में 22,750 रुपये व्यय हुए हैं।

3. चालू वित्त वर्ष में 20 हजार का प्रावधान रखा जा रहा है।

4. यह आवश्यक धनराशि की उपलब्धी पर निर्भर करता है। फिर भी जल्दी से जल्दी पूरा करवाने की कोशिश की जावेगी।

घोड़च सिंचाई परियोजना

144. **श्री मनोहर कोठारी** (नाथद्वारा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) नाथद्वारा तहसील की घोड़च सिंचाई परियोजना पर अनुमानित लागत क्या होगी ?

(2) गत वर्ष इस योजना पर कितना व्यय किया गया ?

(श्री मनोहर कोठारी)

(3) चालू वर्ष से इस योजना पर कितना व्यय करने की व्यवस्था है ?

(4) इस प्रकार यह योजना कितने वर्षों में पूरी होगी ?

उत्तर

(1) इस परियोजना पर अनुमानित लागत 5 लाख 68 हजार रु. है।

(2) सन् 1971-72 वित्त वर्ष में 63,674 रुपये व्यय हुए हैं।

(3) चालू वित्त वर्ष 1972-73 में 50 हजार रुपये का प्रावधान रखा जा रहा है।

(4) यह आवश्यक धनराशि की उपलब्धी पर निर्भर करता है। फिर भी जल्दी से जल्दी पूरा करवाने की कोशिश की जायेगी।

इन्जीनियर्स एवं ओवरसीयर्स की गुजरात यात्राएं

145. **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सन् 1970-71 की अवधि में सिंचाई विभाग के कई इंजीनियर्स एवं ओवरसियर्स ने गुजरात प्रान्त की यात्राएं की हैं ? यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों का पद, नाम, यात्रा का स्थान, यात्रा की अवधि एवं यात्रा का मकसद मय यात्रा की तारीख दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां, सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

मोगे से आबपाशी

श्री गुरुदयाल सिंह संधु (करणपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) चक 6 एन. एन. के मोगे का क्या डिस्चार्ज है और पिछले वर्ष इससे कितनी आबपाशी हुई ? कितनी ऐसी गेहूं की फसल है, जिसको एक या बिल्कुल पानी नहीं लगा ?

(2) क्या सरकार ऐसे मोगे जिनसे आबपाशी हक से कम हो रही है उनकी जांच करवाएगी और इसे शीघ्र ठीक करवाएगी ताकि उन्हें पानी ठीक ढंग से और पूरा मिल सके।

उत्तर

(1) चक 6 एन. एन. के मोगे का डिस्चार्ज 2-01 क्यूसेक है। पिछले वर्ष खरीफ 1970 में 368 एकड़, रबी 70-71 में 338 एकड़ और खरीफ 71 में 229 एकड़ सिंचाई हुई। प्रत्येक जिन्स को हर फसल में पूरा पानी मिलता रहा है।

(2) सरकार समय समय पर मोगों की जांच करती रही है और भविष्य में कराती रहेगी।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री बृजेन्द्र सिंह, विभाजन संख्या 80 ने दिनांक 15 मई, 1972 से 30 मई, 1972 तक तथा श्री मानसिंह, विभाजन संख्या 103 ने दिनांक 8 मई, 1972 से 28 मई, 1972 तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है।

क्या सदन की यह अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई

श्री रामानन्द अग्रवाल : पूरी छुट्टी दे दीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पूरी छुट्टी दे दीजिये, साहब।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है।

(1) सर्व श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, केसरी मल, भीमसेन, रावतराम, रामसिंह (सादुलपुर) तथा भींमराज, सदस्य विधान सभा ने तहसील नोहर, भादरा, सूरतगढ़, लूणकरनसर और बीकानेर जिले की अन्य तहसीलों तथा चूरू जिले में पेय जल की समस्या के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने जोधपुर में सेन्ट्रल कोपरेटिव बैंक के चैक और ड्राफ्ट क्लियरिंग में न लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

3. सर्व श्री निरंजननाथ आचार्य, केदार नाथ और गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा ने राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में युद्ध विराम के पश्चात् पाकिस्तान द्वारा किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध में तथा डकैती, चोरियां और तस्कर व्यापार की घटनाओं के विषय में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। चूंकि गृह विभाग से सम्बन्धित अनुदान की मांगों पर दिनांक 11 मई, 1972 को सदन में विचार किया जावेगा, अतः इस प्रश्न को उस समय उठाना उचित होगा। मैं इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

4. श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा, सदस्य विधान सभा ने मेडिकल कालेज, जोधपुर में आग लगने की घटना के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

5. श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा, सदस्य विधान सभा ने उदयपुर में विद्यार्थियों पर पुलिस द्वारा किये गये लाठी चार्ज के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस विषय पर आज गृह मंत्री जी एक

Page No. 46

(श्री अध्यक्ष)
वक्तव्य देंगे, अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

6. श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने बस्सी सीतारामपुरा के कच्ची बस्ती के निवासियों को भू-खण्ड अलाट न किये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है, यह विषय भी अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

7. श्री जनार्दनसिंह गहलोत, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 4 मई, 1972 को एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई थी जिसमें कहा गया था कि दिनांक 24-4-72 की रात्रि को ए. एस. पी. अंडर ट्रेनिंग श्री अजय सिंह द्वारा किशनपोल बाजार के एक व्यापारी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया । इस प्रश्न को माननीय सदस्य कल गृह विभाग से सम्बन्धित अनुदान की मांगों के समय उठा सकते हैं। अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

8. श्री केसरीमल, सदस्य विधान सभा द्वारा कोटा में नगर परिषद् के हरिजन कर्मचारियों तथा स्त्रियों पर पुलिस द्वारा किये गये बल प्रयोग के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई थी । इस प्रश्न को भी माननीय सदस्य कल पुलिस की मांगों पर बहस के समय उठा सकते हैं, अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव की भी स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलोदी) : वियतनाम की लड़ाई के बारे में स्थगन प्रस्ताव पड़ा है, उस बारे में निर्णय लें ।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था सुना दी है । दूसरा प्रस्ताव अलग है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : जोधपुर अस्पताल में आग लगी है । मैं समझता हूं, यह गम्भीर महत्वपूर्ण प्रश्न है । 13 मार्च को इसी अस्पताल में 80 हजार रुपए का फर्नीचर जला दिया गया था जिस पर सी. आई. डी. बिठाई गई, सी. आई. डी. ने जांच की और सी. आई. डी. की रिपोर्ट है कि फर्नीचर जला नहीं था जला दिया गया क्योंकि जिस गोदाम में फर्नीचर पड़ा था उसमें कोई बिजली का कनेक्शन नहीं था और बताया गया कि बिजली से आग लग गई और अब कल परसों ही उसी अस्पताल में आग लगी है जिसके अन्दर 1½ लाख की दवाइयां जल गई, 7 लाख का बिल्डिंग को नुकसान हुआ है और स्पष्ट है कि ऑडिट पार्टी वहां गई हुई थी, पहुँच गई थी और दवाइयों के अन्दर घोटाला था, गबन था । पहले फर्नीचर का गबन दबाने के लिए आग लगाई गई और अब दवाइयों के घोटाले और गबन को दबाने के लिए आग लगाई गई । मैं नमूने के तौर पर लाया हूं फर्नीचर की लकड़ी जो कि आग में जल गई । उसको देखकर कोई भी कह सकता है कि इस किस्म के रद्दी फर्नीचर का भारत में कहीं इस्तेमाल नहीं होता है । इतना बड़ा घोटाला अस्पताल में हो जाए, आडिट से बचने के लिए आग लगाई जाए गबन घोटाले से बचने के लिए एक अस्पताल को जला दिया जाए, इससे बड़ा लोक महत्व का प्रश्न क्या हो सकता है ? आप कम से कम इस बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए मंत्री महोदय से कहें ।

श्री रणजीत सिंह (ओसियां) : मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है।

श्री अध्यक्ष : फैसला कर दिया। बोलने के लिए समय दिया था।

श्री रणजीत सिंह : नहीं नहीं भूख हड़ताल चल रही है। करीब 25 हजार आदमी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : चेम्बर में बात कर लें।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय जोधपुर मेडीकल कालेज का जो प्रश्न है, उसका सदन में आज ही जवाब मंगाया जाए क्योंकि बड़ी परेशानी हो रही है। वहां की प्रशासनिक व्यवस्था इस बात को दबाने की कोशिश कर रही है और जानबूझकर आग लगाई गई है। मैं स्वयं जोधपुर गया था। कल घटना घटी है प्रीप्लान्ड षड़यन्त्र है। इसका आज ही सदन में जवाब दिलाया जाए तो ज्यादा अच्छा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बस्सी सीतारामपुरा के सम्बन्ध में जो मेरा स्थगन प्रस्ताव है...

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : यह जो जोधपुर का प्रश्न है वह महत्वपूर्ण है। पहले मंत्री महोदय से कहा जाए कि इस बारे में अपना वक्तव्य दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : बस्सी सीतारामपुरा में जो लोग बसे हुए हैं उनको भूखण्ड एलाट करने के सम्बन्ध में मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी। मेरा निवेदन है कि आपने निर्णय तो दिया है लेकिन यह लोग वहां पर बहुत अर्से से बसे हुए हैं। यहां के जो यू. आई. टी. के चेयरमैन थे श्री बालचन्द वैद, उन्होंने एक कमेटी मुकर्रर की थी जांच करने के लिए कि वास्तव में ये लोग कब से बसे हुए हैं कब से नहीं है। उस समिति ने जिसमें आफीसर्स और नान-आफिशियल्स दोनों थे, 7 आदमियों की कमेटी, उसने अपनी यूनानीमस रिपोर्ट दी कि 225 परिवार यहां पर बसे हुए हैं और सरकार के जो नियम बने हुए हैं, उनके अनुसार ये एलाटमेंट के एलीजिबल हैं, उनकी लिस्ट उन्होंने दे दी। उसके बाद जो चेयरमैन थे, नई व्यवस्था के अनुसार उनका स्थान रिक्त हो गया और कलक्टर अब चेयरमैन हैं। अब उन लोगों को इतने दिन हो गए और वह एलाटमेन्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। इससे वहां पर जबर्दस्त असन्तोष है। ये लोग भूखहड़ताल पर बैठे हुए हैं। बस्सी सीतारामपुरा का मामला स्कैंडलस है, पहले भी विधान सभा में कई बार आ चुका है। विधान सभा को कमेटी ने पूरी तरह जांच की, सरकार ने जांच कमेटी बिठाई थी जिसने इस बात को माना है कि वास्तव में इन लोगों को अनुचित रूप से वंचित किया गया है, तो इस पर पुनः विचार करें, सरकार से वक्तव्य दिलाने की आप कृपा करें। मामला गरीब लोगों का है और सरकार अपनी पोलिसी के अनुसार ऐसे लोगों को बसाना चाहती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह काफी अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है, इसमें सरकार का वक्तव्य दिलाने का आप कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी।

Page No. 48

शासकीय वक्तव्य : उदयपुर में छात्रों पर लाठी चार्ज

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, दिनांक 24–4–72 को उदयपुर में छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज से उत्पन्न स्थिति के संबंध में प्राप्त ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के संबंध में मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं :

दिनांक 24-4-72 को बी.एन. महाविद्यालय, उदयपुर के परीक्षा केन्द्र पर प्रथम वर्ष टी.डी.सी. (विज्ञान) के परीक्षार्थी छात्रों ने अपने उक्त पत्र फाड़ कर और एम.बी. महाविद्यालय परीक्षा केन्द्र पर जाकर उधम मचाया वहां के परीक्षार्थी छात्रों को भी अपने प्रश्न-पत्र छोड़ कर बाहर जाने के लिए बाध्य किया। तत्पश्चात् सभी छात्र मिलकर मीरा कन्या महाविद्यालय परीक्षा केन्द्र पर पहुंचे और कमरों में जबरदस्ती घुस कर परीक्षार्थी छात्राओं के उत्तर पत्र छीन लिए। इन छात्रों ने शो केसेज और दरवाजों को भी नुकसान पहुंचाया इस घटना की इस हिंसात्मक कार्यवाही को रोकने का प्रयत्न किया।

तत्पश्चात् विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के निवेदन पर सब परीक्षा केन्द्रों पर शांति प्रिय छात्रों को पुलिस संरक्षण भी दिया गया।

दिनांक 1–5–72 को एम. बी. महाविद्यालय के परीक्षा केन्द्र पर द्वितीय वर्ष टी.डी.सी. विज्ञान के परीक्षार्थियों ने अपने उत्तर पत्र फाड कर महाविद्यालय की खिडकियां तोड फ़ोड डाली और इन्वेजीलेटर्स के सामने विरोध प्रगट किया कि उनका प्रश्न पत्र पाठ्य क्रम से बाहर है। तत्पश्चात् छात्र बी. एन. महाविद्यालय के परीक्षा केन्द्र पर गए और वहां के परीक्षार्थियों को भी प्रश्न-पत्र छोड़ कर बाहर आने के लिए बाध्य किया। छात्रों के इस उपद्रव के कारण विश्वविद्यालय को सम्पत्ति को भी नुकसान पहुँचा। इसके बाद सब विद्यार्थी मिलकर मीरा कन्या महाविद्यालय के परीक्षा केन्द्र पर गए और वहां की परीक्षार्थी व छात्राओं को भी परीक्षा पत्र छोड कर बाहर आने के लिए बाध्य किया और महाविद्यालय की संपत्ति को भी नुकसान पहुँचाया तथा भवन को आग लगाने की कोशिश की लेकिन पुलिस प्रबंध के कारण छात्र ऐसा नहीं कर सके। इन उपद्रवों के कारण कुल 553 छात्रों में से केवल 36 छात्र ही परीक्षा दे सके। इस घटना का मुकदमा नं. 32/72 धारा 147, 355, 336, 426 भा. द. स. के तहत थाना हाथीपोल में दर्ज किया जाकर तफतीश शुरू की गई जो अभी जारी है।

इसी दिन शाम को जिलाधीश, उदयपुर के निवास स्थान पर अधीक्षक, पुलिस रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों की एक मीटिंग भविष्य में इन उपद्रवों की रोकथाम के लिए बुलाई गई। इस मीटिंग में यह तय किया गया कि समस्त परीक्षा केन्द्रों पर शांति व्यवस्था हेतु पुलिस का प्रबंध किया जाए और प्रत्येक केन्द्र पर एक राज-पत्रित पुलिस अधिकारी लगाया जाए परिणाम स्वरूप उप अधीक्षक पुलिस, उदयपुर के नेतृत्व में लिस के दो प्ला-

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

टून मीरा कन्या महाविद्यालय परीक्षा केन्द्र पर अतिरिक्त अधीक्षक पुलिस ट्रेनिंग के नेतृत्व में एक प्लाटून बी. एन. महाविद्यालय के परीक्षा केन्द्र पर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला के नेतृत्व में एक प्लाटून एम. बी. महाविद्यालय के परीक्षा केन्द्र पर लगाए गए। जिलाधीश, उदयपुर ने प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर मजिस्ट्रेट भी तैनात किए। पुलिस का यह प्रबंध दिनांक 2-5-72 से लगाया गया। दिनांक 3 और 5 मई 1972 को बी.एन. महाविद्यालय परीक्षा केन्द्र पर तृतीय वर्ष टी.डी.सी. वाणिज्य के परीक्षार्थियों द्वारा एप्लाइड इकोनोमिक्स और फाइनेन्सेज के प्रथम और द्वितीय प्रश्न-पत्र को देखकर यह शिकायत करते हुए बहिर्गमन कर दिया कि प्रश्न पत्र कठोर और पाठ्यक्रम से बाहर है। तत्पश्चात् करीब 65 छात्राओं ने एम. बी. महाविद्यालय पहुंच कर पुलिस का घेरा तोड़ दिया और परीक्षा भवन में प्रवेश कर विद्यालय की खिड़कियां और दरवाजों को तोड़ कर परीक्षार्थियों के उत्तर-पत्र फाड़ डाले जिस के फलस्वरूप परीक्षा भवन से केवल 60 छात्रों के अलावा सभी छात्र बाहर आ गए। यहां से छात्र और छात्रायें मिलकर बी.एन. महाविद्यालय गए और वहां परीक्षा भवन में घुस कर खिड़कियां और दरवाजे तोड डाले तथा परीक्षार्थियों को बाहर आने के लिए बाध्य कर दिया। तत्पश्चात् सभी उपद्रवी छात्र और छात्रायें एम.बी. महाविद्यालय पहुंचे और वहां पर परीक्षा दे रहे शांतिप्रिय 60 परीक्षार्थियों को भी बाहर निकालने की दुबारा कोशिश की लेकिन पुलिस ने उनको कमरों में घुसने से रोक दिया। इस पर उपद्रवी छात्र छात्राओं ने नारे लगाए और पत्थर फेंकने शुरू कर दिये। पुलिस के जवानों ने अपनी लाठियों से उन्हें पीछे धकेलने का प्रयत्न किया लेकिन वे उन्हें नहीं रोक सके। उपद्रवी छात्रों ने कमरों में घुस कर परीक्षार्थियों के उत्तर-पत्र छीन कर उन्हें कमरों से बाहर आने के लिए बाध्य कर दिया।

अधीक्षक पुलिस और अतिरिक्त अधीक्षक पुलिस इस समय घटनास्थल पर उपस्थित थे और उन्होंने बहुत ही धैर्य और नियंत्रण से स्थिति को संभाला। छात्र और छात्राओं द्वारा पथराव करने और दांतों से काट खाने के फलस्वरूप पुलिस के 11 जवानों के चोटें आई लेकिन ज्यों ही शांतिप्रिय छात्र परीक्षा भवन से बाहर निकल आए त्योंहि पुलिस घटनास्थल से हट गई। पुलिस ने छात्रों पर कोई लाठी चार्ज नहीं किया और ना ही किसी प्रकार का बल प्रयोग किया। पुलिस ने उपद्रवी छात्रों को परीक्षा भवन से बाहर धकेलने का प्रयत्न किया जिसमें केवल दो छात्रों के साधारण चोटें आना मालूम हुआ है। किसी भी छात्र के कोई चोट नहीं आई है।

श्री निरंजन नाथ आचार्य (मावली) : अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान में पहला मौका है कि जब छात्राओं ने आन्दोलन किया। मीरा गर्ल्स कालेज की छात्राओं ने प्रश्न पत्र में अनियमितताओं के कारण परीक्षा का विरोध किया एवं वहां से बाहर चली गयी। क्योंकि जो प्रश्न दिये गये थे वे कठोर थे और पाठ्य क्रम से बाहर थे। छात्राओं ने

(श्री निरंजन नाथ आचार्य)

उसका बहिष्कार किया। मन्त्री महोदय ने अपने स्टेटमेन्ट में यह बताया कि छात्रों ने एम. बी. कालेज पहुंच कर पुलिस का घेरा तोड़ दिया। मैं आपको यहां एक बात स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि पहले तो छात्रों द्वारा ऐसे मौकों पर नेतृत्व किया जाता रहा। विद्यालयों और महाविद्यालयो में अब यह नेतृत्व छात्राओं के हाथ में आ गया। यह पहला मौका नहीं है। ज्यों ज्यों समय बीतता गया नेतृत्व छात्राओं के हाथ में आ गया। बाद में छात्राएं एम. बी. कालेज गयी। वहां भी तो छात्र छात्रायें परीक्षा का बहिष्कार कर रहे थे। वो भी शान्तिपूर्ण थे, पर पुलिस द्वारा निष्कारण ही, निष्प्रयोजन ही कानून की अवहेलना कर उन पर लाठी चार्ज यूनिवर्सिटी केम्पस में घुस कर किया। अध्यक्ष महोदय, विश्व-विद्यालय का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर पुलिस का हस्तक्षेप होना वर्जित है। पर पुलिस अधिकारियों ने कानून की अवहेलना कर उन पर लाठी चार्ज किया और पुलिस के इस निर्मम लाठी चार्ज को एम. बी. कालेज के निदेशक ने बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया इसके अलावा उदयपुर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष ने तथा और भी राजनैतिक दलों ने पुलिस के इन अमानवीय कृत्यों की भर्त्सना की और यह मांग की कि इसकी ज्युडिशियल इन्क्वायरी की जानी चाहिये। उन्होंने छात्रों और छात्राओं के घायल होने की घटना को दुर्भाग्य पूर्ण मानकर न्यायिक जांच करने का निवेदन किया। मैं स्वयं यह चाहता हूं कि इसकी ज्युडिशियल इन्क्वायरी हो और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ एक्शन हो। मन्त्री महोदया ने अपने स्टेटमेन्ट में बताया कि एक दिन शाम को अलग अलग अधिकारियों की बैठक हुई और वहां यह तय हुआ कि पुलिस के प्लेटून्स भेज दिये जायेंगे। पुलिस के प्लेटून्स का यूनिवर्सिटी केम्पस में जाना ही निषेध है तो कैसे गये। यह तो विश्व-विद्यालय की परम्परायें हैं। अगर वाइस चान्सलर महोदय छात्रों की मांग को मान लेते तो कोई स्थिति खराब नहीं होती। पर उन्होंने सुना ही नहीं। इधर पुलिस के प्लेटून्स चले जाने से पुलिस ने उनके शान्ति-पूर्ण आन्दोलन को प्रवोक किया, उसे भड़काया और बाद में पुलिस ने उन छात्रों पर और छात्राओं पर निष्कारण ही लाठी चार्ज किया जिससे कई छात्रायें और छात्र घायल हो गये। लाठी चार्ज करने के रूल्स हैं। पुलिस लाठी चार्ज से डिफेन्स में भी कर सकती है और लाठी चार्ज के लिये सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश होना जरूरी है पर वहां पर सिटी मजिस्ट्रेट था नहीं और लाठी चार्ज हुआ। सिर्फ पुलिस के अधिकारी के अधिकारियों के आदेश पर जो कानूनी गलत है। छात्र तो अपने यूनिवर्सिटी केम्पस में आन्दोलन कर रहे थे। पुलिस को वहां आकर लाठी चार्ज करने की क्या आव-श्यकता थी मुझे आश्चर्य होता है मन्त्री महोदया के वक्तव्य पर कि उन्होंने अपने स्टेटमेन्ट में कहा कि पुलिस ने लाठी चार्ज नहीं किया और ज्योंहीं शान्तिप्रिय छात्रायें परीक्षा केन्द्र से बाहर आयी त्योंहीं पुलिस वहां से हट गई। इसके अलावा आपने अपने स्टेटमेन्ट में बताया कि केवल दो छात्रों के साधारण चोटें आयीं। मैं आपको बता दूं कि कई स्टूडेन्टस के गम्भीर चोटें आई है जिसमें छात्र छात्रायें भी शामिल हैं। इनमें

Page No. 51

(श्री निरंजन नाथ आचार्य)

कुछ नाम मैं आपको बता दूं श्री कमलप्रकाश, श्री भगवान, श्री लक्ष्मीलाल श्री चन्द्रशेखर-सिंह, और राजेन्द्र वगैरह। ये समस्त छात्र वर्ग में इस निर्मम निशृश पुलिस लाठी चार्ज के शिकार हुए और उनमें रोष पैदा हुआ है और उदयपुर की जनता भी इसे पुलिस का अमानवीय कृत्य बतला कर मांग करती है कि इसकी ज्यूडिशियल इन्क्वारी की जानी चाहिये। इसके लिये मैं आपके एक बात और ध्यान में ला देना चाहता हूं कि यह लाठी चार्ज उसी पुलिस अधीक्षक श्री मधोक के आदेश से हुआ है जिनके की कार्यकाल में उदयपुर में स्कूटर कांड हुआ था और जिसमें कई व्यक्ति मर गये। यह उनकी निर्दयता से और पुलिस की अव्यवस्था से हुआ था। एक पुलिस का एस. पी. यूनिवर्सिटी के केम्पस में बिना वाईस चान्सलर की अनुमति के बिना सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश से लाठी चार्ज करा दे। यह भयंकर कानून की अवहेलना है इसके लिए न्यायिक जांच होना अनिवार्य है। अध्यक्ष महोदय, बिना पूरी जानकारी किये मन्त्री महोदय ने जो स्टेटमेन्ट दिया है वह तथ्य ही नहीं है मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पुलिस के जाने से प्रवोकेशन हुआ है। आज उदयपुर में इस घटना से जन जीवन अस्त-व्यस्त है और अगर अध्यक्ष महोदय, इसकी ज्यूडिशियल इन्क्वायरी नहीं की गयी तो यह छात्र आन्दोलन राजस्थान के दूसरे जिलों में भी फैलेगा इसलिये मेरा राज्य सरकार से पुरजोर शब्दों के साथ अनुरोध है कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिये ताकि स्थिति पर नियन्त्रण पाया जा सके। और कोई दूसरी विस्फोटक घटना न हो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय उदयपुर में जो स्टूडेन्ट्स पर लाठी चार्ज हुआ है उसके बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बता दूं कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर दूसरे सदस्यों को बोलने की अनुमति देने का नियमों में प्रावधान नहीं है।

(एक साथ दो तीन सदस्यों के बोलने पर कि इस प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति दी जाय)

अच्छा तो पांच पांच मिनट बोल सकते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, 24-4-72 को उदयपुर युनिवर्सिटी के प्रथम वर्ष टी.डी.सी. (विज्ञान) के क्वेश्चन पेपर में कुछ कोर्स के बाहर की चीजें आगयी इस पर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने उसका बहिष्कार किया उसके बाद में भी इसी टी. डी. सी. थर्ड ईयर में भी कुछ प्रश्न कठोर और पाठ्यक्रम से बाहर के आ गये इसके लिये छात्रों ने उसके लिये मांग की और बाद उसका नतीजा यह हुआ कि मांग तो मन्जूर हुई नहीं और पुलिस ने यूनिवर्सिटी के केम्पस में जाकर लाठी चार्ज छात्र और छात्राओं पर किया। अध्यक्ष महोदय, यह विश्वविद्यालय की परम्परा है कि उसमें पुलिस नहीं आ सकती है और उसके एडमिनिस्ट्रेशन में पुलिस का हस्तक्षेप वर्जित है। और इस प्रकार का अनलफुल पुलिस का कार्य है उसके लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इसकी ज्यूडिशियल इन्क्वारी

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

की जानी चाहिये और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये । यह तो एक अद्‌भुत घटना है कि पुलिस जाकर यूनिवर्सिटी के केम्पस में हस्तक्षेप करें। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्दर भी हड़ताल हुई और युनिवर्सिटी की ओर से रिक्वेस्ट आयी तो राज्य सरकार ने पुलिस भेजी । पूरी युनिवर्सिटी में पुलिस ही पुलिस खड़ी हुई थी और एजुकेशनल इन्स्टीट्यूशन पुलिस थाना मालूम हो रहा था । उदयपुर विश्वविद्यालय में पर्चे कोर्स से बाहर आये । छात्रों ने प्रश्न पत्र पढ़ कर फाड़ दिये, पुलिस कालेज केम्पस में हो और राज्य सरकार को मालूम न हो यह बड़ी आश्चर्य की बात है । छात्रों की निन्दा करना और ये सब ऐसी घटनायें हैं कि मंत्री महोदय का उत्तर सेटिस्फाई नहीं करता है । आपने फरमाया कि मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगायी । जिस रोज यह घटना हुई, बहुत से छात्रों के चोटे आयी । कौन मजिस्ट्रेट ड्यूटी पर था यह आपने नहीं बताया । छात्रों के चोटें आने का प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि इस सम्बन्ध में नीति का प्रश्न है । क्या विश्वविद्यालय इस प्रकार पुलिस के अधिकार में होंगे ? या आज तक जो परम्परा और ट्रेडिशन्स चले आ रहे हैं उनके अनुसार पुलिस को उनमें घुसने नहीं देंगे ? पुलिस विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। वाइस चान्सलर, एजुकेशन सेक्रेटरी डाइरेक्टर और एजुकेशन डिपार्टमेन्ट की जिम्मेदारी है । इस प्रकार की घटना हो और आपको मालूम न हो । केवल लाठी चार्ज की जांच का ही प्रश्न नही है, पूरी व्यवस्था का प्रश्न है । जो भी अधिकारी युनिवर्सिटी में हो, जो भी निर्णय लिया हो उसकी सूचना दी जाय । पुलिस अन्दर घुसी और मजिस्ट्रेट ने आदेश नहीं दिये तो यह कैसे घटना घट गयी ? तीन तीन प्रश्न-पत्र कोर्स से बाहर आ जाय एक दो प्रश्न नहीं । लगातार तीन तीन प्रश्न पत्र कोर्स से बाहर आ जाय और फिर भी छात्रों की निन्दा की जाय । इस सारे प्रकरण की जांच होनी चाहिये ।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो तथ्य सामने रखे गये हैं, वे तोड़ मरोड़ कर रखे गये हैं। केमिस्ट्री का पेपर जब कठिन निकला जिसको प्राध्यापकों ने भी स्वीकार किया कि कठिन है, आउट आफ कोर्स है और कोर्स पढाया नहीं गया, इस पर उदयपुर विश्वविद्यालय के उप-कुलपति ने आश्वासन दिया गया था कि पुनः परीक्षा लेंगे। एक प्रश्न-पत्र निकल जाने के बाद दूसरा प्रश्न-पत्र ऐसा आया, कुछ विद्यार्थियों का प्रतिनिधि मंडल उप-कुलपति से मिला और मांग की कि इसकी जांच होनी चाहिये । उप कुलपति ने उनकी उस मांग को ठुकरा दिया और असंतोष-जनक उत्तर दिया, वही असंतोषजनक उत्तर विद्यार्थियों के आक्रोश में परिणित हो गया। यह कहना कि पुलिस ने हिंसात्मक कार्यवाही करते हुए उनको रोका यह गलत है। विद्यार्थी युनिवर्सिटी में पहुँचे पुलिस मूक दर्शक थी। तोड़ फोड़ पहले नहीं हुई। विद्यार्थियों ने आह्वान किया और छात्रायें वहां से जुलूस के रूप में बाहर निकल आयीं छात्राओं का जुलूस निकला तो पहले इन्जीनियरिंग कालेज में गया और फिर बी. एन. कालेज में गया। यह कहा गया कि छात्रायें पुलिस का घेरा

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
तोड़ कर अन्दर गयीं, यह तो निर्दोष छात्राओं पर आरोप लगाना है। मैं सिटी मजिस्ट्रेट, जिलाधीश महोदय से भी मिला और गृह मंत्रीजी का वक्तव्य यह था कि उप अधीक्षक उपस्थित था। उन्होंने कहा मैं मौजूद नहीं था। अधीक्षक से बात करिये। यह कहा गया कि घेरा तोड़ कर अन्दर गयीं। कालेज का डाइरेक्टर वहां उपस्थित था। जब छात्रायें गयीं और प्रांगण में पहुँची तो पुलिस वहां कैसे गयी? यह लाठी चार्ज कालेज के बाहर नहीं परीक्षा भवन के अन्दर हुआ और यह कहना कि दो विद्यार्थियों के चोटें आयीं यह सही नहीं है। एक छात्रा के चोट आयी और अंगुली पर खून भी निकला। बिना किसी प्रकार की आज्ञा दिये, सिटी मजिस्ट्रेट के अभाव में लाठी चार्ज करना पुलिस के द्वारा यह केवल विद्यार्थियों को प्रवोक करना है इसकी जांच होनी चाहिये और माननीय मंत्री महोदय को सही स्थिति और तथ्य रखने चाहिये।

जिलाधीश महोदय से भी मैंने बात की थी। उन्होंने यह कहा था कि जांच कर रहा हूं मूल रूप में क्या बात है। छात्रों पर आरोप लगाकर जो केस बनाये हैं उनको विड्रो करें और आगे प्रवोक न करें। सही जांच जब होगी जब इन्क्वायरी कमेटी बैठेगी।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा (सूरतगढ) : अध्यक्ष महोदय यह प्रश्न इतना गम्भीर है, मंत्री महोदय ने इसको गम्भीरता से नहीं लिया। जयपुर कालेज के 6, 7 प्रेसीडेन्ट मुख्य मंत्रीजी से मिले, मैं साथ था और स्पष्ट चेतावनी राज्य के मुख्य मंत्रीजी को दे दी सारी घटना की जांच नहीं हुई, विद्यार्थियों को न्याय नहीं मिला और पुलिस की बर्बरता के विरुद्ध कदम नहीं उठाया तो यह आग केवल उदयपुर में ही न फैल कर सारे राजस्थान में फैल जावेगी। स्थिति बिलकुल स्पष्ट है। केवल जांच का ही प्रश्न नहीं है इस कांड की, प्रश्न-पत्रों का कोर्स से बाहर आना, हर एक्जामिनेशन में यह घटना हो रही है एक्जामिनेशन पेपर्स कोर्स से बाहर आ रहे हैं, विद्यार्थी समझ नहीं पाते और उनमें उत्तेजना पैदा होती है, पर्चे फाड़े जा रहे हैं, और संस्थाओं से बाहर निकल रहे हैं। आखिर हमारी युनिवर्सिटी और हायर सेकेन्डरी बोर्ड क्या करते है? क्या ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते कि प्रश्न-पत्र विदिन कोर्स हो और विद्यार्थी उनको हल कर सकें। इस प्रश्न को गम्भीरता से सदन को लेना चाहिये और पूरी तरह से इसकी जांच करके कोई न कोई कठोर कदम उठाना चाहिये ताकि इस प्रकार की घटनायें दुबारा न हों।

दूसरा प्रश्न यह है कि सारे भारतवर्ष में बहुत कम युनिवर्सिटी हैं जहां पुलिस ने इस प्रकार युनिवर्सिटी में प्रवेश किया, युनिवर्सिटी के कैम्पस में प्रवेश किया डाइरेक्टर के बिना बुलाये प्रवेश किया। खिड़कियां टूट रही हैं, शीशे तोड़े जा रहे हैं डाइरेक्टर को चिन्ता नहीं लेकिन मधोक साहब को चिन्ता है। डाइरेक्टर समझता है उस इन्स्टीट्यूशन का मालिक नहीं, जिम्मेदार नहीं। बिना परमिशन के, डाइरेक्टर को बिना पूछे हुए पुलिस किसी शिक्षण संस्था में घुसती है तो मैं समझता हूं कि इससे अधिक अपमान नहीं हो सकता

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)

है और इससे अधिक युनिवर्सिटी अपमानित नहीं होती। कहीं स्टेटमेन्ट में यह नहीं कि डाइरेक्टर ने पुलिस को इन्वाइट किया हो। यह स्पष्ट है। छात्राओं के हाथ में सारी लीडरशिप थी। छात्राओं ने पुलिस कोर्डन तोड़ दिया और सारी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश कर गयीं, मंत्री महोदय क्या यह समझ में आने वाली बात है।

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मंत्री महोदया। सारा काण्ड अपने आप में हुआ है। इसमें पूरे तरीके से सारे लोग आन्दोलित हुए। भंडारी, मजदूर नेता आन्दोलित हैं। वहां के कांग्रेस अध्यक्ष और एक्स एम. एल. ए आन्दोलित हुए। डाइरेक्टर हैं, वे आन्दोलित हुये है और सारे राजस्थान के, हिन्दुस्तान के लीडर आन्दोलित हुये हैं। इसलिये मैं बड़ी नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा दोनों पहलुओं पर शिक्षा वाले पर और पुलिस की तानाशाही वाले पहलू की निष्पक्षता से जांच करवायें, नहीं तो इसके गम्भीर परिणाम होंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रो. केदार।

श्री केदार नाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, अगर हम इस स्टेटमेंट को और जो आज के पेपर्स आते हैं उस बिना पर वहां के स्टूडेन्ट्स को और युनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन से आइसोलेट करेगे तो हमारे अन्दर लाजमी तौर पर यह भावना पैदा होगी इसमें ला एन्ड आर्डर न मानकर जो आकरेन्स हुई है और उसमें जो पुलिस की आकरेन्स है क्या डाइरेक्टर ने पुलिस को इन्वाइट किया। क्या वहां पर वायोलेन्ट एक्टीविटि हो गई थी कि पुलिस को वहां आना पड़ा। मैं सोचता हूँ, अध्यक्ष महोदय, यह आथोरिटीज जो सारे क्लाईमैक्स पर पहुँच गई-पहले युनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता रहा। सेक्रेटेरियल आदमी को सारी युनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन दे दें तो मुझे बड़ी शर्म आती है। वह एडमिनिस्ट्रेशन कैसे सुधर पायेगा इसलिये मेरा निवेदन है पुलिस की क्लियर ब्रूटिलिटि शामिल है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कालेज में पुलिस को किसने इन्वाइट किया नम्बर 1 और नं. 2 आपने कहा लाठी चार्ज नहीं हुआ मगर उनको धकेला गया है। इन दोनों में, अध्यक्ष महोदय, क्या फर्क है। अगर धकेलने से किसी को चोट आ सकती है तो फिर लाठी चार्ज में क्या फर्क रह गया है। पहले पुलिस ने क्या प्रिकाशन लिये, क्या वहां पर अश्रु गैस छोड़ी, क्या पहले उनसे बातचीत की, क्या डारेक्टर को कहा गया कि इस तरह वायोलेन्ट हो रहे हैं आप इन्टरवीन करें। क्यों नहीं पुलिस ने पहले इस तरह के प्रिकाशन लिये ? जैसा आपने कहा स्टूडेन्ट्स वायोलेन्ट हो गये थे। यह सब कुछ नहीं हुआ। इसलिये मेरा निवेदन है ज्यूडिशियल एन्क्वायरी हो ताकि सारे काजेज मालूम हो जांच करना राजस्थान सरकार के लिये और युनिवर्सिटी के लिये ला एन्ड आर्डर की सिचुएशन पैदा हो जायगी।

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : श्री विश्नोई।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (भीनमाल) : अध्यक्ष महोदय, आम तौर से सदन में एक

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

बात हमेशा आती है कि विद्यालय या विश्वविद्यालय के कैम्पस में पुलिस चली गई और इसके पीछे भावना यह है कि जो शिक्षण संस्थायें हैं उनकी पवित्रता और स्वायत्तता को हमें बनाये रखना चाहिये। लेकिन मुख्य प्रश्न यह है कि क्या उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थी और क्या उसमें पढ़ाने वाले अध्यापक इसकी पवित्रता को मानते हैं या नहीं मानते हैं। आज कौनसी घटना हमारे विश्वविद्यालयों में और कालेजों में नहीं होती हैं, बता दीजिये लड़कियों को छेड़ना, छुरा गाड़कर प्रश्न पत्रों का उत्तर देना, वाइस चान्सलर को उसके आफिस में जाकर पीटना, लायब्रेरी में तोड़-फोड़ करना, लायब्रेरियन को पीटना-आपस में मार पिटाई करना, आपस मे कत्ल करना, बाहर से चल कर अन्दर प्रवेश करना---क्या यह पवित्रता है? जो आज का विद्यार्थी है, प्राध्यापक है, मै समझता हूं वे उस कैम्पस को पवित्र नहीं मानते हैं और अपने जुल्मों से बचने के लिए शरण लेना चाहते हैं, यह कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। पुलिस की ड्यूटी है, बड़ी मुश्किल की ड्यूटी है। आप भी इधर आते हो कहेंगे हमे गार्ड चाहिये। वे तो उस जमाने की बात हो गई जिसमें कहा गया था 'गुरु गोविन्द दोनों खड़े काके लागू पायं, बलिहारी वा गुरुदेव की जो गोविन्द दियो बताय।' आज इस बात को कौन मानता है। किस दुनियां में आप रह रहे हैं। यह सब आज फिजूल की बातें है। जहां जुल्म होगा अतिक्रमण होगा और लॉ एन्ड आर्डर का प्रश्न होगा तो पुलिस को अख्तियार है और ये अख्तियार आपके और हमारे दिये हुये नहीं है–पालियामेंट के लिए हुये हैं, सी. आर. पी. सी. के दिये हुए हैं। पुलिस की थोड़ी लापरवाही होतो तो वहां के हैड को या डायरेक्टर को (कई मा. सदस्यों के व्यवधान करने पर अश्रव्य) आप यह चाहते हैं जनतन्त्र भी बना रहे और विद्यार्थी को भी काम में लें और 25 साल से उनको काम में लेते रहे हैं ठीक है, आपकी उनसे लड़ाई है उनसे लड़ते फिरें हमसे तो मत लड़ो। यदि स्वायत्तता बनाये रखनी है···

श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा: आपसे भी लड़ेगे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई: तो विद्यार्थी और प्राध्यापक को मैं समझता हूं सरस्वती का मन्दिर मानना पड़ेगा वरना कोई टूट फूट होगी, कुछ उत्तेजना होगी तो मामला आयेगा और फिर कभी आप ही कह देंगे पुलिस वाले क्यों नहीं पहुंचे। यहां तो ·र मिनिट का ब्यौरा देना पड़ता है। आज सभी लोग पुलिस वालों को काम में लेते हैं। आज पुलिस का गार्ड सम्मान सूचक है शक्ति सूचक है। कोई अच्छा काम करें तो कह दिया अच्छा काम कर दिया और खराबी हो गई तो कह दिया जनतन्त्र में सरकार पुलिस फोर्स रखती है। कानून में उनको अधिकार हैं, अधिकारों की सीमा में वे काम करते हैं। हर मामले की ज्यूडिशियल एन्क्वायरी होगी, यह कोई बात नहीं है। अभी विद्यार्थी के नाते यह कह रहे है और घर में कहेंगे उसने तैयारी नहीं की होगी, उसको पीटा जायगा। इस तरह तो आप दूसरे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं और घर के बच्चों को सुधार रहे हैं। 50 करोड़ रुपया

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)
आज इस देश में शिक्षा पर खर्च हो रहा है, बच्चे अच्छी तरह तैयार हों, आप उनको राजनैतिक स्टन्ट मानकर न चलें। आपकी कार्यवाही से कुछ नहीं होने वाला है न क्रान्ति आने वाली है और न कुछ और आने वाला है। आप तो अंखड क्वारे हैं सत्ता के लिए और अखंड क्वारे ही रहेंगे।

(कई मा. सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न माननीय विश्नोई जी ने जिस संदर्भ में रखा है यह और शक्ल अख्तियार कर गया है। मेरा यह निवेदन है यदि प्रश्न पत्र आउट आफ कोर्स नहीं हुआ, माननीय विश्नोई जी इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं, मेरी यह मान्यता है यदि आउट आफ कोर्स था तो स्टूडेन्ट्स को उसके बारे में बाहर आना और यह कराना जायज था और जो कहते है इन्टरवीन की, वह दुरुस्त नहीं है। यदि परीक्षा की कठिनता से बचाने तथा कुछ लोगों को जो परीक्षा देना ही नहीं चाहते केवल उनको करना था और स्टूडेन्ट्स को आउट आफ कोर्स न होते हुये जबरदस्ती बाहर निकाला गया तो स्टूडेन्ट्स की बात अवांछनीय हो सकती है यही तो। प्रश्न है और न यह आपको मालूम है कि आउट आफ कोर्स है और न मुझे मालूम है कि आउट कोर्स है और इसीलिए तो न्यायिक जांच का प्रश्न आता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं हम यह नहीं चाहते क्योंकि हमारे बच्चे वहां पढ़ते हैं उनमें गलत ट्रेडिशन नहीं डालना चाहते हैं लेकिन यह भी गलत है कि प्रश्न पत्र में गलत बात पूछी जाय और वे बच्चे कायर बन जायं और उसको सहन कर लें। हमने यह परम्परा कायम की है, हम राजा-महाराजाओं से लड़े हैं, बर्बरता से लड़े हैं और लड़कर ही हम यहां आये हैं। माननीय विश्नोई जी भी यह नहीं चाहेंगे, आउट आफ कोर्स है तब भी विद्यार्थी बहिगमन न करें। मैं पुलिस के इन्टरवीन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं यदि मामला इतना आउट आफ कन्ट्रोल हो गया कि वाइस चान्सलर अपनी रेसपान्सिबिलिटी भूल गये हों या बन्धन कर दिये गये हों तो पुलिस जायेगी एक्स्ट्राआर्डिनेरी हालत में लेकिन जब तक स्वायत्त शासन संस्थाओं की आथोरिटीज मौजूद हों, उनकी जिम्मेदारी है पुलिस को बुलाने की इसलिये मामला जेर तलब है। अगर इस प्रकार के बन्धन होते गये कि वाइस चान्सलर इन्टरवीन न करें और पुलिस इन्टरवीन करती है तो मामला गंभीर हो जाता है। पुलिस ने इन्टरवीन की है, मैं तस्दीक करता हूं। वाइस चान्सलर इन्टरवीन कर सकते हैं। गंभीर स्थिति नहीं है, पुलिस अधीक्षक ने इन्टरवीन किया है तो जस्टिफाइड नहीं कहा जा सकता है। माननीय विश्नोई जी ने जो भाषण दिया उससे ऐसा नतीजा निकला। अब या तो यह मामला क्रिमिनल कोर्ट में जाना चाहिये या किसी ज्यूडिशियरी को सुपुर्द करना चाहिये। मैं समझता हूं माननीय विश्नोई जी की यह मान्यता नहीं होगी और उन्होंने शायद इसको गलत ढंग से प्रस्तुत किया है।

इसलिए पुलिस की सेकेण्डरी रेस्पान्सिबिलिटी है और पहले वाइस चान्सलर और उन अथॉरिटीज की रेस्पान्सिबिलिटी है वह रिक्विजीशन करे और वह रिक्विजीशन करने की स्थिति में नहीं है और मामला

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
ज्यादा बढ़ गया तब पुलिस भाग ले, पुलिस सुग्रोमोटो भी जा सकती है तो यह क्वेश्चन इन्क्वायरी का है कि सिचुएशन क्या थी। सिचुएशन जैसी थी उसके मुताबिक ही जस्टीफाइड या अनजस्टीफाइड किया जा सकता है और इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह मामला अवश्य ही न्यायिक जांच का है वरना हम इस नयी पीढ़ी को इस तरह से प्रवोक करके केवल लॉ एण्ड आर्डर का क्वेश्चन मानकर लाठियों से ठीक करने का सोचेंगे तो श्री बिश्नोई जी शायद गृह मंत्रालय का ख्याल रखते हों क्योंकि शिक्षा मंत्रालय उनको सूट नहीं किया है...

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हमारे में ऐसी भावना ही नहीं है। हमें फर्क ही पड़ता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस बात को...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : फिर क्वारे रहने का इरादा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस बात को सब मान रहे हैं। स्टूडेन्ट्स में आक्रोश का कारण सोशियो-इकानामिक पालिसी है।

श्री अध्यक्ष : कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इस मामले की न्यायिक जांच कराई जाये। यह चीज वहीं कन्ट्रोल हो सकेगी और सब को सन्तोष हो सकेगा। इस चीज की जुडीशियल इन्क्वायरी होनी चाहिए, फैक्ट्स सामने आने चाहिए और माननीय मंत्री जी अभी उत्तर दें कि उन्होंने क्या जानकारी करने की कोशिश की कि वाइस चान्सलर किस नतीजे पर पहुंचे हैं? क्वेश्चन पेपर्स जिनके बारे में कहा गया है कि वे आउट आफ कोर्स थे-यह फैक्ट है या नहीं और क्या यह फैक्ट है कि वाइस चान्सलर ने पुलिस का रिक्वीजीशन किया था या पुलिस खुद गई थी ?

श्री अध्यक्ष : मिस्टर भार्गव।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : मिस्टर भार्गव...

श्री गुमानमल लोढा (जोधपुर) : मैं थोड़ा अर्ज कर देता हूं। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि यहां पर भूतपूर्व शिक्षा मंत्री ने आपके सम्मुख जिस प्रकार से पुलिस के जघन्य काण्ड को बचाने का प्रयास किया है उससे पता लगता है कि केवल पुलिस के द्वारा उदयपुर के अन्दर प्रधान मंत्री इन्दिरा जी की ओर से हमारी छात्राओं को पहला तोफा समाजवाद और जनतंत्र का ही नहीं भेजा गया बल्कि इस सदन में ऐसे सदस्य हैं जो आज पुलिस के द्वारा लाठी...

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री के लिए इस तरह की बात कहना सदन की गरिमा के खिलाफ है और जोश में आकर यह भाषण दें तो यह बात अलग है वरना हमें कोई अधिकार नहीं है कि इस तरह से कहें और इन्दिरा जी का यहां पर कोई प्रश्न ही नहीं है...

(शोरगुल)

श्री मनोहरलाल (अध्यक्ष) : आपको बिमारी है। आप बैठ जाइये...आप बीच में मत बोलिये।...

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : इस तरह से बीच में प्रधान मंत्री जी का सवाल उठाते हैं.....

श्री मोहनलाल छंगाणी : माननीय अध्यक्ष महोदय.....

श्री अध्यक्ष : मिस्टर भार्गव।

श्री गुमानमल लोढा : मैं यहीं जिक्र कर रहा था.....

(व्यवधान)

श्री रणजीतसिंह : पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : अध्यक्ष महोदय, आपने श्री भार्गव के लिए व्यवस्था दे दी फिर लोढा जी क्यों बोल रहे हैं। यह गलत बात है।

(व्यवधान, शोरगुल)

इस प्रकार से प्रवोक किया जाता है, अध्यक्ष महोदय, इसको बरदाश्त नहीं किया जा सकता।

श्री रणजीतसिंह : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय,.. (अश्रव्य)

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : भार्गव साहब के बोलने के लिए व्यवस्था दी जा चुकी है। श्री भार्गव बोलें।

श्री गुमानमल लोढा : विरोधी पक्ष की वाणी को इस तरह से दबाना चाहते हैं, विरोधी पक्ष को बोलने नहीं देना चाहते हैं और उनकी जुबान को बन्द करना चाहते हैं.....

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : आपका अपनी वाणी निकालने का यह कोई तरीका नहीं है, यह कोई चौपड़ पर भाषण नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर) माननीय सदस्य।

श्री गुमानमल लोढा : (अश्रव्य)।

(शोरगुल के कारण अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : (सर्व श्री गुमानमल लोढा, मनोहर लाल राजेन्द्र भारतीय व श्री मोहनलाल छंगानी आदि सदस्यों के एक साथ बोलने पर) माननीय सदस्य शांत रहें। एक एक करके बोलें।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, इतना सीरियस मामला है....

श्री गुमानमल लोढा : हम बोलना चाहते है, आप रोक नहीं सकते।

श्री अध्यक्ष : इस पर बहुत उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मनोहरलाल : इनको (श्री राजेन्द्र-कुमार भारतीया) अस्पताल भिजवा दो। इनको बीमारी है। इनकी बीमारी का इलाज करवाया जाये।

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिस रूप में आप वादविवाद को ले जा रहे हैं और चार-चार और पांच-पांच आदमी एक साथ बोलते हैं और पहले भी मैंने कई बार निवेदन किया था। जिस तरह से आप

Page No. 59

(श्री अध्यक्ष)

करना चाहते हैं तो न तो आपकी बात लिखी जाती है और न उत्तर आता है और न सदस्य समझ पाते हैं और समय का भी दुरुपयोग होता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सदन की प्रतिष्ठा को बनाये रखें। आपकी प्रतिष्ठा सदन को मिलेगी तो आपके द्वारा भी जो सदन की गरिमा बढ़ने वाली है वह कायम रहेगी। आप एक एक करके बोलें और इसमें पांच मिनट ज्यादा भी लग जायें तो इसमें एतराज नहीं है लेकिन वाद-विवाद व्यवस्थित रूप में हो। मैंने नियमों को रिलेक्स करके भी, सदन के माननीय सदस्यों की भावना को भी देखकर अवसर दिया। अवसर आम तौर से उन्हीं को दिया जाता है जिनका कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव होता है लेकिन मैंने उनके अलावा भी सदस्यों को अवसर दिया। फिर कहीं समाप्त होने की बात भी तो है, कहीं मर्यादा भी तो रखेंगे। नहीं रखेंगे तो फिर सदन को कहां ले जायेंगे? मैं फिर कहूंगा कि जो कुछ कहें नियमों का ध्यान रखते हुए कहें। इतना ही निवेदन करता हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय के द्वारा जो स्पष्टीकरण किया गया उसमें से जो अहमियत की बात सामने आयी और उसके बारे में भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कह कर कि विश्वविद्यालयों के अन्दर उसकी पवित्रता वहां के विद्यार्थी खण्डित करते हैं, वहां के विद्यार्थी गुण्डागर्दी करते हैं...

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने यह नहीं कहा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आप (श्री गुमानमल लोढ़ा) अपनी बात कहें।

श्री मोहनलाल छंगाणी : आप उस दंगे के कारण हैं और दंगा कराने वाले आप हैं और जनसंघ ही जिम्मेदार है उसके लिए।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : आप अपनी आदत से मजबूर हैं क्या करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि उदयपुर की छात्राओं के ऊपर पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज किया जाये और उसको यह कह कर बचाने का प्रयास किया जाये कि हमने लाठी चार्ज नहीं किया। मैं जानना चाहूंगा कि पुलिस को इस प्रकार से नन्हीं बालाओं और छात्राओं के ऊपर लाठी बरसाने का क्या अधिकार है? सदन में जब प्रश्न लाया जाता है तो उस समय लाठी चार्ज किया गया उसको स्वीकार नहीं करते। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न उदयपुर का नहीं है, जोधपुर विश्वविद्यालय के अन्दर छात्रों के ऊपर, मेडिकल के छात्रों के ऊपर और अन्य छात्रों के ऊपर मुकदमे चलाये गये उनको वापिस नहीं लिया गया। उदयपुर के छात्रों पर हमारे युवा तरुणों पर आज मुकदमे चलाए जा रहे हैं और यहां पर सरकार की ओर से बचाव किया जा रहा है पुलिस का और यह कहा जाता है कि छात्राओं ने वहां पर झगड़ा किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग जांच की गई है, हमने यह नहीं कहा कि पुलिस के अधिकारियों को सजा दे दी जाय, हमने यह नहीं कहा कि पुलिस के अधिकारियों को जेल में भेज दिया जाय। मेरे दल के सदस्यों ने यह मांग की है कि दो बातों की जांच

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

की जावे। पहली बात तो यह है कि क्या इस प्रकार से कोर्स के बाहर जो प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे छात्र छात्राओं में आक्रोश होता है स्थान स्थान पर, क्या इसको रोकने का प्रावधान नहीं किया जा सकता? दूसरी बात यह है कि क्या वहां पर पुलिस के अधिकारियों ने जो लाठी चार्ज किया उस लाठी चार्ज के पहले क्या उन्होंने धारा 144 का उपयोग किया, क्या अश्रु गैस का प्रयोग किया, या कोई और आज्ञा वहां पर छात्राओं पर लाठियां बरसाने के पहले दी? वह आज्ञा देने वाला कौन व्यक्ति था? मजिस्ट्रेट वहां नहीं था और बड़ा अधिकारी वहां नहीं था। पुलिस के इन अधिकारियों ने अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया है, अनधिकार चेष्टा की है। इस जांच की मांग को मंत्री महोदय को स्वीकार करना चाहिए और इसमें आपको उदारता बरतनी चाहिए। यह कोई राजनैतिक प्रश्न नहीं है, यह जनता का प्रश्न नहीं है, विद्यार्थियों का प्रश्न है, यह ना कोई कम्युनिस्ट पार्टी का और न जनसंघ का प्रश्न है, यह प्रश्न तो लाखों तरुणों का प्रश्न है। इस पर जांच कराई जावे।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत: अध्यक्ष महोदय...

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न राजनीति का प्रश्न नहीं है...

श्री अध्यक्ष: कमी के साथ कहिये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: कमी के साथ ही कह रहा हूं। यह प्रश्न केवल इस बात से जुड़ा है कि आज मां सरस्वती के स्थान पर जहां पर हमारी बहिनें शिक्षा प्राप्त करती हैं उस स्थान पर जाकर पुलिस ने लाठी चार्ज किया और जो वर्षा तृतीय वर्ष विज्ञान का, रसायन शास्त्र का प्राइवेट आउट ऑफ कोर्स आया उसके विरोध स्वरूप उन छात्राओं ने यह सारा प्रदर्शन किया और फिर आज यह कहा जाय, यों तो संख्या यह बताती है कि 9 छात्र और 1 छात्रा घायल हुई है लेकिन राज्य सरकार की ओर से यह कहा जाय कि एक भी छात्र को चोट नहीं आई। मैं समझता हूं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट है। यहां पर मांग केवल यह है कि इस मामले की जांच कराई जानी चाहिये इसके अलावा मैं आपसे यह भी निवेदन करूं कि उदयपुर के पुलिस अधीक्षक, श्री मधोक साहब से उत्तर मांगा गया कि आपने लाठी प्रहार क्यों करवाया तो उन्होंने उत्तर दिया कि मुझे नहीं मालूम कि लाठी चार्ज क्यों कर रहा हूं। एक साधारण सी बात है। कोई आदमी किसी को मार रहा है और जब उससे पूछा जाय कि क्यों मारा तो वह व्यक्ति यह जवाब दे कि मुझे नहीं मालूम कि मैं क्यों मार रहा हूं। मैं समझता हूं कि यह एक बड़ी अजीब प्रकार की बात है। इस प्रकार का उत्तर उदयपुर के पुलिस अधीक्षक, मधोक साहब ने दिया है। इसी प्रकार नगर दण्डनायक से मालूम किया तो उन्होंने भी कहा कि मुझे भी नहीं मालूम कि लाठी चार्ज की घटना क्यों हुई मैं घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। इस प्रकार का जवाब नगर दण्डनायक द्वारा दिया गया जो कि मिस्टर सक्सेना हैं और जिन पर नगर की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। इसी प्रकार महाराणा भूपाल कालेज के डायरेक्टर मिस्टर पारीक हैं वे भी कहते हैं कि उन्हें नहीं मालूम कि लाठी चार्ज क्यों हुआ तो यहां मांग यह है कि इसकी जांच होनी

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

चाहिये । वहां के छात्र संघ के अध्यक्ष श्री राजेन्द्रसिंह ने भी यह मांग की है और जो उदयपुर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और जो वहां पर विधायक हैं श्री गुलाबसिंह जी शक्तावत, उन्होंने भी मांग की है ...

श्री अध्यक्ष : ये सब तथ्य, कहे जा चुके हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा आपसे निवेदन है कि जिस समय लाठी चार्ज हुआ महाराणा भूपाल कालेज के डायरेक्टर साहब वहां पर मौजूद नहीं थे। जब डायरेक्टर साहब वहां पर मौजूद नहीं थे तो पुलिस ने उस क्षेत्र में प्रवेश किस तरह से किया और क्या एस. पी. साहब को नगर दण्डनायक साहब को और किसी अधिकारी को इन सारी बातों की जानकारी थी ? पर्चा आउट आफ कोर्स आया जिससे उत्तेजना बढ़ी। जांच की जब मांग की जाती है तो यह सरकार की आदत है । जयपुर में गोली काण्ड हुआ ...

श्री अध्यक्ष : कोई नई बात फरमावें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं यह निवेदन कर रहा था कि मधोक साहब का यह कहना है कि छात्राओं पर लाठी चार्ज नहीं किया और कोई छात्राएं घायल नहीं हुई बल्कि मधोक साहब का तो यह भी कहना है कि छात्राओं ने पुलिस के जवानों के हाथ में बटके भर लिए यह मधोक साहब का कहना है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज राजस्थान की छात्राएं जो पुलिस के सिपाही और थानेदार हैं उनके हाथों में बटके भरेंगी तो इस प्रकार की गृह मंत्री जी की बात कहना बिल्कुल निराधार है बिल्कुल झूठ है। यदि इस प्रकार के स्टेटमेंट को, इस प्रकार की पुलिस ज्यादती को हमने राजस्थान में प्रोत्साहन दिया तो राजस्थान के छात्र-छात्राओं में तो असंतोष फैलेगा ही इसका प्रभाव और भी भारत के जितने छात्र संघ हैं उन पर पड़ेगा । आज यदि हम अपनी बहिनों को, अपनी बालिकाओं को पुलिस के जुल्म से नहीं बचा सकते, विश्वविद्यालय में पुलिस का हस्तक्षेप बर्दास्त करेंगे तो यह बिल्कुल उपयुक्त नहीं होगा इसलिये मैं समझता हूं कि यहां पर किसी व्यक्ति को सजा देने की बात नहीं है । मांग केवल इतनी है कि जो पर्चा आया वह आउट आफ कोर्स आया इससे छात्र छात्राओं में असन्तोष है और उसके बारे में उनकी मांग है कि निर्णायक सूचना छात्र छात्राओं को शीघ्रातिशीघ्र दी जावे। दूसरी मांग यह है कि द्वितीय वर्ष के कुछ छात्रों के साथ जो दूषित भावना है उसको सहानुभूति के रवैये में बदला जावे । मैं समझता हूं कि इस मांग में किसी प्रकार की राजनीति का सवाल नहीं है। जो स्थगन प्रस्ताव रखा गया वह चाहे किसी पार्टी की ओर से रखा गया हो उसका विरोध करने का सवाल नहीं है। मगर कांग्रेस दल वाले यह समझते हैं कि चूंकि यह प्रस्ताव दूसरे दल की तरफ से रखा गया है इसलिये ही हमें इसका विरोध करना है तो मैं समझता हूं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है (व्यवधान-शोरगुल अश्रव्य) दूसरे दल के लोगों को भी चाहिये कि जो वाजिब मांग हो, चाहे जनसंघ वालों की मांग हो या किसी दूसरे दल की मांग हो, वाजिब

Page No. 62

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
मांग हो तो सभी को उसका समर्थन करना चाहिए ।

(व्यवधान—अध्यक्ष)

इसलिए मेरा राजस्थान सरकार से यह निवेदन है कि गृह मंत्रीजी इस सम्बन्ध में दुबारा जांच करने की ओर अपने वक्तव्य को दुबारा देने की चेष्टा करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्रीजी ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट ।

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्रीजी ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट का समय ।

श्री अध्यक्ष : एक एक मिनिट कर तो सभी बोलने को तैयार हैं ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : मैं तो केवल एक मिनिट लूंगी ।

श्री अध्यक्ष : अच्छा मैं घड़ी देखता हूं ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, बार बार छात्राओं का नाम लेकर जो इस तरह की बात की जा रही है और विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने जो उनके नाम को आगे कर इस मामले को तूल देने की कोशिश की है तो मैं समझती हूं कि वास्तव में उन्होंने इस मामले का महत्व कम किया है, इसके महत्व को घटाया ही है। छात्राओं के हाथ में चूड़ियां नहीं हैं, वे स्वयं जवाब देना जानती हैं । और जो स्वतन्त्रता संग्राम चला था उसमें कई महिलाओं ने गोलियां खाई है और पुलिस से लोहा लिया है । इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर छात्राओं को आन्दोलन करने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा, इसमें क्या तथ्य है । विद्यार्थी जीवन में कई आन्दोलन हुए हैं और विद्यार्थी आन्दोलनों में छात्राओं ने भी भाग लिया है। इस समय जो छात्राओं को इतना आगे आना पड़ा तो इसमें भी निश्चित रूप से कोई कारण हैं ।

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्रीजी ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय अध्यक्षजी, . . .

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी नगर) : अध्यक्ष महोदय, कई बार मैंने बोलने की कोशिश की और आपने मुझे बैठा दिया । उसके बाद आपने गिरधारीलालजी को बोलने का मौका दे दिया, फिर नगेन्द्रबालाजी को मौका दे दिया और अब मैं फिर बोलना चाहता हूं तो आपने मुझे बिठा दिया ।

श्री अध्यक्ष : आपकी शिकायत तो वाजिब है लेकिन समस्या समय की है ।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : एक मिनिट का समय लेता हूं । अध्यक्ष महोदय, प्रश्न इस बात का है कि हमारे सम्माननीय सदस्यों ने इस बारे में जो विचार रखे हैं और माननीय गृह मंत्राणीजी ने, हमारे राज्य मंत्री, गृह महोदया ने जो वक्तव्य प्रसारित किया है उसके साथ शिक्षा मंत्रीजी का भी सीधा सम्बन्ध है । खास तौर से आज जो सबसे बड़ी अव्यवस्था फैली हुई है उसका

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

विद्यार्थी प्रश्न सामने लाते हैं और प्रशासनिक व्यवस्था के सामने उप कुलपति के सामने उठाते हैं तो उसके समाधान का, उनके उत्तर का जो तरीका है उससे विद्यार्थी बराबर परेशान होकर इस तरह का आन्दोलन करने के लिए उतारू होते हैं। आज जो विश्वविद्यालयों में झगड़े होते हैं उसके अन्दर खास तौर से कारण जो एजूकेशन सिस्टम है वह प्रोपर नहीं होने के कारण है। जो कुछ उदयपुर में हुआ उसका कारण भी यही है। उपकुलपति महोदय से मिले तो उनको जो सुझाव दिए उनको उन्होंने इग्नोर कर दिया जिससे आम तौर पर अव्यवस्था हो गई। यह बात हो गई कि पेपर आउट आफ कोर्स आ गये। आउट आफ कोर्स पेपर आ जाय तो यह सोचने की बात है शिक्षा मंत्री जी। राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था कर रही है? माननीय सदस्यों ने इन सारी बातों को यहां पर उठाया है और राज्य सरकार को इसकी जांच निष्पक्षता से करनी चाहिये। इनकी न्यायिक जांच हम नहीं चाहते हैं। सम्माननीय सदस्य श्री पूनमचन्दजी विश्नोई ने यहां पर एक महत्वपूर्ण भाषण दिया है। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सदन के द्वारा पूनमचन्दजी विश्नोई को वहां पर भेजा जाये। छात्र और छात्राओं को यह फैसला किसलिए करना पड़ा है इस सदन को इस प्रश्न को और भी ध्यान देना चाहिये। केवल जांच से ही यह प्रश्न समाप्त नहीं हो जाता है। जो प्रशासनिक व्यवस्था है, और जो विद्यार्थियों को कुचलने की प्रथा है, उसका नतीजा यह होता है कि आन्दोलन होता है और पुलिस को मजबूर होकर वहां पर आना पड़ता है। पुलिस हो सकता है मजबूरी में वहां पर जाती हो परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि इसका सही निदान किया जाये। उदयपुर के कुलपति के रवैये के कारण वहां पर दिनों दिन आन्दोलन होते रहते हैं। यह कोई पहली घटना नहीं है। वहां पर छात्राओं ने आकर नेतृत्व किया है, यह राजस्थान के लिये और छात्र जगत के लिये गौरव की बात है। परन्तु यह तो शुरुआत है। इससे राजस्थान के छात्र और छात्राओं में एकता बढ़ेगी। मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार इस समस्या को ध्यानपूर्वक निपटावें और सरकार इस बात की निश्चित तौर पर जांच करे। इसका न्यायिक जांच से कोई सम्बन्ध नहीं है। हमें हमारी सरकार पर पूर्ण विश्वास है। परन्तु हमारे मंत्री महोदय सरकारी अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर यहां पर वक्तव्य दे देते हैं यह हमारा और इस सदन का घोर अपमान है। इससे अधिक और कोई बात नहीं हो सकती।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : बहुत हो चुका है। मंत्री महोदय।

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य मंत्री, गृह): माननीय सदस्यों ने यहां पर जो विचार प्रकट किये हैं उनमें मुख्य रूप से दो पहलू सामने आये हैं। एक यह है कि आया प्रश्न पत्र को लेकर विद्यार्थियों ने जो बहिर्गमन किया, आन्दोलन किया और उनके फल-

(श्रीमती कमला बेनीवाल)
स्वरूप जो घटनायें हुई प्रश्न पत्र कठिन था, पाठ्यक्रम से बाहर था, यह सही है या गलत है इसकी जांच की जायेगी जहां तक विश्वविद्यालय से इसका ताल्लुक है, या शिक्षा विभाग से ताल्लुक है, वह इसकी जांच करेगा। परन्तु जो वक्तव्य दिया गया है वह शांति और व्यवस्था को दृष्टि से है.....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : शिक्षा मंत्री जी कहां पर हैं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : चुपचाप सुने तो अच्छा है।

मैंने आपके सामने यह निवेदन किया कि पुलिस द्वारा इन घटनाओं को रोकने के लिये और आगे कोई दुर्घटना नहीं हो, उसकी व्यवस्था के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है, उसके बाबत तथ्य प्रस्तुत किये। सबसे बड़ी बात जो अनेक माननीय सदस्यों ने यहां पर कही हैं-बिना बुलाये पुलिस वहां क्यों पहुंची और बिना मजिस्ट्रेट के पुलिस ने वहां पर लाठी चार्ज क्यों किया ? मैं यह निवेदन करना चाहूंगी, अध्यक्ष महोदय, कि डाइरेक्टर महोदय ने अगर नहीं कहा और वहां पर शान्ति और व्यवस्था भंग होने की स्थिति हो, पुलिस को इसकी जानकारी मिल गई हो तो यह पुलिस का फर्ज है कि वह उस स्थल पर पहुंचे और शांति भंग न होने दे। उसके बाद अगर यह कार्यवाही गलत थी तो दूसरे दिन वहां पर बैठक हुई जिसमें जिलाधीश मौजूद थे, रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी भी मौजूद थे, पुलिस अधीक्षक भी उसमें थे और उन सब ने मिल कर यह निर्णय लिया कि इसके अन्दर पुलिस की सहायता प्राप्त की जाये, पुलिस के प्लेटून लगाये जायें, जो विद्यार्थी परीक्षा देना चाहते हैं उनको परीक्षा देने से रोकना उचित नहीं होगा। यह कार्यवाही उस मौके पर गलत होती तो यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार यह प्रस्ताव नहीं करते कि परीक्षा देने आने वाले छात्रों को संरक्षण दिया जाये इसके लिये यह तय किया गया कि प्लेटून लगाई जाये ताकि इस प्रकार के उपद्रव न हों। जहां तक वाइस चांसलर की बात है, कोई लाठीचार्ज छात्र, छात्राओं पर नहीं किया गया है यह मेरी जानकारी है, डाइरेक्टर महोदय ने क्या वक्तव्य दिया है, उनको बुलाया या नहीं यह अपने आप में गौण हो जाता है जब रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर इस राय के हों कि यह व्यवस्था की जाये तो दूसरी व्यवस्था गौण है। यह जो व्यवस्था की गई थी वह माकूल थी। जान बूझकर किसी प्रकार की कार्यवाही करने की पुलिस की कोई मंशा नहीं थी।

दूसरी बात यहां पर छात्राओं का नाम लेकर बात कही गई है। हम जो सामाजिक भावनाएं जागृत करना चाहते हैं, उसमें छात्राओं के नाम को एक्सप्लाइट करना चाहते हैं, यह बात समझ में नहीं आ रही है। यह सही नहीं है। कुछ माननीय सदस्यों ने यहां पर कहा है कि छात्राओं ने इस मामले में अगुवाई की है और इसलिये यह अपने आपमें एक महत्वपूर्ण घटना है। जैसा मैंने आपको वक्तव्य में बताया है, छात्राओं ने लास्ट डे पर बहिर्गमन किया, उसके बाद वे निकली हैं, उसके पहले छात्रों ने मजबूर किया कि वे परीक्षा नहीं दें। 24 तारीख की घटना है, एक तारीख की घटना है और उसके बाद 3 और 5 तारीखों की घटनाएं हैं। इनमें छात्राओं ने कोई इनीशियेटिव नहीं लिया। 6 तारीख को

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

जो घटना हुई उसमें छात्राओं ने भाग लिया, यह कह कर कि प्रश्न-पत्र कठिन है, पाठ्य क्रम से बाहर है और उसके बाद वे यह कह कर कि वे इसका उत्तर देने में असमर्थ हैं, उन्होंने परीक्षा भवन से बहिर्गमन किया। उसके बाद यह घटनाएं हुई। छात्राओं ने उसका नेतृत्व किया। मैं आपको यह बता देना चाहती हूं कि छात्राएं बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में सक्षम रही हैं लेकिन छात्राओं को अपनी सामाजिक मर्यादाओं का भी ध्यान रखना पड़ता है। सामाजिक मर्यादा में रहते हुए भी उन्होंने गांधीजी के अहिंसात्मक आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया है, यह किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। हम इन छात्राओं को मर्यादा तोड़ने और समाज की व्यवस्था भंग करने वाली कहें तो यह हमारे लिये शर्म की बात है। मैं समझती हूं कि छात्राओं ने मर्यादित रूप से काम करते हुए, समाज की प्रतिष्ठा और हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।

इसके अतिरिक्त एक और बात कहना चाहती हूं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि लाठी चार्ज हुआ और लोगों के खून निकला। जब धकमपेल होती है तो किसी न किसी के लगती है। किसी के उंगली में चोट आ गई और खून निकल गया तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। परन्तु वहां पर जो डाक्टरी रिपोर्ट दर्ज हुई है दो-चार के सिम्पल इन्जुअरी हुई है। किसी के भी गंभीर चोट नहीं आई है। इस संदर्भ में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहती हूं कि जो कुछ भी पुलिस के द्वारा व्यवस्था की गई वह व्यवस्था कायम रखने और छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय में और कोई दुर्घटना न हो जावे उसकी रोकथाम के लिये की गई थी। यह कहा गया कि पुलिस रजिस्ट्रार की परमीशन से वहां पर नहीं की गई, बिना मजिस्ट्रेट की उपस्थिति और परमीशन के लाठीचार्ज किया गया, परन्तु जो व्यवस्था की गई उससे वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार सन्तुष्ट हैं, इसलिये डाईरेक्टर का कहना कहां तक सही हो सकता है। जहां तक मजिस्ट्रेट के हुकुम से लाठीचार्ज नहीं किया गया, तो मजिस्ट्रेट के हुकुम की जरूरत नहीं थी। वहां पर पहले तो लाठीचार्ज किया ही नहीं गया है। इसलिये यह प्रश्न खड़ा नहीं होता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगी कि वे इस मामले को राजनीतिक स्वरूप न देकर और छात्र-छात्राओं का राजनीति में उपयोग न कर के, इस प्रकार की घटनाएं आगे भविष्य में घटित न हो इसके लिये प्रयत्नशील रहें तो उपयुक्त रहेगा।

अनुदानों की मांगों का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : मांगों पर विचार।

कृषि मंत्री जी।

श्री परसराम मदेरणा (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31, कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को 9,03,29,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(श्री परसराम मदेरणा)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33 पशुपालन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,98,91,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये।

श्री अध्यक्ष : मांगें प्रस्तुत हुई।

श्री वित्त मंत्री जी।

श्री चन्दनमल वैद (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 95–कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 17,50,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : मांगें प्रस्तुत हुई।

मांग संख्या 19, 20 व 39 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव

मांग सं. 19

1. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (Draught Resistant Hybrsid seeds तैयार न करने पर चर्चा के लिये)।

2. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि समतल करने एवं टीबा स्थिरीकरण हेतु योजनाएं नहीं बनाई गई इस पर चर्चा के लिये)।

3. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (I.C.D.P. के खर्चों से लाये हुए लाखूसर जिला बीकानेर के Tubewell की लम्बे अर्से से मरम्मत हेतु कार्यवाही न करने वाले अधिकारी के विरुद्ध सरकार द्वारा कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 20

4. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अंतर्गत 100 रुपया कम कर दिया जाय (सघन पशु विकास योजना बीकानेर के सम्बन्ध में मूल्यांकन हेतु गैर सरकारी समिति के निर्माण पर चर्चा के लिये)।

5. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मोबाइल यूनिट, पूगल की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये)।

6. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सघन पशु विकास योजना बीकानेर के बजट 71–72 में पशुपालकों को दिये जाने वाली ऋणराशि के सरेंडर करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

(श्री भीमसेन)

7. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सघन पशु योजना बीकानेर के बजट 71–72 में कैटिल फीड प्लांट के होते हुए भी अनुचित लाभ प्राप्ति हेतु घटिया किस्म के कैटिल फीड की क्वालिटी को लेबोरेटरी द्वारा परीक्षण न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

8. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लूणकरणसर क्षेत्र के गांवों में पैदा किये जाने वाले दूध की बिक्री हेतु मिल्क ड्रिंकिंग स्टेशन्स एवं मिल्क फैक्ट्री की स्थापना में विलम्ब किये जाने पर खेद प्रकट करने हेतु चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 19

9. श्री यशवन्त सिंह नाहर (बनेड़ा): मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि विकास कार्यों के विस्तार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 20

10. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुपालन विभाग द्वारा पशुधन की वृद्धि के लिये योजनाबद्ध कार्य नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 19

11. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल जयपुर): मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31 कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा कृषकों को आसानी से कर्ज उपलब्ध नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

12. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर शहर में नये उद्यान बनाये जाने व पुरानों को ठीक किये जाने पर चर्चा के लिये)।

13. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषकों के काम में आने वाली भूमि, पानी व खाद की जांच के लिए अनुसंधान केन्द्रों के संबंध में चर्चा के लिये)।

14. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31 कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषकों को समय पर बीज व खाद न मिलने के कारण होने वाली असुविधा पर चर्चा के लिये)।

15. श्री नाथूराम (बागीडोरा): मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31 कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में कृषि की बिगड़ी हुई स्थिति पर चर्चा के लिये)।

16. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में मेड़ बन्दी और उसके निर्धारण पर चर्चा के लिये)।

17. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम सेवक ट्रेनिंग सेन्टर

(श्री नाथूराम)
में आदिवासी को प्रशिक्षण प्राथमिकता से देने पर चर्चा के लिये)।

18. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में कपास की पैदावार उसके अन्वेषण और उपयोगिता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 20

19. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा-आदिवासी क्षेत्र में पशुधन की नस्ल सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 19

20. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31 कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-संरक्षण कार्यों की गुंजाइश के लिए तहसील सांचोर का सर्वेक्षण कराकर संरक्षण कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

21. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्दर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उपज के भण्डार के लिये कृषि उपज भाव नियंत्रण के लिये सांचोर में एक बड़ा माल भण्डार बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

22. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सांचोर में लघु सिंचाई के लिए पंपिगसैट्स हेतु ऋण दिलाने की विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

23. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान भू-जल बोर्ड द्वारा सांचोर एव भीनमाल तहसीलों में नलकूप बनाकर सिंचाई के साधन उपलब्ध न कराने पर चर्चा के लिये)।

24. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान भू-जल बोर्ड द्वारा जिला जालोर में ज्यादा नलकूप बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

25. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अचानक फसलों की हानि होने पर अनुदान दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

26. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छोटे काश्तकारों को खेती के पूरे घाटे की पूर्ति के लिए अनुदान दिलाने पर चर्चा के लिये)।

27. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उन्नति पर पर्याप्त व्यय करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

28. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100

Page No. 69

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उपज का सही भाव मार्केट में दिलाने के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

29. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि मंडियों के विकास के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

30. मांग संख्या 19, शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में कृषि विपणन की उन्नति की योजना के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

31. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में बोरिंग ओपरेशन के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

32. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि शिक्षा की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 20

33. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में भेड़ व ऊन के विकास की दृष्टि से सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

34. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुपालन के विकास के लिए सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

35. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशु चिकित्सा के लिए सांचोर के नेपड़ क्षेत्र के लिए एक मोबाइल डिस्पेंसरी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

36. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सांचोर में कांकरेज नस्ल सुधार के लिए स्टेट कैटल ब्रीडिंग फार्म खोलने हेतु चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 19

37. **श्री मोहनराज** : मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उपज की रक्षा के लिए कीटनाशक मोबाइल स्क्वेड्स की स्थापना पर चर्चा के लिये)।

38. **श्री चिम्मनसिंह भाटी** (भीम): मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उपज मंडियों के विकास की समस्याओं पर चर्चा के लिये)।

39. **श्री जगमोहन सिंह (छबड़ा)** : मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर

Page No. 70

(श्री जगमोहनसिंह)
दिया जाय (छबड़ा में कृषि उपज मंडी कायम किए जाने हेतु चर्चा के लिये)।

40. **श्री नन्दलाल बैरवा** (पाटन): मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी जिला की तहसील केशोरायपाटन में कृषि मंडियों का कार्य अब तक पूरा नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

41. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा डिवीजन में चम्बल व मेज के किनारे की ऊबड़-खाबड़ भूमि को कृषि योग्य बनाये जाने पर चर्चा के लिये)।

42. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के सिंचाई एरिया में किसानों को समय पर खाद बीज नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

43. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में कृषकों को ट्रैक्टर आदि खेती करने के औजार समय पर नहीं उपलब्ध होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 20

44. मांग संख्या 20. मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल के समय पशु केन्द्रों की अव्यवस्था, पशुओं के पालन-पोषण में हुई गड़बड़ियों पर चर्चा के लिये)।

45. मांग संख्या 20. मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम पंचायतों में दिये गये सांडों की समय समय पर देख-भाल न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 19

46. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर): मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले का भूतल बोर्ड द्वारा भूतल जल प्राप्ति की दृष्टि से विस्तृत सर्वेक्षण कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

47. मांग संख्या 19. मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय स्थापित करने की महत्वता पर चर्चा के लिये)।

48. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छोटे काश्तकारों की कृषि विभाग द्वारा उपेक्षा किये जाने पर चर्चा के लिये)।

49. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ड्राई फार्मिंग योजना के अन्तर्गत बाड़मेर जिले के किसी

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
भी हिस्से को सम्मिलित नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 20

50. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में थारपारकर एवं कांकरेज ब्रीड की अलग-अलग से राज्य सरकार द्वारा राजकीय फार्म स्थापित करने में उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

51. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के ख्याति प्राप्त पशुमेला, तिलवाड़ा में पशुपालन विभाग द्वारा मेले के समय स्वच्छ जल, रोशनी आदि की व्यवस्था न करने पर चर्चा के लिये)।

52. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 30-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के मुख्यावास बाड़मेर नगर पर जिला पशु चिकित्सालय के भवन की स्वीकृति प्राप्त करने में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

53. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में पशुपालन विभाग द्वारा गहन पशु विकास योजना को लागू नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

54. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33 पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुपालन विभाग द्वारा दुग्ध विकास के लिये आपरेशन फ्लू नाशक 4 करोड़ रुपये की योजना में बाड़मेर जिले के महत्व पूर्ण स्थान चोहटण, धगाऊ, मते का तला, गांगाला, शिव, गड़रा रोड़, हरसांणी बैसाला को सम्मिलित न करने से पैदा होने की स्थिति पर चर्चा के लिये)

मांग संख्या 19

55. **श्री लूणाराम (डूंगरगढ़)** : मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खेती के विकास के संबन्ध में आधुनिक कृषि यंत्रों, बीज, खाद, आदि के संबन्ध में चर्चा के लिये)।

56. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय कृषि फार्मों के विकास पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 20

57. मांग संख्या 20 मुख्य शीर्षक 32–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशु नस्ल सुधार हेतु उन्नत नस्ल के सांडों की रक्षा पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 19

58. **श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी)**: मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री मोहनलाल छंगानी)

कम कर दिया जाय (कृषि अन्वेषण को विभाग के अन्तर्गत रहने की आवश्यकता नहीं है इस पर चर्चा के लिये)।

59. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विस्तार की हमारी Strategy नाकाम रही इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 20

60. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थानी भाग में पशुपालन उद्योग की संभावनाओं पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 19

61. **श्री भगराज चौधरी** (रानीवाड़ा): मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य को कृषि उन्नत कराने में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 20

62. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुपालन पर आधारित कार्यों पर चर्चा करने हेतु)।

मांग संख्या 19

63. **श्री रामनारायण चौधरी** (मंडावा): मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुंझुनू जिले में कृषकों के लिए रसायन खाद की सुचारु व्यवस्था कराने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 20

64. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिसाऊ कस्बे में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

65. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम ढीलासर गांवों और भारू, मौजास आदि गांवों में फैली पशुओं की बीमारी के नियंत्रण में सरकारी अधिकारियों द्वारा तत्परता से कार्य नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 19

66. **श्री दीपंकर** (लाडनूं) : मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि संबंधी योजनाओं का समयानुकूल विकास नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

67. **श्री मोहरसिंह** (चूरू): मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीज वितरण की कमी पर चर्चा के लिये)।

(श्री नोहरसिंह)

68 मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला चूरू में सोईल कन्जर्वेटर का कार्यालय न खोलने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 20

69. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू में की विलेज स्कीम लागू नहीं की गई है इस पर चर्चा के लिये)।

70. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू में पशुपालन के संबंध में मास्टर प्लान लागू न करने पर चर्चा के लिये)।

71. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले में पशुधन क्षेत्र अनुसंधान केन्द्र के अभाव पर चर्चा के लिये)।

72. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले में ऊन वर्गीकरण केन्द्र स्थापित नहीं किया गया इस पर चर्चा के लिये)।

73. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले में कुक्कुट शालाओं के अभाव पर चर्चा के लिये)।

74. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले में चल ऊन कटाई केन्द्र स्थापित नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 39

75. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 95-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार चूरू जिले में भूतल जल प्राप्ति के लिये वांछित सर्वेक्षण कराने में पूर्णतया असफल रही है इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 19

76. श्री चेतराम (टोडाभीम): मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार वर्तमान कर प्रणाली के अनुसार किसानों को सुविधाऐं नहीं दे रही है इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 20

77. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा पशुधन की उपेक्षा की गई जब कि राजस्थान कृषि प्रधान है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 39

78. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 95-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से

(श्री चेताराम)

100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा कृषि हेतु नलकूपों का आवश्यकता के अनुसार सर्वेक्षण नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 19

79. **श्री महेन्द्र कुमार** (पाड़वा): मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर में कृषि विभाग की ओर से बीज, खाद आदि की वितरण व्यवस्था की असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 20

80. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर में पशु चिकित्सालय में दवाइयों की कमी व पशुओं की नस्ल सुधारने की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 19

81. **श्री जयकिशनलाल** (फागी): मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि के उन्नत तरीके व साधन जुटाये जाने की असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 20

82. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुपालन हेतु उचित सुविधा विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 19

83. **श्री गुरदयालसिंह संधु** (करणपुर): मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खाद की कीमत की गलत वसूली और गलत इन्द्राज पर चर्चा के लिये)।

84. मांग संख्या 19 मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला गंगानगर में कृषि विभाग द्वारा किसानों को सस्ते बीज नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

85. मांग संख्या 19 मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला गंगानगर में किसानों को सस्ते भाव पर कृषि यंत्र विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 20

86. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति पदमपुर क्षेत्र में कुक्कुट शाला न खोलने पर चर्चा के लिये)।

87. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगनहर क्षेत्र में गाय की नस्ल सुधार के लिए कोई कार्य नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

Page No. 75

मांग संख्या 19

88. **श्री अमृत लाल गहलोत** (सरदारपुरा) : मांग संख्या 19 मुख्य शीर्षक 31—कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान कृषि उपज विपणन अधिनियम, 1961 को पूर्णतया लागू करने एवं नई कृषि ऊपज मंडियों के निर्माण के सम्बन्ध में राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

89. **श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत** (चित्तौड़गढ़) : मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31—कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ जिले में कृषि विकास की मंद गति पर चर्चा के लिये)।

90. **श्री शंकरलाल जाट** (कपासन) : मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31—कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन में विभागीय लापरवाही तथा पंचायत समितियों से सहयोग के अभाव पर चर्चा के लिये)।

91. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31—कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में कृषि उपज में बढ़ोतरी कराने की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 20

92. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33—पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुओं की नस्ल सुधार के अन्तर्गत किये गये कार्यों की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

93. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33—पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गायों की नस्ल सुधारने के लिये अभी तक सांडों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 39

94. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 95—कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान भूमि जल मण्डल द्वारा संचालित कार्य का सही उपयोग नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 19

95. **श्री अजीतसिंह** (टोंक) : मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31—कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा कृषकों को बैंक से कर्जा दिलाने एवं शंकर बीज बांटने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 20

96. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33—पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में भेड़, ऊन अनुसंधान केन्द्र खोलने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 19

97. **श्री गोपाल सिंह** (खन्डेला) : मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31—कृषि के

Page No. 76

(श्री गोपालसिंह)
अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उपजों और मुख्य रूप से गेहूं की सरकार द्वारा खरीद न किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)

मांग संख्या 20

9८. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कांवट तहसील श्रीमाधोपुर में दूध से पाउडर बनाने की योजना पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 19

99. **श्रीमती उषा** (वैर) : मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बयाना व वैर तहसीलों में भू-संरक्षण कार्य प्रारम्भ नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 20

100. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वैर क्षेत्र में पशु चिकित्सा सुविधाओं के अभाव पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 39

101. मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 95–कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वैर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वैर व बयाना तहसील में ट्यूब वेलों का निर्माण कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 20

102. **श्री राजेन्द्र सिंह** (उनियारा) : मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशु चिकित्सकों को चिकित्सकों की वेतन श्रृंखला दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

103. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 1.0 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में पशु चिकित्सा पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

104. **श्री भरतलाल**( ) : मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मलारना चौर, सवाईमाधोपुर में पशु चिकित्सालय खोलने हेतु चर्चा के लिये)।

105. श्री **शंकरलाल** (पाली) : मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशु पालकों को भूमि उपलब्ध कराने के बारे में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

106. **श्री रावतराम** (छापर) : मांग संख्या 20 मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम साडवा में पशु अस्पताल खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

107. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100

(श्री रावत राम)
रुपया कम कर दिया जाय (कृत्रिम पशु प्रजनन केन्द्र चूरू जिले में स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

108. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब हरिजन किसानों को दुधारू पशु खरीदने के लिए सरकार द्वारा कर्जा दिलाने पर चर्चा के लिये)।

109. **श्री रामरघुनाथ** (डेगाना): मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर जिले की पशुपालन योजना की क्रियान्विति पर चर्चा के लिये)।

110 **श्रीमती मदन कौर** (पचपदरा): मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के अच्छी नस्ल के पशुओं के राज्य से बाहर जाने पर सरकार का कोई नियंत्रण न होने के बारे में चर्चा के लिये)।

111. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य की विभिन्न उत्तम नस्लों के संरक्षण और सुधार में कोई प्रगति न किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

112. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशु पैदावार की उचित कीमत पशुपालकों को न दिला सकने सम्बन्धी सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

113. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गत वर्ष राज्य सरकार द्वारा बाड़मेर जिले में कांकरेज नस्ल का फार्म खोलने संबंधी घोषणा का पालन कराने पर चर्चा के लिये)।

114. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्षा के मौसम में पड़ोसी राज्यों के लाखों पशु हमारे यहां चर कर चरागाहों को नष्ट करते हैं, इस समस्या के प्रति पशुपालन विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

115. मांग संख्या 20 मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मरुस्थल प्रदेश में कृषकों का पशुपालन प्रधान सहायक धंधा है इस क्षेत्र में पशुधन सुधार कार्यक्रम में निष्क्रियता और सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

116 मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुपालकों विशेषकर रेबारियों की गिरती हुई आर्थिक स्थिति से सम्बन्धित समस्या पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 39

117. **श्री मोठालाल** (लालसोट): मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 95-कृषि

(श्री मीठालाल)
उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति, लालसोट में कृषि उन्नति के लिए नलकूपों का विकास किया जावे इस पर चर्चा के लिये)।

अनुदानों की मांगों पर विचार एवं पारण

श्री अध्यक्ष : कटमोशन पर विचार।

श्री **शंकरलाल** : पाली।

श्री **शंकरलाल** (पाली): अध्यक्ष महोदय मैंने पशुपालन की मांगों के सम्बन्ध में कटौती के प्रस्ताव रखे हैं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर पशुपालन और कृषि, वैसे दोनों साथ साथ चलने वाले मुख्य धन्धे है और दोनों का चोली दामन का साथ है। पशुपालन करने वाले को कृषि और कृषि पर निर्भर रहने वाले को पशुपालन, दोनों के लिये यह एक बड़ा मुख्य मुद्दा है लेकिन राजस्थान के अन्दर पशुपालकों के जो क्षेत्र हैं उनमें पशुपालकों के धन्धे का ह्रास दिनोंदिन होता जा रहा है। इसकी तरफ मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, जो हम को राजस्थान के स्टेटिस्टिक्स की किताब दी गई है उसके अन्दर अगर हम पशुओं की संख्या है वह दिनोंदिन किस प्रकार तो कहीं घटती है और कहीं बढ़ती है। इसमें राजस्थान की क्या हालत है. मैं समझता हूं कि इस संख्या को देखने से कुछ अपने को मालूम पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, लाइव स्टाक एण्ड पोल्ट्री पेज संख्या 51 पर केटल के बारे में बताया गया है कि हमारे यहां पर सन् 51 और 66 के आंकडों की तुलना की गई है। सन् 61 में हमारे यहां, 1,31,33,900 केटल थे जो घटकर 66 के आंकडों के अनुसार 1,31,23,000 रह गये। यह केटल के अन्दर जो घट गये हैं इसका कारण यह हो सकता है कि कुछ तो फेमीन के कारण हुए हैं और कुछ अन्य कारणों से हुए हैं, और उसके अन्दर भी खास करके गायों की संख्या के अन्दर कमी हुई है। अगर आंकड़ों को देखा जाय तो करीब 2165 गायें कम हुई हैं, और इन ऊंटों के अन्दर और बैलों की संख्या के अन्दर बढ़ोतरी जरूर हुई है उपाध्यक्ष महोदय, कहने का तात्पर्य यह है कि जो गायें और बैल राजस्थान के किसान के साधन हैं उनमें दिनों दिन घटती होती जा रही है। नस्लों के अन्दर जो सुधार होना चाहिए था वह नहीं हुआ है, खास करके पशुपालन के बारे में।

पशुपालकों से तात्पर्य हमारे यहां पर रेबारी एक जाती होती है या राइका जाति से लिया जाता है जो कि अपने पास में ऊंट, अपने पास में भेड़, बकरी रखते हैं और उनके पालन का धन्धा करते हैं। वैसे तो पशु-पालन का धन्धा गूजर जाति के लोग भी करते हैं, जो कि गायों और भैसों को पालते हैं और उनका दूध भी मुहैया करते हैं। इनके अलावा किसान भी अपनी खेती के लिए बैलों का उपयोग करते है और गायों का दूध भी इसके साथ में बेचते हैं।

(श्री शङ्करलाल)

उपाध्यक्ष महोदय, खास करके जो हमारी समस्या पैदा हुई है वह मुख्य समस्या इनकी चराई के बारे में है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि खास करके वह पशुपालक जिनको हम रेबारी या राइका जाति के लोग कहते हैं और जिनके पास में ऊंट, भेड़, बकरी के पालने का धन्धा है, उनके पास में इस वक्त मौजूदा हालत के अन्दर चराई के लिए कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। हमारा देश आजाद होने के पहले यहां पर जागीरी प्रथा थी, जब कि राजाओं का राज्य था, उस समय यह प्रथा प्रचलित थी और वह प्रथा यह थी कि किसान का खेत कटने के बाद कोई भी पशु-पालक उस खेत में पशु चरा सकता है...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में कोई भी माननीय सदस्य बोल रहे हों तो आपस में वार्तालाप नहीं होना चाहिए।

श्री शंकरलाल (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आजादी के पूर्व हमारे देश मे यह प्रथा थी कि खेत के कटने के बाद में वहां पर चराई होती थी तो किसान मना नहीं कर सकता था, और राज्य सरकार का भी ऐसा एक आदेश था। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ और किसानों को खातेदारी हक मिले तो उसके बाद में किसान खेत काटने के बाद में भी पशुपालक को वहां चराने से मना कर देता है और उनका कहना यह है कि हमारे पास खातेदारी अधिकार हैं, जमीन हमारी हैं और हम जमीन के मालिक हैं, पशुपालक को खेत काटने के बाद में, क्यों चराने दें। यह कानूनी समस्या के साथ में वास्तविक समस्या पैदा हुई उन लोगों के लिए जो कि खेत कटने के बाद में वहां पर पशु चराया करते थे। इस समस्या को हल करने के लिए राज्य सरकार ने कोई दूसरा आल्टरनेटिव तरीका नहीं निकाला है।

दूसरी तरफ गांवों के अन्दर जहां पर गोचर की जमीन है या गांव के पशु चरते हैं वहां पर केवल उन्हीं गांवों की गायें या पशु चरते हैं और उनको ही चरने की इजाजत दी जाती है। वहां पर भी रेबारी जाति के लोग और राइका जाति के लोग अपने ऊंट, भेड़ और बकरी को वहां पर नहीं चरा सकते हैं। तो गोचर की जमीन पर उनको चराने की इजाजत नहीं है, किसान का खेत कटने के बाद में उसमें चराने की इजाजत नहीं है तो फिर वे कहां जायं ?

उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी चरने की जगह जहां पर कुछ पहाड़ी इलाका है, वहां पर कुछ जमीन सरकार की पड़ी रहती थी वहां पर यह लोग जाकर अपने पशु चराते थे, लेकिन वन विभाग की मांग की चर्चा के समय राज्य ने अपनी नीति बताई थी कि वनों का विकास किया जाय और अपनी इस तरह की जो जमीनें पड़ी हुई थीं वहां पर राज्य सरकार के वन विभाग ने वन लगाये। सरकार के वन विभाग ने वनों के नाम पर उन जमीनों की तारबन्दी शुरू कर दी। वहां पर बाढ़ लगाना शुरू कर दिया तो वहां पर पशुओं के जाने की जगह नहीं रही। तो फिर वे पशु कहां जायं ? गांव

(श्री शंकरलाल)

में भी नहीं जाने देते हैं, खेत कटने के बाद भी उसमे नहीं जा सकते और जो जमीन पहले पड़ी हुई थी वहां पर भी चर नहीं सकते। तो वे कहां जायं ? जमीन पर जगह नहीं है तो आसमान में कहां जायं। वास्तव में उनकी यह समस्या बड़ी दर्दनाक समस्या है, और उस पर विचार करने की जरूरत है।

मैं इस संबंध में कहना चाहूंगा कि हमारे राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया ने एक समिति का निर्माण किया था और आज जो विधान सभा के अध्यक्ष हैं वे उस समय राजस्व मंत्रीजी थे और उनकी अध्यक्षता के अन्दर एक कमेटी का निर्माण किया गया था, और उसके अन्दर एक गैर सरकारी सदस्य के रूप में मैं भी उस कमेटी का सदस्य था। उस समय के उपाध्यक्ष पूनमचन्दजी विश्नोई भी उस कमेटी के सदस्य थे, पशुपालन के मंत्री थे वह भी उसके सदस्य थे, कृषि के जो मंत्री थे वह भी उस समिति के सदस्य थे। उपाध्यक्ष महोदय, उस समिति ने जो सुझाव दिये हैं उसका आज दिन तक सरकार ने कोई पालन नहीं किया। मेरे समझ में नहीं आता है कि जब एक कमेटी का निर्माण किया गया है तो उस कमेटी की सिफारिशों को लागू क्यों नहीं किया जाता है ? कमेटी की सिफारिशों को लागू नहीं करना था तो उस कमेटी की रिपोर्ट को सदन के सामने रखते कि उसमें क्या दिक्कतें आती हैं, लेकिन आज राजस्थान के अन्दर और खास करके पश्चिमी राजस्थान के अन्दर पशुपालन का धन्धा करने वाले लोगों की जो गम्भीर समस्या है उनका हल किसी भी प्रकार से निकालना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जो मेरे सुझाव थे और उन सुझावों पर कुछ विचार करूंगा और अपनी तरफ से भी कुछ विचार रखूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां हम भूमि को खेती के लिए आवंटित करते हैं, लेकिन आज जमीन को पशु-पालन के लिए आवंटन करने का हमारे पास में कोई प्रावधान नहीं है। हमने यह सुझाव दिया था और वास्तव में वह सुझाव उपयुक्त भी है कि यदि पशु-पालन का धन्धा करने वाले लोगों के पशुओं को कहीं पर चरने नहीं देते हैं तो आप उनके लिए चराई के लिए जमीन का आवंटन करें, जमीन उसको एलाट करें और उसके लिए कानूनी प्रावधान रखें एलाटमेंट के अन्दर कि जो भी पशुपालन करने वाला आदमी है अगर वह पशुपालन के लिए भूमि का आवंटन करना चाहता है तो उसको जमीन का एलाटमेंट किया जाय। अगर आप उसको जमीन एलाट नहीं करते हैं या आप दूसरी चीज मुहैया नहीं करते हैं तो उसका नतीजा अगर निकलता है तो उसका नतीजा केवल यह निकलता है कि आये दिन झगड़े होते हैं। किसानों में पशुपालन करने वाले राइका जाति के लोगों में आये दिन झगड़े होते हैं और आपस में सिर फूटते हैं चराने के लिए। जब कि उनके पशु किसानों के खेत के आसपास चरते हैं और वह चरने नहीं देते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है।

दूसरी ओर मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वन विकास के लिए वन विभाग

(श्री शंकरलाल)

कई जगह उनको केवल यह कहकर कि हम इसका विकास कर रहे हैं और आपके लिए घास का उत्पादन कर रहे हैं (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) चराने के लिए मना कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको बताऊंगा कि पाली जिले में नोमोर महादेवजी का एक बड़ा स्थान है और वहाँ पर पहाड़ी स्थान आया हुआ है वहां पर पशु-पालक अपने पशु लेकर जाते थे, लेकिन आज वहां पर तारबन्दी हो गई है और अगर कोई पैसा दे देता है तो उसको जाने की इजाजत दे देते हैं और कोई पैसे नहीं देता है तो उसको जाने की इजाजत नहीं देते हैं और कहते हैं कि वनों का विकास कर रहे हैं। मेरा यह सुझाव है कि राज्य सरकार को एक पशुपालन बोर्ड की स्थापना करना चाहिए। जिस प्रकार गुजरात सरकार ने पशु-पालन की समस्याओं के निवारण के लिए पशु-पालन बोर्ड गठित किया है उसी प्रकार राज्य सरकार को चाहिये कि पशु-पालन की समस्या को हल करने के लिए पशु-पालन बोर्ड गठित किया जाय और उनके विचार मालूम किये जायें उनके पास कितने पशु हैं उनकी वहां पर चराई की व्यवस्था कर सकते हैं, और उन लोगों को शिक्षा के अन्दर कैसे प्राथमिकता दे सकते हैं आपके दूसरे विभागों में, भेड़-पालन में, ऊन में केटल-ब्रीडिंग में जिनको जन्म से ही इस विषय का ज्ञान हो उसके अन्दर तरक्की देना चाहिए। उनको उसके अन्दर प्रवेश कराना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि पशु-पालकों की समस्याओं के लिए बोर्ड का गठन होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो हमारे पशु पालन के जरिये जो हमको यह दूध मुहैय्या होता है गूजरों के द्वारा तो इन गूजरों की भी एक समस्या है। यह ऐसे पशु-पालक हैं कि इनका जो दूध है उसके लिए अपने बजट पर विचार करके समय आपरेशन, फ्लड प्रोग्राम पर विचार किया है। जोधपुर के अन्दर एक सरकारी डेयरी लगा रहे हैं, वहां पर दूध आस-पास से इकट्ठा किया जायगा। मैं उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं, पाली जिला एक ऐसा उपयुक्त स्थान है जहां पर आपको जो तीन करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि केन्द्रीय सरकार ने दी है इस दुग्ध योजना के लिए, क्योंकि पाली जिले के अन्दर गाय और भैंस, दोनों प्रकार के पशु हैं और उनका दूध होता है, अक्सर जो पाली जिला का रोहट इलाका है, उस रोहट इलाके से जोधपुर को जाता है मिठाई बनाने के लिये और काफी दूध बाहर जाता है, वहां पर कोपरेटिव सेक्टर में डेअरी फार्मिंग, डेअरी को सरकार का प्रोत्साहन दे तो मैं समझता हूं जिस प्रकार से गुजरात में आनन्द डेअरी है और जिसने इतनी प्रोग्रेस कर रखी है देश के अन्दर उसी प्रकार से मोडल डेअरी पाली जिले के, पाली निर्वाचन क्षेत्र के रोहट इलाके के आस-पास हो सकती है। मैं इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं राज्य सरकार पालकों की समस्या के ऊपर खास तौर पर ध्यान दे।

दूसरे जो पशुपालक गांवों में रहते है, इनके यहां खाद होती है, यह मीणियों की खाद कहलाती है। उस खाद को पंचायत वाले बेचने नहीं देते हैं, वह मजबूर करते

(श्री शंकरलाल)

हैं वह खाद नहीं बेचने के लिये। बात दूसरी हैं, गांव के किसान और पशु पालकों को मिल कर चलना चाहिए, यदि वह सुविधा चराई की दें तो खाद का भी उपयोग करें, लेकिन चराई की सुविधा नहीं देते हैं और खाद भी बेचने नहीं हैं। तो इस प्रकार खाद बेचने की समस्या हैं, वह भी गम्भीर समस्या है। दूसरे इनके बाड़े होते हैं गांवों के अन्दर (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) इनके रहने के लिए, तो जिस प्रकार से किसानों के बाड़ों का नियमन होता है उसी प्रकार से पशुपालकों के बाड़ों का भी नियमन होकर इनको अधिकार और पट्टे देने चाहिए ताकि इनके लिए रहने की जगह हो। उपाध्यक्ष महोदय, पशुपालकों की समस्या है, यह इस प्रकार की समस्या है. इसके ऊपर तत्काल ध्यान नहीं दिया गया, तो मुझे इस बात का डर है, आपके यहां से इन पशुपालकों को राजस्थान छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा, दूसरे प्रान्तों में और इससे पशुओं की दिनों दिन संख्या घटती जायगी। यह जो मुख्य धन्धा है, यह नष्ट हो जायगा। मैं गम्भीरतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, इस समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय और इसका कुछ हल निकाला जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनलाल छंगानी।

(अनुपस्थित)

श्री लूणाराम !

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि के सम्बन्ध में प्रस्तावित मांगों के बारे में मैं यहां पर एक फसली इलाके धोरा धरती, वर्षा के अभाव के कारण आये वर्ष पड़ने वाले अकाल, जर्जर किसानों की हालत और उसके लिए कृषि विभाग द्वारा दी गई सुविधाओं के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। सर्वप्रथम बराबर वर्षा के अभाव के कारण जब कभी फसल हो और उसमें किसी प्रकार की बीमारी लग जाय तो उसके सम्बन्ध में जितना उपचार होना चाहिए उस रूप में आज तक हमारा कृषि विभाग नहीं कर पाया है। उदाहरण के तौर पर गत वर्ष हमारे क्षेत्र में और हमारे क्षेत्र में ही नहीं बल्कि राजस्थान के काफी भाग के अन्दर मोठ के अन्दर ऐसी बीमारी हुई जिससे सारा मोठ पीला पड़ गया और उसमें दाना नहीं पड़ा। मोठ की दुर्दशा देखी गई, इसके सम्बन्ध में पंचायत समिति की ओर से कृषि विभाग को लिखा और दुर्गापुरा रसायनशाला से उसकी जांच भी करवाई गई पर नतीजा कुछ नहीं निकला। आखिर में यह रिपोर्ट की गई, यह बीमारी जो हुई है आयन्दा के लिऐ इस भूमि के अन्दर इस फसल को न बोया जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि जहां किसान के पास पहले ही कम धरती हैं, वह उस धरती पर बार बार काश्त करता है उसको इन्स्ट्रक्शन दिया जाय कि आयन्दा यह फसल इस धरती में न की जाय तो किस जगह वह करेगा ? कारण यह है, मोठ और बाजरे की फसल एक साथ की जाती है, इसलिए अलग नहीं होती है। इसके सम्बन्ध में हमने यह भी प्रस्ताव पास किया था कि वह अचानक

(श्री नूणाराम)

बीमारी हुई, यह छूत को बीमारी है, महामारी है इसके अन्दर जो सरकार का कर्तव्य होना चाहिए जो सहूलियत सरकार किसान को दे सकती है, वह सहूलियत किसान के पास तक पहुंचनी चाहिए। पर इसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई। मुझे आशंका है, यह बीमारी आने वाली फसल में और घर कर गई तो इससे किसान चौपट हो जायेंगे। इसलिए मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि अपने सरकारी जवाब के अन्दर कम से कम इस बीमारी के बारे में हमें तसल्ली दिलायें कि आयन्दा के लिए यदि ऐसी बीमारी होगी तो उसके लिए रोकथाम के लिए सरकार तुरन्त कार्यवाही करेगी। दूसरी बात यह है. फसलों के लिए दवाई और अन्य चाजें थोड़ा थोड़ा मात्रा में दी जाती हैं, वह किस प्रकार से सस्ती रेट पर मिलें जिससे किसान उनका लाभ उठा सकें। जिस प्रकार फसलों को उन्नति के लिए सरकार फसलों में प्रगति चाहती है तो कम से कम ऐसी फसलों के लिए दवाई सस्ती रेट पर किसान को मिलनी चाहिए। इसी प्रकार से कृषि औजार जो सुधरे हुए औजार की बात करते हैं, कृषि के सुधरे औजार किसानों को देना चाहते हैं लेकिन उनकी उपयोगिता किस प्रकार हो उसका उपयोग करने का तरीका उनको नहीं बताया जाता। इसके साथ ही एग्रो इन्डस्ट्रीज कोर्पोरेशन यहां बना रखा है जिससे किसानों को ट्रैक्टर मुहैय्या होते हैं, ट्रैक्टर के पार्ट उनको दिये जाते हैं। लेकिन देखा जाय तो यह निकम्मा विभाग है, सिवाय दस बीस इन्जीनियर को नौकरी दिलाने के इसका और कोई काम नहीं है। मैं प्रत्यक्ष तौर पर इसलिए निवेदन कर रहा हूं क्योंकि किसान को आवश्यकता पड़ जाय, उसका ट्रैक्टर खराब हो जाय या पार्ट्स की जरूरत पड़ जाय तो एग्रो इन्डस्ट्रीज कोर्पोरेशन, जो झोटवाड़ा के अन्दर है वहां घूमते घूमते, चक्कर लगाते लगाते थक जाय लेकिन उसको पार्ट्स नहीं प्राप्त होते हैं। उसको कहा जाता है, इस बाबू के पास जाओ, उस बाबू के पास जाओ। यह हालत है एक किसान ट्रैक्टर को लेकर जैसलमेर में काश्त करे, जैसलमेर में उसको पार्ट्स की आवश्यकता हो जाय तो वह जैसलमेर से जयपुर में आये, या फिर नागौर और हनुमानगढ में आपने इनकी शाखा लगा रखी है, वहां जाय, लेकिन वहां भी पार्ट्स हासिल नहीं होते हैं। मैंने ट्रैक्टर के दो पार्ट्स के लिए आदमी हनुमानगढ़ भेजा, फिर जयपुर भेजा। दोनों जगह से जवाब मिला, नहीं हैं। आफिस से काफी बार निवेदन करवाया गया, इंजीनियर से कहा गया तो कि पार्ट्स कहां है। तो है तो फिर देते क्यों नहीं हो। इस प्रकार चार रोज के बाद मैं दो पार्ट्स दिये गये। मेरे साथ यह बात होती है तो फिर साधारण किसान इसका क्या लाभ उठा सकता है। यह अजीब बात है, सोचनीय बात है (समय-समाप्ति-सूचक-घंटी) उपाध्यक्ष यह थोड़ा सा मैं निवेदन कर रहा हूं। मुझे खुद को भी समय का खयाल है। इसके साथ साथ ट्रैक्टर की किसान को सुविधा दी जा रही है वह सुविधा आज किसानों को इस रूप में दी जा रही है कि किसान की और सुविधाओं को भी कम किया गया है

(श्री लूणाराम)

उदाहरण के तौर पर बताऊं कि ट्रैक्टर के लिए ऋण की व्यवस्था थी, वह ऋण की व्यवस्था बैंक के द्वारा दी जा रही थी, वह भूमि विकास बैंक के नाम पर पन्द्रह वर्ष की अवधि के लिए दी जा रही थी, वह पन्द्रह वर्ष की अवधि घटा कर अब सात वर्ष कर दी गई है। सात वर्ष की अवधि के अन्दर कर दी, इसके साथ ही ट्रैक्टर बीस, बाइस हजार की कीमत का था, वह 32 हजार लगाई गई है तो इस बढ़ी हुई कीमत में घटी हुई अवधि के लिए आधुनिक ढंग के ट्रैक्टर को खरीदे तो किसान कैसे तरक्की कर सकता है। इसी प्रकार ब्याज को देखें तो वह बढ़ा कर साढ़े नौ पर्सेन्ट कर दी गई है। यह एक सुविधाओं का लेखा जोखा है। इसी प्रकार आज किसान इस युग के अन्दर गाड़े के द्वारा सारी कृषि उपज, मंडियों तक पहुँचाना चाहता है। इसलिए उसको ऊंट का गाड़ा खरीदना आवश्यक है और सरकार द्वारा गाड़ा खरीदने के लिए किसी प्रकार की कोई रकम नहीं दी जाती है। तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि किसान को अपनी फसल सही ढंग से मंडियों में लेजा कर बेचे। इसलिए गाड़ा खरीदने के लिए किसी भी संस्था से उसको रकम मिलने की व्यवस्था होनी चाहिए।

दूसरी बात जहां किसान के लिए कूप निर्माण का मामला है, जब अकाल की स्थिति का सही हल ढूंढने जा रहे हैं उस योजना के अन्दर सरकार ने नलकूप खुदवाए हैं और उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। मिसाल के तौर पर हमारे यहां एक नलकूप खोदा गया है, उसमें बहुत पानी है, चालू हालत में है पर उसके लिये किसी प्रकार की सूचनायें या हिदायतें न होने से काम में नहीं आ रहा है। इसलिए जहां अकाल की स्थिति के हल के लिए व्यवस्था करने जा रहे हैं, उसमें नलकूपों का भी स्थान है। जहां अच्छा मीठा पानी उपलब्ध होता हो चाहे कृषि विभाग से यह काम किया जाय या अकाल सहायता विभाग से, किसानों के लिए नलकूपों की व्यवस्था करनी चाहिए।

मेरे क्षेत्र में मीठे पानी के कम से कम 15–20 गांव हैं जहां 100 फीट अन्दर पानी मीठा है। तो मैं कृषि मंत्री से निवेदन करूंगा कि जहां पर भी किसानों के लिए नलकूपों की स्कीम्स बनाई जायं तो वह मेरे क्षेत्र में भी लागू करें। इसी तरह कई ऐसे गांव हैं जहां पानी काफी मात्रा में है। एक कूएं से सारे ग्राम का काम चल जाता है और 50 हजार की लागत से बने हुए दूसरे कुएं बेकार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हमारे शेकल गांव में एक कुएं से सारे ग्राम का काम चल जाता है और तीन कुएं जिनमें बहुत मीठा पानी है और बेकार रहते हैं। ऐसे कुओं को अगर कृषि विभाग अपने हाथ में लेकर किसानों की पिलाई का कार्य करवाया जाए तो इससे काफी बचत होगी और अकाल की समस्या का भी समाधान होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

हमारे क्षेत्र में कृषि और पशुपालन दोनों को शामिल करते हुए, दोनों को सहारे काम चलता है। हमारे क्षेत्र में

(श्री लूणाराम)

पंचायती राज में कृषि और पशुपालन दोनों में से हमारे जिले की पंचायत समितियां हमको पशुपालन श्रेणी में दे रखा है जबकि हमारा मुख्य धंधा कृषि है और उसके बाद पशुपालन आता है। इसलिए जहां पर कृषि क्षेत्र नहीं माना जाता है, वहां पंचायत समिति में ए.ई.ओ. की पोस्ट नहीं रखी गई। सरदारशहर में कोई ए.ई.ओ. की पोस्ट न होने से छोटे मोटे फसलों में बीमारी होती है और दिक्कतें होती हैं, इसलिए मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सरदार शहर में कृषि प्रसार अधिकारी की तत्काल पोस्ट क्रियेट की जाए। अब पशुपालन के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों के अन्दर सांड···

श्री उपाध्यक्ष : और सदस्यों के लिए आप समय नहीं छोड़ना चाहते ?

श्री लूणाराम : अगर आपको ऐतराज है तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे एतराज नहीं। आपके सचेतक महोदय ने सूची दी है, फिर उसमें लिखे हुए सारे सदस्य कवर नहीं हो सकेंगे।

श्री लूणाराम : अगर आप नाराज होते हैं तो मैं बैठ जाता हूं। पशुपालन के बारे में निवेदन करता हूं क्योंकि हमारे यहां विशेषतः कृषि व पशुपालन की समस्या है। पशुपालन क्षेत्र में मैं ज्यादा ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो अच्छी नसल के सांड वितरित किए जाते हैं, उस व्यवस्था में सरकार ने कुछ तबदीली की है और वह यह कि पहले पंचायत समिति और विभाग के माध्यम से गांव वालों को सांड खरीदने के लिए 50 प्रतिशत रकम दी जाती थी और उससे विभाग के आदमी साथ होकर अच्छी नसल के सांड गांव में जिस प्रकार के चाहते थे, खरीद कर देते थे। आज वैसा न होकर फार्मों से सांड देने की व्यवस्था की गई है। फार्मों पर जो सांड पाले जाते हैं उन सांडों को गांव वाले कतई पसंद नहीं करते क्योंकि जिस ढंग से किसान चाहता है, वह अपने आप पाला जाता है और अपने ढंग से पशु का विकास करना चाहता है वह नहीं होता है। एक तरफ तो सरकार को फार्मों में सांड के पालन पर खर्च होता है और दूसरी तरफ गांव वालों को प्राइवेट तौर पर पूरी पूरी रकम देकर सांड खरीद कर लेना पड़ता है। इसके साथ साथ पंचायत समितियों के मारफत पहले व्यवस्था थी कि जहां पर अच्छे बछड़े व बछड़ी हों उसको 10) सबसिडी के तौर पर विभाग का आदमी सलेक्ट कर अच्छी नसल को सुधारने के लिए प्रोत्साहन था। वह भी बन्द कर दिया और इसके साथ साथ अच्छे नसल के सांडों के बारे में यह दिक्कत पैदा हो गई। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो सांड गांव वाले पसंद करते हों, आप अपने विभाग के डाक्टरों द्वारा स्लेक्ट करवाकर, खरीद करवाने के लिए जैसे पहले व्यवस्था थी उसी प्रकार से करें तथा अच्छे बछड़े और अच्छी बछड़ी के लिए इनाम की व्यवस्था करें।

एक तरफ तो हम अच्छे नसल के पशुओं के पालने की चेष्टा करते हैं, दूसरी तरफ अकाल में हजारों की संख्या में अच्छे

(श्री लूणाराम)
नसल की गायें और भैंसें पानी और घास के अभाव के कारण मौत के शिकार हो जाते हैं। पानी समस्या तो इतनी गहरी है कि फागुन के महीने में खारा पानी मिलने से पशुओं की मौत निश्चित होती है। इसलिए घास के साथ साथ सरकार दूसरे सोर्सेज से जो पानी का इंतजाम कर रहे हैं, उसके साथ साथ पानी का इंतजाम, जहां पर खारा पानी है, जहां पर कहावत मशहूर है खारे पानी के लिए। हमारे डूंगरगढ़ निर्वाचन क्षेत्र की सरदारशहर तहसील, राजगढ़ तहसील और नोहर तहसील, खारे पानी की योजनाओं में से एक हैं। हमारे यहां दो गांव हैं माहेलो और चान्देड़ी, वहां आज भी कहावत मशहूर है :

माहेलो कहे सुनए चान्देड़ी,
भुवा, अठीन दो बटाऊड़ा,
सा बुवा, सुन रे मोहला
कोठे पीया और खेल्या भूवा।

आज जहां खारा पानी है वहां के लिए मैं मंत्रीजी से निवेदन करूं कि पशुओं के पीने के पानी के लिए व्यवस्था करवाने का कष्ट करें।

साथ साथ पशुपालन में किसी प्रकार चरागाह में योजना रखी थी पर आज आबादी के नजदीक होने से ऐसे चरागाहों पर लोगों ने अतिक्रमण कर दिया और सारे चरागाह रेग्यूलराइज किए जा रहे हैं, आबादी में कन्वर्ट किए जा रहे हैं जिससे चरागाह खतम हो रहे हैं और चरागाहों का नामोनिशान नहीं रहा है, न किसी प्रकार का सुधार किया जाता है, ऐसे चरागाहों के लिए पंचायतों और पंचायत समितियों को उत्तरदायी ठहराया जा रहा है लेकिन कोई सबसिडी नहीं दी जाती जिससे चरागाहों में सुधार करें इसलिए ऐसे चरागाहों का सुधार कर दिया जाए और साथ साथ एक व्यवस्था और करनी है जो भी चरागाह जिस किसी रूप में हैं वहां गाय, भैंस के लिए छोड़ा जाता है, भेड़ बकरी के लिए वही छोड़ा जाता है। लेकिन भेड़ बकरी वाले आते रहते हैं इसलिए गाय भैंस को चारा मुहैय्या नहीं होता है। भेड़ बकरियों के लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। वर्तमान हालत में न तो भेड़ बकरी को लाभ होता है न गाय भैंस को चारा मिलने की सुविधा होती है। तो वन विभाग से शीघ्र से शीघ्र इस प्रकार की व्यवस्था कराई जाए।

इसी प्रकार जो चिलिंग प्लांट लगाने की व्यवस्था सरकार कर रही है वह हमारे क्षेत्र में लगना चाहिए। हमारे यहां अच्छी अच्छी गाय व भैंस हैं, काफी मात्रा में दूध की संभावना रहती है। तो वह प्लांट चूरू जिले में डूंगरगढ़ में लगाने की व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भानुकुमार शास्त्री।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में कृषि और पशुपालन विभाग की मांगों पर बहस चल रही है उसमें भी कुछ तथ्य इस सदन के और आपके माध्यम से मन्त्री महोदय के सामने रखना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर में बहुत सी खानें हैं और वहां पर मछलियां भी बहुत पायी जाती हैं उससे

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

राजस्थान सरकार को करीब हर साल डेढ़ लाख रुपये की आमदनी होती है। उपाध्यक्ष महोदय, पता नहीं क्या बात है आज तक इस उद्योग की आज तक राज्य सरकार द्वारा उपेक्षा ही की गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर से करीब 30 मील दूर पर एक जयसमन्द नाम की कृत्रिम झील है जो कि करीब 94 स्क्वायर मील में फैली हुई है। सुना है कि इस झील की मछलियां बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट होती हैं और यहां से मछलियां बाहर भी जाती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह इतना बड़ा उद्योग एक बहुत ही सस्ते में मिस्टर कपूर का ठेके में दिया गया है, और ये आज करीब दस बारह साल से वो ही उसे चला रहे हैं। यह इतना सस्ते में ठेका दिया गया है कि इस बारे में इस सदन में कई बार चर्चा हुई कि यह ठेका उनसे ले लिया जाय। बाद में राज्य सरकार द्वारा उनका ठेका कैंसिल कर दिया गया। वो फिर अदालत में गये और अदालत में उनको कोई लाभ नहीं हुआ। पर पता नहीं क्या कारण ऐसे थे कि वह बाद में उन्हें ही वापिस ठेका दे दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, यह डेढ़ लाख में जो ठेका इतनी बड़ी दवशाल झील का दिया गया है उसको अगर राज्य सरकार अपने हाथ में ले ले तो मैं अनुमान करता हूं कि राज्य सरकार को इस मछली उद्योग से करीब 50-60 लाख रुपये तक की आमदनी हो सकती है और जो आज राज्य सरकार खाने पीने की चीजों पर जो टैक्स लगा रही है वह इस उद्योग से राज्य सरकार को प्राप्त हो सकता है। दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह है उदयपुर के अन्दर एक कृषि विश्वविद्यालय है। उस कृषि विश्वविद्यालय द्वारा दो प्रोजेक्ट खोले गये हैं। एक तो वल्लभनगर फार्म और दूसरा है एक दुग्धशाला। उपाध्यक्ष महोदय, यह वल्लभ नगर फार्म सन् 1966 में स्थापित किया गया था और यह फार्म उदयपुर से करीब 26 मील दूर है। इसमें एक हजार एकड़ भूमि लेकर खेती की जाती है और दूसरे यह फार्म यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिये रिसर्च का काम भी देती है। इस प्रकार इस पर लाखों रुपये खर्च किया गया पर यह फार्म हमेशा से नुकसान में ही चल रहा है। इसके अन्दर नुकसान होने के कारणों के लिये स्वयं बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स की मीटिंग में डिस्कस हुआ और बाद में वाईस चान्सलर ने इसके लिये एक कमेटी बैठाई जो कि इसकी इन्क्वायरी करे। उस इन्क्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी पर उसके बाद में राज्य सरकार ने दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। और वह रिपोर्ट यों की यों पड़ी हुई है। इस वल्लभ नगर फार्म के बारे में मैं यह भी निवेदन करूंगा कि यह कामर्शियल परपज के भी काम करता है। इस फार्म में करीब 200 एकड़ भूमि में खेती होती और उसमें 6-7 कुए भी बने हुए हैं। स्थिति ऐसी है कि उसकी आमदनी तो सिर्फ 30 हजार रुपये है पर खर्चा उस पर करीब एक लाख रुपये के हो जाता है। आज जब हम उस फार्म पर फर्टीलाईजर के लिये व सीड्स के लिये तथा दूसरे केमीकल्स के लिये भी खर्चा करते हैं। पर मैं समझता हूं कि यह जो फार्म घाटे में चलता बताया जाता है उसके लिये जो इन्क्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट दी उसमें पता

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

लगा कि वहां पर फार्म पर काम करने वाले श्रमिकों की संख्या करीब 300 बताई गई है। वहां पर झूठे मस्टर रोल बनाये गये है और उसमें 300 मजदूरों के नाम लिख दिये गये हैं। वहां सब फिक्टीसियस एकाउन्ट्स मेनटेन कर रखे हैं। एक्चुअली में वहां पर तीन सौ आदमी काम करते नहीं है। एक ही व्यक्ति का नाम दो दो बार या तीन तीन बार लिख कर पेमेन्ट उठाया गया है। इसके अलावा कई नाम तो यों ही लिख दिये गये। इसी प्रकार कई महिलाओं के नाम भी लिख दिये गये हैं। मैं आपकी जानकारी के लिये बताऊं कि वहां पर झूठे मस्टर रोल बनाये गये हैं और झूठी अटेन्डेन्स बना कर लोगों के नाम से पेमेन्ट उठाया गया है। ये सब फिक्टीशियस रिकार्ड रखा गया है। सबसे बड़ी भूल तो उस एकाउन्ट रखने वाले ने यह रख दी कि नवम्बर के माह में भी 31 दिन की मजदूरी की हाजरी के हिसाब से पेमेन्ट कर दिया। यह तो सभी जानते हैं कि नवम्बर का महीना 30 दिन का ही होता है। 31 दिन का नहीं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं उस एरिया में 300 श्रमिक भी मिलना मुश्किल हैं वहां तो करीब 20-30 काम कर रहे होंगे। इसके लिये मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि एक जांच कमेटी बैठाई जाय जिसमें एक एग्रानोमिस्ट हो और एक एकाउन्टेन्ट जनरल के आफिस का अफसर हो ताकि उसके खर्चे का आडिट किया जावे। दूसरी बात है जो दुग्धशाला है उसके बारे में। वह भी घाटे में ही चल रही है वहां यह हिसाब नहीं है कि कितना दूध आया, भी कितना कितना किस किस टैंक में दूध रखा जाता है। इसमें भी घाटे का कारण यह है कि सिर्फ यह लिखा दिया जाता है कि 20 मन दूध फट गया। आगे यह भी बता देता कि गर्मी के कारण दूध फटने से इतना नुकसान हुआ इसके अलावा कितना मक्खन होता है उसका भी कोई हिसाब नहीं मिल पाता है। कितना ही मक्खन वहां के प्रभावशाली लोगों के घर पहुँच जाता हैं। इस दुग्धशाला में बहुत घोटाले हैं। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज जनता के पैसे का इस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है। इसमें फायदा होना चाहिये वहां आज नुकसान हो रहा हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि इनके एकाउन्ट्स की जांच की जाये और जो उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय के फार्म में जो अनियमिततायें हो गई हैं उसके लिये जांच बैठाई जानी चाहिये। दूसरे जो मछलियों का ठेका श्री कपूर को दिया गया हैं वह कैन्सिल किया जाकर उस कार्य को राज्य सरकार द्वारा एक इन्डस्ट्री के रूप में चलाया जाना चाहिये ताकि राज्य सरकार जो आज ठेके से सिर्फ डेढ़ लाख रुपया प्राप्त होता है उसके बदले में करीब 50 लाख रुपये राज्य सरकार को प्राप्त होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुरुदयाल सिंधु।

श्री गुरुदयालसिंह सिन्धु (करणपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में कृषि एवं पशुपालन विभाग के ऊपर बहस चल रही है उस पर मैं भी कुछ निवेदन करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं गंगानगर जिले का रहने वाला हूं, वो एक सिंचाई का एरिया है और उस एरिया में करीब 16,000 एकड़ भूमि में सिंचाई होती है। उपाध्यक्ष महोदय, ये तो आप जानते ही हैं कि अच्छी खेती के लिये अच्छे बीजों की जरूरत रहती है ताकि

Page No. 89

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)

पैदावार अच्छी हो। आज उपाध्यक्ष महोदय, कृषि विभाग से जो बीज वितरण किया जाता है वह अच्छी किस्म का बीज किसानों को नहीं दिया जाता है। अच्छी तरह की खाद नहीं दी जाती है और यही कारण है कि हमारे यहां जो प्रोडक्शन होता है वह कम होता है। दूसरे पिछली बार हमें शंकर बाजरा के बीज दिये गये थे पर उन बीजों की भी क्वालिटी हल्की थी। उसमें कई प्रकार के मिक्सचर कर दिये गये जिससे कि पैदावार अच्छी नहीं हुई और हमारे इलाके में वह बीज फेल होगया। जब जांच की गई तो पता पड़ा कि उसमें 40 प्रतिशत डिफेक्ट है। हमारे यहां के कृषि विभाग की इस बारे में बड़ी लापरवाही रही और इसके कारण शंकर बाजरे को हमारे यहां काम में जो राजस्थान सरकार के कृषि विभाग द्वारा दिया जाता है वह काम में नहीं लिया जाता है और हमारे जो बीज हम पंजाब से खरीद कर लाते हैं उसमें हमें फायदा होता है। और वो ही बीज राजस्थान के बीज की अपेक्षा अच्छे बीज सिद्ध हुए हैं। तो बीज हमारे इलाके मे कृषि विभाग नहीं दे पाया। पंजाब में हर साल अच्छे अच्छे बीज वितरित किये जाते हैं। विजिटेबल्स की छोटी 2 थैलियां दी जाती हैं और हर पचायत समिति में दी जाती हैं। यहां पर इस प्रकार से बंटवारा नहीं किया जाता है। हमने देखा है कि पंजाब में किसानों को छोटे 2 यंत्र दिये जाते हैं, बैलों के पीछे चलने वाले ड्रिल, खाद डालने वाले यन्त्र। उसके लिये उनको ग्रान्ट इन एड दी जाती है। यहां यह कभी नहीं दिये जाते। हरियाणा में दिये जा रहे हैं। अच्छे अच्छे बीज और यन्त्र सप्लाई किये जा रहे हैं। हम ले लेते है, ड्रिल ले लेते हैं, यन्त्र ले लेते हैं और यह सब चीजें ग्रान्ट इन एड से दी जाती हैं। यहां कोई इस प्रकार बीज सप्लाई नहीं कर रहे हैं। पंचायत समिति को यदि लोहा भी मिलता है तो उसको बैंक में बेच दिया जाता है इम्प्लीमेन्ट्स की कोई सप्लाई नहीं होती। अच्छा बीज भी नहीं दिया जाता। एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि कपास का ऐसा दरख्त होता है जिससे अच्छा कपास पैदा हो सकता है। यदि एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट इस और प्रयास करे तो अच्छा कपास पैदा हो सकता है। उसकी डेथ हो गई इस लिये वह अधिक इस ओर प्रयास नहीं कर पाया। मकराने में ऐसा पैदा होता है, उससे प्रोडक्शन हो सकता है और सदा काम में आने वाली बात है।

ट्रैक्टर के लिये निवेदन करूं कि यहां पर जर्मन जीरो 9 लाकर दिये जिसको यहां पर कोई लेने वाला नहीं। हमारे एग्रो-इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन को दिये हैं इन्कार करने पर भी झोटवाड़ा में आज भी खड़े हैं, आप जाकर देख सकते हैं। जितने दिये सारे के सारे इस दिशा में गये कि एक दिन भी नहीं चला सके। मेरी तहसील में एक व्यक्ति ट्रैक्टर ले गये। ट्रैक्टर चला नहीं। उसको कहा गया कि हनुमानगढ़ वर्कशाप में जाओ। हनुमानगढ़ गया, ट्रैक्टर चला नहीं डेढ़ महीने में वापिस दे दिया 2 साल से खड़ा है और चला नहीं। गारन्टी के समय में वापिस दे दिया। दो साल से खड़ा है चला नहीं। आपने उस ओर ध्यान दिया नहीं। आपने गलत खरीद की।

मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि जो ~~मेडीकल्स हैं.~~

Page No. 90

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)

स्प्रे वगैरा होता है। आज किसान इतना डिसअपोइन्टेड है कि वह चाहता है कि उसके खेत में स्प्रे न हो। मेडीशन अच्छी है और बाई एयर स्प्रे होने से पैदावार बढ़ती है तो क्यों नहीं करे। कुछ लोगों को ठेका दे दिया जाता है कि दवाई डालो। उसमें वे लोग दवाई की मात्रा कम डालते हैं और पानी ज्यादा डालते हैं उससे फायदा नहीं होता है और इसी कारण से किसान की यह स्थिति हो गई है कि वह उसके खेत में स्प्रे नहीं कराना चाहता। पावर स्प्रेयर दिये गये हैं। किसान को शोक हुआ कि पावर स्प्रेयर मिलने चाहिये। अब वे मिलना बन्द हो गये। ग्रान्ट-इन-एड भी उनको कोई नहीं मिल रही है। किसान को अच्छा बीज मिलना चाहिये अच्छा उसको खाद मिलना चाहिये। खाद के भाव बढ़ गये। आयन्दा फसल में लोग इसका प्रयोग नहीं करेंगे। पिछला तजुर्बा है देखा है कुछ लोगों ने गलत बिल्स बना दिये। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को कहा कि जांच कराओ। आज तक जांच नहीं कराई गई। जब तक जांच नहीं करेंगे किसान तैयार नहीं होंगे। छोटे छोटे सेन्टर्स बना कर खाद दिया जाय।

एक और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पास पंजाब है। पंजाब और हरियाणा में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पर कोई ओक्ट्राय नहीं होती है। जब मंडी में फरोख्त करने जाते हैं तो पाबन्दी नहीं है कि मंजूर शुदा मंडी में ही बेच सकेंगे। यहां राजस्थान में इस प्रकार की पाबन्दी है। अपने खेत में नहीं बेच सकते वहां ले जाकर बेच सकते हैं जहां की मंडी है। दूर दूर तक मंडी है। पास में तो हैं नहीं। यहां साधन अच्छे नहीं हैं। पंजाब हरियाणा में जो खरीदता है वह कमीशन देता है। गेहूं पंजाब और हरियाणा की मंडी में दिये जांय तो पांच पांच छः छः रुपये का अन्तर आ जाता है। वहां पर खरीद के लिये सरकार मंडी खोल देती है दो-दो चार चार गांवों में। यहां पर ऐसा नहीं होता है। यहां पर ओक्ट्रोय का फर्क पड़ता है. मंडी में ले जाना पड़ता है और कमीशन देना पड़ता है। वहां पर यह नहीं देना पड़ता है।

खाद्य निगम द्वारा जो खरीद की जाती है उसमें भी घोटाला है। मार्केटिंग का एक क्लर्क होता है। फसल की एन्ट्री करता है। वह दूसरे आदमी से मिल कर उसकी बोली रख लेता है। 70 रुपये क्विन्टल में बेचते हैं। वह एन्ट्री कर लेता है। फूड कार्पोरेशन से तो 7। मिलेंगे लेकिन किसान को तो 60) ही मिलेंगे। फूड कार्पोरेशन उसको पेमेन्ट करता है जो कमीशन एजेन्ट होता है। कमीशन एजेन्ट 1 रुपया प्रति सैकड़ा पर करता है। वास्तविक किसान को तो कम ही पैसा मिलता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि तीन पर्ची काटी जाय। किसान को मौके पर नकदी दी जाय और रसीद भी दी जाय। बाद में अंगूठा लगा कर कह दिया जाता है कि इस व्यक्ति को बेच दिया। वास्तविक रूप से जिस किसान ने बेचा है उसका अंगूठा नहीं होता है, फर्जी अंगूठे लगाकर दिखा दिया जाता है कि इसको बेचा। किसान का अंगूठा नहीं होता है। वह जाली

[श्री गुरदयालसिंह सन्धु]

होता है। इस ओर बार बार ध्यान दिलाने की कोशिश की। गंगानगर के किसानों ने आन्दोलन किया लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। फूड कार्पोरेशन उन लोगों से न ले जो बची में मिले रहते हैं। कमीशन खाते हैं। मैं आप से निवेदन करूंगा कि 12 हजार टन क्या होता है। एक दिन की खरीद होती है गंगानगर जैसी मंडी में एक दिन की खरीद है। यह कह देना कि 12 हजार टन काटन की खरीद की गई है। मैं चाहूंगा काटन कार्पोरेशन खरीद करें। सरकार को भी चाहिये जिस तरह फूड कार्पोरेशन खरीद करता है, उसी तरह न हो जाय तो इतना कहते हुये फिर अर्ज करूंगा कि हमारे इलाके में गार्डन लगे हुये हैं लेकिन बिक्री का कोई प्रबन्ध नहीं है। सरकार ने बिक्री का कोई प्रबन्ध नहीं कर रखा है और आम किसान को बड़े सस्ते भाव में देना पड़ता है। आज हम देखते हैं उन्हीं चीजों की अहमदाबाद में बड़ी कीमत मिल जाती है तो सरकार को ध्यान देना चाहिये कि कोई ऐसा इन्स्ट्रूमेन्ट लगना चाहिये, कोई साधन होना चाहिये जो बड़े प्लान्ट हैं, नींबू, सन्तरा, माल्टा उससे कोई ऐसी चीजें बन जायं जो फायदे की हों यह भी मेरा निवेदन है। आखिर में मैं इतना कहूंगा जहां तक पशुपालन का सवाल है सरकार को पोल्ट्री की तरफ ध्यान देना चाहिये। गंगानगर के लोग चाहते हैं कुछ साइड बिजनिस होना चाहिये। जैसे यह कहा गया था उदयपुर में मछलियां हैं इसलिये वहां कोई मछली का प्रबन्ध होना चाहिये, कुछ जगह सूअर पालने का भी प्रबन्ध होना चाहिये। पशुओं की नस्ल सुधारने के लिये आस्ट्रेलिया से सान्ड मंगाने चाहिये। वहां पशु धन की बहुत उन्नति की हुई है। आज हरियाणा ने भी बहुत नस्ल तैयार की है। हरियाणा में आज कई तरह की गायें तैयार हो रही हैं। मैं आपको याद दिलाऊं हरियाणा में वह समय आने वाला है इसलिये आपको भी चाहिये ऐसा प्रबन्ध करें कि गायों की नस्ल का सुधार हो सके। अच्छे नस्ल के पशुओं को जहां जहां जरूरत हो भेजा जाय। इतना ही कहकर आखिर मैं निवेदन करूंगा कि मेन्योर, खाद और बीज की तरफ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मीठा लाल।

श्री मीठा लाल (लालसोट) : माननीय उपाध्यक्ष जी, एक समय था जब देश में सबसे ज्यादा किसी आदमी को मान्यता दी जाती थी तो वह किसान को, लेकिन आज दुर्भाग्य है दफ्तर में देख लीजिये, चाहे किसी दुकान पर देख लीजिये चाहे किसी अन्य संस्थानों में देख लीजिये अगर कोई आदमी धोती पगड़ी पहन कर आ जाय और वह यह समझ जायगा कि यह किसान है तो बाबू लोग समझते हैं बेवकूफ है, गंवार है, अकल नहीं रखता और इस साल सरकार ने भी इस परिपाटी को निभाया है।

श्री शीशराम ओला : यह बेवकूफ शब्द किसान के लिये इस्तेमाल न किया जाय, यह मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : इस चीज को देखने की मेरी जिम्मेदारी है। प्लीज कन्टीन्यू।

श्री मीठालाल : मैं नहीं मानता हूं इसको हां, तो उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने आज सबसे ज्यादा कर किसानों पर लगाया और उसी पुनरावृत्ति को अपनाकर राज्य सरकार ने भी किसानों पर टैक्स लगाया है। ये कर इसलिये लगाते हैं कि किसान की यहां तक पहुंच नहीं है, व्यापारियों पर कर लगाते हैं तो वह यहां पर आ जाते हैं और उनका कर वापिस लिया जाता है या सत्याग्रह किया जाता है या किसी कारखाने पर टैक्स लगाते हैं तो वे आ जाते हैं इसलिये यह सोचकर कि किसान यहां तक नहीं पहुंच सकता है, सबसे ज्यादा कर उसी पर लगा दिये। किसान की आज इस दरवाजे तक पहुंच नहीं है इसलिये वह आपको टैक्स दे देगा। उपाध्यक्ष महोदय, हर चीज पर टैक्स, किसान जब अपना माल लेकर शहर आयेगा तो चुंगी चौकियों पर ही उससे टैक्स ले लिया जाता है और उनसे झगड़ा कर उनकी बाल्टी, साफे आदि सामान छीन लिये जाते हैं। आज किसान की यह हालत है इस तरह से आज शहर वाले उससे पेश मे आते हैं। जब कि सब तरह से किसान सबल होता है। उपाध्यक्ष महोदय, कहा जाता है किसान को समय पर बीज दिया जाता है, खाद दिया जाता है लेकिन बीज समय पर न देकर यह बीज पंचायत समितियां या वितरण की जो अन्य संस्थाये है वे मंगवा लेती हैं और जब आपके आर्डर वगैरह होते हैं तो महीने में दो महीने मे पहुंचते हैं, जब समय निकल जाता है तब उनको खाद और बीज दिया जाता है। अच्छे बीज की मांग करते हैं और अच्छा बीज पहुंचेगा तो मिनिस्टर के फार्म का तैयार किया हुआ पहुँचेगा किसान जब गेहूं पैदा करके बेचने वाला होगा तो कीमतें घटा दी जायेंगी। किसान का तैयार किया हुआ बीज मिलेगा तो उसकी एक बोरी की कीमत होगी 72 रु., 66 रु. लेकिन अगर बीज शोभारामजी के फार्म का होगा तो उनके एक बोरी की कीमत सात हजार रुपये होगी। जब एक किसान को 66) रु. मिलता है तो उसी बीज का शोभाराम जी को सात हजार रुपया मिलता है। जब नाथूराम जी के फार्म की बात की जाती है तो कहा जाता है अंगूर लटक रहे हैं। अंगूरों के यदि फार्म देखने जायं तो जोधपुर में नाथूराम जी का फार्म देखने जाइये लेकिन आज यह सब क्या हो रहा है। नाथूराम जी के फार्म में अंगूर नहीं रहे। छोटे किसानों के नाम पर बड़े किसान खा रहे हैं। बड़ी मछली छोटी मछली को निगल रही है। किसान आज केवल बिजली मांगता है। अगर किसी मिनिस्टर का फार्म है और यदि वहां बिजली की आवश्यकता है तो बिजली रातोंरात पहुंचा देंगे और अगर किसान सामूहिक रूप से भी बिजली की मांग करता है तो नहीं पहुंचायेंगे। किसान उसी पुरानी रीति नीति से रहट, चड़स, बैल आदि से अपने खेत को सींचेगा जबकि वे सब प्रकार के कर देने को तैयार हैं फिर भी उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है. इससे अधिक दुःख की बात क्या होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय, आज सारे राजस्था में भू-जल विभाग की ओर से भू-जल का सर्वेक्षण किया जाय तो काफी किसानों को राहत मिल सकती है। आपके यहां पानी है और पानी की व्यवस्था हो सकती

(श्री मीठालाल)

है। आपका जो भू-जल विभाग है वह पूरी कार्यवाही न करके कुछ इलाके में सर्वेक्षण करके सरकार को रिपोर्ट दे देते हैं वह भी शत प्रतिशत गलत निकलती है। उपाध्यक्ष महोदय, आज किसान को सिंचाई के लिये बान्ध बनवा कर नहीं दिया जाता है, बिजली नहीं दे सकते हैं, उसकी जमीन को बराबर करने के लिये कोई साधन नहीं दे सकते हैं, उसको ट्रैक्टर नहीं दे सकते हैं, उसको खाद नहीं दे सकते हैं। उस किसान की उन्नति कैसे होगी, उपाध्यक्ष महोदय, ट्रैक्टर की आम शिकायत किसान की रहती है। किसान अगर फरग्यूसन का मं० लगाता है तो उसको 5-7 साल में भी नहीं मिलेगा। दूसरे ट्रैक्टर दे देते है वे इतनी जल्दी खराब हो जाते हैं और अन्त में उसको बेचना पड़ता है. उसके पुर्जे वगैरह जल्दी टूट जाते है, तो किसान को शहरों के चक्कर लगाने पड़ते है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो ट्रैक्टर दिये थे वे वापिस ले लिये उनके बदले में कोई ट्रैक्टर नहीं दिये न बदले में कोई कीमत लौटाई है। जो ट्रैक्टर देने का आश्वासन दिया था वह भी नहीं दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, बैंकों से कर्जे के बारे में भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। साल दो साल का समय तो यों ही निकाल दिया जाता है। जिस प्रकार छोटे उद्योगों के लिये विभाग साल दो साल का समय निकाल देता है उसी प्रकार किसान के लिये समय पर कर्ज मिलना मुश्किल है। पिछले साल बैंकों का कर्जा दिया गया लेकिन मैं कहता हूं किसी भी बैंक में जाकर देख लें जब तक वन-फोर्थ हिस्सा रिश्वत का नहीं लिया जाता है, अगर कोई किसान बैंक मैनेजर को रिश्वत नहीं देता है तो उसका कर्जा मंजूर नहीं होता है। उपाध्यक्ष महोदय, छोटे किसानों के लिए सरकार ने योजना बनाई थी कि हम उनको राहत देंगे और कर्जा दिलायेंगे। बड़े किसानों को तो कर्जा मिल जाता है लेकिन जिन किसानों के पास तीन बीघा या चार बीघा जमीन है उनको क्या होगा? आप उनको क्या कर्जा दिलायेंगे जो छोटे किसान हैं उनके सुधार के लिए राज्य सरकार आज तक कुछ व्यवस्था नहीं कर सकी। इसलिए जो कर्जे की प्रणाली है भूमि विकास बैंक की मार्फत उसका सर्वेक्षण किया जाये और उसमें निश्चित सीमा बांध दी जाये कि एक महीने में या दो महीने में किसानों को कर्जा मिल जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, जब किसान फसल तैयार करके मण्डियों में बेचने के लिए जाता है तो उसकी कीमत फसल के समय में गिर जाती है लेकिन खाद्य निगम द्वारा जो खरीद की जाती है वह कुछ व्यापारियों के मार्फत की जाती है और किसानों को चार-पांच रुपया कम कीमत मिलती है। कुछ व्यापारियों की मार्फत उसी माल को आधा कीमत देकर खरीद रहे हैं। आप मण्डियों में देख लें कि ऐसी कौनसी शाखा है जो बिना रिश्वत दिये किसानों से डाइरेक्ट माल ले लेते हैं। क्वालिटी इन्सपेक्टर को कुछ पैसा मिल गया तब तो किसान को 74 रुपये के भाव के पैसे मिल जायेंगे और मान लें कि क्वालिटी इन्सपेक्टर की भेटपूजा नहीं की तो उसी अनाज की कीमत 60 रुपये रह जायेगी। आपने जो खरीद की सीमा बांधी है तो क्वालिटी इन्सपेक्टर के ऊपर निर्भर करता है तो आप खुद अन्दाज लगा सकते

(श्री मीठालाल)

हैं कि जब तक क्वालिटी इन्सपैक्टर की भेटपूजा नहीं होगी वह 66 से 74 रुपये के बीच में कुछ भी रेट लगा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, भूमि सुधार के बारे में यह था कि चम्बल की बीहड़ों में सवाई माधोपुर में जो बड़े बड़े नदी नाले हैं उनको बराबर किया जायेगा और वहीं किसानों को जमीन अलाट की जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के पास बड़े बड़े बुलडोजर्स हैं और ट्रैक्टर्स हैं क्या आप उनको किसानों को सस्ती रेट पर उन इलाकों में देने के लिए तैयार हैं? कहने के लिए तो हम साधन देते हैं लेकिन मान लीजिए एक किसान अपनी जमीन को समतल करवाना चाहता है तो क्या वह जयपुर बुलडोजर लेने के लिए आयेगा? अगर वह यहां लेने के लिए आयेगा तो यहां से 100 मील दूर जाने के लिए पांच घन्टे तो जाने में लग जायेंगे और 5 घन्टे आने में लग जायेंगे और इस तरह से जरा सी जमीन को लेवलिंग कराने के लिए दस घन्टे का तो यों ही किराया देना पड़ जायेगा। इसलिए डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर बुलडोजर्स का इन्तजाम किया जाये जिस से किसान अपनी जमीन का लेवलिंग करा सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रायः पानी पहाड़ियों की तलहटी में ज्यादा मिलता है और पानी के फैलाव और जमीन में जाने के लिए पहाड़ियों की तलहटी में रहता है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, पहाड़ों से जो एरिया आधी मील या एक मील है उसमें कोई जंगल भी नहीं होते और उस क्षेत्र में कोई पेड़ पौधे भी नहीं होते हैं और यह क्षेत्र वन विभाग के अण्डर में रहता है। तो ऐसे पहाड़ की तलहटी में जो क्षेत्र वन विभाग के अण्डर में हैं वहां किसान लोग अपनी जमीन में पानी देने के लिए कुए खोद लेते हैं। जब किसान उन कुओं से पानी लेते हैं या उनको बनवाते हैं तो वन विभाग उनके ऊपर दावा कर देता है और उन पर कब्जा करके किसान को बाहर कर देता है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार इस बारे में विशेष प्रावधान करके ऐसी नीति बनाये कि कोई किसान वन विभाग के एरिया में कुआ सिंचाई के लिए खोदे और अपने खेत में पानी ले जाये तो उनको छूट देनी चाहिए कि वे वहां पर कुआ खोद सकते हैं। इससे उत्पादन भी बढ़ेगा और किसानों को राहत भी मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आज और कालेज खोले जायेंगे तो जयपुर में खोले जायेंगे, जोधपुर में खोले जायेंगे, उदयपुर में खोले जायेंगे। लेकिन गांवों की अपनी समस्या है। कृषि के बारे में गांव के लोगों के सीखने की बात है। कृषि कालेज में पढ़ेंगे तो शहर के लोग और काम करेंगे गांवों में। आप ये कालेज गांवों में क्यों नहीं खोलते हैं? गांवों में यदि कृषि कालेज जैसी संस्थायें हो जायेंगी तो छात्र ही नहीं बल्कि गांव वाले भी उससे शिक्षा ले सकते हैं क्योंकि वे उनको अपने खेतों में काम करते देखेंगे तो इससे गांव वालों को भी कुछ न कुछ शिक्षा मिलेगी। इसलिए मेरा राज्य सरकार से कहना है कि कृषि कालेजों को गावों में ही खोला जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब किसान के सामाजिक उत्थान के बारे में कहूंगा। यदि

(श्री मीठालाल)
समाज के सारे वर्गों में सबसे ज्यादा सामाजिक बुराइयां यदि किसी में हैं तो वह किसानों में हैं। शादियों में और नुकतों में किसान अपनी हैसियत से चार-पांच गुना ज्यादा खर्च कर देता है···

श्री उपाध्यक्ष : इस सम्बन्ध में कल जो कटौती प्रस्ताव आयेंगे उस समय बोल लेना।

श्री मीठालाल : ···किसानों के यहां जो शादियां और नुकते होते हैं तो उसमें चार–चार और पांच-पांच गांव वालों को वो बुलाते हैं। हालांकि राज्य सरकार ने इस पर पहले ही पाबन्दी लगा रखी है फिर भी किसान इसमें 20–25 हजार रुपया लगा देते हैं जिसका कर्जा उसके बेटे पोते भी नहीं चुका सकते। इसलिये इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा पाबन्दी लगायी जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, पशुओं के बारे में मेरा निवेदन है कि जब कि आदमियों के शफाखाने में ही दवाइयां नहीं मिलती तो पशुओं के शफाखाने में कैसे मिल सकती हैं। गांव में आप किसी भी पशु चिकित्सालय में चले जावें वहां एक पैसे की भी दवाई आपको शफाखाने से नहीं देंगे, सारी की सारी दवाइयां बाजार से लानी पड़ती हैं क्यों कि पूरी बिक्री होती नहीं है इसलिये दुकानदारों के पास पूरी दवाइयां नहीं होती और किसान बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है। मेरा निवेदन है कि आप सब जगह तो पशु चिकित्सालय की व्यवस्था नहीं कर सकेंगे लेकिन कम से कम एक चलता फिरता पशु चिकित्सालय तो पंचायत समिति वाइज आपको कर देना चाहिए ताकि उनका इलाज ठीक ढंग से हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने पशुओं के लिए कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोल रखे हैं लेकिन क्या आज स्थानीय आफिसर ने रेकर्ड भी रखा है कि पंचायत समिति वाइज, तहसील वाइज या जिला वाइज कितने पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान के जरिये बच्चे बच्चा पैदा करवाये? उपाध्यक्ष महोदय, आज तक मैं कह सकता हूं कि पांच-छः साल तो इसका आफिस खुले हो गये लेकिन वहां पर एक भी कृत्रिम गर्भाधान का केस नहीं हुआ। डाक्टर लोग जानते नहीं हैं, उनके पास साधन नहीं है लेकिन बोर्ड लगा रखे हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि नसल सुधारने के लिए यह बहुत ही उपयोगी चीज है और इसको बढ़ावा दिया जाये और डाक्टरों को भी ट्रेण्ड किया जाये और आवश्यक सामान भी वहां पर पहुंचाया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद बीमा की निवेदन करना चाहता हूं। इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से सुझाव मांगे थे कि आप इसको चाहते हैं या नहीं। कई राज्य सरकारों ने राय दी थी और पंजाब ने तो इसको एक्सपेरीमेन्ट के बतौर चालू भी किया था और राज्य सरकार आश्वासन देती आ रही है कि हम इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। तो इस मामले में भी मंत्री महोदय कहें कि फसल बीमा राजस्थान में चालू हो सकता है या नहीं? मैं समझता हूं कि जब सब जगह पर बीमा है और सारी चीजों पर बीमा है तो फिर किसानों ने क्या गुनाह किया है। खास तौर से हमारे

(श्री मीठालाल)

राजस्थान में कहीं तो ज्यादा बरसातें आती हैं, कहीं बाढ़ आती है तो कहीं कहीं तो एक एक बूंद भी नहीं होती है। तो ऐसी जगह फसल बीमा होना आवश्यक है। इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि फसल बीमा की व्यवस्था राज्य में जरूर हो।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त गांवों में यातायात के साधन नहीं हैं। किसानों के पास अपनी उपज को मण्डियों तक ले जाने के लिए उचित साधन नहीं हैं। उनके पास बैल गाड़ियां हैं लेकिन सड़कों के विकास का कोई इन्तजाम नहीं है। बरसात के दिनों में कोई किसान माल ले जायेगा तो रास्ते इतने बन्द हो जाते हैं कि उसको दो-दो और तीन-तीन महीने तक इन्तजार करना पड़ता है। उस बीच में उसको जाने के लिए कोई रास्ता, कोई सड़क की व्यवस्था नहीं है। इसलिए शहरों को जोड़ने में सरकार जो प्रावधान रखती है वह शहरों से अगर मान लिया जाय कि अधिक नहीं रख सकती तो गांवों में कम भी न रखे। गांवों को जोड़ने के लिये सड़कों का प्रावधान करे।

उपाध्यक्ष महोदय, कृषि उपज मण्डियों का विकास। कृषि उपज मण्डियां राजस्थान में प्रायः सभी जगह लगी हुई हैं। कुछ जगह नहीं हुई हैं लेकिन इसमें सुधार के लिए क्या किया जा रहा है। कृषि उपज समितियों का लाखों रुपया बैंकों में जमा रहता है लेकिन किसानों के लिए कोई काम नहीं होता। किसानों की शिकायतें सुनने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। लम्बी चौड़ी दरख्वास्तें देने का प्रावधान है लेकिन इससे किसानों को कोई राहत नहीं मिलती। इसलिए किसानों की विशेष सुविधा के लिए कृषि उपज समिति के मार्फत सरकार विचार करें। कृषि उपज समिति के माध्यम से कोई ऐसी व्यवस्था हो जहां आपसी मेल-जोल से काम हो सके और इसके लिए कोई कार्यालय वगैरा की व्यवस्था होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त अन्त में मैं सहकारी समितियों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। कई सहकारी समितियों में कुछ नेता लोग इस ढंग से लगे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : इस बारे में विशेष आप जब सहकारिता की मांग आवे तब कहें।

श्री मीठालाल : उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रसंग में अर्ज कर रहा हूं किसानों को बीज और खाद सहकारी समितियों के मार्फत मिलते हैं, किसानों को बीज और खाद सहकारी समितियों के मार्फत दिया जाता है लेकिन किसानों को अपना पैसा वापिस नहीं मिलता। इसलिए किसानों को सोसायटियों के मार्फत बीज न दिलायें। सहकारी समितियों के बारे में विशेष तौर पर ध्यान दें ताकि उचित समय पर उन्हें खाद और बीज मिल सके इस सम्बन्ध में भी मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

आपने जो मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हाण्डा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आज कृषि, पशुपालन और कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 9.3 करोड़, 3.98 करोड़ और 17.50 लाख की अनुदानों को मांगों की स्वीकृति मांगी जा रही है, उस सम्बन्ध में मैं सबसे पहले कृषि के सम्बन्ध में फरमाऊंगा । जिस प्रकार से राज्य में इस राशि का वितरण किया गया है, भारत सरकार के परसेंटेज को देखते हुए और विभिन्न योजनाओं के परसेंटेज को देखते हुए इस मद में जो राशि का वितरण किया गया है वह कम है। दूसरी योजना में एग्रीकल्चर प्रोग्राम के ऊपर 1123 लाख का प्रावधान था जो कुल योजना का 10.67 परसेंट था। तीसरी योजना के अन्दर 23 लाख का प्रावधान रखा गया लेकिन वह कुल योजना का 9.75 परसेंट ही था। इसी तरह से चौथी योजना का तो केवल ड्राफ्ट ही बना और फिर बिना योजना के राज्य चला और बिना योजना के काज चला । उसमें भी 1029 लाख रुपया रखा गया। यह राशि भी दूसरी योजना में घटा दी गई और एक्चुअल जो पैसा लगा वह तो बहुत ही कम था ।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य के अन्दर खाद्य पदार्थों की और अखाद्य पदार्थों की उन्नति के सम्बन्ध में देखें तो सबसे लज्जास्पद स्थिति आज राजस्थान राज्य की है। आज हम इस स्थिति में भी नहीं हैं कि यह कह सकें कि राजस्थान में एक एकड़ में कितनी पैदावार होती है । आज हम इस स्थिति में भी नहीं है कि हम यह कह सकें कि कास्ट आफ प्रोडक्शन राजस्थान में क्या आता है, भिन्न 2 जिलों में क्या आता है। सारा का सारा हमारा ढांचा गैर वैज्ञानिक तरीके से चल रहा है । सर्वेक्षण जो है वह भी गैर वैज्ञानिक तरीके से चल रहा है। सर्वेक्षण के सम्बन्ध में घोर उपेक्षा बर्ती जा रही है। एक तरफ तो एशिया की सबसे बड़ी योजना हमारे राज्य में है। राजस्थान कैनाल लड़खड़ाती हुई बन रही है और अब तो साल के अन्दर एक मील का टुकड़ा भी बड़ी मुश्किल से बन पाता है। राशियां भारत सरकार से आती हैं। कभी छः करोड़, कभी सात करोड़ रुपया प्राप्त करते हैं लेकिन वह सारा रुपया एडवांसेज में दे दिया जाता है और आप वर्ल्ड बैंक के सामने अपना केस रखना चाहते हैं । आप ऊंचे 2 टीबों को ढालना चाहते हैं । सायल सर्वे कराना चाहते हैं, एनेलेसिस कराना चाहते हैं । इस सम्बन्ध में सारी स्थिति दुर्लक्ष्य पूर्ण है । पाण्डे सहाब ने किताब लिखी वर्ल्ड बैंक के सामने रखने के लिए और 65 करोड़ की सिफारिश कर दी गई कि राजस्थान में 65 करोड रुपया सायल सर्वे के अन्दर खर्च होगा यू. एन. ओ. के द्वारा। यू. एन. ओ. के एग्रीकल्चर एण्ड फूड डिपार्टमेंट ने तय कर दिया कि राजस्थान में सायल सर्वे किया जावेगा लेकिन जैसा पहले सायल सर्वे राजस्थान में हुआ उसका चिट्ठा मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं । एक स्कीम सन् 1960 के अन्दर 31 लाख रुपये की बनी सायल सर्वे करने के लिए जिसके तहत लैंड का यूज, सायलसेम्पल्स, प्रोफाईल्स, उनके नक्शे, सायल करेक्टीस्टिक और सारे इस क्षेत्र के खाद किस मात्रा में लगेगा और सायल

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

इरोजन, सायल का वाटर एब्जोर्पशन, हार्ड क्ले, यह सारे के सारे प्लान उसमें थे और इस सर्वे कमेटी को इस स्कीम के तहत 58.81 लाख एकड़ का सारा ग्रोस सर्वे कमाण्ड एरिया में करना था लेकिन 61-62 से 65-66 तक 6.27 लाख रुपया खर्च करके 9.66 लाख एकड़ का ही केवल सायल सर्वे हो सका। और मैं समझता हूं कि ये आंकड़े भी झूठे हैं। एक्चुअली जो मैप्स बनाए गए सायल सर्वे के वे मैप्स केवल 2.53 लाख एकड के थे और वे भी हायली डिफेक्टिव मैप्स थे। इन मैप्स का अगर कंटूनर एनेलेसिस हो तो आज वे सारे के सारे मैप्स डिफेक्टिव हैं। क्योंकि सन् 66–67 में इस योजना को यू. एस. ओ. को दे दिया और यू.एन.ओ. के एग्रीकल्चर और फूड डिपार्टमेंट ने इस स्कीम को मैदान में उतार दिया। अगर उपाध्यक्ष महोदय, आप राज्य के अन्दर विभिन्न खाद्य और अखाद्य पदार्थों की स्थिति को देखें तो सन् 52 से लेकर, सन् 52 को बेस मान लें तो खाद्य फसलों के अन्दर कोई भी जो 71 तक के आंकड़े हैं और उसमें 72 के भी कुछ आंकड़े ले लें तो सारी की सारी स्थिति बड़ी इराटिक है। खाद्य पदार्थों में कोई प्रोग्रेस नहीं है। हां खाद्य पदार्थों में हाई ब्रीड वेराईटीज के कारण कुछ प्रोग्रेस नजर आती है जिसकी मैं प्रशंसा करता हूं।

आंकड़ों के अनुसार 52–56 में सौ है तो फिर 111, चार साल बाद फिर 111, फिर 115 है 1962–65 में और 1965–69 में भी 115 है। इस प्रकार की स्थिति खाद्य फसलों की है। 1969 से 1971 में 143 हो गया है हाई ब्रीड वैराइटी इण्ट्रड्यूज होने के कारण। लेकिन अखाद्य पदार्थों की स्थिति वैसी ही है। वही 120, 133, 137, 153, 124, 115 और सन् 67 में 126। यह हमारी कैस क्रोप्स की स्थिति है। और जो हाई ब्रीड की स्थिति है, हाई ब्रीड सीड डिस्ट्रिब्यूशन के सम्बन्ध में कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करूं तो वे भी आश्चर्यजनक आंकड़े हैं उपाध्यक्ष महोदय गंगानगर के मिस्टर शारदा है डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर, उन्होंने हाई ब्रीड बाजरा खरीदा 468 क्विन्टल, गंगानगर के बड़े 2 जागीरदारों और जमींदारों से। वैसे तो इस वक्त राजस्थान में हाई ब्रीड सीड मिनिस्टरों की कोठियों में ही पैदा हो रहा है। हाई ब्रीड सीड का उत्पादन मिनिस्टरों की कोठियां कर रही हैं। अजमेर रोड पर जो कोठियां हैं उसमें हाई ब्रीड पैदा होता है। और वह सीड 5–6 किलो के हिसाब से सप्लाई होता है, जहां पर हरिदेवजी जोशी के फार्म हैं, सुखाडियाजी के उदयपुर में फार्म हैं, हाई ब्रीड मक्का वहां से आती है। तो यह हाई ब्रीड बाजार 468 क्विन्टल खरीदा गया 3 के करीब में इसकी कीमत देकर। इसमें से 41 क्विन्टल बाजरा डिस्ट्रिब्यूट हुआ और 1969 में 20 क्विन्टल डिस्ट्रिब्यूट हुआ। बाकी 407 क्विन्टल जिसकी कीमत ढाई लाख रुपये होती है, वैसे ही पड़ा रहा और जो डिस्ट्रिब्यूट हुआ 61 क्विटल उसको भी लेकर किसान अपने सिर पर हाथ मार कर अपने कर्मों को रोता रहा, उसकी पैदावार नहीं हो सकी। यह बाजरा खाया भी नहीं जा सकता था क्योंकि मेडिकेटेड था, इसमें पोइजिनियस और दूसरी दवाइयां लगी हुई थी। सारा का सारा बाजरा ढाई लाख सड़ गया और खत्म हो गया और शारदा साहब

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर साहब बैठे हुए हैं। इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ में 20 हजार क्विन्टल जिसकी कीमत 16 लाख की बनती है। जिसमें कि बहुत थोड़ा यूज करने के बाद सारा बाकी रह गया है। शारदा साहब ने 152–192 क्विन्टल हाई ब्रीड बाजरा भरतपुर भेजा जिसकी कीमत 1.16 लाख थी उसमे से केवल 105 क्विन्टल वापिस कर दिया गया जिसकी कीमत 00.63 लाख होती है। 87 क्विन्टल भरतपुर के अन्दर डिस्ट्रीब्यूट किया गया इस सदन के अन्दर इस सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव भी लाये गये परन्तु उसका कोई एग्जामिनेशन नहीं किया गया। उस बाजरे को किसानों ने खरीद डाला। उन्होंने अपने खेतों में मेहनत की परन्तु उसके बाद भी उस बाजरे का कोई रिजल्ट एकचीव नहीं हुआ। उन्होंने मांग की, यहां पर मांग की गई परन्तु उस बाजरे का कोई एग्जामिनेशन नहीं किया गया। तो यह स्थिति इस राज्य के अन्दर है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं अर्ज करना चाहूंगा कि खाद की जो स्थिति है, आज खाद पर आपने टैक्स लगाया है और मैं इस टैक्स के विरूद्ध नहीं हूं लेकिन मैंने इस सदन के अन्दर कहा था कि स्लेब के अन्दर इसको लगाना चाहिये। किसी के पास पांच एकड़ जमीन हो तो वह इकोनोमिक होल्डिंग्स हो सके। उसको भी यह अधिकार हो कि वह वैज्ञानिक रूप से खेती कर सके। वह भी उसके अन्दर बाजरा डाल सके। तो इस तरह का इनडायरेक्ट टैक्स लाते जिससे यह खाद उसको भी जाती। अब इस खाद की खरीद में जो घोटाला है उसके बारे में यहां पर कहना चाहता हूं। गंगानगर जिले के अन्दर खाद का वितरण किया गया है। प्राइवेट कम्पनीज के नाम से विजयनगर, रायसिंह नगर और कई क्षेत्रों में करीब एक करोड़ की खाद का वितरण किया गया और खाद जिन ऐजेन्सियों के नाम से वितरित हुआ है आज उन ऐजेन्सियों का नामोनिशान नहीं है। एक करोड़ की खाद गोदाम में पड़ी हुई है। रायसिंह नगर में 15 लाख की खाद पड़ी हुई है। यह प्रश्न उठा है कि इस खाद को रिमूव कैसे करें। म्युनिसिपल बोर्ड ने इस खाद को रिमूव करने के लिए जो कि करीब 7 लाख की है, टेन्डर मांगे हैं और किसी ने दो हजार के टेन्डर, एक हजार टेन्डर इसके लिये दिये हैं ताकि किसी तरह से इस खाद को रिमूव किया जाये। सारे राजस्थान में 40/50 करोड़ की खाद नष्ट हो गई है। यह गोदामों में पड़ी हुई है और इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। खाद जो बाजार में मिल रही है उसमें जबरदस्त जांच की आवश्यकता है। श्रीराम यूरिया डी. सी. एम. का है जिसमें कि 46 % नाइट्रोजन बताया जाता है लेकिन एग्रो इकोनोमिस्ट ने जांच के बाद यह बताया है कि इसमें केवल 38 % ही नाइट्रोजन है इसी प्रकार से चान्द यूरिया आदि है जिनमें डिक्लेयर्ड क्वांटिटी का फासफोरस और नाइट्रोजन नहीं है। ग्रो मोर ग्रेन की स्कीम चल रही है। इस तरह जहां पर 28 %. फासफोरस और 64 %. और 18 %. होना चाहिये, उसकी भी बाजार में एक ही कीमत चल रही है। इस तरह सारे राजस्थान में खाद के वितरण की स्थिति दुर्लभपूर्ण हो चुकी है। एक चीज मैं यह कहना

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि आज हाईब्रीड वेराइटीज के अन्दर पंजाब और हरियाणा का नाम सारे देश के अन्दर है। उन्होंने नई नई वेराईटीज को इवोल्व किया है। लालबहादुर, सोना कल्याण, मेगसीगन वेराइटीज और इसकी क्रास ब्रीड, ये सारे वेराइटीज इन्होंने डवलप की है और इवोल्व की है लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि जिन लोगों ने ब्रीड के अन्दर स्पेशलाईज किया है, जो इसके लिये पूसा इन्स्टीट्यूट और अमेरिका गये हैं, सरकार का लाखों रुपया इसके लिये खर्च किया है, उन्होंने राजस्थान के अन्दर एक वेराइटीज को भी इवोल्व नहीं किया है। और एक गरीब किसान ने जो कि राजस्थान के रायसिंह-नगर का रहने वाला है, जो कि अनपढ़ है, वह इस दिशा में कोशिश कर रहा है, उसका नाम है कुलवन्तराय। उसने एक वेराइटी का इवोल्व किया है। इस कुलवन्त-राय ने एक ऐसी वेराइटी इवोल्व की है कि एक एकड़ के अन्दर सौ मन से ज्यादा पैदावार हो सकती है। मैं वह वेराइटी यहां पर लाया हूं और जो भी माननीय सदस्य इसको देखना चाहें इसको देख सकते हैं। और इसके सम्बन्ध में बाटोनिस्ट की रिपोर्ट भी लाया हूं। इस बाटोनिस्ट ने भी यह माना है कि यह वेराइटी एक एकड़ में सौ मन से ऊपर जायेगी जबकि हमारे स्पेशलाईजेशन किये हुओ ने इस दिशा में कुछ नहीं किया है और एक अनपढ़ किसान, जो कि अनुसूचित जाति का है, उस व्यक्ति ने एक ऐसी वेराइटी को इवोल्व कर लिया है और आज सारे हिन्दुस्तान में इसकी चर्चा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ विलेज लेविल वर्कस् के बारे में भी कहना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, वैसे राज्य कर्मचारियों के प्रति, चाहे वह किसी महकमे के अन्दर हो, सरकार की नीति स्पष्ट नहीं रही है। सरकार को नीति कुछ वेस्टेड इन्टरेस्ट को झलकाती हुई चलती है। वह कहीं मैरिट और कहीं पर सीनियो-रिटी हो जाती है। कहीं सीनियोरिटी को बदल कर मैरिट हो जाती है। यह एक वेबरिंग फार्मूला है। जिसकी गरदन जैसे फीट हो, वैसे इसको बना लिया जाता है। ऊंचे दर्जे के आदमी या किसी मंत्री के रिश्तेदार को जिस तरह से सर्विसेज में फिट हो सकता है, उसके हिसाब से यह फार्मूला चलता है। तो यह सरकार कभी मैरिट और कभी सीनियोरिटी की बात करती है। सन् 66 के अन्दर गंगानगर के अन्दर 80 वीलेज लेविल वर्कर्स को यह कहा गया कि वे बी. एस. सी. एग्रीकल्चर करके आवें। वे चले गये। 19 फरवरी 71 तक उन्होंने बी. एस. सी. पास की और उन सारों को मैरिट के आधार पर ले लिया गया। इसके बाद जो नहीं गये बी. एस. सी. करने उनको भी सीनियोरिटी के आधार पर ले लिया गया। इस तरह यहां पर सीनियो-रिटी लागू हो गई और इन लोगों का भी प्रोमोशन हो गया। जो बी. एस. सी. एग्रीकल्चरिस्ट हैं, गोल्ड मेडेलिस्ट हैं वे 70 के 70 बेकार बैठे हैं। इस बारे में मैंने मंत्री महोदय से बात की, डाइरेक्टर साहब से भी बात की उनके बारे में तो डाईरेक्टर साहब ने कहा कि मामला फाइनेन्शियल है: इसमें फाइनेन्शियल इम्पलीकेशन्स इवोल्व्ड है।

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

तब क्या ये 80 विलेज लेविल वर्कर जिन्होंने चार साल तक बी. एस. सी. पास किया है, सरकार ने एक एक पर चालीस हजार रुपया व्यय किया है और कम से कम 6 लाख से भी अधिक इन पर खर्च किया गया है, उसके बावजूद भी उनको सरकार विलेज लेविल वर्कर ही रखना चाहती है, उनको एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन आफिसर क्यों नहीं बनाना चाहती है। उनको सरकार प्रोमोशन क्यों नहीं देना चाहती है।

अन्त में कृषि की मांग के साथ साथ मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का प्रश्न भी है। इस सम्बन्ध में बड़े खेद के साथ मुझे कहना पड़ता है कि सन् 62 में इस सदन के अन्दर एक ड्रामा खेला गया और वह यह था कि एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर में बनाई गई। सदन के सदस्यों ने कहा कि इसको पोलिटिकल आधार पर न बनाया जाये। दूसरा यह है कि यह मानव फैकल्टी नहीं होती है। यह दुनियां में कहीं भी नहीं है। इस तरह से एक ड्रामा के साथ उदयपुर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाई गई। इस यूनिवर्सिटी के तहत वल्लभ नगर में एक बहुत बड़ा फार्म है। इसके बारे में राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है कि इस फार्म के अन्दर करोड़ों रुपयों का गबन हुआ है। किस तरह से फोर्ड फाउन्डेशन के नाम गबन किया है। इसकी कहानी बहुत लम्बी है। कभी अलग से इसको प्रस्तुत करूंगा। लेकिन उस वक्त गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्यों ने कहा इस सदन के अन्दर कि एग्रीकल्चर कालेज आप इसको बनाइये। एक हाई स्पेशोलाइज्ड कालेज आप बनाइये जैसा कि हिन्दुस्तान में कहीं नहीं है और इस कालेज के लिये और भी कई स्थान उचित हो सकते हैं। गंगानगर में एशिया के दो बड़े बड़े फार्म हैं, जैतसर और सूरतगढ़। हर प्रकार के साधन वहां पर हैं। हर प्रकार की क्ले वहां पर है, साधारण, हाई, मिक्स्ड लेविल, सब प्रकार की क्ले वहां पर है। सारी मशीनरी, मैकेनाइज्ड कल्टीवेशन गंगानगर में मौजूद है और सात लाख एकड़ भाखरा की इरीगेटेड जमीन है, 7 लाख गंग कैनाल की इर्रीगेटेड जमीन है। 17-18 लाख एकड़ राजस्थान कैनाल एरिया के अन्तर्गत आने वाली है। तब एग्रीकल्चर का स्पेशिलाइज्ड कालेज वहां पर होना चाहिये। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि गंगानगर में आज मौजूद नहीं हो। पोलिटिकल आधार को छोड़कर इस सारे दृष्टिकोण से देखें तो गंगानगर ही एक ऐसा स्थान है जहां कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और कालेज हो सकता है। उस वक्त मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि सांगरिया कालेज को दस लाख की राशि दी जायेगी ताकि वहां का कालेज दृढ़ सके किन्तु आज सांगरिया में बी. एस. सी. की क्लास ही है और इस राजस्थान सरकार ने इसके क्रमोन्नत करने की आज्ञा नहीं दी है। उपाध्यक्ष महोदय इसलिये मैं फिर राजस्थान सरकार से यह नम्र निवेदन करूंगा कि वह गंगानगर जिला जिसने कि कुलवन्तराय जैसा किसान पैदा किया है, वह अनपढ़ किसान जो कृषि क्षेत्र के अन्दर क्रान्ति कर सकता है, तो कृपा करके आप इस मांग पर गौर करिएं जिस तरह से उदयपुर के अन्दर फारेस्ट फैकल्टी हो सकती है और वहां पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी बना सकता है तो मेरा निवेदन है कि कम से कम राजनैतिक आधार पर

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

तो आप इस शिक्षा को न तौलिये। प्राकृतिक नियमों को राजनैतिक दृष्टि से तोलने की कोशिश न की जाये। आपको इन राजनैतिक सहारों को बदलना चाहिये और टैक्नीकल डिपार्टमेन्टस् के अन्दर राजनीति का प्रवेश कम करियें और उस को चलने दीजिये।

एनीमल हसबेन्ड्री के सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहूँगा। जहां तक एनीमल हसबेन्ड्री का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय यहां पर एक इन्डस्ट्री ऐसी है जो कि भेड़ इन्डस्ट्री है। सारे भारतवर्ष की 40-50 पर्सेन्ट भेडें हमारे यहां पर हैं। जहां पर सारे भारतवर्ष के अन्दर 420 लाख भेडें हैं वहां पर हमारे यहां 88 लाख भेडें राजस्थान के अन्दर हैं। यह एक ऐसा उद्योग है जो कि सबसे बड़े पैमाने पर भारतवर्ष में कहीं चल सकता है तो राजस्थान के अन्दर चल सकता है। इसके लिए जो भेड़ों का ऊन है और ऊन की जो रिकवरी है वह तहसील अनूपगढ़, की रिकवरी हाइएस्ट है इंडिया के अन्दर अगर आज क्रास ब्रीड्स को छोड़ दें तो, लेकिन आपके यहां एक वूल फैक्ट्री चल रही है, और केवल 10 जिलों के अन्दर आपने केन्द्र बनाए हैं और बाकी 16 जिलों को तो उससे बिल्कुल महरूम रखा है। अगर इस उद्योग को आज सरकार अपनी पूरी शक्ति के साथ डेवलप करे और इसमें पूरी शक्ति लगाये तो काफी डेवलप कर सकती है। आप अमेरिका से रोबले और मैरीनों किस्म की भेडें लाकर डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन किताब के आंकड़ों को देखते हुए तो काफी निराशा पैदा होती है। कहीं पर 6 भेड़ दे दी, कहीं पर 10 भेड़ दे दी, मुर्दे के बाल काट कर मुर्दे का वजन हल्का करना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कगा कि हूं भेड़ इन्डस्ट्री की तरफ विशेष रूप से ध्यान दिया जाय और इस वक्त जो उसकी दशा है उसको सुधारा जाय।

आपने एक इन्डस्ट्री एनीमल हसबेन्ड्री के अन्दर चलाने की कोशिश की वह इन्डस्ट्री थी पिग ब्रीडिंग एण्ड बेकन फैक्ट्री। उसकी जो दशा है, उपाध्यक्ष महोदय, वह मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा यह इन्डस्ट्री सन् 1966 तक बन जानी चाहिए थी। उस इन्डस्ट्री के लिए सारा पैसा 19-20 लाख हमने भारत सरकार से प्राप्त किया लेकिन हम इसको 65-66 तक पूरा नहीं कर सके इसलिये 66-67 के अन्दर भारत सरकार ने अपनी राशि जो है वह पार्शल कर दी, और उसके बाद 67-68 के अन्दर इस राशि को आधा कर दिया। आज तक इस फैक्ट्री के ऊपर 46 लाख रुपया खर्च हो चुका है, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इस फैक्ट्री ने रन करना शुरू नहीं किया है। इसके पिग फार्म पर 10 लाख रुपये खर्च आ चुके हैं और कुल 1। लाख रुपये के पिग्स बेचे गये हैं, तो इसमें साढ़े आठ लाख का क्लियर कट घाटा है। पिग फैक्ट्री (इन्डस्ट्री) एक ऐसी फैक्ट्री है कि जो वर्ल्ड के अन्दर सब से ज्यादा प्राफिटेबल कन्सर्न मानी गई है। जिस स्पीड से पिग का डेवलपमेंट होता है उस स्पीड से अगर कोई प्राफिट दे सकती है तो यह पिग फैक्ट्री प्राफिट दे सकती है। मैं वहां पर गया हूं तो एयर कन्डीशन्ड कमरों में कूलर लगे हुए

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

हैं और सूअर उन कूलर्स के अन्दर बैठे हुए हैं। इतना बड़ा मार्केट है। जहां सारे भारतवर्ष से पिग्स आते हैं, मीट्स की वैराइटीज आती हैं, फिशेज आती हैं, कोई ज्यादा दूर नहीं है। 100 मील की दूरी है, लेकिन सारे का सारा पिग फार्म साढ़े आठ लाख के घाटे के अन्दर चल रहा है।

अन्त में मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि पिछले कुछ महीनों के अन्दर कोल्ड वेव ने राजस्थान की फसलों का बहुत बड़ा नुकसान किया, और बीमारी भी बड़ी भारी पड़ी। कोल्ड वेव पर तो इस सरकार का चारा नहीं है। विशेष करके सरसों के अन्दर चेपा लगा। यह स्थिति भरतपुर की है, इस मामले में, यही स्थिति गंगानगर की है इस मामले में और यही स्थिति अलवर की है इस मामले में। सरकार जो गलती करती रहती है उसका खमयाजा किसान को भुगतना पड़ता है। एक एड्रोपीन इस काम में आती है उसका ब्लेक चला और एक एक थैला इसका 28 रुपये के बजाय में 50–50 रुपये में मिला। यही स्थिति भरतपुर की है। कोई एरियल स्प्रे से सरसों को बचाने की योजना बनाने का सरकार ने कष्ट नहीं किया। इस सरकार ने जिस प्रकार से एयर स्प्रे कराया गंगानगर में काटन के अन्दर तो उससे बड़ा फायदा हुआ। आपके एन्ड्रीन छिड़कने से सैंकड़ों मौतें हो गई और जो इसका एन्टी डोट होता है एन्ड्रोपीन उसके बजाय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कृषकों को एन्ड्रीन दे दिया। एक तहसील के अन्दर एन्ड्रीन के प्वाइजन से एक के बाद दूसरा केस हुआ और इस तरह से 200–250 केसेज गंगानगर जिले में हो गये। लेकिन राज्य सरकार ने इस प्रकार की योजना बनाने का यत्न नहीं किया।

अन्त में मैं अर्ज करूंगा कि इन जिलों के अन्दर पाली के अन्दर, भरतपुर के अन्दर, कोटा के अन्दर जो यह सारी चूकती एक किस्म से विन्टर क्राप जो डेस्ट्राय हो गई है चने की तो कम से कम सरकार को उस पर लागत माफ करना चाहिए और इन फसलों पर सारे का सारा लगान माफ किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनराज।

श्री मोहनराज (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत के आजाद होने के बाद और राजस्थान के एकीकरण के बाद अगर किसी क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है तो वह कृषि के क्षेत्र में हुई है। अगर जो कुछ भी क्रान्ति इन क्षेत्रों में हुई है उसको हमारी आंखें देखना मन्जूर न करें तो मेरे खयाल से इस तरह से हम आगे की प्रगति का रास्ता ही नहीं रोकेंगे वरन् जो दूसरी हमारे लोग इन क्षेत्रों में और उल्लेखनीय प्रगति कर रहे हैं उससे भी हम महरूम रह जायेंगे। अभी कुछ ही दिन पूर्व हमारे सचेतक महोदय के नेतृत्व में विधायकों का एक दल कृषि फार्म दुर्गापुरा को देखने गया। वहां पर जिस तरीके से वैज्ञानिक तौर तरीके के आधार पर एक्सपेरिमेन्ट्स हो रहे हैं, और जो नई नई किस्म की राजस्थान की आबहवा और धरती के अनुकूल एक्शन की जो प्रक्रियाएँ जारी की गई हैं, मेरे खयाल से अगर उनके अनुभव का लाभ हमारे यहां के काश्तकार को ठीक समय पर और अधिक से अधिक मात्रा में उनको वहां पर लाकर दिया जाय तो बहुत ज्यादा लाभ होगा। मैं सोचता

(श्री मोहनराज)

कि जिस तरह से दुर्गापुरा में एक किसान विद्यालय के रूप में किसानों को आधुनिक तरीके दिखाने के लिए जो कार्यक्रम अपनाया गया है, वह ठीक है, लेकिन राजस्थान के कौने कौने से गरीब और अनुभवहीन किसान जिनका अभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं बना है वे यहां तमाम नहीं आ सकते हैं, और उनको लाने का प्रयास भी बड़े पैमाने पर नहीं किया गया है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इतने बड़े-पैमाने पर तो यह सम्भव नहीं है लेकिन छोटे पैमाने पर प्रत्येक जिले की हालत को देखते हुए, वहां की भूमि और आबहवा की आवश्यकताओं और विशेषताओं को मद्देनजर रखते हुए चल सकते हैं। ऐसे इस तरह की सम्भावना पर वहां पर ऐसे विद्यालय जरूर स्थापित किये जायं जहां पर उस जिले के काश्तकारों को लाकर यह जो आधुनिक वैज्ञानिक आधार पर जो तरक्की हुई है...

वहां पर एक ऐसा विद्यालय जरूर स्थापित किया जाये जो उस जिले के काश्तकारों को लेकर यह जो इस वक्त आधुनिक वैज्ञानिक आधार पर जो तरक्की हो रही है, जो कृषि में तरक्की लाई जा रही है, उसका उन्हें कुछ आभास कराया जा सके। मैं पाली जिले के लिये सुझाव दूंगा कि सादड़ी के अन्दर एक सरकार का फार्म है, वह जिस मकसद से स्थापित किया गया [illegible] अब मेरा खयाल है, वह मकसद पूरा [illegible]हो रहा है और वह फार्म केवल कुछ [illegible] उगाने के काम में ली जा रही है। [illegible]स फार्म को विद्यालय में परिवर्तन [illegible]ये तो वहां का बहुत बड़ा भाग, उदयपुर का कुछ इलाका, सिरोही जिला, जालोर जिला और सारा आसपास का क्षेत्र वहां के काश्तकारों के लिये बहुत ही लाभदायक हो सकता है। मैं समझता हूं कृषि मंत्री इस ओर ध्यान देंगे जिससे वहां का जो बहुत बड़ा अभाव है और जो मांग की जा रही है, उसकी पूर्ति करेंगे। आज प्रदेश में तरक्की और क्रांति के बाद भी हम उस क्षेत्र में सन्तोष का सांस नहीं ले सकते। हमको अभी बहुत प्रगति करनी है।

राजस्थान के अन्दर जहां हम भूमि की सीमाबन्दी करने जा रहे हैं, जोत की सीमाबन्दी करने जा रहे हैं, तो किसान के दिमाग के अन्दर एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि हमारी जमीन कम हो रही है, आज वह 18 एकड़ ही रखी जायेगी, लेकिन पता नहीं कितने अर्से तक। हो सकता है दूसरे वर्ष उसको घटाकर दस एकड़ ही रख दिया जावे, और जैसे जैसे जमीन पर प्रेशर बढ़ता जायेगा तो हो सकता है और कम करके पांच या सात एकड़ ही कर दिया जाये। तो ऐसी स्थिति में हमें कृषि के नये और वैज्ञानिक तरीके भी किसान को देने पड़ेंगे। अगर हम यह नहीं कर पायेंगे और उसके आधार पर किसान को कम से कम भूमि पर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने के तरीके नहीं सिखा पायेंगे तो हमारी सारी की सारी क्रांति, सारा का सारा कानून जो हम बनाने जा रहे हैं, और समाज को नये रास्ते पर लाने जा रहे हैं, वह कभी नहीं हो पायेगा और असन्तोष वैसा का वैसा ही रहेगा।

इसके अलावा मैं कृषि की उन्नति के बारे में भी कुछ सुझाव देना चाहूंगा।

(श्री मोहनराज)

जमीन और पानी, इन दोनों की व्यवस्था कलेक्टर करता है और अगर वह ठीक ध्यान दें तो राजस्थान के अन्दर भी वैसा ही परिवर्तन ला सकते हैं जैसा कि आस्ट्रेलिया और जापान या दूसरे मुल्कों में है जहां अधिक से अधिक भूमि एक किसान के पास पांच एकड़ ही है। ज्यादा आदमियों के पास तो उससे भी कम है। लेकिन वहां वैज्ञानिक ढंग से खेती करने के कारण वहां पर इतना अधिक अनाज पैदा होता है कि वे देश केवल सेल्फ सफीशियेंट ही नहीं बल्कि दूसरे देशों को निर्यात भी करते हैं, और इस तरह से आदर्श मिसाल पेश करते हैं।

मैं समझता हूं हमको भी उन देशों के आधारों और अनुभवों के अनुसार यहां भी वैसा ही वातावरण पैदा करना चाहिये जिससे हमारे यहां जोत की सीमा कायम करने के बाद भी किसान के मन के अन्दर यह विश्वास हो कि कम जमीन होने पर भी वह आधुनिक तरीकों से ज्यादा पैदावार कर सकता है और अपना जीवन स्तर और ऊंचा कर सकता है। हमको इसके लिये आवश्यक व्यवस्था करनी पड़ेगी।

पशुपालन के सम्बन्ध में भी, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मारफत यह निवेदन करना चाहूंगा कि पशुपालन की तरक्की की ओर जो राज्य सरकार का ध्यान जाना चाहिये था, वह नहीं गया और हमारे यहां के पशुपालक यह अनुभव करने लगे हैं कि वह राजस्थान के नागरिक नहीं हैं। उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है जैसे कि राजस्थान की धरती पर उनका कोई अधिकार नहीं है। आपको यह महसूस करना चाहिये कि पशु हमारे यहां का बहुत बड़ा धन हैं, भेड़ बकरी, गाय, भैंस, ऊंट आदि हमारे यहां की बहुत बड़ी सम्पत्ति है। उनके वर्धन, उनके रक्षण और उनकी तरक्की की तरफ जितना ध्यान हमारे विभागों को देना चाहिये था, उतना मैं समझता हूं नहीं दिया गया है। सबसे बड़ी समस्या उनके लिये चरागाहों की है। आज ज्यों ज्यों धरती कृषि कार्य में आ रही है, त्यों त्यों चरागाहों में कमी हो रही है और जो चरागाह वन विभाग के अन्तर्गत हैं उनमें वन विभाग की तरफ से कठिनाई पैदा हो रही है। इससे पशुपालक घबरा गये हैं और वह सोचते हैं कि राजस्थान को छोड़कर कहीं जाय। अकाल के समय में पहले राजस्थान छोडकर पशुपालक मालवा चले जाते थे, लेकिन आज वहां जाने में भी उनको बहुत मुश्किल हो रही है। आज हमारे यहां के पशुपालक को अगर चरागाह कम होने की वजह से बाहर जाना पड़े तो उसके लिये भी विभाग को ऐसे स्थान ढूंढना चाहिये जहां वह आसानी से जा सकें ऐसी जगहों के लिये व्यवस्था हमारे विभाग को करनी चाहिये कि हमारे यहां के पशुपालक अपने पशु लेकर बाहर चरागाहों की सुविधा के लिये जा सकें और उनको कठिनाई न हो।

आज वन विभाग के मंत्री के पास ही पशुपालन विभाग भी है। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वन विभाग के अन्दर जो आम तौर से बात है कि वन सात आठ साल के लिये बन्द रहने चाहिये और उसके बाद चराई के लिये खोल दिये जाते हैं। लेकिन विभाग के अधिकारी अपने मन गडन्त नियमों के अनुसार या रिश्वत का

(श्री मोहनराज)

बढ़ावा देने के लिये, बारह 2 साल तक नहीं खोलते और ऐसे उदाहरण हैं जहां कि 14 और 15 साल तक वन को बन्द रखा गया और मवेशी की चराई के लिये नहीं खोला गया। इससे पशुपालकों को और पशुओं को बहुत परेशानी होती है।

जहां हम चरागाह मुकर्र करते हैं और जो पड़त भूमि है, वह पड़त भूमि जब वन विभाग को सौंपी जाती है तो यह शर्त रखी जानी चाहिये कि वहां चराई की सुविधा रहेगी। जिस भूखण्ड में पड़त जमीन थी, वहां चराई होती थी भेड़ बकरी गाय भैंस आदि पशु चराई करते थे वह जमीन जब आप वन विभाग को सौंपते हैं तो उनकी चराई बन्द हो जाती है और उनका जीवन निर्वाह करना मुश्किल में पड़ जाता है और उनके लिये कोई चारा नहीं रहता अपने पशुधन को बचाने का।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

तो जो सुविधायें उनको उस भूमि पर चराई की मिला करती थीं, अगर वह सुविधाएं कम कर दी जायेंगी या नहीं दी जायेंगी तो हमारा पशुधन नष्ट हो जायेगा। मुश्किल से मुश्किल समय पर भी हमारे यहां की जनता का जीवन निर्वाह इन पशुओं पर होता है। मुश्किल से मुश्किल समय पर हमारे जीवन निर्वाह का आधार यह पशुधन ही रहे हैं, तो उनके लिये हमें अच्छे से अच्छे चरागाह छोड़ने चाहिये, वर्ना हमारा कीमती पशुधन बर्बाद हो जायेगा और राजस्थान गरीब हो जायेगा जो हमको मन्जूर नहीं हो सकता। पशुपालकों के लिये कोआपरेटिव के आधार पर भी आप चरागाह मुकर्र कर सकते हैं।

मेरा खयाल है कि इन बातों पर मंत्रीजी ध्यान देंगे और जैसा कि अभी सुझाव दिया गया था कि यहां पर एक डेरी फार्म होनी चाहिये वह भी खोलेंगे। जो भी राशि उस के लिये मिली है वह उसमें लगा दें तो मैं समझता हूं कि पाली जिले के लिये बहुत लाभदायक होगी। पाली जिले में कोई उचित स्थान देखकर यह डेरी फार्म कायम करें। पाली के अन्दर ही एक 60 हजार बीघा जमीन का टुकड़ा वहां के भूतपूर्व महाराजा का पड़ा हुआ है, उसको आप वैसे ही अधिग्रहण करने जा रहे हैं, तो उसको अधिग्रहण करके वहां पर आप डेरी फार्म की योजना बनावें और अपनी पूंजी वहां पर लगावें। इससे आपकी पूंजी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ ऐसी संस्था का निर्माण भी होगा जिससे हमारे राजस्थान के पशुधन का विकास हो सकेगा। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इन समस्याओं की ओर शीघ्र ही ध्यान देंगे।

श्री चेतराम (टोडाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे बोलने का समय दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आज कृषि और पशुपालन के बजट पर बहस हो रही है। मैं आपसे निवेदन करूं कि वैसे तो पूरा भारत, लेकिन मुख्यत: राजस्थान, बहुत कृषि प्रधान इलाका है। यहां के आंकड़ों के अनुसार 80:4 प्रतिशत जन संख्या या तो खेती पर या खेती से संबंधित दूसरे उद्योगों पर लगी हुई है। एक चीज हम देखते हैं कि कृषि की स्थिति क्या है तो यह देखकर आश्चर्य होता है कि

(श्री चेतराम)

हमारी राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया गया। वैसे राज्य सरकार के अलावा देवी प्रकोप होते रहते हैं, कभी अतिवृष्टि होती है तो कमी कम होती है। यदि ठीक बरसात होती है तो समय पर नहीं होती। इसलिए किसी न किसी इलाके में राजस्थान में अकाल पड़ता रहता है। इसके अलावा बहुत से देवी प्रकोप हैं। कभी सर्दी पड़े कभी पाला पड़े, आंधी लगती है। लेकिन इन प्रकोपों के अलावा सरकार का प्रकोप भी किसान पर कम नहीं है। वैसे यदि एक तरह से देखा जाए और बजट को माइन्यूटली देखा जाए तो हम देखेंगे कि जो कर-भार इसमें लगाया गया है वह किसान पर लगाया हुआ है। हमारे वित्तमंत्री ने जो किसानों पर कर भार लगाया है उसका एक मात्र कारण हो सकता है कि उन्होंने सोचा हो कि यदि और किसी वर्ग पर लगाया जाएगा तो एजीटेशन होगा मोटरों पर लगाये जायेंगे तो आंदोलन होगा, हलवाइयों पर लगायेंगे तो आंदोलन होगा लेकिन किसानों का कोई एसोशिएशन नहीं है। वह ऐसा वर्ग नहीं है कि यहां आकर विधान सभा को या नगर को घेरे। इसलिए उन्होंने सोचकर इसके लिए अच्छा वर्ग चुना है किसान का कोई भी क्षेत्र लीजिए—उसके बीज पर, खाद पर टेक्स देना पड़ता है, सिंचाई की दर बढ़ा दी है, बिक्री कर बढ़ा दी है। इस तरह से किसान पर हर क्षेत्र में कर लगाया है। करों का लगान और विशेष तौर पर प्रत्यक्ष करों का लगाना बुरा नहीं होता परंतु उसके बदले में करदाता हमेशा चाहता है कि उसके करों के बदले में कुछ मिले। उस दृष्टि से बजट को देखेंगे तो मालूम होगा कि उसके बदले में किसान को हमने कुछ नहीं दिया है। आज किसान की हालत बहुत दयनीय है। उसको मिलने वाली सुविधायें जिनको आसानी से उपलब्ध करा सकते हैं, वे हम नहीं दे पा रहे हैं। मैं सरकार का ध्यान उनकी ओर खींचना चाहूंगा। सबसे बड़ी किसानों को जो असुविधा है वह मंडी की होती है। मंडियों में पहुंचने के लिए एप्रोच सड़कें नहीं हैं। वहां बिचौलियों द्वारा किसान को लूटा जाता है कमीशन एजेन्ट, धार्मिक कांटे के नाम, प्याऊ के नाम, तरह तरह के आढ़तिए कमीशन अलग लेते हैं। तो जब धर्मादा खाते के नाम, इतने खातों के नाम पर पैसे लिए जाते हैं तो मंडी वालों का फर्ज हो जाता है कि उन किसानों के बैठने के लिए स्थान रात्रि वगैहर ठहरने के लिए जगह हो जाए।

इसके अलावा मंडियों में सबसे बड़ी समस्या है कि आज भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनाज खरीदा जाता है। उसमें एक सर्टीफिकेट होता है कि यह किसान का ही माल है और स्थानीय तहसीलदार और प्रधान को अथोराइज किया हुआ है। यह व्यवस्था किसानों के लिए बहुत ही कष्ट-दायक होती है। उदाहरणार्थ देखें मंडावर मंडी में पश्चिम से किसान 15–20 मील दूर से अनाज ले आते हैं और वह सर्टीफिकेट लेने के लिए मंडी में जो पूरव की तरफ महुआ में 10 मील और जाना पड़ता है। तो मेरा निवेदन है कि प्रमाण-पत्र की व्यवस्था हटा दी जाए या सरपंचों को आथोराइज किया जाए। कुछ बिचौलियों ने इसको अपना धंधा भी बना

(श्री चेतराम)

लिया है। इसी तरह से मंडी में सबसे बड़ी परेशानी जो किसानों को होती है वह है खाद्य निगम द्वारा 76) प्रति क्विंटल आढ़तियों के भाव निर्धारित किया है परन्तु वास्तव में उससे बहुत कम भाव किसान को मिलता है। जब यह भाव निश्चत किया हुआ है तो राजस्थान में कहीं भी गेहूं पैदा नहीं होता जो इस भाव पर बिके ऐसी बात नहीं। आकाशवाणी से सुना जाय तो हमें आश्चर्य होता है। खाद्य निगम द्वारा सरकारी दर पर किसी मंडी में गेहूं नहीं मिलता है, इसका क्या कारण है? राज्य सरकार बिल्कुल आंख मूंद कर बैठी हुई है। किसानों की सुख सुविधा के लिए कम से कम मंडियों में जो उनका अनाज होता है वह तो ठीक भाव में बिके। अगर ठीक भाव में भी बेचना पड़े तो भी परेशानी है रोड़ के न होने से भाड़ा, नगरपालिकाओं द्वारा कोई सुविधा नहीं दी जाती, उनसे चुंगी भी ली जाती है, यह भी विचारणीय विषय है। आज किसानों का एक तरह से जो कस्टोडियन बना रखा है वह है पंचायत समिति। कृषि प्रसार अधिकारी है और पंचायत समितियों में यदि ध्यान पूर्वक देखा जाए तो उनमें सिवाय तनख्वाहें लेने के और कोई काम नहीं रह गया। प्रसार अधिकारी या ग्राम सेवकों के पास कोई काम नहीं है जो किसानों के हित के लिए हो। लेकिन उसके बदले में उनके पास एक काम जरूर है, वह इतना ऊंचा है कि हमारे आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर बताना है और यह होता है काम्पटीशन के कारण, कौनसा ग्राम सेवक अच्छा है, उन आंकड़ों को बनाने में बी. डी. ओ. पीछे नहीं हटता। वे हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारी पंचायत समिति का सबसे ऊंचा स्तर रहना चाहिए।

उसके बाद हमारे जिलाधीश बढ़ा चढ़ाकर जिले की प्रगति दिखाता है और राज्य स्तर पर आकर आंकड़े इतने झूठे हो जाते हैं कि हमारी प्रगति की सही रूप रेखा सामने नहीं आती। किसानों को जब हम सही मूल्य नहीं दे पाते तो सहकारिता के द्वारा या बैंकों के द्वारा उनके लिए इतना प्रावधान करा दिया जाए कि वे अपने अनाज को सही भाव आने तक रोक सकें, इतनी क्रेडिट फैसिलटीज अनाज के स्टोरेज के रूप में उनको मिल जायें।

किसानों के लिए जिस हिसाब से कर बढ़ाए गए हैं, उस हिसाब से उनकी सिंचाई की सुविधायें नहीं बढ़ाई गई। ठीक है बड़ी बड़ी सिंचाई की योजनायें हैं, हम इन पर ज्यादा पैसा लगा रहे हैं लेकिन मेरे क्षेत्र में 13–14 बांध ऐसे पड़े हैं जो कि पिछले 2 सालों से अधूरे पड़े हुए हैं और राज्य सरकार ने इस बजट में उन पर धनराशि खर्च करने का प्रावधान नहीं किया है। मैं मानता हूँ कि इस बजट में लघु सिंचाई योजनाओं के लिए राशि बढ़ाई गई है लेकिन कम से कम मेरी कान्सटीट्यूएन्सी में एक पैसे का प्रावधान नहीं किया गया है। इसी प्रकार सवाई माधोपुर जिले में सिर्फ तीन योजनाओं को छोड़कर किसी लघु योजना पर धन नहीं दिया गया है। किसान की इन बड़ी बड़ी दिक्कतों के अलावा और भी दिक्कतें हैं। उनके पशुओं के लिए दवा दारू के बारे में निवेदन

(श्री चेतराम)

करना है। पशु चिकित्सालयों का पूरे राजस्थान में अभाव है और यदि मिलेंगे तो बड़े बड़े शहरों में—जयपुर, जोधपुर व उदयपुर में मिलेंगे। इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जो सैक्शनिंग अथोरिटी है वह सरकारी कर्मचारी है। वे पशु चिकित्सालय किसानों के हित को देखकर नहीं खोलते हैं। वे सोचते हैं कि जहां उनके कुत्ते का अच्छा इलाज हो सकता है चाहे किसान को अपना पशु ले जाने के लिए 10—15 मील भी क्यों न जाना पड़े लेकिन अधिकारी के कुत्ते को सरकारी जीप में ले जाते हैं। मेरा निवेदन है पशु चिकित्सालयों पर ध्यान दिया जाए। बहुत से रोग ऐसे हैं जैसे चेचक, प्लेग इत्यादि। बरसात में और भी रोग पैदा हो जाते हैं तो चलते फिरते पशु चिकित्सालयों का विशेषकर बरसात के समय जरूर प्रबन्ध किया जाए।

किसानों की पेय जल समस्या पर काफी विचार हो चुका है, यह बहुत ही गम्भीर विषय है

श्री उपाध्यक्ष : कल हो चुका है।

श्री चेतराम : आज उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर जो पशुधन है उसमें हमारे लिये यह जरूरी है कि हम उनकी नस्ल में सुधार करें। इस सम्बन्ध में यह आवश्यक हो जाता है कि राज्य सरकार पशुओं के लिए औषधालय खोले ताकि उन्हें अगर कोई बीमारी लगी हुई हो तो ठीक हो जाये दूसरे आज पशुपालकों के लिये और पशुओं के लिए चारागाहों की बड़ी भारी समस्या आज राजस्थान में बनी हुई है। आज राज्य सरकार चारागाहों को कम कर रही है इससे पशु मालिकों के लिए बड़ी परेशानी हो गई है। इसलिए मेरा उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य के मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि वो चारागाहों को कम नहीं करें।

एक अन्य बात जो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा वह है राजस्थान में भेड़ और ऊन के बारे में। आज हमारे यहां राजस्थान में जो ऊन पैदा होती है वह पूरे हिन्दुस्तान की जो ऊन है उसके प्रोडेक्शन का 45 प्रतिशत है। हमारे यहां जो ऊन होती है वह बहुत ही अच्छी होती है। आज हमारे यहां पर क्लाईमेट है वह अच्छी ऊन की भेड़ों के लिये माफिक है। आज लोग यह कहते हैं कि जो इजीप्ट और सहारा में जो भेड़े हैं वो यहां नहीं रह सकतीं तो गलत बात है। क्योंकि जब क्लाईमेंट सहारा और इजीप्ट जैसी राजस्थान की है तो क्यों नहीं जो भेड़े वहां हैं उन्हें यहां इम्पोर्ट करके अच्छी ऊन यहां पर तैयार कराई जाय। आज राज्य सरकार ऊन की इन्डस्ट्री खोले तो राज्य सरकार को इस उद्योग से काफी लाभ हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उषा प्रकाश।

श्रीमती उषाप्र काश (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं आपके मारफत राजस्थान सरकार का ध्यान विशेष तौर से भरतपुर जिले की तरफ आकृष्ट करना चाहूंगी। और भरतपुर जिले में भी विशेष तौर से मेरे निर्वाचन क्षेत्र वैर की तरफ मन्त्री महोदय का ध्यान खींचना चाहती हूं। उपाध्यक्ष महोदय, कृषि और पशुपालन दोनों ऐसे विषय हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के

(श्रीमती उषा प्रकाश)

हैं। आज हमने जो जनता को गरीबी हटाओ का जो सपना अपनी जनता को दिखाया है उस स्वप्न को साकार करने के लिए हमें अपने कार्य-क्रम बनाने चाहिये। इन कार्यक्रमों का ऐसा विकास किया जाय कि जनता को इसका पूरा फायदा मिले। आज यह बात एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सभी लोग कृषि तथा पशुपालन के विकास के लिए राज्य सरकार जो भी करे वह कम है। यह सभी मानते हैं आज हालांकि कृषि में काफी अनुसंधान हमारे यहां किया है और हमने उसके जरिये किसानों का मार्ग दर्शन किया हैं जिससे किसानों को कुछ लाभ हुआ है पर दिक्कत जब आती है जबकि हमारे पैदावार को अथवा जब हमारे किसानों के पशुओं की संक्रामण रोग लग जाता है उस समय यह जरूरत पड़ती है कि हम उस संक्रामक रोग से बचाने के लिये जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जाय। इसके लिये हमें किसानों को मार्ग दर्शन करने की आवश्यकता रहती है कि किस प्रकार की दवाइयां वहां पर दी जायें। उन्हें वक्त पर दवाइयां उपलब्ध कराना ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर वो दवाइयां हम समय पर वितरण नहीं करवा सके तो फसल खराब हो सकती है, और अगर वह रोग पशुओं में फैलता है तो पशुओं के मरने का अन्देशा रहेगा। दूसरे आज हमारे को अगर किसानों को लाभ पहुंचाने की नीति को सफल बनाना है राज्य सरकार तो उसे चाहिये कि वह कृषि विभाग द्वारा काश्तकारों को समय पर अच्छे बीज दे तथा अच्छी खाद वगैरह दे। और उसके वितरण के लिये कृषि विभाग के अफसरों को चाहिये कि वह फील्ड में जाकर उन्हें कृषकों को वितरण करे। और सिर्फ अपने आफिस में कुर्सी पर बैठकर हुक्म ही नहीं चलायें। उन्हें वहां जाकर बीज व खाद वगैरहा के वितरण करने में कोई लज्जा नहीं फील करनी चाहिये। आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो टेक्नीकल कार्यकर्ता हैं उन्हें फील्ड में जाकर काम करने की आवश्यकता है। अभी अभी भी भरतपुर, अलवर, आदि जिलों में किसानों को भारी नुकसान हुआ है उसका इस सदन में पहले भी हमने बार बार मन्त्री महोदय का ध्यान आकृष्ट किया और अगर हम समय पर उस रोग को रोक लेते हैं या उसके खिलाफ युद्ध स्तर पर कार्यवाही करते हैं तो हम काफी हद तक सफल हो सकते हैं। आज मैं आपसे, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगी कि भरतपुर जिले में करीब 25 प्रतिशत ही ऐसी भूमि है जो कि सिंचित भूमि है। बाकी की भूमि तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस बारे में दिलाना चाहती हूं कि वहां अधिकांश भूमि फलड के कारण खेती के काबिल नहीं रहती। इसलिये आज वहां पर जो किसान हैं वो परेशान हैं। मैं खास तौर से कम से कम मेरे क्षेत्र वैर के बारे में कह सकती हूं वहां पर कोई माइनर इर्रीगेशन या मेजर इर्रीगेशन या मीडियम इर्रीगेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। यह ऐसा क्षेत्र है इसके बारे में मैं व्यक्तिगत रूप से मन्त्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी। उस क्षेत्र में वैसे तो पानी की सतह बहुत ही

(श्रीमती उषा प्रकाश)

गहरी है और जो बरसात की वजह से पानी ऊपरी सतह पर रहता है वह पानी खारा है। और नीचे जो पानी है उसका सर्वे करने से पता पड़ा है कि मीठा पानी है। इसके लिये अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड ने यह बताया है कि वहां पानी है और हम वहां पर पानी निकाल कर ट्यूबवेल से खेती कर सकते हैं और इस योजना से किसानों को लाभ हो सकता है। आज का किसान काफी गरीब है और हमारे को अगर काश्तकार को लाभ पहुंचाना है तो हमें सिंचाई का लाभ काश्तकार को देना पड़ेगा। दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगी की भरतपुर जिले में भेड़ों व अन्य पशुओं के लिये होस्पिटल की बहुत ही कमी है। तो आज हमारे लिये सोचने का विषय है कि अगर हमारे यहां जैसा कि मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि भेड़ व ऊन उद्योग को बढ़ावा दें तो काफी लाभ किसानों को हो सकता है: हमारे भरतपुर क्षेत्र में काफी मात्रा में भेड़ें पायी जाती है और उनकी ऊन भी अच्छी है। तो आज इन अस्पतालों के अभाव में अगर वहां के पशुओं में कोई ऐसी बीमारी फैल जाती है तो हमारे किसानों को करीब करीब 20–20 या 25 मील तक जाकर उनका इलाज कराना पड़ेगा। यह बात मैं आप को मेरे कान्स्टीट्यूएन्सी की बता रही हूं। वहां पर डिस्पेन्सरीज नहीं और न ही आउट पोस्ट्स हैं। तो इसके लिये किसानों को दूर दूर से आना पड़ता हैं और उन्हें बड़ी असुविधा रहती हैं। इस लिये मैं आपके मारफत राज्य के मन्त्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी कि उनके लिये अस्पताल खोले जायं। आज हमारे यहां करीब 79 हजार भेड़ें है। उनके विकास की जरूरत है। इस के अलावा मैं आपको एक बात और निवेदन जो करना चाहती हूं वह है हमारे भरतपुर क्षेत्र में भूमि का कटाव बहुत ज्यादा है और वहां पर पानी बह बह कर गड्डे बन गये हैं और वहां पर अगर इसी तरह भूमि का कटाव होता रहा तो आपसे निवेदन कर दूं कि सिंचाई के लिये भी जमीन बाद में नहीं रह सकेगी वैसे भी हमारे क्षेत्र में सड़कें नहीं है और जो सड़कें है उनकी हालत खराब है। तो लोगों के आगमन में काफी दिक्कत रहती है तो इसके लिये जरूरी है कि भूमि के कटाव को रोका जाये और नयी सड़कें भी बनायी जायं। हर साल उपाध्यक्ष महोदय, पहाड़ों से बरसात के दिनों में पानी बह कर आने से पानी नीचे नालों में गिरता और नाले गहरे हो रहे हैं और भूमि का कटाव हो रहा है। तो इस भूमि के कटाव को रोकने की आज राज्य सरकार के लिये अत्यन्त आवश्यकता है दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहूंगी मन्त्री महोदय को आपके मार्फत वह है पीने के पानी की समस्या के बारे में। आज हमारे यहां पीने के पानी की बड़ी समस्या है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र वेर में पीने के पानी की बहुत ही कमी है। एक तो यह क्षेत्र अन्य जिलों से काफी पिछड़ा हुआ है दूसरी बात यह भूमि का जो कटाव हो रहा है वह ऐसी स्थिति पैदा कर रहा है कि थोड़े दिन बाद उस क्षेत्र से जीप भी जाने की हिम्मत नहीं करेगी। क्योंकि आज जो पानी बह कर आता है वो नीचे आकर

(श्रीमती उषा प्रकाश)

गड्ढों में भर रहा है और गड्ढे गहरे हो रहे हैं। इसलिये सड़कों के लिये तो सरकार कब पैसे मन्जूर करेगी पर राज्य सरकार को चाहिये कि वहां पर पुलियें बना दें ताकि उन पुलियों पर से जीप गाड़ी वगैरह निकल सके और जनता को आने जाने में असुविधा न हो। इसके लिये मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करूंगी कि वो इन नालों को गहरा होने से बचायें। ऐसी व्यवस्था करें।

इन शब्दों के साथ आपका ध्यान कुछ समस्याओं की ओर आकर्षित किया। भरतपुर जिले से, जहां से सरकार को काफी अच्छी आय होती है, उसके जो समस्याप्रद इलाके हैं उनकी ओर ध्यान देंगे और पूंजी की लागत में से खास तौर से नल योजना इर्रीगेशन के लिये उसका हिस्सा देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहरलाल।

श्री मनोहरलाल (कामां) : उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य है हमारे देश में हमारे नेताओं ने और अधिकारियों ने अभी तक यह नहीं सोचा कि कृषि पर हमें कितने लोगों को रोजगार देना है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन कर दूं अन्य देशों में 20 प्रतिशत लोग ही कृषि पर आधारित हैं।

एक माननीय सदस्य : 5 परसेन्ट हैं।

श्री मनोहरलाल : एक माननीय सदस्य कह रहे हैं कि पांच परसेन्ट हैं। यह तो और भी अच्छा है कि 20 परसेन्ट न होकर पांच परसेन्ट ही है। बड़े बड़े देशों को वे अपनी प्रोड्यूस भेजते हैं। रूस को भेजते हैं, अमेरिका को भेजते हैं। हमारे देश में 80 प्रतिशत काश्तकार हमारे देश का काम नहीं चला पाते हैं। मैं कृषि मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि किसान की उन्नति करना चाहते हैं, स्वयं आप अच्छे किसान हैं, खुद के काश्त होती हैं, अगर आप चाहते हैं कि किसान की हालत सुधरे, तो कृषि की हालत सुधरे तो कृषि पर आबादी का जो भार है उसको कम करें। मेरा सुझाव है, उपाध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्री महोदय चाहें उसके लिये सर्वे करवा लें, हमारे यहां खास तौर से राजस्थान में 50 प्रतिशत लोग खेती का काम करें। 80 प्रतिशत लोग खेती पर काम करते रहे यह कोई अच्छी बात नहीं है. यह हमारे पिछड़ेपन की निशानी है। पचास प्रतिशत लोग तय कर लें कि इतने अधिकारी होंगे, पटवारी तहसीलदार आदि होंगे और इतने विद्यार्थियों के लिये इतने इस प्रकार के स्कूल खोले जावेंगे और पचास प्रतिशत आबादी केवल काश्त करे, बाकी दूसरे लोग दूसरा काम करेंगे। उससे यह होगा कि रोज जमीन के टुकड़े नहीं होंगे। और सीलिंग नहीं करना पड़ेगा। आज हर आदमी किसान और कर्मचारी है। जो लोग कृषि नहीं करते हैं वे लोग जमीन दबा बैठे हैं और दूसरे लोग काश्त करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बार निवेदन करना चाहता हूं इस सम्बन्ध में एक हमारा बहुत क्रान्तिकारी कदम होगा, वैसे राजस्थान भूमि सुधारों के माने में एक क्रान्तिकारी प्रदेश रहा है, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक क्रान्तिकारी कदम यह भी उठायें

(श्री मनोहरलाल)
और भूमि पर आबादी का जो भार है उसको कम करें।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। मेरा कोई गंगानगर से झगड़ा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि गंगानगर का विकास रुके। मैं नहीं चाहता कि रेगिस्तान में हमेशा अकाल पड़ते रहें। मैं चाहता हूं कि अकाल को मेटा जाय और गंगानगर का विकास हो। लेकिन गंगानगर के विकास के नाम पर, रेगिस्तान के विकास के नाम पर सारे कृषि साधन और अन्य साधन, सारा वजन उस ओर खींच दिया जाय, और बाकी के हिस्सों को गौण कर दिया जाय, सारी चर्चायें रेगिस्तान और गंगानगर को आधार बना कर की जाती हैं। मैं नहीं जानता कि मंत्री महोदय मेरी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे कि 20 प्रतिशत किसान भूमि पर रहें। छोटी किस्म के किसान राजस्थान में रहते हैं। मैं पूर्वी और पश्चिमी राजस्थन का झगड़ा नहीं चलाना चाहता। बात सुनी नहीं जाती जब तक मतभेद के आधार पर उसको पेश नहीं किया जाता। यदि मैं भी सिशोदिया गार्डन में, राज्यपाल होता कोकटेल पार्टी देता तो मेरी भी बात सुनी जाती। मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कि वह दिन आवेगा जब पूर्वी राजस्थान के लोग अलग प्रदेश की मांग कर हरियाणा में जाने की बात करें। आप रेगिस्तान को लेकर बैठे रहना। केन्द्र से मांग करना। हम देना भी चाहते हैं और लेना भी चाहते हैं हमारी जो आज तक उपेक्षा की जाती रही है वह उपेक्षा नहीं चाहते। हम पानी में डूबे रहें लेकिन हमें पानी नहीं मिलता जब जरूरत होती है। सब्जियों को पानी की जरूरत है पानी नहीं मिलता। ट्यूबवेल नहीं। काश्तकारों को पैसा दिया जाता है लेकिन यह उन्हीं को दिया जाता है जो कि कृपा पात्र हैं आपके। वही झगड़ा शुरू होगा। हमारे इलाके में झगड़ा शुरू होगा। बाढ़ का पानी आता है, नगर का पानी आता है। कामां, भरतपुर, डीग में आता है। खरीफ की फसल गल जाती है और रबी की फसल में पानी निकलता नहीं। दोनों फसलें बिगड़ जाने के बाद भी सिंचाई विभाग टैक्स लेता है। सरकार नहीं सुनेगी लेकिन आपसे निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आजकल भी अकाल है। खरीब की फसल को बाढ़ का पानी गला देता हैं और रबी की फसल में पानी खाली नहीं होता है और एक दण्ड के रूप में कर हमसे वसूल किया जाता है।

एक सुझाव मैं और देना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां फसल आती है। इस बार वहां पर गलत बयानी यह की गई कि बहुत कम नुकसान हुआ। 50 परसेन्ट बताई। भरतपुर कलेक्टर ने रिपोर्ट भेजी उसमें उन्होंने बताया कि 90 परसेन्ट सरसों में चेपा लगकर नुकसान हुआ। नदबई में 60 परसेन्ट और 80 परसेन्ट नुकसान हुआ खरीफ की फसल भी पानी ने गला दी। दोनों फसलें बरबाद होने के बाद और अधिकारी की रिपोर्ट आने के बाद भी सरकार को यकीन नहीं। रिपोर्ट भेजने का भी गलत तरीका है। उपाध्यक्ष महोदय, पटवारी और ग्राम सेवक द्वारा रिपोर्ट भेजने का गलत तरीका है। मैं नहीं कहता कि आप उन पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं। आप अपनी मशीनरी पर विश्वास कीजिए। किसानों के सुधार के लिए किसान सभाएं हों। तहसीलदार रिपोर्ट भेजता है।

(श्री मनोहरलाल)

कलेक्टर भेजता है। उसमें घटा बढ़ा कर यहां मन्त्री महोदय बता देते हैं। किसान ग्राम सभायें हों, तहसील का सुधार हो और पशु पालन के लिए गोपालन सभायें हों। पहले सुझाव दिया था कि वेयर हाउसिंग की व्यवस्था की जाय। बड़े काश्तकार देर से बेचते हैं। छोटे काश्तकार को चूंकि कर्जा चुकाना होता है इसलिए जल्दी सौदा बेच देता है। बार गेन नहीं करता है, सौदा नहीं कर पाता है, भाव ऊंचे नीचे नहीं कर पाता है। केवल ब्याज और कर्ज चुकाने के लिए वह अपनी जो भाव हो उसके अनुसार फसल बेच देता है। सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक ठीक दाम न मिलें, एक माननीय सदस्य ने पहले सुझाव रखा था, तो जब तक ठीक दाम नहीं मिले तब तक सरकार उसको कर्जे के अगेन्स्ट में उस माल को कर्जे के मुताबिक सरकारी गोदामों में रखें और जब किसान बेचना चाहे तब बेचे वरना क्या होता है मण्डियों में माल लाते ही उसकी कीमत घट जाती है। बोहरे उसकी फसल को ले लेते हैं। कापरेटिव बैंक के कर्मचारी उसकी फसल को नीलाम करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं हमारे इलाके में अबकी बार, मैंने स्थगन प्रस्ताव भी रखे, हमारे यहां कोई फसल नहीं हुई फिर भी ब्याज सहित सरकारी कर्जे लोगों को अपमानित करके वसूल किये जा रहे हैं। मेरे क्षेत्र गोपाल-पहाड़ी गंज में अपमानित करके वसूल किया जा रहा है। औरतों के जेवर और मवेशी बेचने के लिये मजबूर किया जा रहा है। मैं समझता हूं हमारे मंत्री महोदय किसान हैं, अच्छे किसान हैं जरूर ध्यान देंगे। आज काश्तकार का जो कर्जा है उसको चुकाने के लिये बिना ब्याज उनसे वसूल किया जाय और सारे लगान स्थगित कर दिये जायें। 10 साल से हमारे इलाके में फसलें नहीं हुई हैं, पानी के डूब में आ गई है या जल गई है और इस तरह अगले 10 साल का लगान वसूल नहीं किया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जय किशन।

श्री जैकिशन (फागी) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज का विषय कृषि सम्बन्धी और पशु पालन सम्बन्धी है। मैं उसी के विषय में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारी राजस्थान की सरकार एक तरफ किसानों की उन्नति देखना चाहती है लेकिन दूसरी ओर उनके ऊपर टैक्स पर टैक्स लगाया जा रहा है। हम बजट का एक दृष्टि से अवलोकन करें तो हमें उस बजट की वास्तविकता का ध्यान होता है। वह किसान जो आज हमारे राजस्थान में ही नहीं बल्कि समस्त हिन्दुस्तान के अन्दर कदम कदम पर किसान अपना घर बसायें और छोटी सी जमीन लिये अपना जीवन यापन करता हुआ नजर आ रहा है। आज हमारी भारत की जनता 80 और 85 प्रतिशत खेती पर निर्भर है लेकिन फिर भी एक तरफ हम यह रख देना चाहते हैं कि किसान उन्नति कर रहा है। लेकिन जब उसकी दयनीय स्थिति को देखते हुये, किसान आज पिछड़ी हुई स्थिति में बैठा है जहां वह सौ साल पहले था वहीं पर आज है।

(श्री जैकिशन)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राजस्थान सरकार की भावनाओं को मैं आपकी ओर आकर्षित करते हुये अपने विचार उनके समक्ष रख देना चाहता हूं। किसान जो चमचमाती धूप में और ठिठरती हुई सर्दी में और चमचमाती बरसात के अन्दर इस प्रकार का त्याग करके हमारे लिए अनाज पैदा करता है यदि उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया तो उन्हीं के बल-बूते पर हम आज इस सदन में विचार विमर्श कर रहे हैं यदि उन किसानों की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो यह समय नहीं आ सकता है, यह अवसर नहीं मिल सकता है। न व्यापारी के पीछे, न व्यक्तिगत वर्गों के पीछे, न विशेष वर्ग के पीछे। आज हम चुनाव जीत कर आये हैं उन किसानों के पीछे। उन किसानों को धन्यवाद है जो इतनी मुसीबत के बाद भी हमारे प्रति पूर्ण आस्था रखती है...

एक माननीय सदस्य : आप कटौती के प्रस्ताव पर बोल रहे हैं या धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे हैं।

श्री जैकिशन : तो उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से किसानों की भावनाओं के आधार पर हम यहां आये हैं। अगर उनकी भावनाओं को साकार रूप न दिया गया तो उन किसानों का क्या हो सकता है। आज राजस्थान के क्षेत्र में जाकर देखें। प्रत्येक किसान की जमीन और भूमि का अवलोकन करें तो उन किसानों के पास बरसात के कारणवश, अकाल के कारणवश ऐसी स्थिति आ गई है कि वह ठीक प्रकार से खेती नहीं कर पाता है। बरसात के कारण भूमि कट चुकी है जगह-जगह बांध और तालाब टूट गये हैं। एक तरफ हम किसान की उन्नति चाहते हैं लेकिन दूसरी तरफ उनके लिये पानी एकत्रित नहीं हो सकता है। आज हम यह कहते हैं किसान की उन्नति करना चाहते हैं लेकिन दूसरी ओर सिंचाई पर टैक्स लगाया जाता है। आज कृषि के अन्दर, खेती के अन्दर पूर्ण रूप से पैदावार करना चाहते हैं लेकिन जब अपनी जोती हुई जमीन को और लहलहाते खेत को देखना चाहते हैं तो उसकी जमीन पर कर लगता है। एक तरफ हमारे भारत का किसान विशेष प्रकार की उन्नति कर देना चाहता है लेकिन दूसरी ओर निगाह उठा कर देखें तो उनको खाद भी उपलब्ध नहीं होता है। आज रेकार्ड उठा कर देखें तो ऐसी परिस्थिति है 6 महीने पहले उनका नाम रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाता है लेकिन फिर भी उनको समय पर खाद और बीज नहीं मिलता है। आप मेरे फागी तहसील में चलिये मैं आपको रेकार्ड बता दूंगा दो महीने पहले जो नाम दर्ज कर लिया गया था उनके पास दो महीने के बाद खाद और बीज पहुंचते हैं। यदि इसी प्रकार की स्थिति बनी रही तो हम किसान की उन्नति नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं अगर किसान की उन्नति करना चाहते हैं तो उनके बीज के बारे में, उनके खाद के बारे में और साथ ही भूमि और स्थिति के बारे में सोचना पड़ेगा और सोच कर किस प्रकार हम उनका भला करना चाहते हैं, किस प्रकार उनका विकास करना चाहते हैं, इस रीति और नीति को धारण करना पड़ेगा।

(श्री जैकिशन)

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं किसान हैं, आदरणीय मंत्री महोदय आप स्वयं किसान हैं और पूर्ण रूप से हमारे किसानों की दयनीय स्थिति को भी जानते हैं कि किस रूप से हम किसान को सही रास्ते पर ला सकते हैं, उनकी किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं तभी जाकर हमारे भारत और राजस्थान का किसान उन्नति की ओर बढ़ सकता है। हर पंचायत समिति के अन्दर किसान की उन्नति यदि हम करना चाहते हैं तो विशेष प्रकार की समितियां स्थापित की जायं और समिति के जो सदस्य नियुक्त किये जायं उन सदस्यों के अन्दर भी विशेष रूप से ईमानदार व्यक्तियों को रखा जाय जिससे किसान की समय-समय पर उन्नति हो। वह समिति किसान की दयनीय स्थिति का अवलोकन करे और एक विशेष रूप से वहां पर कृषि का अवलोकन करने के लिये राज्य की ओर से एक डाक्टर रखा जाय जो समय-समय पर उनको कृषि के बारे में, खाद के बारे में, बीज के बारे में किस प्रकार अधिक उत्पादन हो उसकी सूचना देता रहे (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) तभी जाकर हम किसानों की उन्नति कर सकते हैं। यदि खेती और कृषि को पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित रूप से रखना चाहते हों तो जहां सिंचाई के साधन नहीं हैं, उन क्षेत्रों के अन्दर किसानों के लिये पूर्ण रूप से सिंचाई के साधन उपलब्ध करा दिये जायं। अभी अभी हमारा किसान खेती के मामले में अशिक्षित है, कौनसी फसल किस समय और कौनसा बीज किस समय दिया जाना चाहिए (पुनः घंटी) कौनसी भूमि में क्या चीज बोई जाय उसके आधार पर यदि ठीक ढंग से समझाया जाय, समय-समय पर उनको सही रास्ता दिखाया जाय तो पूर्ण रूप से हमारा किसान बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ सकता है और अपनी खेती में उन्नति कर सकता है। मेरे क्षेत्र में बाढ़ आ जाने से बान्ध टूट गये। वे पूर्ण रूप से खेती के सिंचाई के काम में आते थे। यदि उनके ऊपर ध्यान दिया जाय तो खेती की सिंचाई के लिये वे बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं और इस प्रकार की स्थिति को हम सम्भालें तभी जाकर हमारा किसान उन्नति कर सकता है। यदि आज हमारे देश के किसान की उन्नति होगी तो व्यापारी की भी उन्नति होगी, विद्यार्थी की भी उन्नति होगी ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अगर हम फैक्ट्री और उद्योगों की स्थापना करना चाहते हैं और यदि वास्तव में उनकी उन्नति देखना चाहते हैं तो किसान पर ध्यान दें।

किसान एक भोला-भाला प्राणी है और उसको हम जिस प्रकार से मोड़ना चाहते हैं वह मुड़ता है। हम आज उन्हीं के आधार पर चुन कर आये हैं और उन्हीं के लिए हम सारे काम करते हैं।

(समय–समाप्ति–सूचक घन्टी)

इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि हम पूर्ण रूप से किसान और उनके द्वारा बोई गई खेती का ठीक ढंग से लाभ लेना चाहते हैं तो हमें हर स्थिति में उनकी सहायता करनी पड़ेगी और कदम-कदम के ऊपर

(श्री जैकिशन)
जब तक किसान को सही रास्ता नहीं दिखाया जायेगा तब तक हमारी खेती की उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि समय कम है क्योंकि बार-बार घन्टी बजाई जा रही है, हम क्या करें पूर्ण रूप से विचार नहीं रख सकते, बड़ा दुःख है हमें, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि मैं किसान का बच्चा हूं और किसान का बच्चा होने के नाते मैं उनकी दयनीय स्थिति को अच्छी तरह से समझता हूं और मैं छोटे से गांव का रहने वाला हूं और मैं जानता हूं कि वहां के किसान की क्या स्थिति है और हमारे मन्त्री महोदय और उपाध्यक्ष महोदय देखें तो उन्हें भी मालूम हो जायेगा कि किसानों की दशा कैसी है तब जाकर हम उनकी उन्नति करने के लिए और अग्रसर हो सकते हैं। जयहिन्द

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेशचन्द्र शर्मा

श्री सुरेशचन्द्र (कोटपुतली) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश कहलाता है इसीलिए इसी सत्र के शुरुआत में ही हमारे वित्त मन्त्री जी ने सदन में घोषणा की थी कि हम हरित क्रान्ति लाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यदि वास्तव में हरित क्रांति आये और आम किसान महसूस करे कि वास्तव में हरित क्रांति आ रही है तो हमें समझना चाहिये कि हमने तरक्की की है। हम देखें कि क्या वास्तव में हमने सब किसानों तक या गांवों तक हर किसान को अच्छे बीज, अच्छे उपकरण और उनको किटाणुनाशक औषधियां दे दी हैं जिससे कि आने वाली सारी दिक्कतों को दूर कर सकें? यदि हम निष्पक्ष रूप से निर्णय लें तो मानेंगे कि वास्तव में किसानों को जो हमने सुविधायें देने की सोची हैं, जिनकी कि घोषणा की है, जो करने का हमने विचार किया है वह उनको नहीं मिल पाया है। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि आज भी किसानों की वही की वही हालत है। आज भी गांव में हमारा किसान हल से खेती करता है, हाथों से बीज डालता है, हाथों से फसल को काटता है जब कि दुनियां के और देश हमसे काफी आगे बढ़ गये हैं। हो सकता है हमने कुछ अधिकारियों तक कुछ प्रभावशाली नेताओं तक ये सुविधायें प्रदान कर दी हों जिससे हम कहें कि हमारे राज्य में हरित क्रांति आ गयी है। मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि आज भी हमारी जितनी जमीन है और जो कृषि योग्य नहीं है उसके सम्बन्ध में हमने कोई योजना नहीं बनाई। यदि हम ऐसा कर लेते तो इससे किसानों को राहत मिलती और हमारी पैदावार भी बढ़ती।

इसी प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, बैंक राष्ट्रीयकरण करने के बाद यह महसूस करते थे कि जहां पंचायत समिति या सरकार द्वारा तकावी और ऋण दिया जाता था उसमें काफी परेशानियां आती थी और इस सुविधा को देने के लिए कि गांव-गांव में किसानों को आसानी से ऋण मिल सके इसके लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह सुविधायें दी गई लेकिन खेद है कि ये सुविधायें देने के बाद भी मैं अनुरोध करूंगा कि किसानों को जो राहत मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली। पटवारी से रिपोर्ट चाहिए, ग्रामसेवक से रिपोर्ट चाहिए और तहसीलदार की स्वीकृति चाहिए और

(श्री सुरेशचन्द्र)

फिर बैंक वाले ऋण देंगे और अगर सम्मिलित खाता हो तो उसमें एतराज होगा और किसान को ऋण नहीं मिलेगा। तो बैंक वालों को एतराज होता है कि सब राजी नहीं हो तब तक लौन नहीं मिल सकता है मेरा अनुरोध है कि जहां तक जमीन में उस किसान का हिस्सा है वहां तक उस किसान को ऋण मिल जाना चाहिये। इसी प्रकार से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध करूंगा कि हर एक को ट्रैक्टर की सुविधायें उपलब्ध नहीं है। यदि आपकी जमीन 30-40 बीघा से कम है तो ट्रैक्टर के लिए बैंक से ऋण नहीं मिलता है। और इससे कम जमीन है तो किसान अपने बैल और ऊंट से खेत जोतता है और आज भी बैंकिंग व्यवस्था में ऋण नहीं मिलता न सहकारी बैंक से मिलता है और न अन्य बैंकों से मिलता है। तो मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि छोटे किसानों को ऋण मिल सके।

अब उपाध्यक्ष महोदय, विशेष रूप से मैं अनुरोध करूंगा कि वास्तव में ग्रामीणों को खेती के प्रति आप बढ़ावा देना चाहते हैं तो आपको गांवों में कृषि कॉलेज खोलने चाहिए। मैं मेरे क्षेत्र के बारे में आपसे अनुरोध करूंगा कि कोटपुतली तहसील में पावटा ऐसी जगह है कि जहां 70 बीघा जमीन पड़ी हुई है जिसमें कुआ है और एंजिन लगा हुआ है और जहां भवन भी बना हुआ है। पहले उस भवन में स्कूल चलता था लेकिन आज वह स्कूल तो खत्म हो गया है तो आपके पास भवन है, भूमि है, कुआ है और एंजिन लगा हुआ है ऐसी हालत में यदि सरकार निर्णय ले सके और वहां कृषि कॉलेज स्थापित कर सकें तो आपको दिक्कत नहीं आयेगी और आसपास में ऐसा क्षेत्र पड़ता है कि यदि आप कृषि को सुविधा दें और कॉलेज खोलकर कृषि को बढ़ाने का मौका दें तो वहां सारा ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है और इससे वहां काफी लाभ हो सकता है। इसी प्रकार से स्कूलों में मांग की जा रही है कि यह ग्रामीण क्षेत्र है और स्कूलों के पास जमीन भी है, उन स्कूलों को पंचायत और गांव के लोगों ने जमीन दे दी है लेकिन वहां पर कृषि का वैकल्पिक विषय नहीं खोला है, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे कृषि मंत्री जी इस पर विचार करेंगे।

इसी प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध करूंगा कि पशुपालन के बारे में अभी तक सरकार का ध्यान उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए हालांकि हमारे राज्य में अच्छी नस्लें हैं और व्यवस्था की गयी है कि पंचायत स्तर पर अच्छे सांड और भैंसे दिये हैं लेकिन क्या वास्तव में इस प्रकार की जो व्यवस्था होनी चाहिए और जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं या ग्रामसेवक हैं या एक्टेन्शन आफिसर हैं वे किसानों को सही राय दे पाते हैं? इस बारे में मेरे ख्याल से गौर किया जाना चाहिए। मैं अनुरोध करूंगा कि आज भी किसानों के पास ग्रामसेवक या कृषि प्रसार अधिकारी नहीं पहुंच पाते हैं और जब कभी उनको दिक्कत आती है और कहीं फसल खराब होती है तो किसान ज्यादा समझता है बजाय उन अधिकारियों

(श्री सुरेशचन्द्र)

के। आज सरसों में चेपा की बीमारी है मैं समझता हूं कि उसको हम नहीं संभाल पाये और जब जब कोई भी बीमारी लगती है तो उस समय में किसान उम्मीद करता है कि हमें कृषि विभाग को मदद मिलनी चाहिए तो वह मदद नहीं कर सकते। तो मैं नहीं समझता कि आपका विभाग किस प्रकार से मदद करता है मैं इसी प्रकार से अनुरोध करूंगा कि आपने कृषि उपज मण्डियां कायम की और उसके द्वारा किसान अपना माल उनमें लाये और उसके बेचने का प्रबंध आपने किया है लेकिन असल में होता क्या है कि जितने भी खाद्य निगम के अधिकारी हैं या कृषि उपज मण्डी में काम करते हैं वह व्यापारियों से मिले हुए होते हैं और इसका मतलब यह है कि जहां किसान माल लाते हैं उसको मदद नहीं दी जाती बल्कि व्यापारी लोग उसको कम कीमत में खरीदते हैं और उसके बाद खाद्य निगम के अधिकारी खरीदते हैं। इसका मतलब यह है कि जो किसानों को फायदा होना चाहिए वह नहीं होता है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि जो भी क्वालिटी इन्सपेक्टर है वह किसानों के प्रति सहानुभूति रखने वाले हों, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से कृषि विभाग पर आपसे अनुरोध करूंगा कि अभी भी किसानों को सिंचाई की सुविधा नहीं है, खाद समय पर देने की सुविधा और बीज समय पर देने की सुविधा नहीं दे सके हैं। आज समय है जब कि पंचायत समिति स्तर तक बीज पहुंच जाना चाहिए लेकिन असल में होता क्या है कि बीज का डिस्ट्रिब्यूशन जो आपके विभाग द्वारा कर दिया जाता है कि वह आपके आफिस से पंचायत समिति को अलाट होता है, पंचायत समिति से वितरण होकर ग्राम सेवक के पास जाता है और ग्राम सेवक किसानों को कब देता है यह तो भगवान ही जाने। ग्राम सेवक जब तक किसानों को बीज देता है तब तक फसल लोग बो देते हैं और बीज पहुंच नहीं पाता है। यहां तक होता है कि विभाग द्वारा जो बीज दिया जाता है वह किसानों तक पहुंचते 2 फसल का समय निकल जाता है और फिर किसान उस बीज को बोते हैं तो वह बीज पैदा नहीं होता है, किसान की कोई पैदावार उस बीज से नहीं होती है और इसे किसान के दिमाग में यह बात बैठ जाती है कि सरकार की तरफ से जो बीज दिया जाता है वह खराब बीज दिया जाता है, उसमें औषधियां मिली होती हैं इससे पैदावार नहीं होती और इस प्रकार किसान को स्वयं अपने स्तर पर बीज की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो अधिकारी बीज खरीदते हैं और इनके वितरण की व्यवस्था करते हैं उन पर इस बात की जिम्मेदारी हो कि वे समय पर बीज पहुंचाने की व्यवस्था कर देंगे और पंचायत स्तर और ग्राम सेवक के स्तर पर समय पर पहुंचा देंगे और अगर वे ऐसा समय पर नहीं कर सकें तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहना चाहूंगा और आपके मार्फत कृषि मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप इस सम्बन्ध में यदि आप वास्तव में यह चाहते हैं कि कृषि

(श्री सुरेशचन्द्र)
में उन्नति हो, कृषि में हरित क्रांति हो तो यह जो आपका हरित क्रांति का नारा है, यह आपका नारा ही रहेगा या आप वास्तव में इस हरित क्रांति को किसान तक वास्तव में पहुंचा पायेंगे, यह नारा जयपुर रोड़ पर हो सकता है, अजमेर रोड़ पर हो सकता, आगरा रोड और झोटवाड़ा तक हो सकता है, क्योंकि यहां पर आपके बड़े 2 फार्म है, आपके बड़े-बड़े अधिकारियों के फार्म हैं, मैं इसको मान सकता हूँ कि आप यहां पर हरितक्रांति का नारा पहुंचा देंगे लेकिन यदि आप वास्तव में इस नारे को किसानों तक पहुंचाना चाहते हैं, हरित क्रांति को वास्तव में क्रांतिबनाना चाहते हैं तो आपको इस ओर ध्यान देना होगा और व्यवस्था करनी होगी। उपाध्यक्ष महोदय, आज स्थिति यह है कि दुर्गापुरा फार्म में कितने ही अधिकारी कितने ही सालों से यहां बैठे हुए हैं। जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं जिनकी पहुंच है वे चाहे योग्य हों चाहे न हों, यहां बैठे हैं। जो योग्य हैं उनका भी सलेक्शन नहीं होता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि अगर हम वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो हमें क्रांतिकारी कदम उठाने पड़ेंगे नहीं तो यह सारी बातें कागजों में रह जाने वाली है केवल हमारी घोषणाओं में और नीति निर्धारण में रह जाने वाली है और स्टेटमेन्ट होने तक सीमित है। मैं समझता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय की घण्टी बजने वाली है इससे पहले ही मैं अपनी बात समाप्त कर देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (कपासन) : माननीय उपाध्यक्षजी, मैंने आज अपने कटमोशन्स दिए हैं।

(समय 4.14 म. प.)

(श्री गफ्फार अली, सभापति, पीठासीन)

खास करके कृषि और पशुपालन के बारे में। इन दोनों का एक प्रकार से समन्वय है और यों कहना चाहिए कि जो खेती करते हैं उनके लिए पशु धन एक बाहों की तरह से है। लेकिन आज हम देखते है कि आज क्या दशा कृषि और पशुओं की है। हमारी सरकार ने भेड़ पालने के लिए, ऊन विकास के लिए कई अलग-अलग विभाग खोले हैं लेकिन आज हम देखते हैं कि जिस स्थिति में हम आज से 25 साल पहले थे उसी में अपने आपको पाते हैं। हम किसी प्रकार को नई नस्ल की गायें, बछड़े नहीं देखते अलबत्ता भेड़ें कहीं होंगी तो जहां कार्यालय होंगे वहां रखी होंगी, उनके आस पास में दिखाई देती होंगी लेकिन हमारे चित्तौड़ जिले में जो भेड़ प्रजनन केन्द्र है वहां देखते हैं कि 10–20 भेड़ें हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : दस बीस ही हैं।

श्री शंकरलाल (कपासन) : सौ पचास होंगी। दूसरी बात यह है कि जब से सन् 59 से पंचायत समितियां बनीं और यहां लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण का नारा लगा उसके बाद में गांवों में हर पंचायत समिति में सांड की व्यवस्था करने का और खेती की उन्नति का नारा तो जरूर दिया लेकिन वह कागजों में तो जरूर दिया, कागजों में तो जरूर होगा लेकिन क्रियान्वयन होने की आज तक सुविधा पैदा नहीं हुई। सवाल इस बात का है कि आपने पंचायत समितियां खोलीं, पंचायत समितियों में ग्राम सेवक हैं

(श्री शंकर लाल)
और कृषि प्रसार अधिकारी हैं, किसानों की फसलें नष्ट हो जाती हैं लेकिन कोई आकर के इस प्रकार की देखभाल नहीं करता कि इस पर कौन सी दवाई असर करेगी और वह दवाई कहां से उपलब्ध होगी और किस प्रकार से उपयोग किया जाएगा। और आप इन कागजों में तो जरूर देख लेंगे कि फलां कृषि प्रसार अधिकारी ने फलां 2 जगह का दौरा किया और फलां फलां जगह गया लेकिन वास्तव में कहीं नहीं जाता है, जाता होगा तो किसी रिश्तेदार के यहां जाकर माल मलीदा खाकर हैड क्वार्टर आ जाता होगा। केवल नाईट हाल्ट बताने की जरूरत है टी. ए. डी. ए. के लिए तो वह जरूर कर देते हैं कि नाईट हाल्ट बाहर दिखा देते हैं। कम से कम आप थोड़ा यह तो करो कि जो टी. ए. डी. ए. लेते हैं तो कुछ काम तो करें। न तो ईमानदारी से काम करते हैं और न किसानों तक पहुंचाते हैं। न कृषि विभाग में समय पर बीज उपलब्ध होता है और जो बीज दिया जाता है वह गेहूं, मक्का, ज्वार बाजरा वगैरा जो भी फसलें हैं, बुआई हो जाने के बाद में बीज आता है। तो यह आपकी बीज की स्थिति है और इसमें गवर्नमेंट का पैसा यों ही वेस्टेज होता है। दूसरी तरफ सरकार कहती है कि पैसा नहीं इसलिए टैक्स लगावें, यह करो, वह करो, यों करो, वों करो इसका बढावा करो, अन्न उत्पादन करो, लेकिन करके करें क्या? कपास के सम्बन्ध में आपसे अर्ज करूं कि कपास का भाव पहले दो सौ ढाई और तीन, सवा तीन सौ तक का भाव था लेकिन चुनाव के वक्त में दो सौ ढाई सौ का भाव तक भी था लेकिन अन्त में जाकर यह नतीजा हुआ कि सौ रुपये क्विन्टल में भी कोई नहीं लेता है। क्या आप इसी तरह से समाजवाद लाना चाहते हैं। यह आप समाजवाद लाना चाहते हैं कि लोगों को तीन सौ की जगह सौ के भाव में पैसे मिलें। बहुत अच्छा लक्ष्य है आपका। दूसरी तरफ ट्रैक्टर और ट्रोली पर टैक्स लगा रहे हो और ट्रैक्टरों पर टैक्स लगा रहे हो। डीजल मंहगा हो रहा है। एक तरफ तो यह हालत है और दूसरी तरफ यह देखते हैं कि आज जिसके पास सौ बीघा जमीन है वह जितना नहीं कमा पाता उससे ज्यादा तो आपके बड़े 2 आर. ए. एस. आफिसर तनख्वाह में ले लेते हैं। वे किसान लोग तो बोहरे लोगों के सहारे जिन्दा हैं आज तक। आपने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके बड़ा भारी संसार में नारा लगा दिया लेकिन नारा लगाने से क्या होता है। क्या आप किसानों को कुछ पैसा दे पाये, यह भी आज तक देखा। एक गरीब किसान को कुआ खोदने के लिए पैसा चाहिए, अपनी पैदावार बढाने के लिए पैसा चाहिए तो सारी कार्यवाही में उसको कितनी परेशानी होती है। आपने यह नो-ड्यू-सर्टीफिकेट का एक ऐसा रोड़ा लगा दिया है कि तहसील में जाओ, को आपरेटिव सोसाइटी में जाओ, भूमि बन्धक बैंकों में जाओ और चाहे इनसे पैसा लिया हो या नहीं लिया हो इनसे नो-ड्यू-सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। इससे किसानों को कितनी बड़ी परेशानी हो रही है। इसलिए कृपा करके आप इसको बन्द करवाएं। स्टेट बैंकों वाले पैसा देते भी हैं तो कह देते हैं कि यह गांव हमारी एप्रूव्ड लिस्ट में नहीं है। यह एप्रूव्ड और अनएप्रूव्ड क्या है। ऋण देना है तो उनको

(श्री शंकरलाल)

सारी लैंड आप मार्गेज करते हैं और फिर जमानत और लेते हैं। इसलिए बैंकों के राष्ट्रीयकरण से भी आखिर क्या फायदा मिला। अगर आप वास्तव में कृषि की उन्नति चाहते हैं तो इस कानून में थोड़ा सरलीकरण करें ताकि किसानों को तकलीफ नहीं हो।

दूसरी तरफ जहां हमारे हरियाणा में कपास की खरीद शुरू करदी है अपने फूड कारपोरेशन के जरिए या कृषि विभाग के जरिए तो आपने भी राजस्थान में देखा देखी शुरूआत की है, लेकिन वह गंगानगर जिले में ही की है। चित्तौड़ जिला इस प्रकार का जिला है जहां मैं समझता हूँ कि 35 प्रतिशत खेती कपास की होती है और कपासन जो निर्वाचन क्षेत्र मेरा है उसका नाम भी कपासन कपास की पैदावार की वजह से भी पड़ा है लेकिन वहां पर खरीद की कोई व्यवस्था नहीं है। तो जिस तरह से गंगानगर में आपने कपास की खरीद शुरू की है दूसरी जगहों पर भी खरीद शुरू करें। एक तरफ किसानों पर टैक्स लगाते हैं, फर्टीलाईजर पर टैक्स लगा दिया है....

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

सभापति महोदय, घण्टी का मुझे भी ध्यान है लेकिन यह भी आप देखें कि इस हाउस में मैं पहली बार बोल रहा हूँ। कम से कम आप इस बात का भी ध्यान रखें मैं अपने जिले के बारे में सारी बातें बताऊंगा। मैं अर्ज कर रहा था कि यह आपके छोटे 2 किसान है वे तो खाद नहीं खरीदेंगे। जो आदमी पैसे वाले हैं अथवा जिसको उधार मिलती है वे ही खाद को खरीदेंगे। छोटे किसान आपकी खाद को नहीं खरीदेंगे। गांव में इस खाद को लेने वाला कोई नहीं है। जयपुर में आप बैठते हैं और आपको यहां पर सफेद उस्त्री वाले व्यक्ति ज्यादा दिखाई देते हैं। देहातों में चार दिन के पहने हुए कपड़े पहन कर चले जाइये तब भी हम उनमें ज्यादा सफेद दिखाई देते हैं। क्यों, उनके पास पैसा नहीं है। तो इस बात को हमें देखना पड़ेगा कि उनको कितना पैसा आप दिलाते हैं। यह देखना चाहिये कि उनका प्रोडक्शन कैसे बढ़ सकता है और उस प्रोडक्शन का किस प्रकार से सही पैसा मिल सके, उसकी व्यवस्था होनी चाहिये किसान पैदा करता है, और वह बिकेगा नहीं तो क्या होगा। कृषि उपज मन्डी आपने बना दी है। परन्तु इस तरह की व्यवस्था है कि उसका भगवान ही मालिक है और सही तरीके से किसान को पैसा नहीं मिल पाता। कृषि उपज मन्डी कपासन में है परन्तु वहां लेने वाला एक ही आदमी है। वह अपनी मर्जी से ही कपास खरीदेगा। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ माननीय सभापति कि जो किसानों की समस्या है, उस पर बहुत गम्भीरता से सोचने, विचारने की जरूरत है। हमारे मन्त्री महोदय, किसान है दूरदर्शी हैं और मुझे उम्मीद है कि वे किसानों की ओर विशेष ध्यान देंगे ही लेकिन एक तो किसानों की जो फसलें आती हैं, समय के ऊपर उनके मूल्य नीचे हो जाते हैं। कपास आता है तो उसके पैसे कम हो जाते हैं। इस प्रकार किसानों को पूरा पैसा नहीं मिल पाता है। आप किसान का प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो एक बिजली उसको दें। दूसरे छोटे छोटे बांध, एनीकट, नाले दो दो मील

(श्री शंकरलाल)
के फासले पर बनावे ताकि कुओं का पानी ऊपर आ जावे और किसानों को ज्यादा पानी मिल सके। आप जमीन आवंटित कर रहे हैं। करिये पानी अच्छा हो गया, वर्षा हो गई तो फसल ठीक होगी।। कहीं पानी होते हुए भी फसलें अच्छी नहीं होती है। कहीं ज्यादा पानी हो जाता है तो फसलें खराब हो जाती हैं तो यह राजस्थान की भौगोलिक दृष्टि है। कहीं पर तो ज्यादा वर्षा होती है और कहीं पर कम होती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि छोटे छोटे ऐनीकट बनावें बिजली का विस्तार करें। इसके बाद आप चाहे दस एकड़, 18 एकड़ का सीलिंग लगावें तो वह ठीक होगा (समय-समाप्ति-सूचक घन्टी) लेकिन फिर भी इन किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये राज्य सरकार को विशेष ध्यान देना होगा।

श्री सभापति : श्री अमृतलाल गहलोत।

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुर) : सभापति महोदय, हमारे देश का क्षेत्रफल लगभग 32 लाख 50 हजार वर्ग किलोमीटर है और राजस्थान का क्षेत्रफल 3 लाख 45 हजार किलोमीटर है अर्थात् हमारे प्रदेश का क्षेत्रफल हमारे देश के क्षेत्रफल का साढ़े दस प्रतिशत है। जहां तक जन संख्या का प्रश्न है, जन संख्या हमारी 2 करोड़ 44 लाख है और देश की 55 करोड अर्थात् 4.6 प्रतिशत। पिछले वर्षों में हमने कृषि क्षेत्रों में एक नया रिकार्ड कायम किया है। हमारे यहां पर खाद्यान्न का उत्पादन लगभग 9 मिलियन टन हो गया है जबकि देश का 109 मिलियन टन है जो कि लगभग साड़े आठ प्रतिशत होता है अर्थात हमारी जनसंख्या 4.6 प्रतिशत और क्षेत्रफल 10.5 प्रतिशत और फूड प्रोडक्शन 8.5 प्रतिशत है। अर्थात् खाद्य के मामले में हम केवल आत्मनिर्भर ही नहीं हुए हैं हमने इसका काफी निर्यात भी किया है। इनसे लग जाता है कि अपने देश में जो खाद्यान्न का उत्पादन होता है उसका 25 प्रतिशत या 30 प्रतिशत माल किसान बाजार में बेचता है। हमारे खाद्यान्न के उत्पादन ने एक नया रिकार्ड कायम किया है। सन् 51 में यह लगभग 3 मिलियन टन था और अब 9 मिलियन टन हो गया है अर्थात् यह 200 प्रतिशत बढ गया है। परन्तु दुर्भाग्य की बात यह रही है कि इस अतिरिक्त उत्पादन को संभालने के लिये न तो हमारे पास में यातायात के प्रबल साधन हैं और न खाद्य गोदाम हैं और न इसको बेचने के लिये अच्छी मंडियां ही हैं। जहां तक कैश प्रोडक्शन का सवाल है इसका 95 प्रतिशत मार्केट में आता है। तिलहन के मामले में हम आत्मनिर्भर हो नहीं रहे हैं बल्कि इसका निर्यात भी करते हैं। कपास के मामले में, रूई के मामले में हमारे यहां से निर्यात होता है और यह दूसरे राज्यों में जाता है। जरूर गन्ने के मामले में हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। शक्कर हमको दूसरे प्रदेशों से मंगानी पडती है अर्थात् हमारे राज्य के खाद्यान का लगभग 40 प्रतिशत और कैश क्राप्स का 95 प्रतिशत मार्केट में आता है इसके अतिरिक्त पशुपालन की चीजों में विशेष करके ऊन की ओर हमें ध्यान देना चाहिये। यह भी 50 प्रतिशत देश का उत्पादन है जो मार्केट में आती है इसका विक्रय ठीक ढंग से होना चाहिये। उत्पादकों के पास में जो इसका मूल्य पहुँचता है वह कम है। जो व्यापारी मिलों को ऊन सप्लाय करते हैं या विदेशों को निर्यात करते हैं

(श्री अमृतलाल गहलोत)

परन्तु उनका उचित मूल्य अभी तक उत्पादकों को नहीं मिल पा रहा है। अतएव हमारे राज्य में खाद्य पदार्थ, खाद्यान्न, पशुपालन की चीजों के विक्रय करने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिये, यानि अच्छी मंडिया होनी चाहिये। जहां तक मंडियों का प्रश्न है मैं तो यह कहूंगा कि वैसे कानून के नाम पर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूज मार्केट एक्ट, 1964 का बना हुआ है और उसके मुताबिक 80 मंडियां घोषित की जा चुकी हैं और इसमें से 71–72 ही काम कर रही हैं लेकिन इस कानून के अन्तर्गत जो उत्पादन का मूल्य मिलना चाहिये वह किसानों को नहीं मिल पा रहा है। आप महाराष्ट्र की तरफ जाइये। वहां की मंडियों को आप देखिये सांडाली और कोल्हापुर–ये कितनी अच्छी मंडियां हैं। किस प्रकार की अच्छी व्यवस्था वहां पर की गई है और किसानों को इससे कितना अच्छा लाभ मिलता है। कितनी बडी मात्रा में उत्पादन का माल वहां पर आता है। करीब 300 करोड़ की लागत का कृषि उत्पादन हमारे प्रदेश में बाजार में आता है। जहां तक हमारे यहां के आकड़े हैं, दो साल के जो उपलब्ध हुए हैं, उनको मैं प्रोजेक्ट करके देखता हूं। जो मंडियों में आ रहा है वह दो सौ करोड़ के करीब है। तो इस माल को खरीदने के लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिये परन्तु परिस्थिति यह है कि कानून में वह खामिया है जिसके अन्तर्गत व्यापारी वर्ग में कहता हूं कि समाज का यह सब से चालाक वर्ग है, वह अदालतों में जाकर स्टे आर्डर ले आता है। उदाहरण के तौर पर यहर के अनाज के व्यापारी हैं। इनकी राजनीतिक लोगों के साथ सांठगांठ होती है परन्तु इसमें सरकार का हाथ है या नहीं यह नहीं कहता। ये या तो मुंसिफ कोर्ट से या हाई कोर्ट से स्टे ले आते हैं और इन मंडियों को चलने नहीं देते हैं। इस प्रकार अनाज के मूल्य डाउन हो जाते हैं। जब एक जगह के व्यापारी ऐसा कर रहे हैं तो दूसरी जगह के व्यापारी भी देखते हैं कि हम क्यों नहीं ऐसा करें और जहां तक हो सकता है वे इस कानून को लागू नहीं होने दे रहे हैं। जहां पर कानून लागू हो गया है। वहां इस कानून के अन्तर्गत जो काम होना चाहिये था वह नहीं हो पा रहा है। इस चीज को देखकर चार पांच साल पहले जो आज भी विधान सभा के सदस्य हैं और दूसरे माननीय सदस्य बैठे हैं श्री रघुनाथ विश्नोई और एक यशवन्तसिंह जी नाहर, इनकी एक कमेटी के सामने मैं प्रस्तुत हुआ था। पता नहीं उस कमेटी के अन्तर्गत जो कुछ भी सिफारिशें सरकार को की गई थीं उस पर सरकार ने कोई फैसला भी लिया है या नहीं लिया है इसका मुझे अभी तक कोई ज्ञान नहीं है। सभापति महोदय, ये आपके जरिये मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या उस कमेटी की रिपोर्ट को सरकार ने आलमारी में रख लिया है या कार्यवाही कर रहे हैं। आज इस कानून में रद्दोबदल करने की जरूरत हैं। व्यापारियों को भी मालूम हो कि प्रशासन भी कोई चीज है। वे प्रशासन को नहीं मानते हैं। वे आये वक्त अदालतों में जाकर स्टे आर्डर ले आते हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। जहां तक नई मंडियों के बनाने का प्रश्न है तो उसके लिए भूमि की बहुत आवश्यकता है। मंडियां शहरी क्षेत्रों

(श्री अमृतलाल गहलोत)

में होंगी और शहरी क्षेत्रों में भूमि पर्याप्त मात्रा में मिलना बहुत मुश्किल हैं। जितना बडा शहर होगा उतनी ही कीमती भूमि वहां की होगी। इसके लिए विशेष व्यवस्था की जाय जैसा कि यू.आई टी. म्युनिसिपैलिटीज और पंचायतों के लिए विशेष प्रावधान रखा है कि लोकल बोडीज को कलेक्टर खेती की जमीन कन्वर्ट करके दे सकता हैं। मैं आप से यही निवेदन करना चाहता हूं कि मंडियों के बनाने के लिए भूमि का प्रश्न है इसलिए कृषि-उपज मंडियों को लोकल बोडिज मानकर भूमि को आबादी में परिवर्तित करें। जहां तक मकान बनाने की आवश्यकता है और उसके लिये जो कुछ वित्तीय सहायता चाहिऐं वह एग्रो-कल्चर फाइनेन्स कार्पोरेशन से, चाहे नेशनेलाइज्ड बेंक्स के जरिये उनको दिलाने का प्रयत्न करें, क्योंकि ऐसी मंडियों का निर्माण नहीं होने से और गोदामों का निर्माण नहीं होने से माल को खुले मैदान में रखना पड़ता। मैं आपको बतलाऊं कि बाड़मेर में फूड कार्पोरेशन की एक लाख बोरियां मैदान में पड़ी रहीं। जोधपुर नगर में 25 हजार बोरियां मैदान पर रखी रहीं क्योंकि गोदाम में पर्याप्त जगह नहीं थी, माल ज्यादा आ रहा था और रखने को जगह नहीं थी। जोधपुर जिले में गोदाम बनाने की और मंडियां बनाने की बहुत आवश्यकता है। मैं सदन का समय ज्यादा नहीं लेना चाहता। हमारे मंत्री महोदय बहुत जागरूक हैं और मुझे आशा है कि जवाब देते वक्त इनका जिक्र करेंगे।

श्री सभापति : श्री मोहरसिंह अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रामसिंह यादव : (समय 4.28 4.4 उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आपके मार्फत कटमोशन के जरिये कि कृषि विभाग की ओर से वास्तव में राजस्थान का काफी विकास हुआ है, और कृषि विभाग ने कार्य भी अच्छा किया है स्वाइल कन्जर्वेशन का और रिसर्च भी किया है स्वाइल कन्जर्वेशन वगैरह के काफी एक्सपेरीमेंट किये हैं। परन्तु जिला जालोर में किस तरह की भूमि है, वहां पर जमीन का उपयोग किस तरह से किया जाय, और कृषि के विकास की ओर जितना ध्यान देना चाहिये था उससे कम दिया है। सांचोर के नैमड एरिया की जो भूमि है वह काफी रिच है और बहुत से ऐसे फैक्ट्स उसमें खार के एरिया है। उसके अन्दर अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ओर से वहां का सेम्पल सर्वे होकर उस भूमि का वास्तव में विकास करने की दिशा में यदि सरकार ध्यान देती तो उस तहसील की हालत आज दूसरी होती। स्वाइल कन्जर्वेशन विभाग का आपको मार्फत ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वहां पर साइल कन्जर्वेशन विभाग की ओर से अलग अलग गांवों का सर्वे करने का काम नहीं लिया गया। अकालग्रस्त क्षेत्र होने की वजह से वहां पर जो काम हुए हैं उनके बारे में क्या प्रोग्रेस है, वहां पर मेढ़ बन्दी की गई थी वह टूट गई है, समाप्त हो गई है तो उसके रिपेयर्स वगैरह का फालो अप प्रोग्राम नहीं लिया गया है। जो साइल कन्जर्वेशन का वर्क पहले हुआ

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

करता था वह आजकल नहीं हो रहा है, उसकी प्रोग्रेस नहीं पूछी जा रही है। सर्वेक्षण विभाग जहां पर अकाल की समस्या है वहां पर काम करता है जैसे कि अजमेर में काम कर रहा है और उसका ही पैरेलल जिला जालोर का है तो वहां पर भी कुछ उपयोगी कार्य हो सकते हैं। अधिकारियों का इन्ट्रेस्ट नहीं होने से कार्य कम हुआ है। विशेष तौर से राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि विशेष रूप से वहां पर कन्जर्वेशन का कार्य किया जाय और जो कार्य किये गये हैं उनको फालो अप करें, और नये एरियाज में जहां पर भूमि में कटाव हो रही है उसको रोकने का प्रयत्न करें।

उपाध्यक्ष जी, दूसरी एग्रीकल्चर की जो हमारी प्रोड्यूस है उसके मार्केटिंग की ओर एग्रीकल्चर विभाग का आज तक भी ध्यान नहीं गया है, और इस रूप से जालौर जिला और विशेष रूप से सांचौर तहसील बहुत ज्यादा इफेक्टेड है। माननीय मंत्री जी अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस जगह 2-3 साल पहले फसल नहीं हुई थी तो इन्टीरियर में 150 रुपये क्विन्टल का भाव था और 100 रुपया क्विन्टल में मजदूर लेकर खाते थे। जब एक साल प्रोड्यूस हो गई पिछले साल तो उसको परचेज करने के लिए हमें दिल्ली तक लड़ना पड़ा तो बड़ी मुश्किल से 48 रुपये क्विन्टल में उन्होंने बाजरा लेना मन्जूर किया। हमने उनसे कहा कि यदि अकाल पड़े तो इससे डेढ़े भाव में हम लेने को तैयार हैं इसलिए आप इसको लेने को तैयार हों। कोई जवाब नहीं देते थे। सेप्टेम्बर में कुछ बरसात होने की वजह से बाजरा में कुछ कालापन आ गया था। वह कहते हैं कि हमारे एक्सपर्ट की रिपोर्ट है कि काम में नहीं आ सकता। यह हमारा दुर्भाग्य है कि एक्सपर्ट लोग कैसी रिपोर्ट देते हैं। जोरों से लड़ना पड़ा तब जाकर 48 रुपये क्विन्टल के हिसाब से खरीदा गया। जब तक यह खरीदा नहीं गया था तब तक 19 और 20 क्विन्टल बाजरे का भाव था। जब फसल आती है तो बाजार भाव कोड़ी का हो जाता है।

मंडियों के बारे में अमृतलाल जी ने कहा कि मंडियों की जिस रूप में प्रोग्रेस होना चाहिए थी, जो कानून की मंशा थी उस रूप में प्रोग्रेस नहीं हुई है। व्यापारी लोगों का विशेष पैटर्न है वे अदालतों में जाकर कानून की अवहेलना करते हैं। जयपुर का मामला दूसरी मंडी कमेटियों पर इम्प्लीमेंट नहीं होता है। यहां के लोग बिल्कुल साधन-सम्पन्न हैं और कोर्ट से स्टे ले आते हैं और कानून की अवहेलना करते है। मार्केटिंग का जो सेक्शन है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का उसको बहुत शीघ्र करने की आवश्यकता है। इस रूप में मैं सुझाव देना चाहूंगा कि इन्टीरियर का जो एरिया है वहां पर बाजरे की खरीददारी में फूड कार्पोरेशन आपकी मार्केटिंग एजेन्सी कमजोर होने की वजह से कुछ खरीददारी करने में असमर्थ रहा। जब खरीददारी करना है तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट को कुछ योजनाएं बनाना चाहिये और लाखों रुपये की खरीददारी होती है उसमें कृषि उपज के भाव अच्छे आयें इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहिए। मैं राज्य सरकार के सामने विशेष रूप से हमारे यहां पर वेयर हाउसेज दो लाख बोरियों की केपैसिटी के गोदाम बनाये जायं ताकि राज्य सरकार की गोदाम की व्यवस्था नहीं होने के कारण

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
बरसात खरीदते खरीदते आई और कुछ बोरियां तो वैसे ही पड़ी रहीं और बड़ा मंहगा ट्रान्सपोर्ट लगाकर उन बोरियों को वहां से लाना पड़ा जहां इन्टीरियर में मंडियों की व्यवस्था नही हैं वहां पर उस हालत में गोदाम होने चाहिये ताकि अनाज खरीद कर उनमें रखा जा सके और भावों पर कन्ट्रोल किया जा सके।

उपाध्यक्षजी, इसके अलावा पंपिंग सेट्स के लिए भी कुछ प्रोवीजन है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, कुछ इस तरह की सबसिडी या लौन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फ्लोट किया करता है तो हमारे यहां के काश्तकार भी लोन लेकर पंपिंग सेट कुओं में लगाना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कुछ कम ऋण देता है तो इस बारे में ज्यादा प्रोवीजन होना चाहिए, ताकि काश्तकार अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इस बारे में राज्य सरकार पूरी तरह से ध्यान दें।

उपाध्यक्ष जी, इसके अलावा हमारे यहां ट्यूबवेल हैं और बागाडा का ट्यूबवेल तो इतना बड़ा है कि उसमें से 60 हजार गैलन प्रति अवर पानी निकलता है, और राजस्थान में ऐसे ऐसे ट्यूबवैल बनाये गये थे लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया आप ड्रिंकिंग वाटर के हिसाब से ट्यूबवेल खोदकर रख देते हैं और जब अन्दर ग्राउण्ड वाटर काफी प्राप्त हो जाता है तो उससे इर्रीगेशन करना चाहिये। आपकी वहां पर जालोर में 200 ट्यूब वैलों की योजना थी, लेकिन बहुत थोड़े से ट्यूब वेल बनाये गये हैं और उनका भी उपयोग न हो तो बुरी बात है। ट्यूब वेल का पानी लेकर इर्रीगेशन किया जाय। वहां पर और कोई दूसरा सोर्स नहीं है ड्रिंकिंग वाटर के लिये और इर्रीगेशन के लिए तो यह दोनों ही काम में लिये जा सकते हैं।

उपाध्यक्ष जी, इसके अलावा छोटे काश्तकारों की जब क्रोप्स डेमेज्ड हो जाती है और राजस्थान में तो अचानक लास होता है तो उनको ग्रान्ट-इन-एड देकर राजस्थान सरकार ने कोई मदद आज तक नहीं की इसका भी एक सर्वेक्षण करा कर ए. ई. ओ. और डिस्ट्रिक्ट कृषि ऑफिसर को इसके लिए योजना रखनी चाहिए और इस तरह की योजनाओं के लिए बजट में प्रावधान रखना चाहिए ताकि जो छोटे काश्तकार हैं उनको राहत मिल सके। दूसरे जो केश क्राप हैं वह फेल हो जाती हैं तो उनके लिए भी बजट में प्रावधान नहीं रखा है। ए.ई.ओ. को इनका विवरण देना चाहिए और ऐसी क्षतिग्रस्त क्राप की क्षति पूर्ति के लिए उन्हें ग्रान्ट मिलनी चाहिए ताकि छोटे काश्तकारों को सहायता मिल सके।

पशु पालन विभाग है उसके बारे में मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पशु पालन का काम राजस्थान में अनेक हिस्सों में हो रहा है, लेकिन भेड़ पालक हैं वह मारे मारे फिरते हैं लेकिन उनके लिये कोई ढंग की व्यवस्था नहीं है। पशुपालकों की स्थिति की जांच करने के लिये कोई ढंग की व्यवस्था नहीं है। पशुपालकों की स्थिति की जांच करने के लिये पहले यहां एक कमेटी बनी थी। मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार गुजरात की स्टडी कराये कि वहां

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

पर पशुपालकों के लिए सरकार ने क्या किया है। गुजरात में पशुपालन के लिये एक बोर्ड का गठन किया है, जिसमें स्टेट सरकार के अधिकारी हैं और एम.एल.एज. हैं। जिस प्रकार पहले अपने यहां वाटर बोर्ड था, उसी तरह से वहाँ पशुपालन के लिये एक बोर्ड है। राजस्थान में भी एक कमेटी भूतपूर्व शिक्षा मंत्री और शंकरलाल जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य के आग्रह पर भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री मोहन लाल सुखाडिया ने बनाई थी। उस कमेटी ने पशुपालकों की स्टडी की और थोड़ी बहुत उनकी कठिनाइयां को अनुभव करके उनको दूर करने की कोशिश की थी। लेकिन वह कमेटी खत्म हो गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पशु पालकों की हालत सुधारने के लिये उनके लिये जमीन की कैसे व्यवस्था की जाय, जहां जमीन पड़त पड़ी है वहां पर ट्यूब वैल बना कर पशुपालन एरिया उसे कैसे घोषित किया जाय जैसी न्यूजीलैंड में व्यवस्था है वैसे ही इनका एरिया घोषित करने की कार्यवाही की जाय। जहां भूमि पड़त पड़ी है, जहां आबादी नहीं है, वहां इनको एरिया जमीन का देना चाहिये यह काफी इम्पोर्टेन्ट विभाग है। राजस्थान में जो अस्सी पर्सेंट काश्तकार हैं उनकी पचास पर्सेंट वैल्थ पशु हैं और पशु पालन की वजह से ही राजस्थान के काश्तकारों की हालत अच्छी है इस पैसे के कारण ही राजस्थान सरकार को काफी आमदनी होती है। लेकिन फिर भी पशु पालन के लिए कोई योजना पेश नहीं की है। राजस्थान के अन्दर जो अस्सी पर्सेन्ट काश्तकार रहते हैं, उनमें से पचास पर्सेन्ट वैल्थ कैटल और शीप के कारण हैं। लेकिन कैटल ब्रीडिंग और शीप ब्रीडिंग के लिए कोई योजना सामने नहीं आई है। इस ओर मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। राजस्थान में जो भेड़ वगैरह हैं जब कहीं अकाल पड़ता है, कहीं ओले पड़ते हैं तो भेड़ पालकों को बड़ी परेशानी होती है। राजस्थान में जैसलमेर में भेड़ काफी अच्छी है और अकाल वर्ष एवं वर्षा में भेड़े नष्ट हो जाती हैं उस तरफ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया।

श्री चन्दनमल बैद : जो डेयरी योजना है वह पशु पालकों के लिए भी है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : वह छोटी सी योजना है।

श्री चन्दनमल बैद : छोटी नहीं है, बड़ी है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जिस प्रकार की अच्छी भेड़ कच्छ की तरफ हैं उसी टाइप की अच्छी भेड़ यहां पर हैं। लेकिन भेड़ पालकों को न तो सब्सीडी देते हैं, न पशु पालको के विकास के लिए कोई योजना है। सिर्फ वूल जरूर खरीदते हैं, उसका पैसा भी बीच के एजेन्ट खा जाते हैं और पशु पालकों को पूरा पैसा नहीं मिलता है। इसलिए पशु पालन के लिए राज्य सरकार को विशेष रूप से सोचना चाहिए। जो सीलिंग लागू कर रहे हैं उससे राज्य सरकार के पास में भूमि आयेगी, वह काश्तकारों को एलाट करेंगे लेकिन जो भूमि पड़त भूमि है, उसको यूटीलाइज करने के लिए कोई योजना बनानी चाहिए।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

आज गोचर भूमि का एन्क्रोचमेन्ट हो रहा है उसको रोकने के लिए क्या सोच रहे हैं, वन विभाग की जमीन पर तारबन्दी करके जंगल को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भेड़ पालकों की ओर उचित ध्यान नहीं देते हैं। इस तरह से जो अकाल के कार्यों के द्वारा यूटिलिटी के वर्क चालू हुए, उससे पशु पालकों के लिए नई समस्यायें खड़ी हो गई हैं। वह लोग आन्दोलन कर रहे हैं कि हमें यह काम नहीं चाहिए, हालांकि यह उनके लिए उपयोगी योजना है। गवर्नमेंट इनमें घास पैदा करके पशु पालकों के लिए छोड़ देगी–यह बात उनके दिमाग में बैठती नहीं हैं। वह कहते हैं कि हमें खड़े होने लिए जगह मिलती है। इसलिए गुजरात सरकार ने जिस तरह से बोर्ड का गठन करके उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि पशु पालकों के लिए और भेड़ पालकों के लिए गुजरात श्रेणी व्यवस्था होनी चाहिए। आज पशु पालकों के लिए कोई नई योजना नहीं लाई गई है। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक बोर्ड का गठन किया जाय ताकि समय समय पर वह बोर्ड मीट करे और उनकी हालत को सुधारने के लिए पूर्ण व्यवस्था करके इनकी हालत को सुधारने के लिए कदम उठा सके। इस दिशा में गुजरात सरकार ने क्या किया है, और पशु पालकों के धन्धे को सुधारने के लिए, उनकी हालत को सुधारने के लिए राज्य सरकार क्या करना चाहती है–इस ओर विशेष रूप से मैं ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नानालाल! (विराम) सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव!

श्री नानालाल (राजसमन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, इन मांगों के सम्बन्ध में विशेष तौर से भेड़ और वूल उत्पादन के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान में प्रति वर्ष 1 लाख 70 हजार किलो ऊन का उत्पादन होता है और उसकी कीमत 15 करोड़ रुपये बैठती है, किन्तु राज्य सरकार ने उसमें करीब 53 लाख रुपया लगाया है खरीद के लिए। उत्पादकों को उचित मूल्य नहीं मिलने से उसकी पूरी कीमत नहीं मिल पाती है। राज्य सरकार ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। मैं यह चाहता हूं कि राज्य सरकार इस ऊन को खरीदने का काम अपने हाथ में ले। यह ऊन ऐसी वस्तु है, जिससे राज्य सरकार विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकती है क्योंकि यह ऊन राजस्थान में खपत में नहीं आती है, इसको विदेशों में भेजना पड़ता है। विशेष तौर से हमारे उदयपुर जिले की ऊन है वह राजस्थान के किसी कारखाने में काम में नहीं आती है। इसके लिए विशेष रूप से कोई कारखाना लगाने की जरूरत है ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके और कुछ लोगों को धन्धे में लगा सकें। तो मेरा यह निवेदन है, अगर इसकी ओर ध्यान दिया जायगा तो राज्य सरकार को काफी फायदा मिल सकता है और उत्पादकों को उसका उचित मूल्य मिल जायगा। इसकी ओर ध्यान देगी राज्य सरकार तो अधिक खर्च लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज उत्पादकों के लिए जगह जगह मंडियां खुली हुई हैं, वह मंडियां जरूर हैं लेकिन वह क्रय

(श्री नाना लाल)

विक्रय समिति द्वारा माल बेचा जाता है और उनको उचित रूप से पैसा नहीं मिल पाता है। क्रय विक्रय समिति उनको स्लिप के अन्दर आढ़तिया पूरा पैसा नहीं देता है, वह पन्द्रह पर्सेन्ट काट कर पैसा देता है। राज्य सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। भेड़ जो है, राजस्थान में बहुत ही उपयोगी वस्तु है, राजस्थान में इससे जनता की अधिक से अधिक जरूरत की चीजें पूरी होती हैं। इसलिए राज्य सरकार का ध्यान इस ओर होना चाहिए। बस इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव !

(अनुपस्थित)

श्री शीशराम ओला !

(अनुपस्थित)

श्री पूनमचन्द विश्नोई !

श्री पूनमचन्द विश्नोई (भीनमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान पशुपालकों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस बात के लिए तो कृषि विभाग बधाई का पात्र है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के नये तरीके अपना कर, प्रावधान करके, नये तरीके खाद-बीज- यह सब देकर अनाज के उत्पादन को हमारे देश में दुगुना किया है लेकिन जितना बड़ा कृषि धन है, उतना ही बड़ा धन राजस्थान के लिए पशुपालन है। इस बात के लिए मैं राजस्थान सरकार को बधाई देता हूं, इस साल उन्होंने डेअरी उद्योग पर अधिक बल दिया है, लेकिन उसमें मूल समस्या बच रहती है वह यह है कि भेड़ पालक, ऊंट रखने वाले, गाय रखने वाले जो पशु पालक है, वह सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़े हुए हैं। राजस्थान में पशु पालन दो तरीके से होता है, एक काश्तकार अपने पास गाय, भैंस, भेड़, बकरी वगैरह रखता है, दूसरे वह लोग हैं जो केवल पशु पालन का धन्धा करते हैं, जिनके पास जमीन है खेती होती है–वह शायद इतनी कठिनाई में नहीं है लेकिन जिनके पास नहीं है, केवल पशु धन है, वह आज यदि मैं यह कहूं, बहुत दुःखी व्यक्ति हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वह सामाजिक दृष्टि से इतने पिछड़े हुए हैं, आज भी उनके साथ मेरा रात दिन का उठना बैठना होता है, मैं उनको बारहवीं शताब्दी के लोग कहता हूं, न उनमें पढ़ाई–लिखाई है, न सामाजिक सुधार की भावना है, न राजनैतिक चेतना है और इन सबके अभाव में पशु धन की तरक्की नहीं कर सकते यदि हम कृषि की जो हमने उन्नति की है, बुनियाद में तो जाए तो सामने आएगा, कि किसानों ने पिछले 25 सालों में अपने बच्चों को पढ़ाया है, उनका राजनैतिक स्तर ऊंचा किया सामाजिक स्तर ऊंचा किया है, उनमें अधिक चेतना आई है और इस कारण नए बीज, नई खाद खेती के और सिंचाई के आधुनिक यंत्र, सब काम में लिए हैं लेकिन आज का पशुपालक, जिसके पास जमीन नहीं है, वह इन सब फायदों से वंचित है। न उनके पास पैसा है, न बैंक उसे पैसा देती है ताकि वह पशु खरीद सके या उनके लिए जमीन खरीद सके। तो राज्य सरकार से मेरा नम्र निवेदन है कि राज्य सरकार इस ओर ध्यान दे क्योंकि पशुधन हमारे यहां

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

की अर्थव्यवस्था में खास स्थान रखता है। इस बारे में मैंने सदन के सामने पहले भी निवेदन किया था। जैसा कि मुझसे पूर्व श्री रघुनाथ विश्नोई ने कहा यह अच्छी बात होगी कि हम इन पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य स्तर पर कमेटी गठित करें जो उनकी कठिनाइयों को देखे, इन्हें चरागाहों की जमीन दिलाने चेतना दिलाने के लिए सिफारिश करे। सब प्रश्न कमेटी के द्वारा आगे लाए जायं तो राज्य सरकार को भी सुविधा होगी अच्छी योजना बनाने में जो वास्तव में पशुपालकों के लिए उपयोगी। गुजरात सरकार ने ऐसा किया है, यह अपना पड़ौसी राज्य है और पशुपालन की करीब करीब वही हालत है हमारे यहां केवल पशुपालन का धन्धा करने वाले लोग रेवाड़ी, सिंधी, मुसलमान, मराठी मुसलमान और गूजर हैं और इन लोगों का सम्पर्क पशुपालन विभाग से बहुत कम है। पशुपालन के माध्यम से मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, शूकरपालन छोटे मोटे भेड़ प्रजनन केन्द्र, सांड वगैरह या उन्नत नसल वाले जानवर शहरों के इर्द-गिर्द अच्छी जानकारी काश्तकारों तक पहुँचाई जाती है लेकिन जो असली पशुपालक हैं वे इनसे लाभान्वित नहीं हुए है और क्यों नहीं हुए हैं। मैंने उस बारे में अभी आपसे निवेदन किया। राज्य स्तर पर ही नहीं जिला स्तर पर भी ऐसे बोर्ड को गठित किया जाए ताकि वह सभी समस्याओं का अध्ययन करके राज्य सरकार के सामने उपयोगी सुझाव दे सके। कई बार राज्य सरकार की ओर से कहा जाता है कि यह ह्यूमन पाप्यूलेशन और एनीमल पाप्यूलेशन में कम्पटीशन का प्रश्न है और जमीन का अभाव है इसलिए इस समस्या का निकट भविष्य में हल नहीं निकल सकता। मैं समझता हूं वास्तविक समस्या से हम बचने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सी जमीन ऊसर नीची ऊंचा, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी जमीन है जहां पशु पालन के धन्धे को हम बढ़ा सकते हैं और तरह तरह की योजनायें हम उनके लिए लागू कर सकते हैं। हमारे पशुपालन विभाग का दृष्टिकोण मुझे क्षमा करें, अभी तक दूसरे देश, जहां की परिस्थितियां कुछ और हैं, उनसे प्रभावित हो रहा है और इस कारण से पशुपालन क्षेत्र होते हुये भी हम पशुधन को उन्नत नहीं कर सकते हैं और न पशुपालक को फायदा पहुंचा सके हैं। कई योजनायें राज्य सरकार की पशुपालन के सम्बन्ध में चलती है जिनमें तरह तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। एक शहर का बच्चा जिसने ऊंट कभी देखा नहीं, उसका स्वभाव, घोड़े का स्वभाव, भेड़ का स्वभाव जानता नहीं उसको ट्रेनिंग दी जाती है उन जानवरों के उपचार की, उसकी बीमारी देखने की, खिलाने पिलाने की। मैं समझता हूं ज्यादा उपयोगी होगा कि जो पशुपालक हैं उन्हीं के लिए कुछ इस तरह की शिक्षा संस्थाओं में स्थान सुरक्षित किए जायं और इनको प्रिफरेन्स दी जाए। सबसे पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति व जनजाति थी। लेकिन उनसे लिए भी पिछले वर्षों में भारी प्रयत्न हुए हैं और प्रसन्नता की बात है कि वह आगे आ रहे हैं और आगे अगर नहीं आ रहे हैं तो यह पशुपालक वर्ग है। इसलिए मैं समझता हूं इनको भी उसी तरह की कैटेगिरी में रखकर उनके लिए उपयोगी योजना बनानी चाहिए।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

काश्तकारों को ऋण मिलने में कठिनाई जरूर होती है लेकिन कई स्रोत हैं जहां से उसको ऋण मिलता है लेकिन जो पशुपालक हैं उनका अगर पशुधन नष्ट हो जाता है अकाल के कारण, अतिवृष्टि के कारण, ओलों के कारण तो उसको पैसा आज तक नहीं मिला और न मिलने के कारण वह जिस हालत में रह रहा है वह सामने है। राज्य सरकार को इस तरह का विभाग कायम करना चाहिए, ऐसे अधिकारी नियुक्त करने चाहिए जो इस तरह के लोगों को सहायता दे सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और कृषि मंत्री स्वयं मरुस्थल के हैं, पशुपालन का काम उनके घर होता है और जिन परिस्थितियों में पशुपालक पड़ा हुआ है, उनको वह जानते हैं। यह बड़ा उपयोगी होगा अगर वह कहें कि हम इस तरह के बोर्ड का गठन करेंगे जो जिला स्तर और राज्य स्तर पर उनकी कठिनाइयों को सरकार के सामने रख सकें और उपयोगी सुझाव जो उनके लिए व्यवहारिक हों वह सामने आ सकें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगमोहनसिंह।

श्री जगमोहन सिंह (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें दो राय नहीं कि पिछले 8-10 वर्षों में कृषि के क्षेत्र में अच्छी प्रगति हुई है और इसका श्रेय सरकार को है कि हाई यील्डिंग वेयराइटीज का प्रयोग लब्ध कराने से कृषि के क्षेत्र में प्रगति हुई है। किसान को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए, अपनी कृषि का विकास करने के लिए कई तरह की एजेन्सीज ऋण उपलब्ध करने के लिए मौजूद हैं लेकिन इस सन्दर्भ में एक बात निवेदन करना चाहता हूँ। देश का जो एग्रो फाइनेन्शल स्ट्रक्चर है, जो प्रोसीजर है, और दूसरी तरफ जो इंडस्ट्रियल फाइनेन्शिल स्ट्रक्चर है, उसमें काफी फर्क है। रेट आफ इन्टरेस्ट देखिए-कृषि को दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज अधिक है जबकि इंडस्ट्रियल फाइनेन्सेज पर ब्याज की दर कम है। जब इस देश की 80 प्रतिशत जनता को फाइनेन्स देने की बात हो तो उस पर ब्याज ज्यादा हो, यह विचारणीय विषय है, इस पर विचार करना चाहिए।

दूसरी बात कृषि क्षेत्र में ऋण देने के लिए शुरू शुरू में जो कोआपरेटिव बैंक्स, कोआपरेटिव सोसाइटीज, लैंड डेवलपमेन्ट बैंक्स-ये सारी संस्थायें बनाई गई उनके द्वारा ऋण दिए जाने की व्यवस्था की गई लेकिन जैसा मेरा अनुभव है और मैं मानता हूँ कि इन संस्थाओं से जो उनको ऋण देने के बारे में रिजर्व बैंक की जो नीति है वह दिनों दिन कड़ी होती जा रही है इतनी कड़ी होती जा रही है कि आज की स्थितिमें कोआपरेटिव फाइनेन्सेज को हम देखें, कोआपरेटिव बैंक्स द्वारा जो ऋण दिया जाता है, उसके नियमों को देखें तो इतने कड़े कर दिए गए हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि कोआपरेटिव बैंक्स और जो दूसरी [illegible]

(श्री जगमोहनसिंह)

मैन्टेन करना, एडवान्स वापसी की तारीखें बदलना, इत्यादि। उन तारीखों का फसल बिकने, और पैसा चुकाने की क्षमता से कोई मेल नहीं है। आज के दिन रिजर्व बैंक ने एक नया निर्णय लिया है कि किसी भी संस्था से मई महीने में जबकि 15 मई से फाइनेन्सेज शुरू हो जाते थे, एक जून से पूर्व ऋण नहीं दिया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो कहना चाहूंगा वह है किसानों को ऋण देने के बारे में। आज ऋण देने की जो पोलिसी है वह काश्तकारों के फेवरैबल नहीं है। आज ऐसी स्थिति है कि अगर किसी काश्तकार को ऋण दिया जाता है तो इस प्रकार से दिया जाता है। पहले तो वह ऋण जून के माह में दिया जाता है और उसकी वसूली पूरी अगले मार्च तक कर ली जाती है। और उसकी जो वसूली है इन्स्टालमेन्ट्स की, की जाती है वह उसी जून के महीने से ही शुरू हो जाती है। होना यह चाहिये कि किसानों की किस्तों की वसूली उस वक्त हो जबकि उसकी पैदावार तैयार हो जाय। उस वक्त से शुरू किया जाना चाहिए। इसके लिये राज्य सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसी व्यवस्था की जाये और ऐसे एग्रीमेन्ट् होने चाहिये कि जिससे काश्तकार से जो ऋण वसूल किया जावें या जो किस्तें वह उसकी सहूलियतों के अनुसार ली जावे। ... जिन फाईनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन्स से जो ... मिलता है उस में ऐसा प्रावधान नहीं ...

अलावा किस्तों की रकम भी कम होनी चाहिये जिससे कि वो उन्हें सुगमता से चुका सकें। आज पहले तो यहां बहुत ही कम इन्स्टीट्यूशन हैं जो कि उन्हें लोन देती है दूसरे जो लोन दिए जाते हैं उसमें कई फोरमलिटीज है जिसे हमारा काश्तकार जनता नहीं है इसलिये उसे लोन मिलने में डिफकल्टी भी आती है। इसलिये ऐसे रूल्स बनाये जायं ऐसे प्रोसेस बनाये जायं जिससे कि हमारा किसान आराम से लोन प्राप्त कर सके। आज राजस्थान में करीब 20-22 कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो लोन देते हैं। कि इतने समय में लोन रिकवर हो जायेगा इसके अलावा लोन काश्तकार को मिलने में तीन-तीन और पांच साल लग जाता है ऐसा कि जब किसान को पैसे की जरूरत होती है तो उसे पैसा मिलता नहीं इससे उसे बहुत ही नुकसान हो जाता है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि जो आज अपने यहां लोन देने के लिये रिजीडिटी रूल्स में है उसमें फ्लेक्सीबिलिटी लायी जाय। इसके अलावा हमारे यहां भी कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज बननी चाहिये जिससे कि किसानों को उससे लाभ हो सके। आज हमें आवश्यकता है कि ऐसे मेथड् एडोप्ट करें जिससे कि किसान को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो और उसकी जो डेट वो लेता है अपनी फार्मिंग के बारे में उससे उसको लाभ हो और वो डेट को समय पर चुका सके। इसके लिये हमारे लिये जरूरी है कि हम काश्तकार की पेइंगकैपेसिटी बढ़ायी जाय। इसके अलावा जो मैं निवेदन करना

(श्री जगमोहन सिंह)

भी सुधार लाना बहुत जरूरी है। इन मन्डी कमेटियों में एग्रीकल्चर एक्सपर्टस को रखा जाना चाहिये। जिससे कि काश्तकारों को लाभ हो सके। आज ऐसी मण्डी कमेटियों में डिफेक्ट्स हैं। जिससे कि काश्तकार को जो एक्चुअल लाभ होना चाहिये वो होता नहीं है। ऐसा सुना है कि राज्य सरकार ने मन्डी कमेटियों में सुधार हेतु कोई कमेटी बैठायी है और उसने कुछ अपने सुझाव दिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि उन सुझावों को जल्दी से लागू किये जाने चाहिये। जिससे कि काश्तकार को लाभ हो। दूसरे ऐसी व्यवस्था भी चाहिये काश्तकार के लिये उसकी पैदावार तैयार हो जाय तो उसको उसकी पैदावार का उचित मूल्य मिलना चाहिये। आज काश्तकार को उसकी प्रोडक्शन का उचित मूल्य नहीं मिलता है और काश्तकार को जो भाव उस वक्त होता है उसी के अनुसार उसे पैसा मिलता है। फसल के वक्त अनाज के भाव गिर जाते हैं और चूंकी किसान के पास पैसा नहीं होता है उसे जो भाव मिले उसके अनुसार अपनी प्रोड्यूस को बेचना पड़ता है। तो ऐसी व्यवस्था को जानी चाहिये कि उसका माल अगर कुछ समय तक पड़ा रह जाय तो कोई हर्ज नहीं हो और बाद में जब भाव ठीक आवें तब उसका माल बिके। इसके अलावा मैं यह कहना चाहूंगा कि ऐसी व्यवस्था भी हो जाय कि कोऑपरेटिव बैंक जो व्यापारियों के माल को प्लेज करते हैं उसी तरह किसानों को भी इन कोऑपरेटिव बैंक्स से इस प्रकार की फैसीलिटीज मिले। उसको भी उसके अनाज को बैंक प्लेज कर दे। आज कई दूसरे बैंक्स हैं जो कि व्यापारियों को लाख रुपये तक की प्लेज करते हैं तो ऐसी फैसेलिटीज हमारे काश्तकारों को भी मिलनी चाहिए ताकि वो माल बेचकर अपनी प्रोड्यूस का समुचित लाभ उठा सके। और ऐसे बैंक्स तहसील हैड क्वार्टर्स तक की जगहों पर खोले जाने चाहिये चाहे बैंक उसकी लिमिट रखदे कि इतने रुपये तक के लिये बैंक प्लेज करेगी। इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे तो हमारे काश्तकार को लाभ होगा अन्यथा उसकी हालत में सुधार होना बहुत ही मुश्किल है। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे राजस्थान में कई जगह पर अकाल पड़ जाता है, कई जगह पर ओले पड़ जाते हैं, कई जगह पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन्स के कीड़े वगैरह लग जाते हैं उसका नतीजा यह होता है कि हमारे किसान की फसल खराब हो जाती है और उसकी हालत बिगड़ती रहती है। इसके लिये आज हमारे यह जरूरी है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की क्रोप इन्श्योरेन्स होनी चाहिये। हमारे देश में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की कोई इन्श्योरेन्स होने की पोलिसी की नीति निर्धारित राज्य सरकार द्वारा नहीं की गई है। इसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा कि अगर ऐसी व्यवस्था क्रोप इन्श्योरेन्स की हो जाये तो हमारे किसान को लाभ पहुंच सकता है।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सदन का समय समाप्त होने जा रहा है इसलिये सदन का समय उस समय तक के लिये बढ़ा दिया जाय जिस समय तक की आज की मांगे पास नहीं हो जाये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन का स अनिश्चित काल के लिये बढ़ा दिया जाय,

(श्री उपाध्यक्ष)
जब तक की मांगे पूरो न हो जाय। क्या सदन की अनुमति है। समय बढ़ाया गया।

(स्वीकृत)

श्री जगमोहनसिंह : इसके अलावा में एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। वह है आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है। आज विज्ञान की वजह से इतनी तरक्की हो गई है कि लोग मंगल और चांद तक पहुँच गये हैं। तो मेरा निवेदन है कि आज हमारे विज्ञान का लाभ एग्रीकल्चर परपज के लिये भी ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिये। हमारे यहां मेकेनाइज्ड फार्मिंग किया जाना चाहिये। फार्मिंग के मामले में हमें अनुसंधान करने चाहिये, फर्टीलाईजर्स में भी अनुसंधान किया जाये जिससे कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। इसके अलावा आज वैज्ञानिकों को चाहिये कि वो ऐसे ट्रैक्टर बनाये जो छोटे छोटे हों, और कम कीमत के हों ताकि किसान उनको खरीद सकें। इसके अलावा आज जिन लोगों के पास ट्रैक्टर हैं तो वहां गांवों में उन ट्रैक्टर्स को ठीक करने की कोई व्यवस्था नहीं है। आज अगर किसी का ट्रैक्टर खराब हो जाता है तो उसे बड़ी डिफिकल्टी हो जाती है क्योंकि ट्रैक्टर्स ठीक करने की व्यवस्था बड़े बड़े शहरों में है। तो मैं चाहूंगा कि ट्रैक्टर्स ठीक करने की व्यवस्था तहसील हैडक्वार्टर्स तक होनी चाहिये। वरना पहले तो और बड़े लोग ही ट्रैक्टर्स खरीद सकते हैं और वो ही लाभ उठा सकते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुँचे इसके लिये हमारे वैज्ञानिकों को चाहिये कि छोटे छोटे ट्रैक्टर्स तैयार करे और ट्रैक्टर्स की कीमत भी कम होनी चाहिये। इसके अलावा ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिये कि किसानों को ट्रैक्टर्स भी मिल सकें।

(समय–समाप्ति–सूचक–घन्टी)

अभी समाप्त कर रहा हूँ, उपाध्यक्ष महोदय। अब कुछ निवेदन मैं मेरे क्षेत्र के बारे में भी करना चाहूंगा। हमारे यहां मन्डी कमेटी जो बनी हुई है वह तहसील हैड क्वार्टर पर बनी हुई है वह छबड़ा कस्बे में होनी चाहिये। इसके अलावा छबड़ा कस्बे में मन्डी कमेटी के पास 25-30 बीघा जमीन है तो वहां पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि कृषि सब्जेक्ट खोल दे ताकि वहां के लोगों को इस बारे में ज्ञान हो जाये। यह वहां की जनता की मांग है। यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनलाल छंगाणी।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी अभी कृषि विभाग राजस्थान द्वारा प्रकाशित प्रगति विवरण पढ़ रहा था। पहलो तो मुझे शिकायत है कि 72–73 की मांग रखी है तो 71–72 के आंकड़े होने चाहिये थे। कोई लाटरी रखी जाय तो एक साल का प्रगति विवरण रखा जाना चाहिये। कृषि में प्रगति की, इन्द्र भगवान की कृपा थी, अच्छी हाई यील्ड वेराइटी और उन्नत बीज दिया। आज हम गहराई में जाएं तो कृषि की उपज घट रही है। पल्सेज में कम उत्पादन कर रहे हैं। तिलहन में पीछे हैं। इसलिये मैं नम्र निवेदन करूंगा कि जिस साल की मांग रखी जाय और बजट का प्रावधान हो तो कृषि विभाग कृषि सांख्यिकी आंकड़े वे ही दें जिससे कि मालूम कर सकें

(श्री मोहनलाल बंगाणी)

कि किस स्थान पर है। कम से कम हमें यह तो पता लगे।

यह अच्छी बात है कि विज्ञान और तकनीकी के जरिये खेती के मामले में बड़ा परिवर्तन लाये हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं कि खेतो में वृद्धि हुई। सबसे बड़ी देन उन्नत बीजों की है। एग्रो इकोनोमिक बायोलोजिकल-कम-मेकेनिकल डेवलपमेन्ट हुआ है। जिस इलाके में कुछ भी पैदा नहीं होता है उसमें बड़ा उत्पादन कर सकते हैं। टेक्नोलोजी आई तो उसके साथ दिक्कतें भी पैदा हो गईं। लायब्रेरी में गया तो मैंने देखा जयपुर राज्य के समय कि जब महाराजा का राज्य था, कृषि के मामले में विवरण निकलता था और आंकड़े देते थे। आज कल एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी डेवलप हो रही है जैसे स्माल फार्म एजेन्सीज, क्रेडिट सीड्स, इम्प्युट्स, इन सबके लिये एक इन्टीग्रेटेड एप्रोच होना चाहिये। आज का साइन्स कृषि के विस्तार की संभावनायें बता रहा है उसमें यह फ्रेम वर्क डील कर सकेगा या नहीं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेट अप बना हुआ है उसमें यह पूरा का पूरा उतरता नहीं है यह बुनियादी सोचने की बात है।

खाद के प्रयोग में लीजिए। राजस्थान ने दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में कम प्रगति की है। मैं नहीं कहता कि प्रगति नहीं हुई है। लेकिन यह अवश्य है कि दूसरों के मुकाबले में कम प्रगति की है। उन्नत बीज को ही लीजिये। 71–72 में 8 लाख हैक्टर एरिया में दिया। 1 करोड़ 33 लाख हैक्टर खेती की जमीन है। महाराष्ट्र में सीड का एरिया दिन ब दिन बढ़ रहा है और वह 25 परसेन्ट में सीड का प्रावधान है 8 लाख हैक्टर एरिया तक पहुँच चुका है जब कि हम उसी स्थिति पर पड़े हुए हैं।

पहले तो सबसे बड़ी शिकायत है, मैं उन अधिकारियों को दोष नहीं दे रहा हूँ, इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। खेती में नये-नये अनुसंधान आ रहे हैं, उनको किसानों तक कैसे ले जाय और किसानों तक पहुँचाने में हमारा कितना योगदान रहा है। मैं यह मानता हूं कि आज के कृषि विभाग में आमूल-चूल परिवर्तन करना पड़ेगा अनुसंधान। चूंकि उदयपुर में कृषि विश्वविद्यालय है यह काम उनको ही करना चाहिये। उसका आधार ही यह था कि रिसर्च, ट्रेनिंग और पढाई लिखाई। यह सारा का सारा वहां ट्रान्सफर कर दीजिये। दुर्गापुरा फार्म अच्छी उपलब्धियां देता है। कहा जाता था कि लाल बहादुर गेहूं सबसे बढ़िया है। लेकिन लाल बहादुर किस्म निकली उसमें घाटा लगा। इम्प्रूव्ड वैराइटीज की कुछ उपलब्धियां हैं। जीरा लीजिये और दूसरी चीजें लीजिये। अनुसंधान का सारा का सारा मामला उधर ट्रांसफर कर दीजिये।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि विस्तार के मामले में कृषि महकमा भाग्यशाली रहा है। यों रहा भाग्यशाली। हाई यील्ड वैराइटी प्रोग्राम। लोगों ने ये किस्में उगायी, आम किसान खेत जोतने वाले थे उनको जल्दी साक्षात्कार हो चुका है। विकास की दृष्टि से किसान ने कम सीखा और पाया। डिमोन्स्ट्रेशन से ही किसान सीखता है। दूसरी बात, सोचने का विस्तार कम किया जाय। विस्तार की स्टेटजी आ रही है। उसमें जो विकास के कार्य-क्रम चल रहे हैं उनमें क्या योगदान हो

(श्री मोहनलाल सुंगारणी)

सकेगा और कृषि विभाग उनको पूरा कर सकेगा या नहीं और खर्च कर सके तो इस पर किया जाय ।

तीसरा सीड टेक्नोलोजी पर आता हूं 1 करोड 20 लाख, बाजरे के अतिरिक्त और है और इतना बड़ा एरिया रहते हुए हमें मजाक है सीड से बाहर से खरीदना पड़ता है। सीड उपजा सकते हैं । सीड की प्रगति बताना चाहता हूं । किसान को आज यह कहने की जरूरत नहीं है कि यह हाई ब्रीड बीज अच्छा है । वह सब जानता है । वे खरीद सकते हैं। कृषि विभाग की विवरण पत्रिका है उसमें कहा है कि सीड खरीदने की आवश्यकता नहीं रहेगी । फिर भी खरीदेंगे । मैं नहीं कहता कि खरीदना नहीं चाहिये - ज्यादा से ज्यादा टारगेट रहने चाहिये और इसके टारगेट को पूरा करना पड़ेगा यह मान्यता निर्धारित होनी चाहिये । 71-72 में सीड कर नहीं सके । 72-73 में सीड होगा । बाजरा, मक्का । मक्का के लिये तो कहना चाहता हूँ कि पूरा का पूरा हम कर सकेंगे और बाहर से नहीं लाना पड़ेगा ।

पलसेज और तिलहन । इस मामले में टैक्निकली प्रोग्रेस नहीं की । अच्छी दाल की किस्में ज्यादा और अच्छी दाल की प्रोड्यूस देती हैं । दालें हमारा प्रोटीन है । मक्का, गेहूं और बाजरे की हुई लेकिन पलसेज में ऐसा नहीं हुआ । जो भी सूटेबल वैराइटीज हों उनको हमारे खेतों में मल्टी प्लाई किया जाय और ज्यादा तादाद में बांटा जायं जिससे पलसेज की कमी पूरी हो सके ।

तिलहन के लिये निवेदन है कि मूंगफली की योजना बनाते हैं वह चलने वाली नहीं है । खास तौर से कृषि मंत्रीजी से कहूंगा कि मूंगफली के लिये सूटेबल एरिया जहां प्रोडक्टिविटी अधिक पहुंच सकती है वह है रेगिस्तान । यह थोड़ा दूसरा एरिया है, बड़ी उपज दे सकता है । तामील नाडू में भी ऐसा किया । 1।। लाख हैक्टर एरिया तामीलनाडू ले सकता है तो हमारे यहां सूरजमुखी का प्रोडक्शन किया जायगा । तामीलनाडू ले सकता है तो हमारे यहां सूरजमुखी का बहुत बड़ा एरिया होना चाहिये और मेरी निश्चित धारणा है एक दो साल के अन्दर तेल के अन्दर हम केवल सफिसियेन्ट ही नहीं होंगे बल्कि एक्सपोर्ट करने लायक हो जायेंगे । आज जो इन्डस्ट्रीज बन्द पड़ी हैं, अगर यह इन्डस्ट्रीज वापिस चलनी शुरू हो जायगी तो तेल की जरूरत है वह पूरी हो जायगी । इसलिये मेरा निवेदन है सूरजमुखी का प्रोग्राम अधिक से अधिक लिया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं आता हूं रेगिस्तानी क्षेत्र में हमारा करीब 62 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान का पूरा पूरा अर्द्ध रेगिस्तानी है और रेगिस्तान की अवस्था में हमारा कृषि विभाग शान्त है इसलिये कि अभी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना बनी और इसके दो आधार रखे गये थे । एक तो यह है कि हमारी ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर की है वह पांच प्रतिशत का रेशो है और दूसरे जो पिछड़े इलाके हैं अर्द्ध विकसित हैं वे विकास में भागीदार हो सकें । उसके लिये पूरा का पूरा प्रयत्न किया जाय । 62 प्रतिशत ऐसा ऐरिया है जहां कभी कभी भगवान की दया से पानी आ जाता है ।

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

यह 10 साल में कभी आ जाता है। फिर भी हम उस इलाके में आये हैं उसको विकसित करने के लिये कौन से तरीके काम में लिये जायं, कौनसी वैरायटी उसमें पैदा की जा सकती है। माईश्चर कन्टेन्ट्स करके किस प्रकार फसल की जा सकती है। मैं गुजरात में पिछले साल दौरे पर गया था। उन्होंने रेगिस्तानी इलाके में बाजरे की एक विशेष वैरायटी ली है। पिछले साल वे एक्सपेरिमेंट स्टेज पर थे पर वे काफी उत्साह वर्द्धक थे। एक दो इन्च जहां वर्षा होती है वहां यह पनप जायगी। हमारी जो समस्या है। उसके लिये काफी एक्सपेरिमेंट हुआ था और मेरे खयाल से एक रिपोर्ट भेजी है आनन्द इन्स्टीट्यूट से सेन्टर को। अगर यह सेन्ड-ड्यून्स स्टेबलाईजेशन का उन्होंने किया है तो बड़ी जमीनों पर साइल कन्जर्वेशन का काम किया जायगा। माईश्चर कन्टेन्ट्स 5 से 7 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। अगर यह बात सही है और कोई एक्सपेरिमेंट होकर यह बात कही गई है तो रेगिस्तानी और अर्द्ध रेगिस्तानी इलाके में साइल कन्जर्वेशन किया जायगा। जो वहां की बाजरे और ज्वार की वैरायटी आई है। घास की वैरायटी भी सेन्ट्रल ऐरिड जोन में तैयार की गई है। उनको प्रोत्साहन दिया जाय जिससे खेती का नक्शा बदल सके...

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

पांच मिनट और लूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं नम्र निवेदन करूंगा कि रेगिस्तान में हमारी नीति नहीं हुई तो हमारे विकास की सीमा अवरुद्ध रहेगी। जो प्रोग्राम अभी हमारे पास है उसमें 17 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र हैं और जो 62 प्रतिशत है वह पूरा पूरा का पिछड़ा रह जाता है। कोई न कोई निर्णय कृषि मंत्री जी को लेना चाहिये ताकि विकास की योजना में आ जाय। उपाध्यक्ष महोदय, बातें तो बहुत करनी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उम्मीद करता था कि कृषि विभाग का जो बजट आयेगा उसमें जो सेन्ट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम है उनके बारे में विवरण जरूर होगा परन्तु इसमें कुछ नहीं है। आज जो सारा विकास-रूरल वर्क्स का इन्डस्ट्रीज का है वह सारा का सारा विकास सेन्ट्रल गवर्नमेंट का है. वहां से स्कीम आती है चाहे स्माल स्केल की हो, चाहे मार्जिनल फार्मर्स की हो, चाहे लेबरर्स की, चाहे क्रेडिट की हो सारी स्कीमें वहीं से आती हैं जिससे कृषि विभाग सम्बन्धित है। उसका सारा ब्योरा हमें भी मिलना चाहिये ताकि हमें पता चल सकें कि कौनसी योजना चल रही है और कौनसी योजना नहीं चल रही है या कोई नीति निर्माण की जायगी जिन स्कीमों के अन्तर्गत ज्यादा काश्तकारों को और छोटे काश्तकारों को फायदा पहुंच सके। यह तो रही एक बात...

श्री उपाध्यक्ष : समय समाप्त हो चुका है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : पांच मिनिट में अपने क्षेत्र की बात कह दूं। उपाध्यक्ष महोदय, इस सारे के सारे के साथ जुड़ा हुआ है हमारा जो सीलिंग का मामला है वह पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है। आज सीलिंग लागू करने जा रहे हैं इसलिये मैं फिर पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

सीलिंग के बाद जो समस्या पैदा होगी उनको ध्यान से देखना होगा। आज जो विकास की बात करते हैं, आज जो कृषि की लोबी बनी हुई है वह यह है कि धनी लोगों ने इसको अपना रखा है। हमारे यहां जो कुल खेतीहर परिवार हैं वह साढ़े उन्तीस लाख हैं और साढ़े उन्तीस लाख में 11.84 के पास कुछ भी जमीन नहीं है। 14 प्रतिशत के पास जीरो जीरो पाईन्ट वन एकड़ है और 15 प्रतिशत के पास जीरो पाइन्ट तेरह एकड़ है। मैं ब्यौरा नहीं दे रहा हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि इन आदमियों के पास नगण्य जमीन है। इन आदमियों को किसी सूरत में जमीन देनी पड़ेगी और कईयों के पास अन-इकोनोमिक होल्डिंग्स हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नम्र निवेदन करूंगा आज जो भी सर्वे हुआ है जहां भी सर्वे हुआ है उस हिसाब से मैं पंजाब का विवरण बताऊं कि पंजाब में कुछ खेत लिये गये जिनका एरिया 5 एकड़ या कम था। आज जो वहां उत्पादन हो रहा है जो खेती भूमि में वह सर सब्ज बन रहे हैं। उनमें फार्मर्स की पांच एकड़ से कम जमीन है उनका क्या योगदान था। पांच एकड़ से जो कम के काश्तकार थे उनकी जो लागत थी वह बहुत बड़ी थी, जो इन्वेस्टमेंट का रेशो था वह बहुत ज्यादा था। इसलिए मैं निवेदन करूंगा जहां माईनर इर्रीगेशन है, जहां पोटेन्शियलिटी नहीं है वहां खाद की व और अन्य सुविधायें देकर छोटे छोटे काश्तकारों को पनपाया जा रहा है। राज्य सरकार में भी स्कीम विचारणीय थी परन्तु न जाने कहां चली गई। आज कौनसी स्कीम कौनसे क्षेत्र में लगी हुई है, कौनसी स्कीम से कितना फायदा हुआ है। इस बारे में आपका कृषि विभाग शान्त है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब पहले प्लान में जायं तो हमारे क्षेत्र फलोदी ऐरिड एरिया है जहां पानी नहीं है। हजारों की तादाद में पशु मर जाते हैं, जो कुछ कभी भगवान की कृपा से खेती होती है वह भी सूख जाती है या जल जाती है। सूखे की वजह से हजारों पशु मौत के घाट उतर जाते हैं। आपके वेटरनरी डाक्टर जाते हैं पर पता नहीं किसका इलाज करते हैं। हमें तो कुछ पता नहीं चलता है। आपके इतने डाक्टर होते हुए भी इतने वेटरनरी ऑफिसर होते हुये भी आज तक उन पशुओं के मरने से बचाने का कोई इलाज नहीं निकाल सके, उनकी बीमारी की कोई रोकथाम नहीं कर सके। पता नहीं ये बैठे बैठे क्या करते रहते हैं कोई योजना इन्होंने आज तक नहीं बनाई जिससे पशुओं को मरने से बचाया जा सके पशुओं की नस्ल को सुधारा जा सके, भेड़ों की किस्म सुधारी जा सके। इस बारे में तो कोई योजना नहीं बनायेंगे। जो इलाका आज जिसे हम बम्बई कहते हैं, बहुत बढ़ा चढ़ा है और हमारा राजस्थान पिछड़ा हुआ है। जैसे इस देश में राजस्थान की हालत है वैसी हालत हमारे फलौदी की राजस्थान में है। वैसी की वैसी हालत है जो पहले थी। न कोई विकास है, न कोई योजना है न पशु धन है, कैसे विकसित किया जाय न यह योजना है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं खास तौर से निवेदन करूंगा ऐरिड जोन के बारे में कुछ सिफारिशें की गई हैं। यह पूरे का पूरा एरिया घाटे का एरिया है, यह घाटे की

(श्री मोहन लाल छंगाणी)

खेती है इसलिए इसमें कोई खास व्यवस्था की जाय, बिक्री की जाय, बिक्री बन्द की जाय, म्यूटेशन बन्द हो। इस सिफारिश के बावजूद 25 से 30 प्रतिशत खेती का एरिया बढ़ा है जब कि यहां घाटे की खेती है। अगर यहां टेक्निकल सिफारिशें नहीं मिलेंगी तो सारा का सारा रेगिस्तानी एरिया वर्षों तक रेगिस्तान रहेगा। जो आदमी यहां बसते हैं, उनको यहीं बसाया जाय और कहीं नहीं बसाया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं और नम्र निवेदन करूंगा, एक ऐसा बोर्ड, सैन्ट्रल एरिड जोन जिसको सैन्ट्रल एरिड जोन बोर्ड कह सकते हैं या सैन्ट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इन्स्टीट्यूट हो वह पूरी की पूरी इर्रीगेशन स्कीम की, फर्टीलाइजर की, लैन्ड लेवलिंग की, माईश्चर कन्टेन्ट्स की, क्रेडिट फैसिलिटीज की, पशुपालन की सारी की सारी पाश्चर डवलपमेंट की यह सारी की सारी ले सकता है कि इस क्षेत्र का कैसे विकास होगा, यह दे पायेगा। मैं मानता हूं कि अब जो कृषि मंत्री हैं बहुत उत्साही हैं और बहुत हिम्मतवर हैं। इस लिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनसे नम्र निवेदन करूंगा कि सारी का सारी बातें एक ढांचे में नहीं सोचकर नये तरीके से सोचें। आज जो साइन्स और टेक्नोलोजी आई है उसके आधार पर नीतियां और भाषण ही तैयार नहीं करें उसके अनुरूप इन्स्टीट्यूशनल एजेन्सी भी तैयार करें जिससे हम कुछ कर पायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अजीतसिंह।

श्री अजीतसिंह (टोंक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि विभाग के ऊपर मेरा कटौती प्रस्ताव है। मेरा निवेदन है कि जब हम सीलिंग कर रहे हैं और किसानों की संपत्ति सारी की सारी सीलिंग कर रहे हैं तो उसकी जो पैदावार होती है तो उसके लिए फसल की बीमा योजना लागू कर दें तो मन्त्री महोदय की बड़ी कृपा होगी। जब किसान के पास सिवाय खेती के और दूसरा आधार नहीं है और उसकी खेती को कीटाणुओं से नुकसान हो जाता है, ओला वृष्टि से नुकसान हो जाता है और उसकी आर्थिक स्थिति बिलकुल ही डांवाडोल हो जाती है ऐसी हालत में किसान के पास उसके जीवनयापन का कोई साधन नहीं रहता–ऐसी स्थिति में यह फसलों की बीमा योजना है उसको लागू करना बहुत आवश्यक है। इसलिये मैं नम्र निवेदन करूंगा कि इसके बारे में बहुत गहराई से विचार करें और इस योजना को लागू करने के लिए पहल करें, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा निवेदन यह है कि आज सारी की सारी सहकारी समितियां डिफाल्टर्स हो गयी हैं। मेरे जिले के अन्दर और लोन देने के लिए अब कोई व्यवस्था विशेष नहीं रही है और बैंक ऋण देने में अपनी असमर्थता प्रकट कर चुके हैं और बीज और खाद की व्यवस्था के लिए कोई उचित साधन लोन देने के लिए नहीं है। इस लिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसके लिए या तो बैंकों को लिखा जाये कि वे काश्तकारों को लोन दें या जैसी भी उचित व्यवस्था हो वह करें। नहीं तो जो आने वाली फसल है उसके लिए बड़ी कठिनाई पैदा हो जायेगी और बीज और खाद के लिए किसानों को कोई राहत नहीं

(श्री अजीत सिंह)

मिल पायेगी क्योंकि सहकारी समितियों के डिफाल्टर्स होने की वजह से सहकारी बैंक लोन देने से अपनी असमर्थता प्रकट कर चुके हैं इसलिए उनसे लोन दिलाने की कोई न कोई व्यवस्था करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे टौंक क्षेत्र के अन्दर खरबूजों और तरबूजों की अच्छी उपज बनास नदी में होती है लेकिन धीरे धीरे इसकी किस्म बिलकुल गिर गई है और कृषि विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यह ऐसी फसल है जिसकी कि काफी पैदावार होती है और इससे भी काफी काश्तकारों को धन्धा मिलता है और गरीब काश्तकार नदी में जाकर खरबूजे और तरबूजे पैदा करते हैं। इसकी क्वालिटी के ऊपर विशेष ध्यान देकर और लोन वगैरह दिलाकर इनकी हालत सुधारी जाये। वह नदी अन्दर होने से अलाटमेंट होता है और अलाटमेंट होने की वजह से कोई भी कृषि समिति हो या बैंक हो वह लोन नहीं देता और किसानों को काफी खर्चा करना पड़ता है। तब जाकर पैदावार होती है। इसलिए इसके विकास का ऐसा समाधान ढूंढ़ा जाये कि जिससे जो किसान नदी में खेती करते हैं उनको राहत मिल सके। दूसरे खरबूजे और तरबूजे और काफी बड़ी तादाद में पैदा होते हैं इनको बेचने की कोई उचित मण्डी नहीं है और गरीब काश्तकारों को फिर सस्ती कीमत पर बेचने पड़ जाते हैं और बिचौलिये पैसा ले जाते हैं और दिल्ली और दूसरी जगह ले जाते हैं और किसानों को इसका पूरा पैसा नहीं मिल पाता है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि इसके लिए ऐसी व्यवस्था की जाये कि इनको ठीक से पैसा मिले।

उपाध्यक्ष महोदय, शंकर बाजरे का बीज हमारे जिले में बंटा और उसमें ऐसी बीमारी लगी कि सारी की सारी फसल खराब हो गई और उसको बेचना भी बन्द कर दिया और काश्तकार बड़े परेशान हो रहे हैं और इसकी पैदावार भी गिर गई। अब ऐसी क्वालिटी को क्यों बांटा गया जिससे कि बीमारी हो गई, इसका कोई तरीका ढूंढ़ा जाये। इससे किसानों की और भी हालत डांवाडोल हो जायेगी।

दूसरा निवेदन है कि मोडल फार्म कई हैं और वे पंचायत समितियों के पास हैं। पंचायत समितियों की खुद की हालत खराब है और माडल फार्म बनाये हैं उनमें बड़ा घोटाला हो रहा है और कई फार्म बिल्कुल ही उजड़े पड़े हैं और उनका उपयोग नहीं होता है और माडल फार्म बिलकुल ही उपयोगी चीज है रिसर्च करने के लिये और फसल को बचाने के लिये और कई जानकारियां किसानों को देने के लिए। माडल फार्म की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए जब कि हमारे क्षेत्र के माडल फार्म की हालत बहुत ही खराब होती जा रही है और कई फार्म तो बिल्कुल बेकार पड़े हैं और उससे नुकसान होता है। ऐसी हालत में मेरा नम्र निवेदन है कि माडल फार्म अपने हाथ में लेकर इनकी उचित व्यवस्था की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे टौंक जिले में मालपुरा के अन्दर एक भेड़ ऊन अनुसंधान केन्द्र खुला हुआ है और यह सैन्टर की तरफ से चल रहा है और इस पर करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है और काफी बड़ी जमीन इसमें एक्वायर की गयी है लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि इसके एक

(श्री अजीत सिंह)

पैसे का भी उपयोग हमारे जिले में नहीं होता। अब इसमें कौन सी नसल बन रही है और क्या उपयोग होगा यह भी विचारणीय विषय है। इसमें बड़ी फैक्ट्री लगाई गयी है ऊन कातने के लिए लेकिन वह नहीं चल रही है और न उसमें काश्तकारों को रोजगार मिल रहा है। बाहर के आदमी रखे हुए हैं और वहां मामूली सी लेबर मिलती है और इसका कोई भी उपयोग नहीं हो पाता है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि भेड़ ऊन का फार्म खोला गया है मालपुरा की नसल की काफी भेड़ें हैं इनके सुधार की व्यवस्था की गयी थी लेकिन मालपुरा के अन्दर इसका उपयोग नहीं है। यह करोड़ों रुपया समझ में नहीं आता कि क्यों खर्च किया गया है जब कि उसका कोई भी फायदा हमारे जिले को नहीं मिल रहा है। आज मैंने प्रगति विवरण पढ़ा इसमें भी टौंक के अन्दर कोई फायदा होने वाली बात नहीं दिखाई देती। जो कृत्रिम गर्भाधान का दिखाया गया है उसमें भी हमारा टौंक क्षेत्र नहीं है, फिर हमारे यहां भेड़ों की नसल तैयार की गयी है और कहां जाती है वह समझ में नहीं आता। इसलिए मेरा निवेदन है कि टौंक के अन्दर इसकी व्यवस्था की जाये क्योंकि मालपुरा नसल की जो भेड़ें हैं यह काफी तादाद में हमारे इलाके में मिलती हैं और इनका ऊन भी काफी अच्छा है इसलिए इसका विस्तार किया जाये।

दूसरा निवेदन है कि भेड़ों के साथ साथ बकरियों की तरफ भी ध्यान दिया जाये और जट बकरियों के पालन पोषण की तरफ विशेष ध्यान देकर इसका भी विकास किया जाये तो अच्छा रहेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

आखिर में मेरा निवेदन यह है कि भैंसें तो बहुत हैं लेकिन इनका कोई उपयोग नहीं है। यह राष्ट्रीय सम्पत्ति बिलकुल बेकार फिरती हैं ये या तो भूख से मरती हैं या फिर इनका कोई उपयोग नहीं होता इनको वैसे हमारे टौंक में इन भैंसों को मांस वगैरह बनाने में काम में लेते हैं जिनकी 20-25 रुपया किसानों को कीमत मिलती है। इस विषय पर भी विचार करके इसका क्या उपयोग हो सकता है, माननीय मन्त्री महोदय इस पर ध्यान देकर कोई हल निकालने का प्रयास करें और इन भैंसों के उपयोग का कोई रास्ता निकालें तो ज्यादा उपयुक्त होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय कृषि के बारे में जब हम विचार करें तो सबसे प्रथम बात में जो निवेदन करना चाहूंगा सरकार से वह यह है कि अगर कृषकों की हालत सुधारनी है और जैसी कृषकों की हालत के साथ ही साथ हमारे प्रदेश की हालत सुधरती और बिगड़ती है क्योंकि मैजोरिटी में वही लोग यहां रहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक डाक्टर हास्पीटल में नौकरी करता है, और एक हजार रुपये का वेतन पाता है। एक बैरिस्टर या कलेक्टर या सेक्रेट्री या इंजीनियर अथवा कोई जज हो वह व्यक्ति भी आज जमीन का मालिक बन कर अपने आप को काश्तकार

(श्री मूलचन्द सामरिया)

कह सकता है। अगर यह व्यवस्था है तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि क्या वह वास्तव में काश्तकार है और क्या कृषि के लिए उनका कोई योगदान है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या कारण है कि एक कलेक्टर के पास आय के साधन जब और हैं, एक बैरिस्टर के पास वकालत करके आय का साधन है और एक इंजीनियर जो नौकरी करता है अथवा कोई अपना वर्कशाप चलाता है, उसकी आय का साधन अलग है और जमीन की तरफ उसका कोई वास्ता भी नहीं है तो भी वह खातेदार किस प्रकार है? यह एक अनुचित बात है। एक तरफ यह स्थिति है और दूसरी तरफ सरकार ने ऐसे नियम बनाए हैं कि जब गश्त गिरदावरी होती है तो पहले जो गश्त गिरदावरी होती थी तो उसके अन्दर उप-कृषक का नाम लिखा जाता था। किसने काश्त की और जमीन किसकी है, खातेदारी किस के नाम है यह लिखा जाता था। इसके अन्दर, 145 के अन्दर विदिन टू मन्थ्स आफ दी पजेशन अपना डिक्लेरेशन करा लेता था और अपना दावा कर सकता था, अपनी एण्ट्री रेगुलराईज करा सकता था अथवा अपना खातेदारी राइट अक्रू कराने के लिए दरखवास्त कर सकता था। लेकिन जो सरकार ने अब नियमों में संशोधन किया है इससे गश्त गिरदावरी से भी पता नहीं चलता कि किसने काश्त की है। इससे ऐसा लगता है कि सरकार उन जमींदारों को जिन जमींदारों ने या ऐसे किसी व्यक्ति ने हल तक नहीं चलाया, हल चलाना तक नहीं जानता, पीढ़ी दर-पीढ़ी से जिसका जमीन से कोई सम्बन्ध नहीं रहा उसको आप मदद करना चाहते हैं। बल्कि मैं तो यह कहूं कि बड़े 2 सेठिया लोग जमीनों को अपने काले धन की कमाई का साधन बनाए रखने के लिए जमीनों को साइड बिजनेस के रूप में रखते हैं। सरकार एक तरफ काला धन निकालना चाहती है, वह काला धन जिसकी वजह से हमारे प्रदेश में और सारे देश के अन्दर बाजार के भावों में फ्लक्चुएशन होता है उनके मनमाने तरीके से। वही लोग जमीन रख कर उस काले धन को छुपाने के लिए अथवा अपने पैसे को बचाने के लिए इस प्रकार से जमीने रखते हैं। सरकार बड़े 2 पूंजीपतियों और उद्योगपतियों से मिल कर इस तरह की साजिश में शामिल है। नारा देते हैं कि हम कृषकों की भलाई करना चाहते हैं और काम करते हैं उद्योगपतियों की भलाई का। एक तरफ भूमि की सीमा निर्धारित करने की बात करते हैं और कहते हैं कि हम कृषक के बारे में सोच रहे हैं और इसीलिए भूमि की सीमा कर रहे हैं। लेकिन भूमि की सीमा भी किसकी कर रहे हैं जो आधा कृषक और आधा मजदूर है। जब सीजनल तरीके से खेती होती है, एक फसल लेकर वह शहर में जाकर किसी भी उद्योगपति के यहां पर सस्ती मजदूरी करता है। मजदूर पूंजीपतियों को सस्ता मिल जाता है और मजदूर भी ऐसा कि जो टेम्प्रेरी होता है, किसी तरह की सहूलियत की मांग नहीं कर सकता, रिहायश की सहूलियत की मांग नहीं कर सकता, बोनस साल भर रहे बिना ले नहीं सकता, प्रोविडेण्ड फण्ड की मांग नहीं कर सकता और किसी

(श्री मूलचन्द सामरिया)

तरह की सहूलियत की मांग कर नहीं सकता ऐसे कृषक को जिसके पास एक बीघा, दो बीघा पांच बीघा जमीन है, जिसने अपनी जीविका का साधन इस जमीन को बना रखा है, उसकी आप सीमा करना चाहते हैं। आपने इतनी कम जमीन देकर उसको आधा मजदूर बना रखा है और इस तरह से उद्योगपतियों के लिए सस्ती कीमत पर मजदूरों की बाढ़ खड़ी कर रखी है। न वह काश्तकार है और न वह मजदूर है। न वह खेती पर काम पूरा कर रहा है और न वह उद्योगों में पूरा काम कर रहा है। इसलिए सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां आप जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित करें वहां किसान की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए न्यूनतम जोत की सीमा भी निर्धारित करें। और न्यूनतम सीमा के अन्दर इस बात का प्रावधान करें कि एक साल भर की आमदनी उसको उससे मिले। उसका साल भर में कितना खर्च होता है यह देखकर जमीन से कितनी उपज उसको मिल सकती है उसके आधार पर उसकी न्यूनतम सीमा निर्धारित करें। अगर वह सीमा नहीं होती है तो न वह मजदूर है और न वह काश्तकार है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस तरफ आप ध्यान दें और एक तरह से काश्तकार को यह एश्योरेंस होना चाहिए कि इतने रुपये से कम आमदनी होगी तो सरकार उसको पूरा करेगी, अथवा किसी दूसरे लघु धन्धे में काम देगी। इन लघु उद्योग धन्धों में मुर्गीपालन और पशुपालन और डेयरी के लिए अथवा फिसरीज के लिए और भेड़ पालन के जिये जिन लोगों की सरकार की तरफ से मदद की जाय वह भी उन्हीं को की जाय जिनके पास अनाज की जोत है। अगर जिन लोगों के पास हजारों बीघा जमीन है अथवा और कोई साइड बिजनेस है और सरकार उन्हीं को मदद देती है तो उसका इन छोटे किसानों को क्या फायदा है। जो हमारा वैज्ञानिक, साइण्टीफिक रिसर्च का फायदा होता है वह भी उन्हीं लोगों को मिलता है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर यही स्थिति चलती रही तो यह मेरी निश्चित धारणा है कि इसी वर्ग में से एक दिन वह वर्ग भी पैदा होगा जो पिछड़ा वर्ग कहलायगा और उनके बारे में आपको फिर से सोचना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि जब अन्य धन्धों में लगे हुए लोगों के लिए सरकार ने सीमा निर्धारित कर दी सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि जिसकी आय छः हजार से कम है उसको आय कर नहीं देना पड़ेगा, तो क्या कारण है कि एक बीघा जमीन काश्त करने वाले को भी लगान देना पड़े। पांच बीघा काश्त करने वाले को भी लगान देना पड़े, चाहे उस जमीन से उसके बच्चों का साल भर पेट भरे या नहीं, उसके बच्चों के लिए साल भर के लिए अनाज पैदा हो या नहीं हो, उस आमदनी से उसका साल भर का खर्चा चले या नहीं लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, उससे लगान लिया जाता है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इस लगान को समाप्त किया जाय और डायरेक्ट इन्कम के आधार पर इन्कम टैक्स वसूल किया जाय जो कि प्रत्यक्ष कर के रूप में कर होगा। अन्यथा लगान के रूप में यह जो टैक्स सरकार लेती है वह एक तरह से गरीब की रोटी के टुकड़े में से टुकड़ा मांग लेना है, एक भूखे आदमी का टुकड़ा

(श्री मूलचन्द सामरिया)

छीन लेना है, एक नंगे आदमी की कमीज में से टुकड़ा फाड़ लेना है। आप इस तरह से किसान को भूखा और नंगा रखना चाहेंगे, तो यह कोई अच्छी व्यवस्था नहीं होगी। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे लोगों का लगान माफ करके डायरेक्ट टैक्स इन्कम पर लगाना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि किस काश्तकार पर टैक्स लग रहा है। क्या कारण है कि अन्य धन्धों पर, अन्य तरीकों से कमाई करने वालों पर सीमा है, उन पर कोई टैक्स नहीं लगता तो फिर इन छोटे किसान पर ही लगान क्यों लगता है। यह उनके साथ न्याय नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा छोटी जोत के किसानों को न समय पर बीज मिलता है और न समय पर खाद ही मिलता है। उनको अपना अनाज बेचने के लिए उनके पास साधन नहीं होता। इसलिए सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम ऐसे किसानों के लिए सरकार यह व्यवस्था करे कि उनको एडवांस दे, बीज दे एडवांस में, खाद दे एडवांस में और जब बाजार में बेचने आवे तो उसका भी एडवांस दे। मार्च और अप्रेल के महीने में जब कि अनाज के भाव एकदम नीचे आ जाते हैं उस समय किसान को अनाज बेचना पड़ता है इसलिए सरकार इस समय किसान को एडवांस देकर अनाज अपने पास रखे और अक्टूबर और नवम्बर के महीने में जब कि अनाज के भाव ऊंचे हो जाते हैं उस समय अनाज बेच कर उसका बैलेंस उनको दे। इस पर कम से कम 9 पर्सेंट या 6 परसेंट का थोड़ा बहुत ब्याज भी लिया जा सकता है। आज जब किसान की यह स्थिति है तो उसके ऊपर से टैक्स लिया जा सकता है, खाद के रूप में टैक्स लिया जाता है, सिंचाई करता है तो सिंचाई की दरें आपने बढ़ा दी। इसके अलावा आपने ट्रैक्टर और ट्रोली पर टैक्स लगा दिया। इसके बाद जब अनाज पैदा करके शहर में लाता है उसको चौकी चुंगी पर 20 पैसा क्विन्टल चुंगी देनी पड़ती है जो कि जयपुर की नगरपरिषद् ने लगा दी है। इसके बाद जब वह मण्डी में पहुंचेगा तो तुलाई वालों को तुलाई देनी पड़ती है, कमीशन एजेन्ट को कमीशन अदा करना पड़ता है। इसके बाद जो एफ. सी. आई. के इंस्पेक्टर साहबान हैं उनको प्रमाण-पत्र के लिए राजी करना पड़ता है। वे कहते हैं कि हम तो तभी मानेंगे जब कि तहसीलदार बी. डी. ओ या किसी अन्य पदाधिकारी का प्रमाण-पत्र होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि उस प्रमाण-पत्र को प्राप्त करने में किसान को अलग से पे करना पड़ता है। मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, आलोचना के लिए नहीं कहता बल्कि अपनी आंखों देखी हुई बात कह रहा हूं। इस बारे में कोई व्यवस्था की जावे जिससे किसान यह बता सके कि वह उसका ही अनाज है। गांव के किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति का प्रमाण-पत्र हो या सरपंच का प्रमाण-पत्र हो अथवा किसानों की ही कोई कमेटी बनाई जावे जो प्रमाण-पत्र दे देवे। इसके अभाव में अच्छे अच्छे लोगों को प्रमाण-पत्र के लिए काफी पैसा वहां पर देना पड़ता है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

(श्री मूलचन्द सामरिया)

उपाध्यक्ष महोदय, आज किसान अपनी बंजर भूमि को आबाद करता है, उस पर कुआ खोद कर सिंचाई करता है, वह अपने साधनों से सिंचाई के साधन जुटाता है और उसका ही आप लगान बढ़ावें जब कि वह स्वयं खेती योग्य जमीन बनाता है और सिंचाई के साधन पैदा करता है। मेरा निवेदन है कि उससे ज्यादा लगान सरकार को नहीं लेना चाहिये और न उसका लगान बढ़ाना चाहिये। दूसरी तरफ आप सिंचाई की दरें बढ़ा रहे हैं। तो किसान के साथ आप यह अन्याय कर रहे हैं। आप इसके लिए उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि जिसके पास 100 बीघा के आस पास जमीन है उससे कितना लिया जायेगा और जिसके पास 10 बीघा है उससे इतना लिया जायेगा। आप दोनों से एक ही प्रकार की सिंचाई दरें लेते हैं यह तो ठीक नहीं है।

अब मैं अपने क्षेत्र भांडारेज के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। वहां पर एक हायर सेकेन्डरी स्कूल है। वहां पर एक बिल्डिंग साढ़े छः हजार और साढ़े बारह हजार की लागत से बनाई गई। भांडारेज कस्बे में यह बिल्डिंग बन गई और बच्चे उसमें लेट्रीन जाते हैं। जिस स्कीम के अन्तर्गत यह बनाई गई थी वह फेल हो गई है और सरकार के लाखों रुपये खतम हो गये हैं। इस तरह सरकार को लास हो रहा है और सरकार किसी तरह की व्यवस्था नहीं कर रही है। विकास विभाग, कृषि विभाग दोनों विभागों में काफी दूरियां हैं यह मैं सेक्रेटेरियेट को देख कर कह सकता हूं। मैं समझता हूं कि वह बिल्डिंग शिक्षा विभाग को दे दी जानी चाहिये ताकि शिक्षा विभाग एग्रीकल्चर की क्लास वहां पर चला सके। खेती की सीलिंग करना किसानों के साथ अन्याय होगा। शहरी सम्पत्ति के निर्धारण की बात कही जाती है और किसानों के लिए भी 18 एकड़ की सीलिंग लागू की जा रही है। इस प्रकार किसान उन्नत तरीके के औजार, ट्रैक्टर का उपयोग नहीं कर सकेंगे और ऐसा समय आयेगा कि कोई उनका पता नहीं रहेगा और किसानों की हालत और खराब हो जायेगी। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह किसानों के हित में फसली बीमा योजना को लागू करे। सर्दी की वजह से, शीत लहर की वजह से चने और गेहूं की फसलें नष्ट हो गई है और सरकार इस पर किसानों को कोई राहत नहीं दे रही है। किसानों का लगान माफ किया जाता है और दूसरे तीसरे साल वापिस वसूल किया जाता है। उद्योगपतियों में करोड़ों की वसूलियां बाकी हैं सरकार उसको वसूल नहीं कर पा रही है और किसानों के पास 50 रुपया भी लगान का रह जाता है तो उसके घर का सामान नीलाम कर दिया जाता है। लगान यदि विशेष परिस्थितियों के अन्दर माफ किया जाता है तो वह लगान फार एवर माफ किया जाना चाहिये। हमारे क्षेत्र के अन्दर भूमि कटाव की भयंकर स्थिति पैदा हो रही है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि भूमि कटाव को रोकने के लिये इफेक्टिव कदम उठावे।

बस्सी, जमुवारामगढ़ और फागी की तहसीलों को जमुवारामगढ़ के बन्धे से

(श्री मूलचन्द सामरिया)

सिचाई के लिये पहले पानी दिया जाता था। आजादी के बाद यह वहां के किसानों को देना बन्द कर दिया गया है। यह इन तहसीलों का दुर्भाग्य रहा जिनको कि आजादी के पहले तो सिचाई के साधन उपलब्ध थे और वह उनसे आजादी के बाद छीन लिये गये, वापिस ले लिये गये। उनके हाथ से उनकी रोटी सरकार ने छीन ली है। मैं कहता हूं कि अन्य विकास कार्यों के लिये सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च किया है तो बनास योजना को भी सरकार जयपुर शहर की पानी की सप्लाई के लिये लागू करे ताकि रामगढ़ के बन्धे के किसानों को भी सिचाई के लिये पानी मिल सके। इस तरह से इन किसानों के साथ अन्याय किया गया है क्या इस तरह से हम समाजवाद को लायेंगे।

यह भी कहा जाता है कि किसानों के लिये उनके पशुओं की चिकित्सा के लिये सुविधा जुटायी जा रही है। परन्तु बैलों को माता रोग, पीलिया रोग और कई रोग हो जाते हैं। इनके लिये क्या कदम उठाये गये हैं। मैं सरकार को और मंत्री महोदय को विश्वास दिला सकता हूं कि इनकी दवाइयों में दस रुपये से ज्यादा खर्चा नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में चौमाला नस्ल के बैल राजस्थान भर में मशहूर हैं। इसमें सुधार हुआ है। इस तरह से हम भेड़ों का प्रसार करना चाहते हैं। परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि इस विभाग के लोग जो पशुओं का धन्धा करते हैं, उसमें इन लोगों का रिप्रिजेन्टेटिव नहीं है और इसलिये इन योजनाओं के बारे में उदासीनता दिखाई जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि मौजूदा कृषि मंत्री इस ओर ध्यान देंगे, वे स्वयं किसान हैं, और विधान सभा में आकर उनको यह नहीं भूलना चाहिए, और मैं सोचता हूं कि उनको किसान का स्वरूप हमेशा रहेगा। इसलिये मेरा उनसे निवेदन है कि वे किसानों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और इस बारे में लगान माफ करने की घोषणा करें और कोई भी टैक्स किसानों से इनकम टैक्स के रूप में लेवें तो किसानों के साथ न्याय होगा। एक बीघा काश्त करने वाले से आप लगान लेते हैं तो यह शर्म की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : कुमारी शकुन्तला श्रीवास्तव।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काफी लम्बी प्रतीक्षा के बाद मुझे जो समय मिला है उसके लिये सबसे पहले धन्यवाद देती हूं।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इसमें इस प्रकार कृषि का विकास हुआ है, निःसन्देह उसमें दो राय नहीं हो सकती है। पिछले पांच वर्षों में कृषि के क्षेत्र में काफी प्रगति की गई है और हमारा देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। लेकिन अभी पिछले दिनों कृषि से सम्बन्धित ही रासायनिक खाद के ऊपर जिस प्रकार हमारे वित्तमंत्री महोदय ने करारोपण किया है, वह हम सब के लिये खेद का विषय है। वैसे रासायनिक खाद का जहां तक प्रश्न है, सब लोग यह जानते हैं कि रासायनिक खाद जिस प्रकार मिलती है, उससे किसान अपने आपको उतनी मात्रा में जितनी मात्रा में

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)

कृषि विशेषज्ञ लोग उनको सजेस्ट करते हैं, उस मात्रा में नहीं डाल पाता है। जब इस पर और कर लगाया गया हैं तो फिर हमारे देश की कृषि किस प्रकार से पनप सकेगी, यह बात समझ में नहीं आती है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि राज्य सरकार मेहरबानी करके अगर हमारे कृषि के क्षेत्र को बढ़ाना है, हम को किसानों को प्रोत्साहन देना है तो इस प्रकार का कर, जिनका कि सीधा असर किसानों पर पड़ता है, वह न लगाया जाये तथा किसानों को और भी आगे भविष्य में अनाज के मामले में देश को निर्भर बनाते रहने का मौका मिले और वे इस दिशा में प्रयत्न करते रहें। जहां तक अनाज के उत्पादन का प्रश्न है, वह ठीक है, मैं व्यक्तिगत रूप से मानती हूं। यह नहीं कहती कि कृषि विभाग ने कोई काम नहीं किया है। निश्चित रूप से काम किया है लेकिन सिवाय अनाज के और कोई खास ज्यादा दूसरे मामलों में जैसे केश क्राप्स हो सकती है, जो हमारे राज्य में पनप सकती है और उसका फायदा हमारे किसान वर्ग को मिल सकता है, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायता मिल सकती है, इसके ऊपर अभी विशेष अनुसंधान नहीं हुआ है। जहां तक मेरी जानकारी है बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जीरा, सरसों हो सकती है इसके अतिरिक्त धनियां वगैरह, लहसुन, प्याज, इसके बारे में इस दिशा में प्रयास किया जाता तो अनाज के साथ साथ केश क्राप्स को हमारे यहां पर बढ़ाना बहुत जरूरी है।

जहां तक किसानों के ऊपर कर लगाने का सवाल है यह बड़ी हास्यास्पद स्थिति लगती है। जब ऐसा हम एक तरफ तो यह कहते हैं कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा राहत पहुँचा रहे हैं दूसरी तरफ रासायनिक खाद, ट्रैक्टर और उसके पार्ट्स पर कर लगाते हैं। बजाय इसके कि हम इस तरह से किसानों को डिसकरेज करें मैं यह समझती हूं कि हमें ज्यादा ध्यान इस ओर देना चाहिये कि किसान खाद के मामले में आत्मनिर्भर बन जाये। उसको किस तरह से अच्छा बीज मिले और हम उसकी सहूलियतों का ध्यान रखें तो ज्यादा अच्छा होगा।

जहां तक जयपुर जिले का सवाल है मै एक बात निवेदन करना चाहती हूं। जयपुर जिले में किसानों के ऊपर पहले ही बहुत बड़ा भार है। गंगानगर और कोटा का उदाहरण लीजिये, उनके साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा कोई उस क्षेत्र से द्वेष भाव नहीं हैं। मैं तो सिर्फ इतना मात्र कहना चाहती हूं कि जहां गंगानगर और कोटा जिले हैं- राज्य द्वारा सिंचाई सुविधाएं वहां के लोगों को उपलब्ध करायी गयी है परन्तु उसके लगान की दर और जयपुर जिले की लगान की दर एक ही रख दी गई है जबकि दोनों में जमीन आसमान का अन्तर मिलेगा। एक तरफ तो जयपुर जिला है जहां पर कि किसान अपने खुद के साधनों से कुआ तैयार करता है, जमीन पर मेहनत करता है, उसे इतनी मेहनत करनी पड़ती है जमीन पर वहां दूसरी ओर ऐसे लोग हैं...

श्री योगन्द्रनाथ हांडा : हमारी तरह संघर्ष करिये, 15-20 हजार लोगों का प्रदर्शन करिये...

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : मैं पहले ही कह चुकी हूं, इस बारे में आपको नाराज होने की आवश्यता नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : हमारा लगान क्यों बढ़वाते हैं ?

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : मैं तो जयपुर जिले का लगान कम करने की बात कहना चाहती हूं। मैं कोई शिकायत या द्वेष नहीं रखती हूं। मैं भी नहीं चाहती कि गंगानगर जिले का लगान बढ़ाया जाये····

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप लगान कम कराने के लिये संघर्ष करिये हम आपका साथ देंगे।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : मैं आप से पूछ लूंगी और आप गाइड करेंगे कि किस प्रकार से संघर्ष किया जाय।

तो मैं कह रही थी कि जयपुर जिले का किसान पहले से ही काफी आर्थिक बोझ से दबा हुआ है और किसी प्रकार के लगाये हुए कर चाहे राजस्थान भर के लिए हों, वह रासायनिक खाद पर हो, ट्रैक्टर और पार्ट्स वगैरह के ऊपर हो उनका भार सभी किसानों पर पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस दिशा में सरकार गम्भीरता पूर्वक सोचे।

किसानों का जहां तक सवाल है आज किसान जिन कठिनाइयों में रह रहे हैं उनके बावजूद भी हमारे देश को अनाज पैदा करके देते हैं लोगों का भरण-पोषण कर रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहती हूं कि किसान यदि अपने यहां भूमि में मकान भी बना लेता है तो उसके ऊपर कितने कितने नोटिसेज पटवारी के द्वारा, तहसील के द्वारा और कलेक्टर के द्वारा सर्व किये जाते हैं और उनके ऊपर जुर्माना होता है। तो मेरी समझ में नहीं आता है कि जो किसान खेती करता है, जिसको अपनी खेती की रखवाली 24 घन्टे करनी पड़ती है वह अपने रहने के योग्य और जानवरों के रहने के योग्य मकान बना लेता है तो क्या गुनाह कर लेता है ? क्या खेती करने वाले किसान से सरकार यह अपेक्षा करती है कि वह मकान में न रह कर किसी पेड़ पर बैठा रह कर या सड़क पर बैठ कर अपनी फसल की रक्षा करे। क्योंकि कृषि मंत्रालय का इससे सीधा सम्बन्ध है किसान और कृषि मंत्रालय का आपस में सम्बन्ध है इसलिए मैं कृषि मंत्रीजी का ध्यान विशेष रूप से इस ओर आकर्षित करना चाहूँगी कि अपने किसानों की रक्षा कीजिये, और इस प्रकार का जो अन्याय हो रहा है उनके साथ, उससे उन्हें बचाइये।

दूसरी तरफ जहां पहले पंचायत समिति तकावी आदि का वितरण करती थी तो किसानों को कुछ सुविधाएं मिलती थीं। हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और बहुत जोर-शोर का नारा लगाया कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया है और आम लोगों को, गरीब लोगों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, मैं काफी अर्से तक जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि करीब 7 साल तक एक पंचायत समिति की प्रधान रही हूं उस दौरान जो मैंने देखा है किसान को पंचायत समिति के मुकाबले में बैंकों से ऋण मिलने में कितनी बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसको बेचारा किसान ही जान सकता है। आम लोग उसको महसूस नहीं कर सकते हैं। एक किसान किसी बैंक से

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)

ऋण लेने के लिए जाता है तो दलाल वहां पर रहते हैं तो उनकी दलाली और भेंट पूजा करके आगे जाता है तो फिर उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा गांव किसी सड़क से जुड़ा हुआ है या नहीं। जो गांव सड़क से जुड़ा हुआ होगा वहां पर ऋण दिया जायगा। उसको कहा जायगा कि तुम्हारे गांव के 10–20 किसान ऋण लेने वाले हों तो तुम्हारा भी ऋण स्वीकृत किया जा सकता है। मेरी समझ में नहीं आता है कि इस प्रकार की अड़चनें थीं तो क्यों नहीं हर गांव को सड़क के साथ जोड़ा गया जिससे कि किसान को लोन की यह सुविधा आसानी से मिल सकती। इसी प्रकार यहां सवाल यह पैदा होता है कि एक व्यक्ति को नहीं मिलता है तो उस किसान को जिसको कि ऐसे की जरूरत है अपने खेत की उन्नति के लिए और वह बैंक के पास जाता है तो उससे कहा जाता है कि 15 व्यक्ति तुम्हारे गांव के और तैयार करके लाओ। तो फिर बैंकों के फील्ड ऑफिसर क्या काम करते हैं? उनका क्या कर्तव्य है? उनकी क्या जरूरत है? अगर किसान अपने आदमियों को तैयार कर सके लोन के लिए तो वह खुद बैंकों में जाकर प्रसार अधिकारी बन जाय। तो इस ओर मैं कृषि मंत्रीजी का ध्यान विशेष रूप से खींचना चाहूंगी।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा अन्याय है। काफी देर के बाद तो समय दिया और बीच बीच में आप संकेत दे रहे हैं कि मैं बैठ जाऊं। मैं कुछ बातें और कहना चाहती हूं उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम और मिलना चाहिए।

हमने कृषि-उपज मंडी समितियां बनाई लेकिन उसका किसानों को कितना उपयोग मिला? इसके बारे में तो अभी सदन में काफी चर्चा हो चुकी है। मैं तो सिर्फ इतना ही जानती हूं कि कृषि-उपज मंडी के दफ्तरों के नाम पर जितना कृषि विभाग से रुपया दिया जाता है उससे जो समितियां बनी हुई हैं उनमें किन्हीं व्यक्ति विशेष, जो कि पदाधिकारी हैं, उनका आवासगृह बन गया है। ऐसा लगता है कि राज्य सरकार ने उनके मनोरंजन के लिए साधन जुटाये हैं। इसी प्रकार से जयपुर की कृषि-उपज मंडी का उदाहरण देना चाहती हूं। आप स्वयं इस तरह की जांच करावें कि वहां पर क्या काम हो रहा है, और जो भी खर्चा राज्य सरकार पर पड़ रहा है उसका कितना उपयोग किया जा रहा है।

दूसरा, हम जहां पशुओं की बात लेकर चल रहे हैं तो एक तरफ तो हमारे वित्त मंत्रीजी ने श्वेत क्रान्ति की घोषणा की और कहा था कि हरित क्रान्ति के साथ-साथ श्वेत क्रान्ति को बढ़ावा दिया जायगा। जहां पशुओं की नस्ल बढ़ाने की बात करते हैं उसके साथ साथ हमारे में क्या कमियां हैं उन पर विचार करना होगा। सबसे पहले तो जो पहले से व्यवस्था थी कि हर गांव के पशुओं के लिए गोचर भूमि छोड़ी जाती है तो या तो गोचर भूमि अपने आप ही गायब होती जा रही है अतिक्रमण के द्वारा लेकिन अतिक्रमण

(सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव)
करते हैं मालदार किसान, और पटवारी भूमिहीन किसान को कहता है कि गोचर भूमि है, और किसी को सिवाय चक बतलाता हूं, और उसके बाद में खुद काश्त कमिश्नर बड़े बड़े जागीरदारों को वह गोचर भूमि एलाट कर देते हैं और गांव के किसान देखते ही रह जाते हैं और पशु बेचारे परेशानी में पड़ते हैं। इसको वह किसान ही जान सकता है जिसके पास में 10–20 पशु होते हैं और चरने के लिए उनके पास में जगह नहीं हो तो कितना दुखी होता होगा, यह आप ही अन्दाजा लगा सकते हैं।

इस प्रकार से पशुओं के लिए आपने चिकित्सा-व्यवस्था क्या की है? बड़े बड़े शहरों में जरूर हास्पीटल खोले हैं, लेकिन गांवों में आज भी चिकित्सा व्यवस्था का अभाव है। जयपुर में जो वेटरनरी हास्पीटल है उसके सबसे नजदीक के गांव झोटवाड़ा, सांगानेर हैं तो उन्हें भी 5–5, 6–6 मील से जानवरों को इलाज के लिए यहां लाना पड़ता है, तो आप कल्पना कीजिये जो गांव 30–30, 40–40 मील की दूरी पर हैं वहां से पशुओं को इलाज के लिए कौन किसान जयपुर ला सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि गांवों में कम से कम हर 5 मील या 7 मील की दूरी पर पशु-चिकित्सालय की व्यवस्था करना चाहिए जिससे किसानों को पशुओं का इलाज कराने में कोई कठिनाई नहीं उठानी पड़े।

मैं अन्तिम बात एक सुझाव के रूप में कह कर समाप्त करती हूं कि हमारे देश की कृषि और हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या इन दोनों का बहुत गहरा सम्बन्ध है। जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ती जा रही है इसी प्रकार से अगर बढ़ती रही तो कृषि के क्षेत्र में हम चाहे कितना ही अनुसन्धान करें, कितनी ही प्रगति करें, वह नगण्य ही रहेगी। इसलिए किसी प्रकार की कृषि की उन्नति की बात जहां एक ओर करते हैं दूसरी ओर हम बिजली के स्तर में कमजोर रहते हैं तो वह भी ठीक नहीं होता है। इसलिए मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार को कि कृषि, पशु-पालन, विद्युत् और परिवार नियोजन ये चारों विभाग ऐसे हैं कि जिसका आपस में तालमेल, कोआर्डिनेशन बहुत जरूरी। इसी के ऊपर हमारे देश का, कृषि का भविष्य निर्भर करता है। अन्त में मैं आपके द्वारा उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहती हूं कि कृषि के क्षेत्र में उन्नति के लिए इन कुछ बातों, जो मैंने बताई हैं, के ऊपर गम्भीरतापूर्वक विचार करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामसिंह। (सादुलपुर)

(अनुपस्थित)

श्री राम रघुनाथ।

श्री राम रघुनाथ (डेगाना) : उपाध्यक्ष महोदय, जो मैंने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उसके अन्तर्गत पशुपालन विभाग के लिये कुछ निवेदन करना चाहता हूं। नागौर जिले का जो पशु है वह पूरे विश्व में मशहूर है और इसको सभी लोग जानते

(श्री राम रघुनाथ)

हैं। मैं आपके माध्यम से उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि नागौर जिले के पशुओं की उन्नति के लिए, या उनके सुधार के लिए क्या इस बार कुछ किया जा रहा है? इसके लिए बजट में कुछ नहीं दिखा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, नागौर के पशुओं की उन्नति व सुधार के लिए गांवों में सांड़ों की बहुत मांग है। अगर सुधरी हुई नस्ल के सांड गांवों में पहुंच जायं तो लोग, पशुपालक अपने पशुओं की नस्ल सुधार सकते हैं। नागौर में पशुओं के चार पांच मेले होते हैं, नागौर, पुष्कर और इर्द गिर्द मेले भरते हैं, मेले के अन्दर पशुओं को ले जाया जाता है, उन बैलों को सभी भारत में कृषक काश्त के लिए और दूसरे कामों के लिए खरीदते हैं। नागौर के बैलों की नस्ल सुधार के लिए काफी पहले से ध्यान दिया गया था पिछले दो तीन वर्ष से इसमें सुस्ती आ गई, जब कि देहात के लोग, पशुपालक, समझने लगे हैं कि नस्ल की सुधार के लिए सांड़ की अति आवश्यकता है, बिना सांड के नस्ल सुधार नहीं हो सकती और अब इसमें सुस्ती आ गई है। इसलिए, उपाध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहता हूं इसमें फिर तेजी लायी जाय और गांवों में जगह जगह जहां से सांड की मांग आ रही है, सांड उपलब्ध कराये जायं ताकि नस्ल सुधरे।

मैं महसूस करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, सांड उपयोगी जानवर है, गांव वालों को चाहिए कि अगर वह नस्ल सुधार करना चाहते हैं, अपना फायदा चाहते हैं तो सांड खरीद लें, उसका बन्दोबस्त खुद कर लें। लेकिन आज सांड की कीमत वह नहीं रही है जो पहले थी। अब गांव वाले इस योजना में विश्वास करने लग गये हैं तो सरकार का और मंत्री महोदय का, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सरकार का फर्ज है, वह गांव वालों और किसानों का ध्यान रखे और सांड़ों का बन्दोबस्त करे।

नागौर जिले में कई पशु मेले लगते हैं, व परबतसर में भी मुख्य मेला लगता है। उस मेले के प्रबन्ध के लिए चार पांच वर्ष पहले पैसे की व्यवस्था की गई थी। परबतसर का मेला जो पुरानी जगह लगता था, उसके बजाय नयी जगह की व्यवस्था की गई थी। वहां पर पशु पालक जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि वहां पर सख्त जमीन है पथरीली जमीन होने की वजह से पशु बैठ नहीं सकते हैं, वहां आरामदेह जगह नहीं है। उसके लिए दो वर्ष पहले जब मुख्य मंत्रीजी वहां पधारे थे तब कुछ धनराशि दी थी ताकि मेले का सुधार किया जा सके। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं वह धनराशि पूर्णतया खर्च नहीं की गई है क्योंकि साल का अंत था, कुछ काम हुआ है। मेले की जितनी आमदनी होती है, मेरा खयाल है, उसका 25 पर्सेन्ट उसी मेले की उन्नति के लिए विकास के लिए लगाना चाहिए। वह उस मेले में नहीं लगता रहा है। इसके अलावा पुष्कर में भी मेला लगता है, वह कम्परेटिवली देखा जाय तो पुष्कर मेले की उन्नति हुई है, सड़कों के लिहाज से, जो पशु पालक आते हैं उनकी व्यवस्था के लिहाज से, जो मेला ग्राउन्ड है, वहां पशु इनाम के लिये लाये जाते हैं, उसके हिसाब से। लेकिन परबतसर में ऐसा कुछ नहीं है। जब परबतसर मेले में और मेलों से ज्यादा

(श्री राम रघुनाथ)

आमदनी होती है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय को, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि परबतसर मेले की तरफ ध्यान किया जाय और उसका विकास कराया जाय।

मेड़ता में जो मेला लगता है, उसका भी विकास करना चाहिये। मैं मुख्यतया मेलों की तरफ ही ध्यान आकर्षित करना चाहता था। मेरा निवेदन है, काफी वर्षों से ये मेले लगते आ रहे हैं। और पशुओं की दृष्टि से नागौर जिला देश में और विश्व में प्रमुख है, वहां के पशुओं में सांड प्रमुख है उसकी उन्नति के लिए, विकास के लिये, कुछ करना चाहिये क्योंकि उससे किसान को और सरकार को ज्यादा आमदनी होती है। इस को ध्यान में रखते हुए इसका विकास किया जाय। बस इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारी लाल भार्गव !

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल:) उपाध्यक्ष महोदय, यह तीसरा विभाग है जो एडहोक विभाग है, कृषि विभाग उसके बारे में मैं अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूं। आज कृषक को आसानी से कर्ज उपलब्ध नहीं होता और कृषक के काम में आने वाली भूमि, पानी व खाद के लिए जितनी मात्रा में अनुसंधानशालायें होनी चाहिए थी, उतनी अनुसंधान शालायें नहीं हैं। कृषकों को समय पर बीज और खाद नहीं मिलती। इसके साथ साथ भंडार की जो खरीद है, भंडार में जितना अनाज एकत्रित होना चाहिए और राज्य सरकार को बाजार भाव नियंत्रण करने के रूप में जो काम करना चाहिए वह सारा काम भी आज राज्य सरकार नहीं कर पा रही है आज मैं बीज के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। मैं पूछना चाहता हूं राज्य सरकार से, मन्त्रियों के फार्म, अधिकारियों के फार्म पर उपज ज्यादा पैदा होती है, दूसरे लोगों, किसानों के फार्म पर उपज ज्यादा पैदा नहीं होती–इसका कारण क्या है? इसका पहला कारण है वहां काला धन सफेद धन बनाया जाता है। दूसरा मेरा कहना है, बीज जितना खरीदा जाता है वह या तो मन्डियों के फार्म से खरीदा जाता है या सरकारी अधिकारियों के फार्म से खरीदा जाता है, इससे लाभ होना चाहिए वह नहीं होता है। जो बीज खरीदा जाता है वह अच्छे ढंग का, अच्छे किस्म का नहीं होता। मैं नाम नहीं खोलना चाहता हूं, मैं समझता हूं, सभी जानते हैं, जो मन्त्री रहे हैं, जो कृषि मन्त्री रहे हैं, उनके फार्म से और बड़े 2 सरकारी अधिकारियों के फार्म से बीज खरीदा जाता है। पांच लाख का बीज खरीदा गया, वह बीज खरीद कर सीकर में भेजा गया, लेकिन सीकर के किसान आज भी, क्योंकि उस बीज से अच्छी उपज नहीं हुई, इस सरकार को कोस रहे हैं। इसलिए मैं राज्य सरकार से मांग करना चाहूंगा, पिछले पांच वर्ष में राज्य सरकार ने कितना बीज खरीदा–इसकी राज्य सरकार को जांच करानी चाहिए, साथ ही यह भी कि किस किस मन्त्री से खरीदा, किस किस मन्त्री के बेटे से खरीदा, किस किस अधिकारी से बीज खरीदा गया इस प्रकार आज जो कृषि विभाग है और इस कृषि विभाग के अन्दर जो अधिकार बैठे हुए हैं, उनका ध्यान मैं इस ओर दिलाना चाहूंगा, आपने स्वयं के फार्म पर कितना

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
बीज पैदा किया ? आपने आंकड़े दिये हैं, पुस्तिका दी है, उनमें यह नहीं है कि प्रति एकड़ उपज कितनी हो सकती है, यह नहीं मालूम है, प्रति एकड़ पर कितना खर्च हुआ यह नहीं मालूम हुआ. किस किस किस्म के बीज बनाये गये यह भी नहीं मालूम हुआ । आपका तबीजी में फार्म है । दुर्गापुरा में फार्म है, यह दोनों बहुत बड़े फार्म हैं । इसके बाद कौनसा बीज पैदा किया, कितना बीज पैदा करके लोगों को बांटा, कितना बीज पैदा करके बाहर भेजा ? पैदा करने का सवाल इसलिये नहीं है क्योंकि हमारी राज्य सरकार मंत्रियों के फार्म से बीज खरीदती है, अधिकारियों के फार्म से बीज खरीदती है, इसलीए बीज पैदा करने का सवाल नहीं है और फार्म बेकार पड़े हुए हैं । मै मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा ट्रैक्टर की ओर । खेती के लिये ट्रैक्टर आवश्यक है लेकिन वह जनता को नहीं मिलेंगे । पहले पांच पर्सेन्ट कोटा, डिस्क्रीशनरी कोटा अपने अधीन रखा है, इसी प्रकार पांच पर्सेन्ट का कोटा निगम, जो खाद्य निगम बना हुआ है, उसके द्वारा बांटने को रखा है दस पर्सेन्ट कोटा, जो बेरोजगार इन्जीनियर्स हैं, वे ट्रैक्टर किराये पर चला सकें, इसलिए उनके लिये रखा है, पांच पर्सेन्ट नगर पालिकाओं के लिए रखा है, लेकिन बेकार इन्जीनियर्स को ट्रैक्टर नहीं दिये गये, नगरपालिकाओं को ट्रैक्टर नहीं दिये गये । इस प्रकार पच्चीस पर्सेन्ट कोटा ऐच्छिक कोटा राज्य सरकार के हाथ में चला गया । इसका परिणाम यह निकला जो मर्जीदान हैं, जो कृपा पात्र हैं उनको राज्य सरकार ने ट्रैक्टर दे दिये, गरीब किसान हैं उनको ट्रैक्टर नहीं दिये गये । पहले सौ रुपये जमा कराने की पद्धति बनाई गई, वह लोगों ने जमा कराये । कहा, लाटरी निकालेंगे । फिर सौ रुपये वापिस कर दिये गये और कहा, एक हजार रुपया जमा कराओ, उसके बाद ट्रैक्टर दिया जायगा । पिछली बार कार्पोरेशन कोटे से ट्रैक्टर दिये गये वह शीशराम ओला को 19–11–69 को, श्री नारायण चतुर्वेदी को 28–11–69 को । श्रीमती नर्बदा देवी को 26–11–69 को । मास्टर किशनलाल को 3–4–70 को, श्री ज्वाला प्रसाद को 3–4–70 को । · · · ·

श्री रामकरण जोशी	7–4–70
श्री रोशनलाल	7–4–70
श्री अमीलाल	7–4–70
श्री ललितसिंह	10–11–70
श्री विजय पाल आर्य पुत्र श्री कुम्भाराम	11–9–70
श्रीमती पुष्पा गोयल पत्नी श्री मुन्नालाल	7–9–70
श्री प्रद्युम्नसिंह	14–5–71
श्री खेतसिंह	4–9–70
श्री सूरजमल एम. एल. ए.	4–12–70
श्री केशरीसिंह पुत्र देवीसिंह	5–8–71
श्री बीरबल	17–10–70

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

श्री जोशी पुत्र श्री हरदेव जोशी 28–10–70
श्री रामदेवसिंह 18–8–69
श्रीमती नर्वदा यादव –
श्री यशवन्तसिंह पुत्र श्री शिवचरनसिंह 2–7–71
श्री मास्टर भोलानाथ 4–8–71
श्रीमती लक्ष्मीदेवी बारूपाल पत्नी
श्री पन्नालाल बारूपाल 29–7–71
श्री सुवालाल चौधरी एम. एल. ए. 28–7–71
श्री जयकिशन शर्मा 14–7–71
श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल 6–5–71
श्री सुरेश चतुर्वेदी पुत्र श्री आर. के. चतुर्वेदी 3–8–71
श्री सुरेन्द्रकुमार पुत्र श्री रामचन्द्र चौधरी 19–3–71
श्री दिग्विजयसिंह 1–4–71
श्री नरेन्द्रकुमार पुत्र श्री रघुनाथ विश्नोई 1–4–71

इसी प्रकार गवर्नमेंट कोटा में :

श्री समर्थलाल, डिप्टी मिनिस्टर
श्री सहदेव
श्री बृजेन्द्रपाल
श्री राजवी रूपसिंह
श्री राम रावल
श्री घासीराम यादव
श्री भैरोंप्रकाश मिर्धा पुत्र श्री एन. आर. मिर्धा
श्री कृष्णकांत व्यास
श्रीमती भगवती देवी पत्नी श्री जसराज
श्री पूनमचन्द विश्नोई
श्रीमती सुमित्रासिंह
श्री सुभाष नाहर पुत्र श्री यसवन्तसिंह नाहर
श्री बलवंताराम
श्रीमती साहिरा पत्नी श्री मजलिस खां
मिस खुशनदू खांन एण्ड मिसेज उषीखांन सिविल लाइन्स
श्री विनीत कुमार पुत्र श्री यसवंतसिंह नाहर
श्री शंकरलाल
श्री मुकुट विहारीलाल
श्री रामचरन
श्रीमती गोपाल कुंवर पत्नी श्री रघुराजसिंह पुत्र श्री ओंकारसिंह आइ.ए.एस.
श्री मोतीलाल चौधरी
श्री भीखाभाई
श्री शिवनाथसिंह

इस प्रकार 25 प्रतिशत कोटा राजस्थान सरकार ने उनको बांटने का अधिकार दिया है और मैं पूछना चाहता हूं कि आज

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

राजस्थान में बीवियों के नाम पर कोटा दिया जा रहा है। क्या बीवियों के नाम पर कोटा देना उचित है, क्या बीवियां ट्रैक्टर चलाती हैं? मैं पूछना चाहता हूं आज राजस्थान में आदमी के नाम पर खेत नहीं है बीवियों के नाम पर खेत हैं? बीवी के नाम खेत होने से क्या उपज ज्यादा होती है और आदमी के नाम पर होने से उपज कम होती है? आज हालत यह है कि राजस्थान सरकार के ट्रैक्टर्स राजस्थान से बाहर गए, 311 ट्रैक्टर्स राजस्थान से बाहर गए। नियमों के अनुसार, जो इसमें दिए गए हैं, कृषक राजस्थान का निवासी होना चाहिए, उसको ट्रैक्टर दिया जाएगा।

राजस्थान में कृषक ट्रैक्टर के लिए तड़प रहे हैं। इसी प्रकार से कृषि उद्योग निगम में धन का दुरुपयोग होता था। एक ही वर्ष में 32,000) पानी बिजली पर, 3,01,0:59 यात्रा भत्ता, टेलीफोन का व्यय 3974:70, इस प्रकार एक ही वर्ष में कुल 42,711) इस निगम के अध्यक्ष ने अपव्यय किया।

इसी प्रकार ट्रैक्टरों का सामान भी वहां से सप्लाई किया जाता है, वह भी बाजार से महंगाइ मिलता है, सामान भी खराब किस्म का होगा लेकिन लोगों को मजबूरी से लेना पड़ता है, ट्रैक्टरों के पार्ट्स रिश्तेदारों से खरीदे जाते हैं। मेरे पास रिपोर्ट मौजूद है, जिसमें कहा गया है कि :

We have not been supplied the information.............

अन्य कृषि उपकरण निगम द्वारा समय समय पर बनाए जाते हैं। एम.एल.ए. कलानी एण्ड कंपनी के नाम से पुस्तक है चार्टेर्ड अकाउटेन्टस। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि रिश्तेदारों से ट्रैक्टर्स के उपकरण खरीदे जाते हैं :

We have not been supplied the information whether the purchases and other transactions have been made from the parties in which directors or their relatives are interested.

यह पुस्तक मेरे पास है, इस पुस्तक से साफ बात हो जाती है कि ट्रैक्टर्स के पार्ट्स निगम के डाइरेक्टर्स हैं, अधिकारी हैं, उनके रिश्तेदारों से खरीद कर लोगों को बेचे जाते हैं।

1-11-70 को राजस्थान में ट्रैक्टर का कारखाना स्थापित करने के लिए फ्रांस की एक कंपनी से वार्तालाप करने के लिए निगम के अध्यक्ष फ्रांस गए और 19 दिन वहां ठहरे। यात्रा का व्यय निगम को करना पड़ा और यात्रा के सम्बन्ध में किराया देना पड़ा यह 5900) रुपये। उसके बाद जो दैनिक भत्ता था वह अलग है। राज्य सरकार ने बार बार घोषणा की और निगम के अध्यक्ष ने बार बार घोषणा की कि राजस्थान में ट्रैक्टर का कारखाना जोधपुर में खुलेगा, अलवर में खुलेगा। ट्रैक्टर का कारखाना खुला नहीं और जो पैसे का दुरुपयोग होना था वह हुआ।

हमको कृषक के लिए कम से कम आमदनी का स्रोत बनाना चाहिये। राजस्थान में एक काश्तकार को कम से कम 200) रु, प्रतिमाह आमदनी होनी चाहिए। इसी प्रकार से हमें यह बात भी तय करनी चाहिये

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

कि कृषकों पर न्यूनतम वेतन कानून लागू करें कि एक दिन में कम से कम उसको 6.67) रु. मिलने चाहिए। इसी प्रकार गांवों में किसानों का सामान आसानी से ले जाने के लिए एप्रोच रोड्स होनी चाहिये। इसी प्रकार राजस्थान में चरागाहों की दशा ठीक नहीं है। क्योंकि पशु हमारे राष्ट्र का धन है, राष्ट्र की आय है उसके लिए चरागाह छोड़ने चाहिये। पशु चिकित्सालय नहीं, दवाइयां नहीं मिलती और डाक्टर्स ऐसी दवाईयां लिखेंगे जो बाजार में मिलती नहीं और आखिरकार बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है।

राजस्थान का घोड़ा मशहूर था अब केवल उसके चित्र रह गए। घोड़ों की नसल हमने सुधारी नहीं। अब राजस्थान का घोड़ा देखने को नहीं मिलेगा।

अलवर में सुअर पालन केन्द्र खोला गया है, वहां पर मांग की गई कि और कारखाने खोले जाय लेकिन केवल सुअर पालन का केन्द्र खोला गया। 10 वर्ष में केवल एक इन्डस्ट्री खोली गई। रामानन्दजी ने बार बार मांग की उसके बावजूद वापस सुअर पालन केन्द्र खोला गया जो भी भली प्रकार से नहीं चलता। आज सुअर कितने बेचे गए, कितने पैदा हुए कितनों का मांस बिका आखिरकार सुअर पालन केन्द्र से कितना लाभ हुआ, इसकी जांच करनी चाहिए।

आपने सांड पालन केन्द्र खोला....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आडीटर व कन्ट्रोलर जनरल ने 8।। लाख का घाटा बताया है और सुअर एयर कन्डीशनर्स में आनन्द ले रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कहा गया कि बछड़े के लिये 10) फी सबसिडी देंगे वह सांड बनाया जाएगा। लाखों रुपए चले गए, न लाखों रुपये का हिसाब है न एक भी सांड है। लाखों रुपये 10–10 रू० के हिसाब से चले गए। सांड पालन के धंधे पशुपालन के नाम पर राज्य सरकार ने उसमें लाखों रुपए का घाटा। कहा गया कि भेड़ का बुकिंग हो जाएगा। लाखों रुपए खर्च हुए और लाखों भेड़ पालन शुरू हो। भेड़ की ऊन आई और उसके बाद बढ़िया ऊन आई जहां भेड़ पालन किया था। राज्य सरकार ने लाखों रुपए दिए, बढ़िया ऊन बाजार में भेज दिया गया घटिया बाजार से लाया गया। बढ़िया ऊन प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने लाखों रुपए खर्च किए। मैं पूछना चाहता हूं कि बीकानेर में ऊन खरीदी गई उसकी जांच का क्या हुआ?

किसानों को मेढ़े देने की योजना बनाई। औसतन एक मेढ़े पर 2।। या 3 हजार रुपये खर्च हो गया तो भी मेढा नर मेढ़ा नहीं बना। बड़े मेढ़े को तो बेच दिया और खराब मेढ़े को फार्म पर बिठा दिया। बीकानेर का जो फार्म है राज्य सरकार हिसाब लगाए तो मैं समझता हूं सारी बातों की जानकारी वहां की हो जायेंगी। देखने से सब बातें स्पष्ट हैं। आज सारे के सारे काम कागज में हैं।

(बिजली चले जाने के कारण अंकित नहीं किया जा सका)

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : गिरधारीलालजी आपके भाग्य में अंधकार लिखा हुआ है क्या ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अब प्रकाश हो गया । उपाध्यक्ष महोदय आज सांड के पालने तथा उसकी नस्ल सुधारने में भेड़ पालने में और उसकी नस्ल सुधारने में आज राजस्थान, मुर्गी पालन व मुर्गी के नस्ल सुधारने सरकार बिलकुल ही असफल रही है । तो मैं आपके माध्यम से उपाध्यक्ष महोदय यह निवेदन करना चाहूंगा राज्य सरकार से की वह इस ओर ध्यान दे ।

श्री उपाध्यक्ष : रणजीतसिंह ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : गिरधारीलाल जी ने वेद पढ़ कर नस्ल सुधारने की बात कही है ।

श्री चन्दन मल बैद : तब तो सुधार होगा ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रणजीतसिंह ।

श्री रणजीतसिंह (ओसियां) : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में कृषि के ऊपर बहस चल रही है उसमें मैं भी कुछ सुझाव देना चाहूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में काश्तकारों की जनसंख्या के लिहाज से 85 प्रतिशत है । और उनका धन्धा या तो काश्त करना है या फिर पशु पालना है तो आज हमें यह देखना है कि अभी जो बजट राजस्थान सरकार का आया है वह किसानों को किस दिशा में ले जायेगा । इस बात का पता तो थोड़ा बहुत हमें राज्य सरकार के बजट से ही संकेत मिल जाता है कि निकट साल भर में राज्य सरकार किसानों के लिये क्या काम करने जा रही है । यह बजट उन्हें किस दिशा में ले जायेगा । आज हम काश्तकार के लिये बड़े बड़े भाषण तो दे देते हैं पर उसके कहने में और करने में बड़ा अन्तर होता है । आज काश्तकार की जो हालत है उसे वो बोल कर नहीं कहता है । वो अपनी मुसीबतों को किसी से न कहकर खुद ही उसे सहन करता है । आज राजस्थान और हमारे देश भारतवर्ष के अगर सभी काश्तकार एक होकर आवाज लगावें तो मैं आप को निवेदन कर दूं कि पूरा आसमान गून्ज उठेगा ऐसी शक्ति आज काश्तकारों में है । पर आज चूंकि वो संगठित नहीं है इसलिये उसके लाभ के लिये कोई खास बात नहीं की जाती है । आज हम खेती के ऊपर जब विचार करते हैं तो हमें यह बताया जाता है कि हम आज आत्म निर्भर हो गये हैं अनाज के बारे में । पर काश्तकार ने किस तकलीफ से अपने देश को आत्म निर्भर बनाया है उसे सोचने का प्रश्न है । आज सभी चीजों का ध्यान रखता है कि कब मानसून आयेगा किस तरह से अपनी फसल बढ़ाने के स्टेप्स लेने चाहिये और अपनी जो फसल पैदा हो उसको किस प्रकार कहां उसे बेचना चाहिए । क्योंकि मैं आपको निवेदन करदूं कि आज किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता है और जब तक किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलेगा तब तक वह पनप नहीं सकता । इसलिये आज हमारे लिये आवश्यक हो जाता है कि हम काश्तकार को उसकी पैदावार का उचित मूल्य दिलाने की व्यवस्था करें । पर मुझे इस बजट

(श्री रणजीतसिंह)

में ऐसी कोई गारन्टी किसान को देने के लिए दिखायी नहीं दी है। आज अगर काश्तकार को नुकसान होता है तो राज्य सरकार उसके लिये कुछ भी करने को तैयार नहीं होती है। आज राज्य सरकार किसान को किसी प्रकार का रेमिशन देने को तैयार नहीं होती। उसे चाहे नुकसान हो जावो राज्य सरकार तो उससे लगान लेगी। आज कई बार राजस्थान में अकाल पडा है पर किसान को जो रेमिशन मिलना चाहिये उतना रेमिशन नहीं दिया गया है हालांकि राज्य सरकार ने कुछ रेमिशन जरूर दिया था अकाल के समय। पर यहां पर मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि आज ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये काश्तकार के लिये कि जब काश्तकार को तकलीफ हो तो उसे मुआवजा दिया जाना चाहिये। काश्तकार तीन बातों पर खास तौर पर निर्भर करता है। पहली जमीन, दूसरी पानी की व्यवस्था और तीसरी खाद पर। इन चीजों का काश्तकार को दिया जाना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहुत ही रेगिस्तान है वहां पर बरसात की कमी के कारण पानी की कमी है, और हमेशा से ही प्रकृति इस भाग की ओर पानी के मामले में उदासीन ही रही। इसलिए मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में पानी के श्रोत निकालने की व्यवस्था की जानी चाहिये। आज सिंचाई के साधन इस इलाके में नहीं होने की वजह से तथा हमेशा से ही अकाल की स्थिति बनी रहने के कारण आज किसान की कमर टूट गयी है। हां इतना जरूर राज्य सरकार ने किया है कि वहां पर अभी 400 ट्यूब वैल लगाने की बात कही है अगर यह काम करने लग जायेंगे पूरी तरह से तो कुछ राहत वहां के किसानों को मिलेगी। दूसरे आज जरूरत है किसानों के लिये अनुसन्धान कार्य करने की। आज जोधपुर में और जयपुर में इस प्रकार के अनुसन्धान कार्य चल रहे हैं। मैं तो राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसे अनुसन्धान कार्य बड़े पैमाने पर अगर तहसील हैड क्वार्टर पर न खुल सके तो तहसील हैड क्वार्टर पर तो होने ही चाहिये। आज के युग में जब कि छोटी जोत हो रही है तब इसका महत्व और भी बढ जाता है। छोटी जोत हो जाने से किसान के लिये पेट पालना बड़ी ही समस्या का प्रश्न बन गया है। उसे अपना तो पेट पालना पड़ता ही है पर उसके साथ साथ उसे पैदावार बढ़ाकर दूसरे लोगों का भी पेट पालना पड़ता है इसलिये थोड़ी भूमि में किस प्रकार से काश्तकार ज्यादा फसल पैदा कर सकें। ऐसे अनुसन्धान कार्य करने से ही हो सकता है। आज हमारे भारत वर्ष में जितनी फसीलीटिज दी जाती वह अन्य मुल्कों से बहुत ही कम है। दूसरे फोरन कन्ट्रीज में किसानों को काफी सहुलियतें दी जाती हैं पर यहां उसकी हालत उसके विपरित है। काश्तकार को यहां पर फोरन कन्ट्रीज में जो सहुलियतें वहां के कश्तकार को मिलती है वह नहीं मिलती। आज उन्हें सहुलियतें देना बहुत ही जरूरी है। उपाध्यक्षजी कोरम नहीं है।

(गणाभाव सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : कोरम होगया है अब।

श्री रणजीतसिंह : कोरम नहीं हुआ है।

(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष : हो गया है। प्लीज कन्टीन्यू।

श्री रणजीतसिंह : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज भारत वर्ष के किसानों को दूसरे मुल्कों के काश्तकारों से कम सहुलियतें मिलती हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सहुलियतें दी जानी चाहिये। आज दूसरे मूल्कों में किसानों को फर्टीलाईजर्स वगैरह सप्लाई की जाती है। वह व्यवस्था हमारे यहां भी होनी चाहिये। आज किसानों को दूसरे मुल्कों में फर्टीलाईजर्स पर 30 प्रतिसत मुआवजा भी दिया जाता है। इसलिये आज हमारे यहां भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि उन्हें भी फर्टीलाईजर्स पर मुआवजा दिया जाय। इसके अलावा मैं कुछ आपको ड्राई फार्मिंग के बारे में निवेदन करूंगा। आज अगर हमारे यहां सभी जगह पर ड्राई फार्मिंग हो तो किसानों को लाभ हो सकता है। इसके अलावा मै जो निवेदन करना चाहूंगा वह है पशु पालन के बारे में। आज हमारे राजस्थान में ऐसी स्थिति है कि जब किसान के पास काश्त नहीं होती है तो वो पशुओं को पालकर अपना पेट भरता है। आज पशुओं से वह कई काम करता है। इसलिये आज पशुओं की नस्ल में सुधार होना भी बहुत आवश्यक है। दूसरे आज हमारे इधर जो पशुओं के अस्पतालों की कमी होने की वजह से उन्हें बहुत ही दिक्कत रहती है इसलिये मेरा निवेदन है राज्य सरकार से कि पशुओं के लिये अस्पताल खोले जायं। आज मवेशी ही उसके पेट पालने का साधन कई जगह पर गावों में बना हुआ है। इसके अलावा मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि उन्हें पशुओं की नस्ल सुधारने के लिये अच्छे पशुओं को दिया जाय। इसमें ऐसी स्कीम्स बनायी जाय ताकि पशुओं की नस्ल में सुधार हो। पर यह स्कीम्स गावों के माध्यम से शुरू होना चाहिये न कि वां उपर लेवल से स्कीम बने। नागौरी नस्ल की गायें, नागौर नस्ल के बैल हिन्दुस्तान में मशहूर हैं नागौर नस्ल के सांड न देकर यदि खरपा कर के देते हैं तो वह ठीक नहीं रहता। खरपा कर में नगौर की नस्ल दें तो भी ठीक नहीं रहेगा। इस ओर सरकार उचित ध्यान दे और नस्ल सुधार के लिये व्यवस्था करें। खास तौर से पशुचिकित्सालयों में दवाइयों के लिये तवज्जह दिलाना चाहूंगा। एनीमल हस्बेन्डरी की डिस्पेन्सरीज हैं लेकिन नाम मात्र की हैं। डाक्टरों पर खर्चा होता है। डाक्टर तवज्जह नहीं देते हैं। इसलिये मवेशो पहुंचते नहीं है। इस ओर ध्यान देकर दवा दारू का इन्तजाम किया जाना चाहिये। गाडी कमाई के पैसे का सदुपयोग किया जाय। पहले कोई मवेशो बोमार होती थी तो पहले ज्यादा ध्यान रखने वाले होते थे। और मवेशी डिस्पेन्सरी पर पहुंचाने की कोशिश करते थे लेकिन आज वहां दवा दारु का इन्तजाम नहीं और इसका इन्तजाम नहीं होगा तो लोगों को कुछ भी राहत नहीं मिल सकेगी। पब्लिक का पैसा चला जायगा और उनको राहत नहीं मिलेगी इसलिये दवा दारू पर अधिक खर्च किया जाय तो उचित रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्रीजी।

श्री चन्दनमल वैद (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान भू-जल बोर्ड के बारे में विशेष चर्चा नहीं हुई इस वास्ते ज्यादा नहीं कह कर राजस्थान भू-जल बोर्ड इस साल मुख्य मुख्य क्या काम करेगा उनमें से दो तीन का जिक्र करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा।

पहला काम जो राजस्थान भू-जल बोर्ड इस साल कर रहा है वह यह है कि एग्रीकल्चर रिफाईनेन्स कार्पोरेशन के लिये अलग अलग पंचायत समितियों में जल के लिये सर्वेक्षण कराया है। पहले राजस्थान भू-जल बोर्ड उन पंचायत समितियों का प्रमाणिक सर्वेक्षण कराता है और कृषि के कार्यों के लिये जल उपलब्ध हो सकता है तो उसका एक अर्ध विस्तृत सर्वेक्षण किया जाता है और उसके बाद यह मालूम हो जाय कि यहां पर कृषि कार्यों के लिये काफी पानी मिल सकता है तो वह स्कीम एग्रीकल्चर रिफाईनेन्स कार्पोरेशन को भेज दी जाती है जो किसानों को ऋण देती है और वहां ट्यूब वेल और सिचाई साधनों को डेवलप किया जाता है। यह एग्रीकल्चरल रिफाईनेन्स कार्पोरेशन के द्वारा किया जा रहा है और यह करीब 70 पंचायत समितियों में किया जा चुका है और इस साल 45 पंचायत समितियों में यह काम और किया जायगा। माननीय उपाध्यक्ष, आप इस तरीके से देखेंगे कि 115 पंचायत समितियों में इस साल के अन्त तक अर्ध विस्तृत सर्वेक्षण द्वारा कृषि कार्यों के लिये पानी उपलब्ध करा सकेंगे। 117 पंचायत समितियां बाकी रहेंगी और उम्मीद है कि दो तीन साल में अर्ध विस्तृत सर्वेक्षण का कार्य कर लिया जायगा।

इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कार्य जो भू-जल बोर्ड द्वारा किया गया है वह है कि 400 क्लस्टर ट्यूब वेल की स्कीम है और इसको बना कर डेवलप करके किसान को ट्यूब वेल रीयायती कीमत पर दी जाय इससे सिचाई का कार्य होगा 400 की लिस्ट भारत सरकार को भेजी थी और हमें बताया गया है कि उसमें से 170 को लिस्ट मंजूर कर ली गयी। इस साल बडी स्कीम हाथ में लेना चाहते है उससे किसानों को फायदा होगा। मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि एरिड जोन्स हैं वहां पर पानी का पता लगाया जाय तो फायदा हो सकता है। पानी ज्यादा गहरा होने से किसान उसको उपलब्ध करके सिचाई कर सके यह संभव नहीं है। राज्य सरकार इस ओर जागरूक है और 400 की स्कीम भारत सरकार को भेजी उसमें से 170 की मंजूर हो चुकी है। इस पर काम शुरू हो जावेगा। दूसरी खेप में आशा है जो चार सौ को लिस्ट भेजी थी उसमें बाकी की बची हुई भी आजावेगी।

तीसरा काम जो राजस्थान भू-जल बोर्ड करना चाहता है वह यह है कि जहां जहां खारा पानी है वहा वहां पर पीने के पानी का पता लगाया जाय। इसके लिये 8 लाख का प्रावधान किया है हम इस बात का पता लगायेंगे कि जो पानी उपलब्ध कर लें उसकी जानकारी के आधार पर कहां कहा मीठा पानी उपलब्ध हो सकता है वहां वहां ट्यूब वेल खोदेंगे और उसको आधार मान

(श्री चन्दनमल वैद)

कर जल प्रदाय विभाग आस पास में जहां मीठा पानी उपलब्ध नहीं है वहां इस मीठे पानी को पहुँचायेगा । कोई ट्यूब अनसक्सेसफुल होगी तो 8 लाख में से खर्च किया जायगा और जो सक्सेसफुल होगी वह जल प्रदाय विभाग बनायेगा और वह उसके खर्चे में मोट होगा । इस प्रकार 25-30 लाख का प्रोविजन रेगिस्तान में जहां खारा पानी है वहां मीठा पानी उपलब्ध कराने के लिये खर्च किया जायगा ।

संक्षेप में, उपाध्यक्ष महोदय, भू-जल बोर्ड जो काम करेगा उसका जिक्र किया । चूंकि इस पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई है, मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि जिन माननीय सदस्यों ने कट मोशन्स दिये हैं, उनका उनको लिखित उत्तर भेज दूंगा और सदन से यह निवेदन करूंगा कि यह जो मांग प्रस्तुत की है उसको मंजूर किया जाय ।

श्री मोहनलाल छंगानी : जो कुएं चालू हैं और ट्यूब वेल चालू हैं वहां पर रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम बनाई जायगी ?

श्री चन्दनमल वैद : जो ट्यूबवेल खुदे हुए हैं उनमें कई तो डिफरेन्ट एजेन्सीज के द्वारा भारत सरकार ने खोदे हैं, किस सिलसिले में खोदे गये हैं उसके सम्बन्ध में बातचीत चल रही है । कुछ ट्यूबवेल पब्लिक हैल्थ इन्जीनियरिंग विभाग ले लेगा । भारत सरकार से बातचीत चल रही है, जल्दी ही तय कर लेंगे कि जो पड़े हुए हैं उनका जल्दी से जल्दी उपयोग करें ।

श्री उपाध्यक्ष : कृषि मंत्री जी ।

श्री परसराम मदेरणा (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष जी, कृषि और पशुपालन पर कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार सदन में रखे । कृषि के सम्बन्ध में यह बात सब ही माननीय सदस्यों ने स्वीकार की कि देश की आजादी के समय 1947 में खाद्य हम बाहर से इम्पोर्ट करते थे वहां 1970-71 के अन्दर कृषि उत्पादन इतना बढ़ा है कि करीबन 100 फी सदी है । कृषि का उत्पादन इस देश मे बढ़ा है, इस सम्बन्ध में कई कदम राज्य सरकार और भारत सरकार ने उठाये हैं । पिछले 20 सालों के अन्दर इरींगेशन का रकबा बढ़ा है । कई रिसर्च के जरिये से नये प्रकार के बीज सामने आये हैं और उसी के साथ हो साथ किसान अपने खेत में पैदावार बढ़ाने के लिये प्रयत्न कर रहा है । आज से 8–10 साल पहले 1955 में पंचायत समितियां बनी हैं उसके अन्दर खाद वितरण किया जाता था वह यूं का यूं ही पड़ा रहता था लेकिन आज किसान की खाद की मांग पूरी करने में कठिनाई हो जाती है । मेरा कहने का मतलब यह है कि कृषि के उत्पादन में हमने आत्म निर्भरता हांसिल की है । राज्य सरकार का और भारत सरकार का यह उद्देश्य है कि कृषि के मामले में आत्म निर्भर हो । इस देश के 70 प्रतिशत आदमी कृषि पर निर्भर करते हैं और इसलिये जहां कृषि का उत्पादन बढ़ाने का सवाल है उसी के साथ साथ कृषि उपज की बिक्री का । उसके लिये उचित गोदाम मिलने चाहिये, इसमें दो राय नहीं है । राज्य सरकार जब भी ऐसा हुआ है इफेक्टिव स्टैप्स लिये हैं और भारत सरकार की कृषि के मामले में उनकी जो स्ट्रेटजी है शार्ट टर्म नहीं है लांग टर्म है । लांग टर्म इस मायने में है कई प्रोजेक्ट्स के

(श्री परसराम मदेरणा)

अन्दर पिछले 5-7 सालों में जो आया है, 1966 में हाई इल्डिग वेरायटी यूज की गई। कन्ट्री के अन्दर आज अनाज के प्रोक्योरमेंट के साधन हैं, गोदामों की कैपेसिटी आज मुल्क में बढ़ती जा रही है। सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने व दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा आज किसान की उपज को खरीद कर गोदामों में भरने की कैपेसिटी सरकार के पास नहीं है। राजस्थान में आज कैपेसिटी बराबर बढ़ती जा रही है, सरकार ने भी और काफी ध्यान दिया है और कापरेटिव सोसायटीज ने भी बहुत सारे गोदाम बनाये हैं। इन सब को देखने से मालूम होगा कैपेसिटी बढ़ती जा रही है तो मैं संक्षेप में यह निवेदन करूंगा फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने ने एक बात रखी–आपकी कृषि के सम्बन्ध में कोई स्ट्रेटजी है या नहीं। वह स्ट्रेटजी अन इरीगेटेड ऐरिया ऐरियट और नान ऐरियट ऐरिया के लिये स्ट्रेटजी है या नहीं एक बात, दूसरी बात सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कही कृषि के अन्दर मांग संख्या के आधार पर जो प्रोविजन रखा गया है वह सेकिन्ड प्लान और थर्ड प्लान के कम्परेटिव फीगर्स दिये हैं। मैं यह कहूँ शुरू शुरू में खाद और बीज के लिये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से वितरित किया जाता था और अब कई ऐजेन्सियों के जरिये दिया जा रहा है इसलिये फीगर में कमी आ रही है। इसका मतलब यह नहीं है कि कृषि के मामले में जो दूसरी स्कीम्स हैं, दूसरे प्रोग्राम्स हैं रिसर्च हैं क्राप की या कोई क्राप के पेटर्न का सवाल है या कोई तकनीकी बात है, जो उन्नत खाद और बीज है उसमें किसी प्रकार की कमी आई है। मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि जहाँ राजस्थान में 1952–53 में टोटल जो है 108 लाख हैक्टर था वहां अब 166 लाख की वृद्धि हुई है–15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी तरह से डबल क्राप ऐरिया में 5 लाख, 20 हजार हैक्टर थे वह आज 70–71 में 15 लाख 60 हजार हैक्टर हुई है–तीन गुनी वृद्धि हुई है। उसके साथ इर्रीगेटेड ऐरिया का जो सिंगल क्राप ऐरिया है 20 लाख हैक्टर के आसपास थी वह आज 70–71 में 30 लाख 59 है जबकि तीन प्लान में 20 लाख के आसपास ही था। 71–72 में 31 लाख 59 हजार हुआ है–इसमें 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और 70–71 के अन्दर 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मेरा कहने का मतलब यह है कि इर्रीगेटेड ऐरिया की वृद्धि होना बड़ा मुश्किल है, यह माईनर इर्रीगेशन के जरिये हुई है, मीडियम प्रोजेक्ट्स के जरिये हुई है, मेजर प्रोजेक्टस के ऐरिये से हुई है। सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा भाखरा का सिस्टम आया है, गंग केनाल का सिस्टम नहीं आया। गंगानगर की वैसी हालत है जैसी फलौदी की। ये दो सिस्टम इर्रीगेशन के 56–57 के आसपास हुये हैं। जब मैं 59–60 में हनुमानगढ़ क्षेत्र में गया था तो वहां भाखरा का सिस्टम चल रहा था सेन्डड्यून स्टेबलाइजेशन नहीं किया गया था उसके कारण एक मुरब्बे में पानी जा रहा था तो दूसरे मुरब्बे में पानी नहीं जा रहा है क्योंकि जमीन का लेवलिंग नहीं किया गया था। हनुमानगढ़ से रावतसर का पूरा का पूरा इलाका सेन्ड लेवलिंग करने के बाद आज जमीन उपजाऊ बनी है। आज हर

(श्री परसराम मदेरणा)

मुरब्बे में पानी पहुंच गया है । किसी भी सिस्टम को जमाने में आखिर कुछ समय लगता है जब नई जमीन को खेती में लेते हैं....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इरीगेशन का ऐरिया ...

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा पहले सुन लें और बाद में बोलें।

श्री परसराम मदेरणा : आप थोड़ा धीरज रखिये। तो मैं यह निवेदन कर रहा था लैन्ड युटिलाइजेशन के लिये लैन्ड लेवलिंग किया जा रहा है और जो प्रोडक्शन बढ़ा है। सरदार शहर में 52–53 में 29 लाख 82 हजार टन का प्रोडक्शन था वह जाकर 70-71 में अब नोरमल बढ़ा है. मैं मानता हूं । मैं यह नहीं मानता हूं कि इतना बढ़ सकता है, इसमें फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य से सहमत हूं 81 लाख 12 हजार टन का प्रोडक्शन हुआ जब कन्ट्री का प्रोडक्शन हन्ड्रेड परसेन्ट इन्क्रीज हुआ है वहां राजस्थान का फूड प्रोडक्शन 160–190 प्रतिशत के आसपास हुआ है। यह सब एफर्ट्स एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट ने पूरे किये हों और एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट पूरी क्रेडिट लेना चाहे तो मैं न देने को तैयार हूं और न मैं लेने को तैयार हूं। जो आज उन्नत कृषि के तरीके हैं-आज आप किसी भी गांव में चले जाइये हम भी जब 8–10 साल पहले गांवों में जाते थे तो गांव वाले अलग अलग मांग करते थे, कोई सड़कों की मांग करता था, कोई खाद और बीज की मांग करता था लेकिन आज सारे राजस्थान के काश्तकार की पहली मांग है मेरे कुये में बिजली आनी चाहिये और बिजली का प्रचार हुआ है। आज हर साल हजारों कुओं में बिजली लगाई जाती है। इससे स्पष्ट है कि कृषि के तौर तरीकों में काफी सुधार किया गया है। आज किसान के खेत में बिजली उन्नति और समृद्धि की निशानी मानी जा रही है। कुओं में बिजली पहुंचाने के लिये हमारे वित्त मंत्रीजी ने बताया है कि 68 हजार 389 कुओं में बिजली देने की व्यवस्था की जा रही है और यह कार्य स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कर रहा है। इसके साथ ही रूरल इलेक्ट्रिक कार्पोरेशन की एक स्कीम बनाई है। उन स्कीमों की भी यही मदद रहेगी कि अधिक से अधिक संख्या में काश्तकारों को बिजली पहुंचे। यहां पर बिजली के सम्बन्ध में आमेर से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा खेती की जो बात है, जिसमें बिजली पहुंचने की जो बात है यह भी मेरे लिये एक वरदान थी। इस वरदान से तीन साल के लिये चुनी थी लेकिन अब 8–9 साल से चल रही है इसलिये मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है लेकिन उनकी मांग रहती है मेरे यहां कुओं पर बिजली देनी चाहिये, मेरे यहां यह स्कीम बन जानी चाहिये। रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन को मेरे पंचायत समिति के क्षेत्र के जरिये यह काम करना चाहिये मेरा कहने का मतलब है काश्तकार इस बात पर कि हम कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। कोई भी स्ट्रेटजी हो हाई इल्डिग के

(श्री परसराम मदेरणा)

जरिये नहीं बनाते है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट अपने ऊपर गैर-जिम्मेदारी या फेल्योर को लेना पसन्द नहीं करेगा। जब प्रोडक्शन बढ़ा है, इर्रीगेटेड ऐरिया बढ़ा है, हमने फर्टीलाइजर की मात्रा में बहुत ज्यादा कन्जम्पशन शुरू किया है। इर्रीगेटेड ऐरिया के अन्दर जहां हम फर्स्ट प्लान के प्रारम्भ में जीरो फर्टीलाइजर ले रहे थे वहां पर आज इर्रीगेटेड ऐरिया पर हैक्टर वह 1.34 के. जी. के आसपास है। मेरा कहने का मतलब है बराबर फर्टीलाइजर की मांग आज गांवों में बढ़ रही है और वह फर्टीलाइजर की मांग इसलिए बढ़ रही है कि जैसा कि फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात कही कि आप फर्टीलाइजर के मामले में जो यहां पर कन्जम्प्शन हो रहा है वह दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में बहुत कम है। उन्होंने यह भी कहा कि हाई यील्डिंग प्रोग्राम के अन्दर जितना क्षेत्र लिया है वह महाराष्ट्र के मुकाबले में कम है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस समय क्रैश प्रोग्राम आया था मैं उस समय कोआपरेटिव मिनिस्टर था और उस समय भारत सरकार के खाद्य मंत्री श्री सुब्रमण्यम थे और उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। उस समय हाई यील्डिंग वेराइटी के बारे में कुछ स्टेट्स ने बात पकड़ी और कुछ ने नहीं पकड़ी। 17400 हैक्टेयर भूमि के अन्दर हमने हाई यील्डिंग प्रोग्राम लिया था लेकिन इस साल जैसा कि माननीय सदस्यों ने विभाग के नोट में देखा होगा कि 1971–72 में मेक्सीगन व्हीट का एरिया 5 लाख है और 20 हजार हैक्टेयर भूमि है। वहां खरीफ के लिए 9 हजार हैक्टेयर को लिया गया है। खरीफ के लिए किसानों को जो बीज का वितरण किया जाता है वह समय पर नहीं किया जाता ऐसी शिकायतें आई हैं। क्योंकि पिछले समय में जो टोटल सीड सप्लाई होना चाहिए था वह समय पर नहीं हो सका इसलिए कुछ सदस्यों ने एक बात कही। कुछ स्थानों के ऊपर बीज बरसात होती है उसके पहले नहीं पहुंचता है तो उसमें दिक्कत होती है। मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कोई भी अधिकारी कहीं भी काम करता हो उसकी जिम्मेदारी है काश्तकार तक बीज पहुंचाने की। 2 मई तक अलाटमेन्ट कर दिया है और बरसात के पहले कहीं बीज नहीं पहुंचता है तो मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि उस अधिकारी के खिलाफ सस्पेन्शन की कार्यवाही की जायेगी और इसकी जिम्मेदारी व्यक्तिगत तौर पर मेरी है और डिपार्टमेन्ट की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एक बात फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने कही और एक दो माननीय सदस्यों ने कहा उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वे हाउस में नहीं हैं। मुझे बडा अफसोस है कि मैं पिछले 15 साल से इस सदन का सदस्य हूं और जब कभी भी डिमाण्ड सदन में आती तो विरोधी पक्ष के लोग हमेशा रात के 11 बजे तक बैठते थे लेकिन इस बार जो उस ओर विरोधी पक्ष में

(श्री परसराम मदेरणा)

बैठने वाले आये हैं ये भाग जाते हैं और खिसक जाते हैं यह प्रेक्टिस उचित नहीं है। डेमोक्रेसी के लिए विरोधी पक्ष का बैठना बहुत आवश्यक है ताकि उनके सुझावों का हम उपयोग कर सकें। जो भी वे मुद्दे उठाते हैं फिर भाग जाते हैं और सुनने के लिए तैयार नहीं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि रिसर्च के सम्बन्ध में दो तीन माननीय सदस्यों ने कहा। फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि रिसर्च का पूरा का पूरा काम उदयपुर यूनीवर्सिटी को ट्रान्सफर कर दें और यह भी कहा कि आपके यहां पर जो दुर्गापुरा फार्म पर रिसर्च हो रही है उसमें किसी प्रकार की कोई वेराइटी के बारे में रिसर्च नहीं कर पाये। लालबहादुर शास्त्री वेराइटी के बारे में कहा गया कि हमने निकाली और यह बुरी वेराइटी रही है तो यह हमने नहीं निकाली है लेकिन आर. एस. 31 जो राजस्थान की अपनी वेराइटी है और यह बात कहूं कि जहां पानी की कमी है वहां इस वेराइटी को पसन्द करते हैं चाहे वह गंगानगर हो या दूसरा एरिया हो। आर. एस. 31 को लोग ज्यादा पसन्द करते हैं। मैक्सीकन गेहूं पसन्द है और अच्छा लेकिन खाने वाले हैं वह आर. एस. 31 को ज्यादा पसन्द करते हैं। आज भी आर. एस. 31 वेराइटी की मांग ज्यादा है। जो हमारा एग्रीकल्चर रिसर्च इन्सटीट्यूट है उसकी दुर्गापुरा फार्म के बारे में बहुत ऊंची ओपीनियन है। माननीय सदस्य देखने गये थे बाली के माननीय सदस्य इम्प्रेस होकर आये हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फण्डामेन्टल साइन्स के जितने आइटम्स थे वह उदयपुर यूनिवर्सिटी को ट्रान्सफर कर दिये। वहां के वाईस चान्सलर से बात की थी और उस समय भी मैंने कहा था कि जहां तक एप्लाइड रिसर्च का सवाल है उसके लिए कहा कि ट्रान्सफर कर दो क्योंकि डे टू डे डवलपन्ट का काम है वहां से रिसर्च होकर आई, आपके पास पहुंची और वहां पर काश्तकार के पास पहुंचा दे- ऐसा सुझाव फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने दिया था। मैं इसको प्रेक्टिकल नहीं मानता और प्रेक्टिकल इसलिए नहीं मानता कि आज यूनिवर्सिटीज़ के बारे में लोगों की जैसी भावना है वह आप सब जानते हैं यहां पर उदयपुर यूनवर्सिटी के बारे में कई बार डिसकशन्स हुए हैं उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य चले गये वह बल्लभनगर फार्म की बात करते थे। वह फार्म यूनीवर्सिटी का है जो आज घाटे में चल रहा है और डेयरी स्कीम भी यूनीवर्सिटी की है जो कि फेल हुई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट चाहे या नहीं लेकिन गवर्नमेन्ट को डिसीजन प्रेक्टीकल होकर लेना पड़ता है क्योंकि वह जानते हैं कि काश्तकारों के पास कोई चीज पहुंचने वाली है और आज कहीं पर भी कोई नया रिसर्च करवाना है या रिसर्च के संबन्ध में कोई टेस्ट की बात है और उसका रिसर्च करवाना है जैसा कि डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि मोठ में महामारी लग गयी और वह कहते हैं कि एपेडेमिक क्यों नहीं घोषित हुआ-तो मैं इसके बारे में तो नहीं कह सकता कि एपेडेमिक क्यों नहीं घोषित हुआ लेकिन उस पर रिसर्च हो रही है जिस तरह का वायरस लगा है उसके बारे में। तो यूनीवर्सिटी तो आटोनोमस बाडी है,

(श्री परसराम मदेरणा)

आप वाइस चान्सलर से नीचे बात नहीं कर सकते। वहीं एक दो रिप्रेजेन्टेटिव असेम्बली से या मिनिस्टर इनचार्ज उसके बोर्ड में मेम्बर रहते हैं या सिन्डीकेट का मेम्बर होता है वह अपनी नीति निर्धारित करते हैं। यूनीवर्सिटी आटोनोमस बाडी है और ऐसे आइवरी डोर में बैठे हुए हैं उनके भरोसे पर सरकार किसानों का रिसर्च नहीं सौंप सकती। इसलिए पहले भी मेरी राय थी और आज भी राय है कि एपलाइड रिसर्च डिपार्टमेन्ट के पास ही होनी चाहिए यूनीवर्सिटी के पास नहीं। मैं समझता हूं कि यह काम हम यूनीवर्सिटी को दें इसको लोग पसंद नहीं करेंगे यूनीवर्सिटी अपने पास में लेना चाहती है लेकिन हमारे पास वेल एस्टेब्लिश्ड सेन्टर रिसर्च का है और हमारे पास जो साइन्टिस्ट हैं मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसके पास भी साइन्टिस्ट हैं, आज यूनीवर्सिटी को बने हुए समझता हूं कि 63 में बनी थी क्योंकि पहले जोधपुर की यूनीवर्सिटी बनी और उसके दो-तीन महीने के बाद यह उदयपुर की यूनीवर्सिटी बनी। उस समय यह सोचा गया था कि यह एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी रहेगी लेकिन उसके बाद में फिर अमेन्डमेन्ट हो गया और वह मल्टी फेकल्टी यूनीवर्सिटी हो गयी। इसके बाद में आज उसका जो स्वरूप और काम है हम सोचते थे कि उससे वह बहुत दूर चली गयी और दूसरी यूनीवर्सिटी के अन्दर सभी प्रकार के विषय पढ़ाये जाते हैं आज उसमें भी पढ़ाये जाते हैं। सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को एतराज है कि एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी उदयपुर में क्यों कायम की गयी। गंगानगर में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। अब यूनिवर्सिटी तो वहां हुई नहीं लेकिन यूनिवर्सिटी के कालेज वहां चल रहे हैं और उसमें एग्रीकल्चर कालेज वहां पर आपके यहां पर हैं। एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि यह कालेज जो आप चलाते हैं वह गांवों में क्यों नहीं चलाते। सांगरिया में एक कालेज है। इस समय कुल चार कालेज चल रहे हैं। एक कालेज अजमेर में दयानन्द कालेज है, एक कालेज उदयपुर में है, तीसरा कालेज सांगरिया में है और चौथा जोबनेर में है। इन चार कालेजों में से दो कालेज तो आज भी गांवों में चल रहे हैं सांगरिया और जोबनेर से बढ़कर और क्या गांव होंगे। गंगानगर जिले में एक कालेज है, अगर इसके बाद में यूनिवर्सिटी खोलने से ही कोई काम चलता हो और वहां से ग्रेज्युएट निकालने के बाद ही वे शिक्षित काश्तकार साबित हो पायेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज बी. एस. सी. एजी. जो बेकार हैं उनकी संख्या भी दो हजार से कम नहीं है जो अनएम्पलायड फिर रहे हैं। अभी मेरे पास में एक सर्वे कराने के लिए फेमिन डिपार्टमेन्ट में एक परमानेन्टली स्ट्रक्चर तैयार करने की बात आई थी और जो यहां पर बार बार यह बात कही जाती है कि राजस्थान का परमानेन्टली सर्वे करा कर मास्टर प्लान तैयार क्यों नहीं करते। हमने भारत सरकार को लिखा है कि एक्सपेरीमेंटल बेसिस पर पायलेट प्रोजेक्ट दे सकते हैं जिसमें कुछ इंजीनियर और एग्रीकल्चर ग्रेज्यूएट्स को लगाकर सर्वे करवायें। तो हमने कुछ लोगों को डिपार्टमेन्ट में लेने के लिए और उनको भर्ती करने के लिए

(श्री परसराम मदेरणा)

विज्ञापन निकाला। हम यह समझ रहे थे कि हमें जो 30–35 के करीब इंजीनियर्स की आवश्यकता है तो ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर ग्रेज्यूएट्स में इसमें तो डेढ सौ आयेंगे और उनमें से इण्टरव्यू वगैरा करके जो भी इसमें अपने आपको क्वालीफाई करेंगे उनको सरकार रिक्रूट करके ले लेगी। लेकिन आज जो एप्लीकेशन्स हमारे पास आई हैं वे करीब दो हजार से भी ऊपर हैं। इसलिए एग्रीकल्चर ग्रेज्यूएट्स यूनिवर्सिटीज से ही निकालना चाहते हों तो जो हालत आज इनकी है वह भी आपके सामने है। इन ग्रेज्यूएट्स को काम पर लगाने के लिए हमने उनको गंगानगर के कोलोनाईजेशन डिपार्टमेंन्ट से उनको जमीनें दीं कि आप खेती करिए। एक एक मुरब्बा उनको दिया लेकिन अब वे कहते हैं कि हमारे पास एक्वीपमेन्ट नहीं है। वे इसके साथ ही साथ और भी सहूलियतें चाहते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि राजस्थान केनाल और दूसरे एरियाज में पहले लिंक रोड बनाने की बात थी, हनुमानगढ़–सूरतगढ़ में और दूसरे गांवों में हमने यह सोचा कि रोड को और लम्बा चौड़ा किया जाय। हमने यह भी सोचा कि जो नहरें बन रही हैं तो लोगों को अच्छी सड़कों का साधन भी मिलना बहुत आवश्यक है।

तो मैं एक बात रिसर्च के बारे में और निवेदन करना चाहता हूँ और वह है काटन की रिसर्च के बारे में। हमने काटन की एक वेरायटी रिसर्च से निकाली है जिसका नाम है आर एस 89। इस काटन का जो 32–आर एफ अमेरिकी क्वालिटी की काटन है और जिसको गंगानगर में बोया है गंगानगर में बोया है भी बेहतर है और बेटर शीड की क्वालिटि है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे यहां पर और भी रिसर्च से कई बातें निकाली हैं। खास तौर से बाडमेर में हमारा खुद का रिसर्च स्टेशन है और वहां का जो सीड निकलता है वह काफी पोपुलर हो रहा है। इसी प्रकार ग्वार की वेराइटी है। ग्राम का रिसर्च भी किया गया है उसको लोगों ने काफी पसन्द किया है। इसके अलावा राहुल सीड है जो गंगानगर के एरिया में काफी पोपुलर है। जयपुर में बहुत ज्यादा केकड होता है और उसमें भी हमें काफी सक्सेसफुल रहे हैं। इन चीजों का कारण क्या है कि हमारे पास जो रिसर्च स्टेशन हैं वे ठीक तरह से काम कर रहे हैं। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि एक बात यहां पर हाई ब्रीड सीड के बारे में कही गई और राहुल शीड के रेजिस्टेंस के बारे में कहा गया। मैं इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी बाजरे का सीड है उसमें चाहे हाई ब्रीड–वन हो, चाहे हाई ब्रीड 3 और 4 हो लेकिन हाई ब्रीड जो है वह अक्सर जो कम बारिश वाले इलाके है, जहां कम बारिश होती है और जो रेगिस्तानी इलाके हैं वहां पर काम में आता है क्योंकि यह कम बारिश में भी पक जाता है। इसलिए यह रेगिस्तानी इलाके में चलने वाला सबसे अच्छा शीड है और इसीलिए इसको काम में लाते हैं ताकि कम बारिश के अन्दर भी फसल पक सके।

अब मैं यहां पर ज्यादा समय नही लेना चाहता लेकिन प्लाण्ट प्रोटेक्शन के बारे में

(श्री परसराम मदेरणा)

इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य भर में 142 यूनिट हैं प्लाण्ट प्रोटेक्शन के मेजर्स लेने के लिए और इसके साथ ही साथ जहां सघन खेती के केन्द्र ज्यादा हैं और जहां पर फसल में बीमारियां फैल जाती हैं वहां पर इन्सेक्टीसाईट और पेस्टीसाईट दवाइयां छिडकने में उपयोग करते हैं। दवाइयों का स्टाक हैड क्वार्टर पर रखा जाता है ताकि वहां से दवाइयों का वितरण किया जा सके।

यहां पर एक बात और कही गई और फलौदी से आने वाले माननीय सदस्यों ने कही कि आपने जो नोट दिया है उसमें स्मालफार्मिंग और मार्जिनल फार्मिंग के बारे में नहीं कहा गया। माननीय सदस्य स्वयं जानते होंगे कि स्माल फार्मिंग की जो स्कीम ली गई है वह लाखों रुपयों की स्कीम है। कम से कम 80 लाख या 50 लाख के बीच में उसमें ऋण और सब्सीडी है इसके साथ ही साथ इन्टीग्रेटेड प्रोग्राम भी है। जिसमें डेयरी का काम भी है। जो छोटे छोटे काश्तकार हैं जो मवेशी रखते हैं उनकी आमदनी में वृद्धि हो सके। अब आमदनी में वृद्धि कैसे हो सकती है कृषि के उत्पादन के साथ साथ सब्सीडियरी लोकेशन अगर कृषि के साथ है तो वह केटल का है। जो कैटल इयरिंग करते हैं उनको भी बराबर लोन दिया जाता है। कैटल डेयरी फार्मिंग के बारे में और दूसरे कामों के लिए। इसी तरह से जो मार्जिनल फार्मर्स हैं यह स्कीम अभी दो डिस्ट्रिक्ट में हैं, एक अजमेर और भीलवाडा। इसके साथ में एग्रीकल्चर लेबर है उसको एम्प्लायमेंट देने के लिए स्कीम बनाई इसके साथ साथ तीन ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स और भी है जहां स्माल फार्मर्स स्कीम है और वह है भरतपुर, अलवर और उदयपुर में। पांच जिलों के अन्दर एक प्लान के तरीके से काम चल रहा है। और यह स्कीम भारत ने केवल राजस्थान में ही लागू नहीं की है बल्कि हिन्दुस्तान के दूसरे जिलों में भी इस प्रकार के प्रोजेक्ट हाथ में लिए है और पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में चल रहे हैं।

यहां पर एक बात यह भी कही गई कि इण्टीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए क्योंकि इधर सीलिंग कम हो रही है। और सीलिंग जब कम हो रही है तब इसके पैटर्न के बारे में हमें सोचना चाहिए। हम भी यह बात सोच रहे हैं कि काश्तकार का जहां तक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का सवाल है उस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अन्दर क्रोप का पैटर्न बदलना चाहिए। जहां तक आज ज्यादा पानी की और जिसे कहना चाहिए वाटर लोगिंग की प्राब्लम है, हमने कानूनी तौर पर पैटर्न को बदलना है और इसलिए बदला है कि वाटर लोगिंग की समस्या को रोक सकें। दूसरी जगह भी पैटर्न बदलना चाहते हैं और इसलिए बदलना चाहते हैं क्योंकि सेल्फ सफिशियेंसी हमारा लक्ष्य है। देश में चाहे किसी प्रकार की दशा हों, इंजीनियरिंग गुड्स हों, आयल शीड्स हों या और कोई आइटम हो, हम उसमें सेल्फ सफिशियेंसी लाना चाहते हैं। यह हमारा लक्ष्य है और इलेक्शन मेनीफेस्टो में भी कांग्रेस पार्टी ने इस बात का उल्लेख किया है कि आज हमें आत्म निर्भरता का लक्ष्य हासिल करना है। खास तौर से यह बात कही गई है कि कपास के मामले में आज हम करीब 80 से 90

(श्री परसराम मदेरणा)

प्रतिशत तक कपास पर फोरन एक्सचेंज खर्च करते हैं इसलिए इसके क्षेत्र को बढ़ाया जाय। इसलिए हमने भारत सरकार से सेंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम गंगानगर में ली है और 35 हजार एकड के अन्दर हमने इम्प्रूव्ड सीड डालने की तैयारी कर रहे है और तैयारी करके काम प्रारम्भ करना चाहते हैं ताकि काटन का प्रोडक्शन बढावें। इसी प्रकार आयल शीड का जहां तक सम्बन्ध है यह कहा गया कि मूंगफली तो दो तीन जिलों में ही पैदा कर सकते हैं लेकिन सूरजमुखी के बारे में क्या सोच रहे हैं। सूरजमुखी के कई डिमांस्ट्रेशन किए गए हैं और माननीय सदस्य खुद जानते हैं कि मूंगफली में जो आयल प्राप्त होता है वह 52 परसेंट है लेकिन मुझे रिसर्च इंस्टीट्यूट वालों ने बताया है कि सूरजमुखी के अन्दर 63 परसेंट के आसपास आयल मिलता है। इसका हम 72-73 में क्षेत्र बढ़ा रहे हैं। हमने इसका डिमांस्ट्रेशन भी लिया है और हम भी इसको बढ़ाना चाहते हैं ताकि सूरजमुखी में ज्यादा से ज्यादा आयल प्राप्त कर सकें और आयल के मामले में आत्म निर्भर हो सके।

इसी तरह से दूसरे मामलों में भी है·· और आइल में भी कई करोड़ की फोरन एक्सचेन्ज खर्च हो रही है। यह डाइरेक्शन भारत सरकार से मिला है और सभी राज्यों को मिला है। कपास के मामले में भी यह कर रहे हैं कि इसको क्राप पैटर्न को हो चेन्ज कर रहे हैं। आइल के मामले पर हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हम स्वावलम्बी बन गये हैं और इससे हमारी आवाज भी बुलन्द हो गई है। हम अनाज के मामले में अब मोहताज नहीं रहे हैं। दूसरे मामलों पर भी हमें मोहताज नहीं रहना चाहिये। अनाज के मामले पर अगर हम मोहताज रहते तो हमारी फोरन पोलिसी के बनने और बिगड़ने पर भी इसका असर पड़ता है। कई मुल्कों से हम कपास का आयात करते है, इन्जीनियरिंग गुड्स हम मंगवा रहे हैं, पेट्रोल के अन्दर हम आत्मनिर्भर नहीं हैं, फर्टीलाइजर के अन्दर हम आत्मनिर्भर नहीं है। यह सामान अभी तक दूसरे मुल्कों से हम मंगा रहे हैं। अब हम यह प्रयास कर रहे हैं कि इन मामलों में हम सेल्फ सफीसेन्सी हासिल कर लें।

स्माल फारमर्स और रेगिस्तानी इलाके के विकास के लिये भी हम प्रयास कर रहे हैं हमने भारत सरकार को डेजर्ट डवलपमेंट का सुझाव दिया है। हरियाणा, राजस्थान और शायद गुजरात के लिये एक डेजर्ट डवलपमेन्ट बोर्ड बनाया गया। इसका हैड क्वार्टर जोधपुर में रखा गया और एक सीनियर आई.ए.एस. आफिसर सन् 68 में आ गया। वे करीब डेढ़ साल रहे। इसके लिये भारत सरकार ने फाइनेन्शीयल असिस्टेन्स देने की बात कही है। हमें फाइनेन्शीयल असिस्टेन्स नहीं मिली लेकिन चार सेन्ट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम सेन्ड ड्यून की स्कीम्स हाथ में ली गई है। फारेस्ट डिपार्टमेन्ट इन स्कीम्स को कर रहा है। डेजर्ट डवलपमेन्ट के अन्तर्गत एक ड्राय फार्मिंग का प्रोजेक्ट हाथ में लिया गया है। ओसियां में एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया गया है—वहां पर कुछ तो कुए हैं और पूरा का पूरा एरिया सूखा है। वहां पर एक्सपेरिमेंट

(श्री परसराम मदेरणा)

किये हैं। काश्तकारों को आमदनी बढ़ाने के लिये कार्य किये गये हैं। रेगिस्तानी इलाके में पानी का लीकेज न हो उसके लिये वहां पर पक्की नालियां बनायी गयी है। तालाब भी खुदवाये गये हैं। उस एरिया के अन्दर ड्रिन्कींग वाटर के तालाब भी खुदवाये हैं। क्योंकि वहां पर पीने का पानी गहरा है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृति ड्राई फार्मिंग के प्रोजेक्ट हाथ में लिये गये हैं। जहां कम कुए हैं वहां और कुए खोदने की स्कीम है। यह जो डेजर्ट एरिया में स्कीम बन रही है वह कितनी कामयाब होगी यह पानी के डिस्चार्ज होने पर ही पता लग पायेगा। एक ट्यूब वेल्स को स्कीम्स ली गई है। 170 ट्यूब वेल की बात कह रहे हैं। इससे पहले दो स्कीम्स ली गई है और भारत सरकार ने स्वीकृत कर के भेज दी है और स्वीकृत होकर जो स्कीम आई है उसके अन्दर एक मेड़ता में दी गई है। दूसरी कठूमर और रामगढ़ के एरिया में है, जो कि अलवर जिले के अन्दर है। अलवर जिले के कठूमर और रामगढ़ वाली स्कीम कामयाब हो गई है और मेड़ता में दस ट्यूब वेल खोदे गये थे उसमें से चार कामयाब हो गये और 6 नाकामयाब रहे। अब जितने ट्यूबवेल्स खोदे जा रहे हैं उनमें से कितने कामयाब होंगे यह अभी नहीं कहा जा सकता है। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आज हमारा डिपार्टमेन्ट इस बात पर जागरूक है जबकि हमारे डिपार्टमेन्ट का बजट कम है और कम बजट होते हुए भी ज्यादा से ज्यादा स्कीम हाथ में ले रहे हैं। काश्तकारों का प्रोडक्शन बढ़े और उसको क्रेडिट फैसिलिटिज उपलब्ध हो, उसको बाजार मिले यह सुविधा भी जुटायी जा रही है। इन सारी बातों के लिये एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट ने प्रयास किया है। यह जो स्कीम्स सेंक्शन होकर आई है वह 400 ट्यूबवेल्स को है। अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड एक कामर्शियल डिपार्टमेन्ट है। वह तो कामर्शियल तौर पर ट्यूबवेल्स खोदता है। वैसे सारी स्कीम्स एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट की होती है। 22 माइनर इर्रीगेशन की स्कीम्स है और इसके साथ ही साथ 69 स्कीम्स की सेंक्शन हुई है। 22 स्कीम्स की सेंक्शन हो गई है। इसमें माईनर इर्रीगेशन की स्कीम्स हैं, आइल प्लान्टेशन की स्कीम्स हैं, एम स्कीम स्माल फारमर्स की, स्कीम ए. आर. सी. की स्कीम है, पहले वाली स्कीम में लोन कम मिल सका था। यह देखा गया है कि कोआपरेटिव क्रेडिट कमजोर है। इसलिये इसकी एक इन्टीग्रेटेड स्कीम को सोचा गया। स्माल फारमर्स को लोन सेन्ट्रल कोआपरेटिव के जरिये मिल सकेगा। वह स्वीकृत होकर आ जायेगा। अजमेर की डेयरी योजना 22 योजनाओं में शामिल है। इसके अलावा एक सवाई माधोपुर की, एक अटरू की माइनर इर्रीगेशन की योजना है। डेढ़ महीना हुए वह स्वीकृत हो कर आ गई है। इसके बाद में 38 स्कीम्स सबमीट की गई थी इसमें से दो सेंक्शन हो गई है। 36 स्कीम में माईनर इर्रीगेशन की रिवाइज्ड स्कीम्स है। डेयरी प्रोजेक्ट की स्कीम्स है। मार्केटिंग की स्कीम्स है, लेन्ड डवलपमेन्ट की दो स्कीम्स है और अन्डर प्रोजेक्ट हैं जिसका उल्लेख पहले भी किया जा चुका है। वर्ल्ड बैंक की ए. आर. सी. स्कीम है। वर्ल्ड बैंक की सहायता से शीप डवलपमेन्ट की स्कीम्स को भी हाथ में लेने का सवाल है। 170 ट्यूब वैल सेंक्शन

(श्री परसराम मदेरणा)

होकर आ गये हैं बाकी की स्कीम्स भेज दी गई है। जैसलमेर की एक इन्टीग्रेटेड स्कीम्स है। इसके साथ साथ ग्राउन्ड वाटर बोर्ड ने एक इन्टीग्रेटेड स्कीम बनाई गई है। 30 स्कीम्स हैं। 36 और हैं और 63 ऐसे स्कीम्स हैं जो कि अन्डर प्रिपेरशन हैं। 36 स्कीम्स के बाद इन 63 स्कीम्स को सब्मीट करने जा रहे हैं। इस प्रकार कुल 99 स्कीम्स हो जाती है। इस प्रकार इन स्कीम्स को प्रिपेअर करने के लिये कन्सल्टेटिव कमेटी बनेगी तब मैं आपको बताऊंगा। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में कोआपरेटिव क्रेडिट इन्टीट्यूशन मजबूत है। यह हमारे यहां पर वीक है। इसके साथ साथ ए. आर. सी. एग्रीकलचर फाइनेन्सिंग कारपोरेशन, इन्जीनियरिंग कारपोरेशन कामर्शियल बैंक के बारे में भी विचार किया जा रहा है। वैसे इनसे दूसरी स्टेट्स को बहुत फायदा हुआ है और राजस्थान इसमें पीछे रह गया है। अब ये स्कीम्स हाथ में ली जा रही हैं। ये सभी सक्सेसफुल रहेगी यह कहना अभी मुश्किल है। यह एक हाइपोथिटिकल क्वश्चन है। ये सब स्कीम्स बन रही हैं और थोड़े दिनों में आ जायेगी। कुछ तो स्वीकृत हो गई है और कुछ को वर्ल्ड बैंक से फाइनेन्स करने का मामला है, कुछ कामर्शियल बैंक से फाइनेन्स करने का मामला है। भारत सरकार के कोआर्डिनेशन से स्कीम्स बन रही है। ये कुल मिलाकर 99 स्कीम्स है और इनमें से 40 प्रोजेक्ट्स को इस साल के अन्दर अन्दर सैंक्शन मिलने वाली है जो कि चालीस करोड के आसपास होगी। और जब वह सब स्कीमें बनती हैं तो निश्चित तौर पर यह स्कीमें बनने के बाद काश्तकार को एग्रोकलचर प्रोडक्शन के लिए जितनी मदद मिल सकती है मिलेगी, और साथ ही साथ ऊल प्रोडक्शन के लिए और शीप और शीप ब्रीडिंग के लिए भी और शीप डेवलपमेंट के लिए भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लिया जा सकता है।

ड्रिंकिंग वाटर की बहुत बड़ी समस्या है और काफी बड़ी समस्या है। ज्यादा तर उस एरिया को हाथ में लेने की सोच रहे हैं हालांकि मिनिस्टर साहब 10 करोड की बात कर रहे थे, लेकिन 10 करोड रुपया यदि जोधपुर में ही लगाये जायं तो भी वहां की पीने के पानी की समस्या हल होने वाली नहीं है। पानी की समस्या बड़ी गम्भीर है। डेजर्ट एरिया में कुए दूर दूर हैं और मीलों तक कुआ नहीं है तो करीब 100 करोड रुपया खर्च होंगे तो पीने के पानी की समस्या हल हो सकेगी और मीठा पानी उपलब्ध हो सकेगा। इसलिए यहां पर एक स्कीम थी उसे लिया है ताकि पीने के पानी की सुविधा हो और उससे डेजर्ट एरिया के अन्दर आदमी का काफी समय बच सकता है। 10 महीने वहां के आदमी के तो कुए और घर के बीच में ही चले जाते हैं। एक-दो महीने बरसात के समय उसे थोडा बहुत कुण्डों में टांकों में पानी मिल जाता है। 12 महीनों में ज्यादातर समय उसका कुओं पर बीतता है। वह सेमी एम्प्लायड होते हुए भी केटल रखता है इसलिए हर रोज, दूर

(श्री परसराम भदेरणा)

दिन कुए पर जाकर उसको पानी निकालना पड़ता है। इसलिए उसका पूरे का पूरा समय नष्ट हो जाता है पानी निकालने में, मवेशियों के लिए पानी पहुचाने में, फेमिली मेम्बर्स के लिए पानी पहुचाने में। इसलिए यह भी एक स्कीम बनाई है इन्टेग्रेटेड। डेजर्ट डेवलपमेंट के मास्टर प्लान की स्कीम बनी है। उससे डेजर्ट डेवलपमेंट के कार्य किये जायेंगे तो कोई इमीजियेटली वहां पर ग्रीन रिवोल्यूशन आजायेगा यह बात मैं नहीं कह रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि डेजर्ट डेवलपमेंट के लिए एक मास्टर प्लान तैयार होना चाहिए। मैंने भारत सरकार से बात की है ताकी उस मास्टर प्लान के जरिये प्लानिंग की योजनाओं को भारत सरकार के इन्स्टीट्यूशन्स आफ फाइनेन्स के जरिये उस चीज को आगे बढ़ाकर जो है डेजर्ट एरिया के अन्दर उसकी व्यावस्था मैं हम क्या कर सकते हैं यह मालूम हो।

तो मैं माननीय सदस्यों को अन्त में यही निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि उपज मंडियों के सम्बन्ध में सरदारपुरा से आने वाले माननीय सदस्यों ने और सांचोर से आने वाले माननीय सदस्यों ने काफ़ी चिन्ता व्यक्त की है। यह बात सही है कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूश मार्केटिंग एक्ट बना हुआ है उसके तहत काफी मंडिया काम कर रही हैं, लेकिन काम करते हुए भी उसमें कई मंडियों को हम रेग्युलेट नहीं कर पाये हैं। कारण यह है कि वह स्टे आर्डर वगैराले लेते है। राजस्थान में 90 मंडियां है रैग्युलेटेड और 76 मार्केटिंग यार्ड्स है। कुछ काम नहीं कर रही है 2-3 के आस-पास लेकिन यह होते हुए भी हम यह देख रहे है कि मंडियां अपने घरों पर खड़ी नहीं हो सकी हैं। हरियाणा और पंजाब में जो एप्रोच रोड गांवों की बनी है वे यह प्लान के प्रावधान से नहीं बनी है। एग्रीकलचर प्रोड्यूस को मार्केट में लाने के लिए वहां पर एक मंडी ने 50-50 लाख रुपया इन रोड्स पर खर्च किया है। उनकी इतनी बड़ी आमदनी है। हमारे यहां पर ऐसे एरियाज में जहां पर मंडियों की आमदनी बढ़ाकर काश्तकारों को जो ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है वह उपलब्ध करा सकें इसलिए 1967 के अन्दर जिस वक्त कि मै एग्रीकलचर मिनिस्टर था एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य भी सदस्य थे और वह नाहर कमेटी के नाम से कही जाती है। उसकी रिकमण्डेशन्स भी आई थीं और वह राज्य सरकार के सामने आई हैं और राज्य सरकार ने कुछ परिवर्तन करने की बात की और करने के बाद यह सोचा गया कि पूरे के पूरे बिल को एक नये बिल के रूप में लाना पड़ेगा। आज जो बिल हैं उसके मातहत स्टे वगैरह ले लेते हैं क्योंकि उसमें कुछ खामियां हैं। इसलिए डिपार्टमेंट को इसका एक पूरा कम्प्रिहेन्सिव बिल बनाकर लाना पड़ा। उसने गवर्नमेंट को भेज दिया हैं और वह ला डिपार्टमेंट के अन्दर स्क्रूटिनी के लिए गया हैं। मार्केटिंग आफिसर, सेक्रेटरी इनचार्ज मार्केटिंग उनको मैंने इस तरह के आदेश दिये हैं कि ला डिपार्टमेंट से डिसकशन करने के बाद में वह पूरे का पूरा बिल

(श्री परसराम मदेरणा)

इस तरह भी कोशिश करें कि, आज तो मैं पूरा आश्वासन नहीं देना चाहता, लेकिन हो सका तो इसी सेशन में लाने की कोशिश करूंगा एक कम्प्रिहेन्सिव बिल ताकि वह इस सेशन में ही सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जा सके ताकि उसमें वहां पर डिसकशन वगैरह होकर दुबारा असेम्बली जब मीट करे तब उसका नया कानून बन सके। और वह नया कानून जो बनेगा उसमें काश्तकार का बिचौलियों के द्वारा जो शोषण होता है, मंडियों को रेग्युलेट करने में, उनकी स्कीम बनाने और साथ ही साथ किसानों का जो एक्स्प्लायटेशन होता है और लोएस्ट रेट भी उनको अपनी प्रोड्यूस का नहीं मिलता है उससे उनको पूरी मदद मिलेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ माननीय सदस्यों से मेरी प्रार्थना है कि मांग संख्या 19 जो रखी गई है उसको समर्थन दें।

इसी तरह से मांग संख्या 20 के सम्बन्ध में पशु-पालन के संबंध में मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा माननीय सदस्यों का।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मार्केटिंग सोसाइटीज को मजबूत बनाने के लिए क्या कर रहे है इस बात पर भी कह दें।

श्री परसराम मदेरणा : मार्केटिंग सोसाइटीज को मजबूत बनाने के संबंध में मैं स्वयं महसूस करता हूं कि मार्केटिंग सोसाइटीज का जो स्ट्रक्चर है वह राजस्थान में बहुत वीक है उसकी जिम्मेदारी आप एग्रीकलचर डिपार्टमेंट को ही सौंप दें तो यह ठीक नहीं है उसका संबंध एक डिपार्टमेंट से नहीं है, और कोई डिपार्टमेंट से नहीं है, उनका संबंध तो खास तौर से सहकारी विभाग से है। उसके लिए अपने को देखना पड़ेगा जो कि जन-प्रतिनिधि हैं कि क्यों उनके वहां की मार्केटिंग सोसाइटी अपनी इतनी भी हैसियत नहीं बना सकी है कि वह काश्तकार का माल ले सके और अपने पास में प्लेज कर सकें और उसके अगेन्स्ट में एडवान्स कर सके। उनके पास गोडाउन्स नहीं हैं। सांचोर में जब कभी एग्रीकलचर प्रोड्यूस आती है चाहे वह अप्रेल में आये जब कि सब जगह से ज्यादा भाव होते हैं तो सांचोर तहसील में भाव गिर जाते हैं। इसके दो-तीन कारण हैं। एक तो यह है कि मेन मार्केट वहां से बहुत दूर है, और मेन मार्केट दूर होने के बाद रेग्युलेटेड मंडिया नहीं हैं और न वहां पर खरीददार हैं और न ज्यादा लोग नाज का व्यापार करने वाले हैं। कई बार तो उनको अपना माल बालोतरा में लाकर बेचना पड़ता है और अगर बालोतरा में नहीं बिकता है तो सुमेरपुर की मण्डी में जो कि 60 मील दूर है लाना पड़ता है। तो मण्डी तक आने में परेशानी बहुत ज्यादा है। जब कभी भाव गिरते हैं तो इस बात की हमेशा कोशिश की गई है कि साचोर में चाहे फ्लोर प्राइस के गिरने का सवाल हो चाहे प्रोक्योरमेंट प्राइस से गिरने का सवाल आता है तो राज्य सरकार सामने आई है और उनका नाज खरीदा है। राज्य सरकार में इस नाज के अन्दर लाखों का घाटा हुआ है। हमने अभी पिछले साल ही बाजरा खरीदने की कोशिश की है और काश्तकारों को राहत दी है।

मार्केटिंग के संबंध में इतना निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे का पूरा फूड

(श्री परसराम मदेरणा)

ग्रेन्स का व्यापार हमारे हाथ में लेने में असमर्थ हैं, और अभी तक भी भारत सरकार ने भी अपने हाथ में नहीं लिया है फिर भी जो परचेजेज पूरे देश में खरीफ या रबी की फसल की की जाना चाहिए वह करती हैं और घाटे के द्वारा भी करती है। आज सरकार एक बड़ी एजेन्सी ग्राफ फुड ग्रेन्स के रूप में मार्केट में आती है। आज कम से कम 40 लाख टन नाज वह खरीदती है डाइरेक्ट जो कि बाजार में आता है और 5 मिलियन टन्स का उसके पास में स्टाक है। इतना बड़ी कोई भी व्यापारी नहीं हैं फूड ग्रेन्स का मार्केट में। जब कभी भाव गिरते हैं तो वह कन्ट्रोल करती है। अभी गेहूं के भाव बढ रहे थे और जब गेहूं के भाव बढ रहे थे तो फूड कार्पोरेशन ने कहा कि हम दुकाने खोल रहे हैं गांवों के अन्दर और शहरों के अन्दर जो कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको और दूसरी जगहों पर दे रहे हैं तो 7-8-10 रुपये क्विन्टल भाव नीचे आ गये। फुड कार्पोरेशन एक हमारा बहुत बड़ा स्टाकिस्ट है उस काम के अन्दर और वह पब्लिक सेक्टर के अन्दर है। पूरे फूड ग्रेन्स व्यापार फूड कार्पोरेशन के हाथ में नहीं हो सका हैं इसलिए राजस्थान सरकार मजबूत है।

प्रोक्योरमेंट के सिलसिले में फलोदी से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि एग्रीकलचर प्राइस कमीशन ने हमसे सलाह क्यों नहीं ली और गवर्नमेंट ने दिल्ली में बैठ कर हम से बिना पूछे यों ही कैसे कर लिया? एग्रीकलचर प्राइस गवर्नमेंट आफ इंडिया फिक्स करती है कि यदि उससे लोअर दाम हो सरकार खरीदेगी। राजस्थान में काश्तकार की जो एग्रीकलचर प्रोड्यूस है उसको खरीदना है तो खरीफ की फसल के आने के बाद और रबी की फसल के आने के बाद जब मार्केट में दाम फ्लोर प्राइस से नीचे जायेंगे तो उस पर वह खरीदेंगे यह उसकी गारन्टी है। बाजरे की फ्लोर प्राइस 45 रुपया और गेहूं की 52 के आसपास है। यह उसकी गारन्टी है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : सपोर्ट प्राइस की बात नहीं थी, प्रोक्योरमेंट प्राइस की बात है।

श्री परसराम मदेरणा : पहले मेरी बात सुन लें। जो मैंने कहा इसको आप समझे नहीं। फ्लोर प्राइस की वह गारन्टी देती है गवर्नमेंट आफ इंडिया। इसका मुख्य कारण यह हैं, प्रोक्योरमेंट प्राइस तय हो रही हैं वह हायर प्राइस है, वह हायर प्राइस है फ्लोर प्राइस नीचे से प्रोक्योरमेंट प्राइस 75-76 है मैक्सिकन गेहूं की और 71-72 रेड वेराइटी आफ व्हीट की थी। रेड वेराइटी आफ व्हीट रखी गई थी, वह सांचोर जालौर के मामले को सामने रखते हुए रखो थी, और वह मैंने रखाई थी, बाकी हिन्दुस्तान में किसी जगह रेड वेराइटी आफ व्हीट नहीं थी। आप कह रहे हैं 72 में लेना चाहिए, 76 कैसे रखा है, 72 में उसमें अलग अलग स्पेसिफिकेशन है, बिलो स्टेण्डर्ड वन, बिलो स्टेण्डर्ड टू, क्वालिटी कम होती है तो डेढ दो रुपये की कटौती हो जाती है। मैं निवेदन करूं, यहां 76 रुपये का भाव है गेहूं का, लेकिन कहीं 76 रुपये में नहीं मिल रहा है। गेहूं का भाव मार्केट में है वह 80 से 90 रुपये

(श्री परसराम मदेरणा)

पलक्चुएट कर रहा है और काश्तकार ले रहे हैं, इस भाव में मार्केट में जा रहा है।

श्री मोहन लाल छंगाणी : 102 में भी पोसायेगा नहीं, 11 रुपये प्रोक्योरमेंट चार्जेज 15 रुपये मेन्टेनेन्स एण्ड स्टाक चार्जेज। इसको कम करने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : अब तक एडवान्टेज या उससे जो फूड ग्रेन इम्पोर्ट कर रहे थे। भारत सरकार को मिसअण्डर स्टेंडिंग हो गई कि इसकी इश्यू प्राइस क्या हो इसमें। इन्सीडेंटल चार्जेज एक क्विटल पर क्या आयेंगे। एफ. सी. आई. मे प्राइस फिक्स की वह 78 है, आप चाहते हैं इश्यू प्राइस 50 रुपये मिल जायं तो पचास रुपये मिलने के बाद काश्तकार जिसकी बात आप कह रहे हैं, बेचने वाला नहीं है। इसलिए कन्ज्यूमर और प्रड्यूसर, इन दोनों के बीच में बैलेन्स रख कर भारत सरकार ने प्रोक्योरमेंट ने प्राइस तय कर रखी है। वह इन सब चीजों को देख कर प्राइस तय करती हैं, राज्य सरकार से तो इसमें सलाह ली जाती है लेकिन सलाह के बाद में जो अन्तिम निर्णय किया जाता है वह निर्णय केबीनेट करती है। वह निर्णय चीफ मिनिस्टर पर भी नहीं छोडती है, चीफ मिनिस्टर की मीटिंग कर लेते हैं और उसमें एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की रिपोर्ट रख देते हैं, उसमें चर्चा हो जाती हैं लेकिन जो डिसीजन लिया जाता हैं वह केबीनेट जब बैठती हैं तब लेती हैं। ओवर ह्वोल कन्ट्री की इकानामिक पोजीशन को भी सामने रखती हैं। आज ओवर ह्वोल कन्ट्री की इकानामिक पोजीशन क्या है, इसके अलावा खेती के काम में आने वाली दूसरी चीजों के क्या भाव हैं, पेस्टीसाइड पर टेक्स लगते चले जा रहे हैं, फर्टीलाइजर पर टेक्स लगते जा रहे हैं, ट्रेक्टर पर टेक्स लगते जा रहे हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट महंगे होते चले जा रहे हैं। आप जो दलील दे रहे थे, आप कन्ज्यूमर्स के केस को प्लीड कर रहे थे, आप काश्तकारों के केस को प्लीड करने वाली बात नहीं कह रहे थे, मैं कह रहा हूं कि 76 को प्राइस में से एक दो रुपये भी कम कर दिये जायं तो यह देखें कि दूसरी चीजों के भाव बढ रहे हैं। ठीक हैं, काश्तकार हैं, वह इसलिए जमीन पर बैठा है क्योंकि उसके पास दूसरा कोई आल्टरनेटिव नहीं हैं। दूसरा आल्टरनेटिव तभी हो सकता है जब कि कन्ट्री का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, लेकिन कन्ट्री का इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि जमीन चालीस पर्सेन्ट के नीचे कैसे आ गई जब कि एग्रीकल्चर रिसर्च इन्स्टीट्यूट दूसरी रिकमन्डेशन करता हैं। वह हम नहीं करना चाहते, वह राज्य सरकार के द्वारा की गई रिकमन्डेशन नहीं हैं। आज ऐसे ही लोग खेती पर बैठे हैं और काश्त कर रहे हैं जिनके पास दूसरा एम्प्लायमेंट का जरिया नहीं हैं। जब उनके पास एम्प्लायमेंट का दूसरा जरिया नहीं हैं, देश में दूसरा रास्ता नहीं हैं तो वही रास्ता हैं कि उनको जमीन पर बैठाया जाय, इस लिए ही सीलिंग में कमी की जा रही

(श्री परसराम मदेरणा)

हैं। सीलिंग में कमी की जा रही है, उसके बाद भी कितने आदमियों को जमीन का एडवान्टेज मिलेगा और जिन्हें मिलेगा उन्हें भी कम जमीन मिलेगी, साथ ही उनके पास दूसरे एम्प्लायमेंट का जरिया नहीं होगा। एम्प्लायमेंट की एक स्कीम चालू की है वह रूरल वर्क्स की है, यह हिन्दुस्तान के पांच सौ जिलों में लागू की है, यह क्रेश प्रोग्राम की स्कीम है, इसमें भी एक हजार आदमियों को एम्प्लायमेंट दे सकते हैं। इसके बाद भी बहुत ज्यादा आबादी है जिसके पास जमीन नहीं है। आप एक एकड़ हैक्टर की बात कह रहे हैं, एक एकड़ हैक्टर की बात दूसरी है, फलौदी में पांच हैक्टर में भी एक फेमिली काम नहीं चला सकती जिसमें पांच मेम्बर हो। काफी अनएम्प्लायमेंट है। एक परिवार की यदि आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें एम्प्लायमेंट मिलना चाहिए। वह नहीं मिलता है तो काश्तकार के लिए जमीन पर उपज करने का ही रास्ता है। अगर उन्हें जमीन नहीं मिल सकती तो इससे देश की प्रड्यूस को सैट बैक हो सकता है। आपने यह दलील दी और कम्युनिस्ट लाबी बनाने की बात की। मैंने कोई लाबी के लिए कभी नहीं कहा, आपके दिमाग में मिस-एप्रीहेन्शन चल रहा है। मैंने किसी को यह नहीं कहा कि तुम लाबी बनाओ। कोई आया हो और मैंने उससे कहा हो कि सीलिंग कम होगी, लाबी कम होगी······

श्री मोहनलाल छंगाणी : आपके बारे में चार्ज नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : लाबी बनाने का सवाल नहीं है। सवाल यह है सीलिंग को कीमत के साथ जोड़ना चाहते हैं, कैसे जोड़ना चाहते हैं, इसके लिए अलग-अलग अलग एप्रीहेंसन हैं।

दूसरी चीज मिल्क डेअरी की है। मिल्क डेअरी की स्कीम है जो आपरेशन फ्लड के जरिये राजस्थान में 3 करोड़ 82 लाख की आ रही हैं। मैं समझता हूं, इस काम मे यह समस्या जरूर है, डेअरी स्कीम है, तो चाहे नेशनल डी.डी. सी. हो, चाहे एग्रीकल्चरल कोर्पोरेशन हो, चाहे ए.आर.सी. हो या दूसरे फाइनेंसियल कोर्पोरेशन हों, उनसे धन लेने के बाद में इसका विस्तार ज्यादा करना पड़ेगा। जो भी सरप्लस मिल्क है उसको मोप अप करना चाहते हैं। जो भी हमारे पास में कैटल हैं तो भी कैटल पापुलेशन है उसके प्रड्यूस से पूरे कन्ट्री की नीड को बैलेन्स करना चाहते हैं। देश की आबादी 56 करोड़ के आस-पास है, लेकिन पर कैपिटा 102 ग्राम दूध हमारे पास है। आज एक्सपर्ट्स और दूसरे न्यूट्रेशन एक्सपर्ट कहते हैं कि 1981 तक पर कैपिटा प्रॉडक्शन 210 ग्राम के आस-पास होना चाहिए। इस प्रॉडक्शन को बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करेंगे। तो एक तरफ तो बढ़ती हुई आबादी है, उसके साथ में अनाज की कमी है। इस बैक लाग को पूरा करने के लिए इस परस्पेक्टिव में इस तरीके से इस स्केअरसिटी को कम करना पड़ेगा। इस चीज को सामने रखते हुए जितना न्यूट्रेशन फूड में हर मनुष्य को मिलना चाहिए वह मिलना चाहिए।

अब मैं एनीमल हस्बेन्ड्री के सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कहता हूं···

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अर्ज यह है कि बाजरे के बीज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था लाखों रुपया का, जिसका जरमीनेशन नहीं हुआ। मैंने कई एक्जाम्पल रखी हैं, वह बाजरे का बीज डेस्ट्राय हुआ समझिये, वह मेडीकेटेड था।

श्री परसराम मदेरणा : मैं यह सोच रहा था, एक-एक बात के लिए नहीं कहूं। आप बैठे हुए हैं तो सभी मुद्दों का जवाब दे देता हूं।

सोइल सर्वे के लिए कहा, उसके संबंध मे आपने कहा कि मेप्स वगैरह होल्ली डिफेक्टिव है, जो कुछ क्षेत्र का सर्वे किया गया है। वह टार्जेट बहुत कम किया गया गया है एफ. ओ. एक्सपर्ट इस सर्वे में साथ थे। उन्होंने इस पर संतोष जाहिर किया है, हो सकता है, पिछले वक्त लड़ाई में वह टार्जेट पूरा नहीं हुआ हो, पहले जो टार्जेट रखा गया था उसमें कोई कमी रही हो। लेकिन जो सर्वे किया गया उसकी एफीसियेन्सी और एफिसियेन्सी के सम्बन्ध जो एक्सपर्ट एफ. ओ. के थे उनके हाथ से इस योजना को लिया गया है और उसके बाद में यू.एन. ओ. को दिया गया है। मैं समझता हूं, यह सर्वे हुआ है वह अच्छा हुआ है। हैप-हैजर्ड वे में सर्वे कराना चाहते हैं और टार्जेट किसी बात के भी रख लें तो उंसका अचीव करने के अन्दर कई डिफीकल्टी व्यवहारिक और प्रेक्टिकल डिफीकल्टी आती है, उनको सामने रखना पड़ेगा।

[illegible] ीड के सम्बन्ध में कहा, यह [illegible] गया था, यह नेशनल सीड [illegible] रीदा गया था। नेशनल सीड कोर्पोरेशन के बाद भी जरमीनेशन नहीं हुआ, उसकी शिकायतें आईं यह मामला सदन में उठा तो नेशनल सीड कोर्पोरेशन को ढ़ाई लाख की धनराशि रोक ली है, उसका पेमेन्ट नहीं किया है। वह इसलिए कि ऐसा बीज दिया जो जरमीनेट नहीं हुआ वैसे भी जो बीज खरीदा जाता है उस सीड को सर्टीफाई करना पड़ता है, यह सीड है, यह नेशनल सीड कोर्पोरेशन का है। दूसरी प्राईवेट पार्टी से सीड लेते हैं तो तब लेते हैं जब नेशनल सीड कार्पोरेशन सर्टीफाई करता है। अब इसमें कहां गलती हुई, कहां····

श्री मोहनलाल छंगाणी : हो सकता है गहरा बोया हो। यह वेरीइटी गहरे बोने से जरमीनेट नहीं हुई हो।

श्री परसराम मदेरणा : कुछ गड़बड़ी रहती है, इसलिए धनराशि रोकली है और नेशनल सीड कोर्पोरेशन और हमारे बीच में खतोकिताबत चल रही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सारा का सारा बाजरा····

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं, मिनिस्टर साहब की स्पीच कन्क्लूड होने के बाद पूछें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : छोटा सा सवाल है, उसको बाद के लिए क्यों पटक रखें। सारे का सारा बाजरा नेशनल सीड्स कार्पोरेशन का नहीं था। लोकली भी कुछ बड़े जमीदारों से बाजरा डेवलप करने के लिए गंगानगर जिले में दिया था उनका बाजरा बड़े फेवरेबुल तरीके से खरीदा गया था और पहले भी उस संबंध में जिला कृषि अधि-

Page No. 179

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
कारी से कहा गया कि बाजरा डिफक्टिव है, वह उनको फेवर करके खरीदा गया। उसके बाद कुछ भरतपुर को कुछ जयपुर को गया जर्मीनेशन हुआ....

श्री परसराम मदेरणा : आफ हैंड नहीं कह सकता। मैं इसकी जांच करवाऊंगा। जांच की आवश्यकता हुई तो करवाऊंगा। मुझे बताया गया कि नेशनल सीड्स कार्पोरेशन से खरीदा गया। अगर दूसरी जगह से खरीदा गया, प्राइवेट आदमियों से खरीदा गया तो मैं इसकी जानकारी करूंगा।

आपने यहां पर एक नई वैरायटी गेहूं की बात की कि गेहूं की अच्छी किस्म की वैराइटी इवाल्व की। यह अखबार के जरिए हमारे विभाग के ध्यान में आया। रिपोर्ट कलेक्टर से मंगाई है उसके आने के बाद में इस तरह की अच्छी वैरायटी है और वह जो छोटा काश्तकार है, अच्छी वैराइटी को इवाल्व किया है तो निश्चित तौर से उसे प्रोत्साहन दिया जाएगा :

वी. एल. डब्ल्यूज. के बारे में प्रोमोशन के बारे में सरकार की तरफ से बैन लगाया हुआ है उसके हटते ही जिन्होंने परीक्षा पास कर ली है उनको कृषि विभाग में प्रोमोशन निश्चित दिया जाएगा।

यहां कोल्ड वेव आने पर सर्सों के अंदर स्प्रे नहीं किया गया, ऐसा कहा गया हमने स्प्रे किया था और एरियल स्प्रे किया है अलवर भरतपुर और दूसरी जगह जितने यूनिट्स थे उनको हिदायतें थीं। निश्चित तौर से पेस्टीसाइड छिड़का गया। हमने यूरिया छिड़कने की नई पद्धति अख्त्यार की है पानी को मिलाकर। यह किसी राज्य में नहीं है, राजस्थान सबमें पहला राज्य है, इसके अच्छे परिणाम रहे हैं। इसलिए राज्य सरकार हमेशा ध्यान देती रही है जहां भी बीमारी हो फसल के अंदर उसका उपचार किया जाए, इन्सेक्टीसाइड्स और पेस्टीसाइड जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाए।

पशु पालन के संबंध में माननीय सदस्यों ने सुझाव रखे। कई माननीय सदस्यों ने काफी ठोस सुझाव दिए। मैं किसी एक सुझाव के बारे में नहीं कहता हूं जनरल बात कहना पसंद करूंगा। यहां पर यह कहा गया कि पशुपालन विभाग योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं कर रहा है। यह बात भी आई कि जो कुछ फार्म्स चल रहे हैं उनसे कोई फायदा नहीं है और पैडीग्री बुल्स वितरित नहीं किए। यह बात भी सामने आई कि वेटिरिनरी अस्पताल और डिस्पेन्सरीज हैं वहां कुछ काम नहीं हो रहा है। जहां तक पशुपालन विभाग का सवाल है राजस्थान में आज पशु की जो नस्ल है वह करीबन 6—7 तरह की नसलें हैं, अलग-अलग जिलों में हैं। कुछ नस्लें ऐसी हैं गायें हैं जैसे थरपाकर और राठी नस्ल की वे हिन्दुस्तान में सबसे अच्छी हैं। कोटा भरतपुर की जो नस्ल है वह राठी, थरपाकर, हरियाणा, कांकरेज, पाली, जालोर और बाड़मेर के अंदर कोटा बूंदी अजमेर और जयपुर के हिस्से में नागौरी नस्ल और मालवी नस्ल झालावाड़ और कोटा में है। इन नस्लों के अंदर हमने कैटिल ब्रीडिंग फार्म्स खोल रखे हैं। कोटा में कैटिल ब्रीडिंग फार्म हैं। इन फार्म्स के अंदर जि[illegible]

Page No. 180

(श्री परसराम मदेरणा)

बुल्स हर साल निकलते हैं पेडीग्री बुल्स उनकी संख्या 200 के आसपास है जबकि काश्तकारों की मांग ज्यादा है। इसके लिए क्या किया जा सकता है मैं और विचार कर रहा हूं ताकि पेडीग्री बुल्स ज्यादा से ज्यादा काश्तकारों को वितरित किए जायं क्योंकि पशुपालन के विकास के लिए नरपशु उसी तमाम प्रोजैनी के अंदर जो क्वालिटी है वह नरपशु की आती है इसलिए जरूरी है कि अच्छी नस्ल के सांड देने चाहिए। एक माननीय सदस्य मांग कर रहे थे। कई जगह पर हम आर्टीफिशल इन्सेमीनेशन के डिस्ट्रिक्ट बैंक्स बना रहे हैं। पहले सेंट्रल जगह थी अजमेर जहां केवल कलेक्शन बैंक था लेकिन हमने सीकर, अलवर, चित्तौड़गढ़ भरतपुर, उदयपुर, कोटा में सीमेन बैंक्स खोल दिए हैं और इसके साथ हमने जिलों को लिख दिया कि वहां पर हरियाणा किस्म की हालिसटन, जर्सी, नागौरी, मालवी सभी प्रकार के बुल्स वहां पर रखें ताकि इनका सीमेन इकट्ठा करके दूसरी जगह पर जो करीबन 180 वेटिरनरी अस्पताल हैं वहां हमने ए. आई. सेंटर्स खोल दिए हैं ताकि इस प्रोजेनी का आगे बढ़ावा मिले ताकि बुल्स अच्छे हों। उसके साथ में दूध का उत्पादन ज्यादा बढ़े और हमने ए. आई. के लिए जहां पहले सीमित काम था करीबन 100 वेटिरीनरी अस्पताल में ए. आई. सेंटर्स खोले हैं। पंचायत समितियों के 3 सेंटर्स हैं। कुल मिलाकर 22 सेंटर्स होते हैं। 100 वेटिरिनरी अस्पताल, 6 जगह जिला सीमेन बैंक्स हैं, एक सीमेन कलैक्शन बैंक है अजमेर में। कुल मिलाकर 125 केंद्र स्थापित किए गए हैं ताकि अच्छी नसल के पशु पैदा हो सकें। इसी तरह से पौल्ट्री ब्रीडिंग फार्म्स 7 जगह हमने खोल रखे हैं और उनसे हर साल चिक्स और एग्स हजारों की तादाद में फार्मों को देते हैं ताकि पौल्ट्री का विकास हो सके।

डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने मेलों के बारे में कहा कि परबतसर का मेला पुरानी जगह पर होता है। राजस्थान में करीब 10 मेले विभागीय तौर पर लगते हैं और पंचायत समिति कोई ऐसी नहीं बची है जिसका खुद का मेला न लगे। इन मेलों में काश्तकारों को अपने कैटिल का उचित दाम मिलता है। वहां पर काम्पिटीशन की भावना को प्रोत्साहन के लिए मदद मिल सकती है। इसलिए परबतसर का पशु मेला राजस्थान में ही नहीं भारत में पुराना मेला है। राज्य सरकार ने सोचा था कि पशु मेला जो परबतसर का है लोग इकट्ठे होते हैं, मवेशी इकट्ठे होते हैं, नीची जगह पर है, दूसरी जगह ऊपर है लेकिन काश्तकार दूसरी जगह नहीं जाना चाहता। 1967 में मैंने आदेश दिए कि विभाग की तरफ से दोनों जगह व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद कमी रहती है तो वह एक बात की कमी रहेगी। जब तक पूरे का पूरा एरिया नहीं कर दें तो बरसात होती है, मेला सितम्बर में लगता है और जब मेला लगता है तो कई बार बरसात खतम होती है लेकिन सितम्बर में जब मेला लगता है तो बरसात होती है। कीचड़ होता है, उससे बीमारियां फैल जाती हैं। इसलिए सरकार ने सोचा था कि दूसरी जगह हो लेकिन लोग पुरानी जगह को छोड़ना नहीं चाहते। आपने उदाहरण दिया पुष्कर का। वहां का मेला पुष्कर

(श्री परसराम मदेरणा)

का । वहां मेला टीबों पर होता है, वहां बरसात नहीं होती । इसकी व्यवस्था ठीक तरह से होती है लेकिन डूब में आती है जमीन ऐसी है । तो आश्वासन देना चाहता हूं कि इस मेले का जो पुरानी जगह है उसके विकास के लिए प्रबंध करना आवश्यक हुआ तो राज्य सरकार आवश्यक कदम उठाएगी ।

यहां पर पाली और सांचोर से आने वाले माननीय सदस्यों ने, जो कैटिल ब्रीडर्स हैं दूसरा काम नहीं करते, इसके संबंध में चर्चा की । यहां पर यह भी कहा गया कि कमेटी बनाई थी और उस कमेटी की सिफारिशें, भी राज्य सरकार को पहुंच गई हैं लेकिन उसमें कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

माननीय सदस्यों से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह बात सही है कि आज रैबारी लोग जो है वे केटल रखते हैं और आज वो बेचारे मारे मारे फिरते हैं । क्योंकि आज के मवेशी के चराने के लिये कोई चरागाह नहीं है । आज के युग में फोरैस्ट एरिया कम है पहले जमाने में जागीरदारों के पास बडे बडे जोत होते थे जिन्हें पैसे देकर वो लोग अपने मवेशी चरा लिया करते थे । पर अब जो फोरेस्ट के पास ऐरिया है वहां पर तथा पोपर लेण्ड है वहां पर मवेशी को चराया जाता है । आज यह कहा जाता है कि फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट वाले मवेशी को नहीं चरने देते हैं यह बात बिलकुल सही नहीं है पर हां जो रिजर्व फोरेस्ट ऐरिया उसमें जरूर मवेशी को चरने की मुमानियत है । इसके अलावा एक माननीय सदस्य ने कहा है कि अब गोचर भूमि ही नहीं रही है और मवेशी को चरने की तकलीफ होती है इसके लिये मैं आपको बता दूं । ऐसी व्यवस्था है कि जहां पर गोचर भूमि नहीं है वहां पर फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट वाले कुछ हिस्सों में मवेशी को चरने दिया जाता है । आज यहां पर यह कहा गया है कि कुछ ऐरिया में 14–14 साल तक मवेशी को चरने की मना कर दी गई है । उसके बारे में मेरा यह निवेदन है कि जहां पर फोरैस्ट ऐरिया किया जा रहा है वहां पर ऐसा किया गया है और वो भी दस साल के लिये ताकि जो फोरेस्ट डवलप किये जाते हैं उनमें पेड वगैरह बढ़ जायें । पर उनमें भी इन्टीरीयर में तो नहीं पर आगे के हिस्से में मवेशी को चरने दिया जाता है । इसके अलावा मैं यह भी बता दूं कि माननीय सदस्यों ने जो यहां पर आज पशुपालन बोर्ड के बारे में कहा है उसके बारे में रिपोर्ट आ गई है और उस रिपोर्ट को स्टडी करके बाद में इस प्रश्न को केबिनेट में रखूंगा और वहां से तय होने पर उसके बारे में भी जो कार्यवाही की जायेगी उसकी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा । यहां पर सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी गोचर भूमि और पेस्चर लैण्ड के बारे में कहा । उनको मैं यह जानकारी दे देना चाहता हूं कि राज्य सरकार गोचर भूमि और पेस्चर लैण्ड के बारे में सजग है यह सही है कि आज जमीन सभी जगह खेती के लिये एलोटमेन्ट हो चुकी है और आज जमीन मवेशियों के चरने के लिये बहुत ही कम है उसके बारे में आपको निवेदन कर दूं कि राज्य सरकार पेस्चर लेण्ड के लिये पास्टर

(श्री परसराम मदेरणा)

डेवलपमेन्ट कर रही है ग्रास डेवलपमेन्ट का कार्य भी राज्य सरकार ही कर रही है। आज भारत सरकार भी इस तरफ सजग है और वो भी चाहती है गोचर भूमि का डवलपमेन्ट किया जाना चाहिए। गोचर भूमि का डवलपमेन्ट भी किया जाना चाहिये। आज अगर हम केटल डवलपमेन्ट का काम करते हैं तो हमें पास्चर लैण्ड डवलप करनी पड़ेगी। चरनोर में तथा दूसरी जगहों पर ग्रास को ग्रो किया जा रहा है। अभी भारत सरकार ने जो रूरल वर्क्स प्रोग्राम की स्कीम बनाई उसके तहत पास्चर लैण्ड डवलपमेन्ट किया जा सके उसके लिये हर जिला पर 30–40 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे।

यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने वेटेरेनरी हास्पिटल के बारे में कहा है कि इसका अभाव है। यह बात सही है आज राजस्थान में बहुत ही कम वेटेरेनरी हास्पिटल हैं। आज राजस्थान में फस्ट ग्रेड वेटेरेनरी अस्पताल 9 हैं जिनके लिए हरेक अस्पताल में दवाइयों के लिये दस हजार रुपये खर्च किये जाते हैं। सेकिण्ड ग्रेड वेटेरेनरी अस्पताल 283 हैं। जिनमें वार्षिक 4,000 रुपये दवाइयों के लिये खर्च किया जाता है। और थर्ड ग्रेड की डिस्पेन्सरीज कुल 51 हैं जहा पर केवल 1 हजार रुपया ही दवाइयों के लिये खर्च किया जाता है। ये अप ग्रेडेड डिस्पेन्सरीज होती हैं इसके अलावा कुछ माईनर डिस्पेन्सरीज होती हैं जो कि एक कम्पाउन्डर के नीचे काम करती हैं। ये पंचायत समिति के अन्दर में होती हैं और उसका खर्चा भी पंचायत समिति को वहन करना पड़ता है। इसके अलावा राजस्थान में कुल 35 मोबाइल डिस्पेन्सरीज भी हैं जिनमे कि 2 हजार रुपये दवाइयां हर साल प्रति यूनिट को दी जाती हैं। ये लार्ज एनिमल की डिजीजेज को इन्वेस्टीगेज करते है। इसके अलावा हमने वेक्सीनेटर्स को भी रखने का प्रयत्न किया है। अन्त मे मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि राज्य सरकार ने सन् 1966 से 3 करोड 75 लाख रुपये की राशि का प्रावधान रखा था। आज राजस्थान के पश्चिम हिस्से जहां कि पिछले कई सालों से अकाल पड़ रहा है वहां पर लोग पशुधन से अपनी जीविकोपार्जन करते हैं वहा पर लोग मवेशी को पालते हैं और फिर अच्छी नस्ल के मवेशियों को बेच कर अपना गुजर करते हैं और उनसे आमदनी करते हैं। आज राजस्थान की पापुलेशन है उसका 13 प्रतिशत ऐसी पापुलेशन है जो पशुधन पर ही अपना गुजर करती हैं इसके लिये मैं आपको निवेदन कर दूं राज्य सरकार केटल डवलपमेन्ट के बारे मे काफी योजनाबद्ध काम कर रही है उसके अलावा आज राज्य सरकार के पास स्पेशियल स्कीम हैं और उन स्कीम्स के अन्तर्गत राज्य सरकार डेयरी प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही है। मैं भी इसके पक्ष में हूं इन सभी बातों का विकास हो।

इसके अलावा यहां पर जो मांग की गई उसका जवाब मैं आज नहीं देकर 12 तारीख को दूं कि क्योंकि वे सवाल स्टेट ट्रेडिंग के नीचे है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इन मांगों को पास कर दें।

श्री जान मोहम्मद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आज छोटे काश्तकारों को क्रेडिट देना बन्द कई जगह क्यों कर दिया। क्या राज्य सरकार ऐसी कोई योजना बनायेगी ?

श्री परसराम मदेरणा : इसका जवाब मैं आपको अभी आफ हैण्ड तो दे नहीं सकता फिर भी जहां तक मुझे जानकारी है राजस्थान से सन् 1966 के बाद से 6 करोड़, 23 लाख रुपया का लोन काश्तकारों को दिया गया है। जिनकी संख्या 25,801 है और इसमें 6,000 फार्म्स ऐसे हैं जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। बाकी अलग अलग आधार पर क्रेडिट दिये जाते हैं और क्रेडिट उपलब्ध करने के लिये न्यू स्कीम कामर्शियल बैंक्स के पास में है, शोर्ट टर्म, मिडियम, लांग टर्म लोन कोओपरेटिव सेक्टर में सेन्ट्रल कोओपरेटिव बैंक और लैंड डवलपमेंट बैंक लोन एडवान्स करता है। जुलाई 70 से लेकर जून 71 तक शार्ट टर्म लोन 15 करोड़, मिडियम 75 लाख और लोंग टर्म लोन 4।। करोड़ का दिया गया। आपके यहां की स्पेसिफिक प्राब्लेम है। बैंक से बात चीत करते हैं तो कहते हैं कि एग्रीकल्चरिस्ट को देने के लिये तैयार हैं। फार्मेलिटी ओब्जर्व नहीं की होगी। आपके पास कौनसा है और कौनसा नहीं। जो डिफिकल्टी राज्य सरकार और बैंक के बीच में आती है उसका हल निकाला है। आपकी डिफिकल्टी है बैंक को बतायें कि किस कारण से बैंक क्रेडिट देने में आना कानी कर रहा है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : दस मील के रेडियस का रेस्ट्रिक्शन है। देट इज वन ओफ दी मेन डिफिकल्टीज़।

श्री उपाध्यक्ष : अनुदानों की मांगों पर मतदान।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 31 कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 9,03,29,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 33 पशुपालन के सम्बन्ध में 31 मार्च 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,98,91,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 39, मुख्य शीर्षक 95 कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाले

(श्री उपाध्यक्ष)

वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 17,50,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 11-5-72 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि को 8 बजकर 4 मिनिट पर बुधवार दिनांक 11-5-72 के 11 बजे म. पू. के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(ता. प्र. सं. 401 की सूची)

LIST OF LOCALITIES ELECTRIFIED IN DANTA RAMGARH

S.No.	Name of locality	Date of electrification.
1.	Ranoli	24.12.1964
2.	Shishu	26.12.64
3.	Trilokpura	18.3.67
4.	Danta	23.10.65
5.	Ramgarh	29.9.65
6.	Khachangawas	29.9.65
7.	Karad	12.3.67
8.	Losal	21.5.70
9.	Umara	16.9.70
10.	Khattoo Shyamji	31.3.66
11.	Dholaser	21.10.71
12.	Palsana	25.11.71
13.	Bharija	23.11.71
14.	Shyampura	10.11.71
15.	Chainpura	10.11.71
16.	Pachar	10.11.71
17.	Kuli	31.12.66
18.	Mandha	19.3.67
19.	Surera	16.3.67
20.	Chandli-ka-Ras	15.11.71
21.	Mei	31.3.65

परिशिष्ट 2

(ता. प्र. सं. 413 की सूची)

विकास अधिकारी पंचायत समिति, जवाजा द्वारा माह अक्टूबर 71 से जनवरी, 72 तक उठाये गये यात्रा भत्ता का विवरण ।

क्रमांक	माह	यात्रा भत्ते के रूप में उठाई गई राशि
1.	अक्टूबर, 71	414.39 पैसे
2.	नवम्बर, 71	256.24 पैसे
3	दिसम्बर, 71	266.75 पैसे
4.	जनवरी, 72	315.75 पैसे

————

परिशिष्ट 3

(ता. प्र. सं. 109 की सूची)

दिसम्बर 68 से फरवरी 71 तक सिचाई विभाग द्वारा बेडफोर्ड, डोज और फारगो ट्रक्स की चैसिस खरीदी गई उसकी सूची 'अ'

क्रम.सं.	नाम सिचाई खण्ड	किस्म ट्रक	संख्या	खरीद की तारीख	धन जो खर्च हुआ	फर्म का नाम जिससे खरीदी गई	फर्म का प्रोप्राइटर, एजेन्ट, सब-एजेन्ट	क्या गाडी उपयोग में आ रही है	रजिस्ट्रेशन की संख्या व तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	सर्वेक्षण खण्ड, जयपुर	फारगो	2	24–1–70	69490.00	कमल एण्ड कंपनी, जयपुर	श्री कमल कासलीवाल	जयपुर एवं उदयपुर खंड	आर.जे. वाई. 4476 आर. आर. एल. 4827 दिनांक 14–4–70
2.	माही खण्ड, बांसवाडा	फारगो	4	2–1–70	221095.84	प्रीमियर आटोमोबाईल्स, बम्बई	कमल एण्ड कंपनी, जयपुर	माही योजना, बांसवाडा	आर.जे.बी. 503, 507, 508, 509 दि. 4-2-70
3.	,,	फारगो	4	8–4–70	220551.84	,,	,,	,,	आर.जे.बी. 518, 519, 520, 521 दि. 8–5–70
4.	जाखम प्रोजेक्ट खण्ड नं. 1	फारगो	4	20–8–70	169769.24	,,	सीधे कं. से खरीदे	जाखम प्रोजेक्ट	आर.जे.वाई. 4819, 4820 4821, 4822 दिनांक दिसम्बर 70।

		3	4	5	6	7	8	9	10
	प्रोजेक्ट खण्ड नं. 1	फ.रगो	1)	14-8-70	42+423.10	प्रीमियर आटो-मोबाईल्स, बम्बई	सीधे कं. से खरीद	जखम प्रोजेक्ट	आर.जे.वाई. 4823, 24, 26, 27, 29, 30 दिनांक दिसम्बर 70। आर.जे.वाई. 4885, 1508, 1463, 1465, दिनांक 1-1-71।
6.	,,	फारगो	4	24-6-70	167824-08	,,	,,	टिडडी खण्ड उदयपुर मेजा फीडर खण्ड भीलवाडा. नं. 3	आर.जे.वाई. 5195, 4883, 4884 दि. अप्रेल, 71 एम. आर. बी. 809।
7.	सेई खण्ड सुमेरपुर डाज		4	8-9-69		,,	आटोमोबाईल्स, बम्बई	सेई प्रोजेक्ट	आर.जे.टी. 1619, 1629, 1621, 1622 दिनांक फरवरी, 71
8.	,,	वैडफोर्ड	4	25-3-70	411000-00	हिन्दुस्तान, कलकत्ता	हिन्दुस्तान, कलकत्ता		आर.जे.जेड. 5619, आर. जे. डब्लू. 834, 886, 887।
9.	सि. खण्ड बांसवाड़ा	फारगो	1	7-7-69	183978-75	कमल एण्ड कं. जयपुर	—	अकाल सहायता कार्यों में	आर.जे. बी. 547, दिनांक 21-1-70 आर.जे.बी. 475, 400 दि. 11-8-69, आर. जे. बी. 613 दि. 25-2-72

10.	सि. खण्ड बांसवाड़ा	डाज	4	30-5-69	11572[illegible]-69	प्रीमियर आटो मोबाइल्स, बम्बई	—	,,	एम.आर.बी. 892 ।
11.	,,	फारगो	1	16-3-70	169590-10	,,	कमल कं. जयपुर	,,	आर.जे.बी. 460,461 ।
12.	सिंचाई खण्ड डूंगरपुर	डाज	1	3-6-69	39200-00	आटोमोबाइल्स, बम्बई	आटोमोबाईल्स, बम्बई ।	सब डि. डूंगरपुर	आर.जे.वाई. 3924 दि. 27-6-69
13.	,,	फारगो	1	21-3-70	65000-00	,,	,,	सब डि. नं. 1 डूंगरपुर	एम. आर. बी. 889,891 ।
14.	,,	फारगो	1	21-3-70	32500-00	आटोमोबाइल्स, देहली	आडोमोबाईल्स, देहली ।	सब डि. नं. 2 डूंगरपुर	आर. जे. जे. 420 दि. जून 70 ।
15.	सिंचाई खण्ड भीलवाड़ा	डाज	2	22-3-69	66384-00	आटोमोबाइल्स, बम्बई	गणेश आटोमोबाइल्स, अजमेर	जैतपुरा प्रोजेक्ट	आर. जे. ई. 1150, 1152 दि. 9-7-69, 10-9-69 ।
16.	सिंचाई खण्ड उदयपुर	डाज	2	30-5-69	57863-34	,,	,,	खरताना, मदार का नाका, गोदावरी का नाका सि. कार्य	आर. जे.वाई. 3934, 3957, 1249 दि. 7-7-69 ।
17.	सिंचाई खण्ड भीलवाड़ा	फारगो	4	1-12-69	222468-00	,,	कमल कं. जयपुर	जेतपुरा प्रोजेक्ट	आर. जे, ई. 1244, 1248 दि. 7-2-70
18.	सिंचाई खंड कांकरोली	फारगो	6	12-2-70	208471-14	,,	,,	कांकरोली खण्ड मेजा फीडर टिड्डी खण्ड	आर. जे. वाई. 4617, 1442, 159, दिनांक 10-9-70, 7-2-71

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	सिंचाई खण्ड उदयपुर	बेडफोर्ड	4	26-3-70	160864·00	हिन्दुस्तान मोटर कलकत्ता	कमल कं. जयपुर	टिड्डी खण्ड जाखम खण्ड	एम.आर.बी. 691, 698, 6[illegible]91
20.	सिंचाई खण्ड जयपुर	बेडफोर्ड	2	14-11-70	82[illegible]44–96	हिन्दुस्तान मोटर्स वेस्ट बंगाल	वेस्टर्न इंडियन स्टेट मोटर्स जयपुर	जयपुर खण्ड, सवाईमाधोपुर खण्ड	आर.जे. वाई. 4834, 4835, 4836, 4839, दि. 2-1-71, 4-1-71
21.	सिंचाई खण्ड जयपुर	फारगो	1	14-11-70	47032–01	आटोमोबाइल्स बम्बई	मेवाड़ मोटर्स उदयपुर	जयपुर खण्ड	आर.आर एल. 7858, 7859। आर.आर. एल. 8767।
22.	सिंचाई खण्ड अलवर	बेडफोर्ड	1	मार्च 70	43871–08	हिन्दुस्तान मोटर्स वेस्ट बंगाल	सीधे कं. से प्राप्त की	अलवर खण्ड	आर. जे. ए. 3212
23.	सिंचाई खण्ड अलवर	फारगो	1	14-11-70	47032–01	आटोमोबाइल्स बम्बई	मेवाड मोटर्स उदयपुर	,,	आर. जे. ए. 3492
24.	भरतपुर खण्ड	बेडफोर्ड	1	मार्च 70	43871–08	हिन्दुस्तान मोटर्स वेस्ट बंगाल	सीधे कं. से प्राप्त की	भरतपुर खण्ड	आर.जे.बी. 4138

परिशिष्ट 4

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

सहायक अभियन्ता (विद्युत्), टोडाभीम का कार्यालय

429. **श्री चेत राम** (टोडाभीम) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि सहायक अभियन्ता (विद्युत्) का कार्यालय टोडाभीम में स्थापित है ? यदि हां, तो सहायक अभियन्ता, टोडा भीम में नहीं बैठ कर बयाना में क्यों बैठते हैं ? इससे इस क्षेत्र की जनता को होने वाली परेशानियों को नहीं सुना जाता है ?

(2) क्या सरकार शीघ्र ही वहां कोई कर्मचारी भेज कर इसका निराकरण करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। टोडा भीम में AEN (Power) का कोई कार्यालय स्वीकृत नहीं हुआ है अतः अन्य प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) जब सहायक अभियन्ता का कार्यालय स्वीकृत ही नहीं है तो निराकरण की आवश्यकता ही नहीं है ।

ग्राम पंचायत बसेडा (हिन्डौन) के बांध की मरम्मत

430. **श्री उम्मेदीलाल** (हिन्डौन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या ग्राम पंचायत, बसेड़ा तहसील हिन्डौन में एक पुराना पक्का बांध था जो अब टूटा पड़ा हुआ है ?

(2) क्या यह सच है कि इस बांध के टूट जाने के बाद आस पास के करीब दस ग्राम के कुओं का पानी बहुत नीचे (लगभग 40 हाथ पानी नीचे) चला गया है ?

(3) क्या यह सच है कि पानी का स्तर नीचे जाने के कारण कृषि उत्पादन कम हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बांध की मरम्मत कराने का विचार रखती है ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 29–4–72)

बिसलपुर सिंचाई योजना

125. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवा-महल, जयपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बिसलपुर इरिगेशन प्रोजेक्ट पर चौथी पंचवर्षीय योजना के किस किस वर्ष में कितना कितना रुपया किस किस कार्य में खर्च हुआ ?

(2) पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों में इस प्रोजेक्ट पर कितना कितना रुपया किस किस वर्ष में खर्च होगा ?

उत्तर

(1) योजना के सर्वेक्षण व अनुसंधान कार्यों पर हुए व्यय की वर्षवार सूची संलग्न है।

(2) अभी यह योजना स्वीकृत नहीं हुई। योजना की स्वीकृति के बाद ही इस विषय में कुछ कहना सम्भव हो सकेगा।

बिसलपुर सिंचाई योजना पर सर्वेक्षण व अनुसंधान कार्यों पर खर्च का विवरण

(चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में)

वर्ष	खर्चा
1969–70	26,613.32 रु.
1970–71	17,306.69 रु.
1971–72	314.53 रु.
योग	44,234.54 रु.

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 1–5–72)

सीकर में चीनी का वितरण

166. **श्री गोरधन सिंह** (सीकर): क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अभी हाल ही में चीनी का जो कन्ट्रोल हुआ है उसमें सीकर उपभोक्ता भण्डार द्वारा सही ढंग से चीनी का वितरण नहीं किया जा रहा है और चीनी का ब्लेक किया जा रहा है ?

(2) क्या सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र जांच कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) सीकर नगर में कितनी चीनी एक मास में वितरण करना तय किया है ? और वास्तव कितनी वितरित की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) सीकर नगर में कितने व्यक्तियों को राशन कार्ड सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा बना कर दे दिये गये हैं तथा कितने बनाये जाने शेष हैं ?

(5) क्या यह भी सही है कि सीकर के देहातों में चीनी का वितरण सहकारी समितियों द्वारा नहीं किया जाकर सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा राजनैतिक दबाव के आधार पर गांवों में अनुचित तरीके से अलग अलग व्यक्तियों को डीलर नियुक्ति किया जाकर किया जा रहा है ? कृपया डीलरों की नियुक्ति आदि की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं चीनी का वितरण सही ढंग से किया जा रहा है काला बाजारी की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) 350 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह वितरण करना तय किया हुआ है जो शक्कर सीकर जिले मे प्रति माह वितरण की गई है उसकी सूची सलग्न सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) नये राशन कार्ड बनाने हेतु प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये गये हैं जांच के पश्चात् राशन कार्ड जारी कर दिये जावेंगे। वर्तमान में शक्कर पुराने राशन कार्डो पर वितरित की जा रही है।

5) जी नहीं, सीकर जिले के डीलरों की नियुक्ति सूची संलग्न सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

परिशिष्ट 5

(ग्रा. प्र. सं. 406 की सूची)

पंचायत समिति श्री डूंगरगढ़ (जिला चूरू) की प्राथमिक पाठशालाओं के छात्रों के लिए दलिया, तेल, और, दूध, आदि पहुंचाने का विवरण

वर्ष	सामान पहुंचाने का दिनांक	सामान की तादाद	पहुंचाने का साधन
1970-71	25-11-70 से 30-11-70 तक	416 थैले) 832 टीन)	ट्रक
,,	13-2-71 से 28-2-71 तक	579 थैले) 1158 टीन)	ट्रैक्टर
1971-72	30-7-71 से 3-8-71	521 थैले) 1042 टीन)	ट्रैक्टर
,,	2-1-72 से 5-1-72	450 थैले) 900 टीन)	ट्रैक्टर

परिशिष्ट 6

(ता. प्र. सं. 409 की सूची)

नाम पट्टाधारी	नियम	समयावधि	क्षेत्रफल
1-सर्व श्री वेस्ट केमिकल लाइमस्टोन इन्डस्ट्रीज प्रा. लि. नीम का थाना	राजस्थान एम. एम. सी. आर. (M.M.C.R.)	10 साल 6-8-70 से (रिन्यूअल)	6 वर्गमील
2- ,,	एम. सी. आर. (M.C.R.)	20 साल 26-9-56 से	80 एकड़

परिशिष्ट 7

(ता. प्र. सं. 415 की सूची)

सूची (अ) तारांकित प्रश्न संख्या 121 स्वा. मं. दिनांक 30-3-72

क्रमांक	नाम जिनको भुगतान करना है	धनराशि
1.	श्री असीन पुत्र श्री समसुख	7–00
2.	श्री असरफ पुत्र श्री वायदुन अल्ली	11–00
3.	श्री अब्दुल्ला पुत्र श्री बोलास फकीर	116–00
4.	श्री किशन भागीरथ पुत्र श्री सुखीया	147–00
5.	श्री दयाल पुत्र श्री गंगाराम	44–00
6.	श्री मोहम्मद खां पुत्र श्री सजाक खां	22–00
7.	श्री रामकुमार पुत्र श्री राम बल्लभ	67–00
8.	श्री लख्खा पुत्र श्री वरजी गुजर	71–00
9.	श्री हनुमान पुत्र श्री रामगोपाल	46–00
10.	श्री रामचन्द्र पुत्र श्री गणेश लाल	46–00
		577–00

परिशिष्ट 8

(ता. प्र. सं. 417 की सूची)

(नहरों पर किए गये सर्वे का विवरण)

एम.बी.नं. 1	पेज नं. 2	माह और वर्ष 3	नहर का नाम 4	रकम 5
104	14	3163	रिचन्डा डि0 आमली डि0 मेरा माईनर प्रथम और द्वितीय सकतपुर माईनर।	850–09
„	16	8–4–63	मेन कैनाल रिचन्ड डि0	1019.24
„	36	3–8–63	आमली डि0	42.25
„	43	16–10–64	रिचन्ड डि0	1777.00
„	52	1165	आमली डि0 रिचन्डा, मोरया प्रथम सकतपुरा मेन कैनाल	1398.00
„	57	8–3–65	मोजपुरया माईनर	300.00
„	89	„	रिचन्डा डि0	1777.00
103	77	9165	„	372.00
„	99	11165	„	870.00
„	95	12165	खतवार माईनर	1557.50
105	39	6–4–64	मेन कैनाल	1000.50
„	50	6–2–65	मेन कैनाल	199.00
„	53	„	„	30.45
„	60	„	„	117.50
103	100	1–1–66	खतवार माईनर	540.00
104	68	6–5–66	आमली डि0 रिचन्डा डि0, मेन कैनाल	772.00
„	70	6166	मेन कैनाल	423.00
[illegible]	71	„	„	3305.00
[illegible]	73	„	खतवार माईनर	1133.00
[illegible]	78	30–7–66	मेरा माईनर प्रथम	605.00
[illegible]	[illegible]	19–7–66	मेन कैनाल	338.00
[illegible]	[illegible]	„	„	1217.00
[illegible]	[illegible]	„	„	573.00

1	2	3	4	5
105	61	65–66	मेन केनाल	52.00
,,	62	,,	,,	172.50
,,	67	,,	,,	7282.00
,,	74	,,	,,	1433.00
,,	75	,,	,,	402.00
,,	78	,,	,,	155.00
,,	36	,,	खानपुरिया डि.	122.00
,,	89	15–9–66	मेन केनाल	2896.00
.72	95	11|66	ग्रामली डि.	919.00
.7-2	50	11|66	मेन केनाल	1579.00
,,	52	,,	,,	1308.00
,,	59	1|67	ग्रामली डि. सकतपुर माईनर, मोरया-प्रथम द्वितीय खानपुरिया माईनर	710.12
,,	58	3|67	मोझूखेरी माईनर, खेरपुरिया माईनर	445.00
,,	63	6|67	सकतपुरा माईनर	152.00
808	2	10|67	मेन केनाल, रिचन्डा डि0 ग्रामली डि0 खतवार माईनर	128.75
,,	3	10|67	रिचन्डा डि0	34.65
,,	6	11|67	ग्रामली डि. मेन केनाल कटारिया	1321–40
895	1	3–2–63	ग्रामली डि.	1331–00
,,	,,	,,	,,	2690–00
899	13	26–4–69	ग्रामली डि.	2690–00
,,	21	,,	,,	3822–00
,,	27	27–3–69	,,	1166–00
,,	36	31–3–69	,,	1445–00
,,	44	,,	,,	1144–00
,,	76	5–7–69	,,	151–00
,,	78	,,	,,	940–00
,,	79	,,	,,	279–00
977	1	9–7–79	मेन केनाल	460–
,,	6	26–11–69	,,	5

Page No. 198

1	2	3	4	5
967	8	26-11-69	मेन केनाल	1276-50
,,	9	31-10-69	,,	1999-73
,,	10	31-11-69	रिचन्डा डि.	594-01
,,	15	31-11-69	मेन केनाल	9902-00
,,	16	,,	,,	6679-44
,,	19	5-11-69	,,	1627-27
,,	20	,,	,,	1177-00
,,	22	4-11-69	,,	3142-36
,,	24	12-11-69	किशनपुरिया भोजपुरिया	485-16
,,	27	18-11-69	रिचन्डा डि.	2482-50
,,	38	4-2-70	मैन केनाल	1968-63
1031	9	6171	,,	4715-10
,,	28	17-11-71	चारल माईनर भोरिया प्रथभ	378-99
,,	31	15-11-71	भोरया प्रथम शंकरपुरा खानपुरिया आमली डि.	708-44
,,	35	10-11-71	मैन केनाल	1225-83

परिशिष्ट 9

(अं. प्र. सं. 133 की सूची)

LIST OF ELECTRIFIED LOCALITIES OF TEHSIL, CHAKSU

S. No.	Name of Locality
1.	Chaksu
2.	Sheodaspura
3.	Barkheda
4.	Padampura
5.	Jaikishanpura urf. Sheel-ki-Dungri
6.	Chandlyi
7.	Manpur Doongri
8.	Gutla Nimodia
9.	Sitarampur

परिशिष्ट 10

(प्र. प्र. सं. 136 की सूची)

LIST OF LOCALITIES OF TEHSIL NATHDWARA FOR WHICH THE SCHEME REPORTS ARE AVAILABLE/UNDER CONSIDERATION

S. No.	Name of village
1.	Biynol
2.	Kheri
3.	Lachhipura
4.	Salor
5.	Dhayla
6.	Gudla
7.	Kunthwa
8.	Rakchha
9.	Kosiwara
10.	Usarwa
11.	Beran
12.	Kotri Kadhana

———

परिशिष्ट 11

(ग. प्र. सं. 145 की सूची)

1970–71 की अवधि में सिचाई विभाग के कई इंजीनियर्स, ओवरसियर्स एवं अन्य अधिकारियों ने गुजरात प्रान्त की यात्राएं सरकारी कार्य के लिए कीं उसकी सूची

क्र. सं. 1	अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पद 2	यात्रा स्थान 3	यात्रा का प्रयोजन 4	तारीख 5
1.	श्री जगदीशराय कौशिक, सहायक अभियन्ता टिड्डी उप-खण्ड द्वितीय, उदयपुर।	अहमदाबाद	आईरन रोड खरीदने हेतु	1-12-70 से 4-12-70
2.	श्री जगदीश पुरी, अधिशासी अभियन्ता, जवाई कैनाल खण्ड, सुमेरपुर।	"	सेई प्रोजेक्ट पर बनाई जाने वाली मेगजीन के लिए एक्सप्लोसिव लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु।	15-5-70 से 26-5-70
3.	श्री सम्पतराज जैन, अधिदर्शक (मेकेनिकल), कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सेई परियोजना खण्ड, सुमेरपुर।	"	किरलोसकर अमवेड स्पर कम्प्रेसर टाईप 380 के स्पेयर पार्ट एवं जैक हैमर टाइम सी. बी. 600 लेने हेतु	7-4-70 से 9-4-70
4.	श्री भूर चन्द जैन। अधिशासी अभियन्ता सिंचाई, सेई प्रोजेक्ट खण्ड, सुमेरपुर।	सुन्दर नगर	न्यूमेटिक लोडर की इन्क्वायरी करने हेतु।	17-10-70 से 18-10-70
5.	श्री अब्दुल हमीद अन्सारी, स्टोर कीपर, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई, बून्दी।	अहमदाबाद	सीमेन्ट खरीदने हेतु।	12-5-70 से 15-5-70
	श्री एम. पी. जैन, कनिष्ठ अभियन्ता, सेई प्रोजेक्ट डिविजन, सुमेरपुर।	"	खमा पिचिंग के लिए सामान प्राप्त करने हेतु।	30-12-70 से 26-1-71

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक 10 मई, 1972)

स्कम्भ सं.	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
3	ऊपर से 11	र्यवाही	कार्यवाही
	अन्तिम से 5	श्री रघुनथ विशनोई	श्री रघुनाथ विश्नोई
4	„ 11	मूमि	भूमि
6	अन्तिम से 11 व 22	श्री रघुनाथ वि नोई	श्री रघुनाथ विश्नोई
7	अन्तिम से 11 व 21	श्री रामचन्द चौधरी	श्री रामचन्द्र चौधरी
8	अन्तिम से 4	598	398
9	ऊपर से 13	ख दि	खरीदे
	ऊपर से 15	क्य	क्या
10	ऊपर से 1	गांधों	गांवों
	ऊपर स 11	आर	और
	ऊपर से 13	सके ी	सकेगी
11	ऊपर से 2	स्वीकृ	स्वीकृति
	ऊपर से 3	विद्युतिकर	विद्युतिकरण
13	ऊपर से 13	कोटपुलि	कोटपुतली
14	अन्तिम से 9	राजस्थान की तीनों	राजस्थान तीनों की
16	ऊपर से 1	श्री हरिदव जोशी	श्री हरिदेव जोशी
	17	श्री वृद्धिचन्द जैन	श्री वृद्धिचन्द्र जैन
17	अन्तिम से 3	विया	दिया
21	ऊपर से 8	किसाबों	किसानों
24	ऊपर से 3 व 11	ब	व
25	अन्तिम से 5	(3)	(2)
42	ऊपर से 11	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष
	अन्तिम से 4	श्री सुरेन्द्रप्रसाद	श्री सुरेन्द्र प्रसाद
43	ऊपर से 2	जबाब	जवाब
48	„ 14	बिश्नोई	विश्नोई
54	अन्तिम से 2	श्री कसरीमल	श्री केसरीमल
62	„ 2	आ के	आपके
67	ऊपर से 1	व्यास	—
81	अन्तिम से 8	चुनाब	चुनाव
95	से 128 शीर्ष	व्यवस्था	वक्तव्य
101	ऊपर से 1	श्री निरंजननाव आचार्य	श्री निरंजननाथ आचार्य
	„ 14	की	कि
102	अन्तिम से 10	बाद-	में
	„ 16	अनलफुल	अनलाफुल

1	2	3	4
103	ऊपर से 16	क ना	करना
114	अन्तिम से 2	बिमारी	बीमारी
143	ऊपर से 1	प्रतुस्त	प्रस्तुत
145	,, 2	श्री नोहर सिंह	श्री मोहर सिंह
	,, 6	सोईल	सादूल
146	,, 2	अर्न्गत	अन्तर्गत
147	,, 1	श्री चेताराम	श्री चेतराम
150	अन्तिम से 11	शंकर	संकर
	,, 3	गाग	मांग
152	ऊपर से 4	श्री राजन्द्रसिह	श्री राजेन्द्र सिंह
	,, 15	(-)	बामनवास
157	अन्तिम से 12	महोद	महोदय
158	,, 3	बाढ़	बाड़
162	ऊपर से 7	करके	करते
	अन्तिम से 3	मीणियों	मोगणियों
162	,, 2	डंगरगढ़	डूंगरगढ़
165	,, 5	कोर्पोरेशन	कार्पोरेशन
166	ऊपर से 6	,,	,,
173	अन्तिम से 9	दवशाल	विशाल
	,, 8	अ्रिगर	अगर
175	ऊपर से 6–17	फिक्टीसियस	फिक्टीशस
177	ऊपर से 8-17	शंकर	संकर
178	,, 5	बैंक	ब्लैंक
	अन्तिम से 12	दिशा	दशा
181	ऊपर से 6	बची	बीच
184	अन्तिम से 10	चढ़स	चड़स
187	,, 5	प ाड़ो	पहाड़ों
191	,, 17	पड़ ा	पड़ता
194	,, 7	में	में
197	,, 17	एक्चीव	एचीव
213	ऊपर से 5	कमी	कभी
215	,, 8	निश्चत	निश्चित
225	अन्तिम से 16	राजस्यन	राजस्थान
229	[illegible]	रखती	रखते
2[illegible]	[illegible]	मानयीय	माननीय
[illegible]	[illegible]	अनु ोव	अनुरोध
[illegible]	[illegible]	आप	—
[illegible]	[illegible]	श्री गफ्फार अली	श्री मोहम्मद गफ्फार अली
[illegible]	[illegible]	सप्लाय	स लायी
[illegible]	[illegible]	फ्लेक्सीबिलटी	फ्लेक्सीबिलिटी
[illegible]	[illegible]	पैदावर	पैदावार
[illegible]	[illegible]	स	समय

1	2	3	4
314	ऊपर से 3	भागेव	भार्गव
321	,, 1	परण	पारण
359	,, 11	अच्ची	अच्छी
373	,, 5	आडोमोबाईल्स	ओटोमोबाईल्स
375	,, 2	डिन्डौन	हिन्डौन
376	,, 10	नियुक्ति	नियुक्त